राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

(एनआईसीडीसी लि.)

(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

वित्तीय वर्ष 2019-20

संगठन के संबंध में प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र ओ.एम नं. के पैरा 02 पर भेजा गया एल.ए.फ़.इ.ए. एस -सी.बी.II067/18/2019-सी.बी.-II दिनांक 23.10.2019 लोकसभा सचिवालय

मंत्रालय का नाम: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

विभाग का नाम: उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)

संगठन का नाम: राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

क्रम संख्या	विवरण	टिप्पणी		
1	कृपया निर्दिष्ट करें, क्या संगठन स्वायत्त / सांविधिक निकाय, संयुक्त उद्यम, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, आदि है	निगम		
2	संगठन की स्थापना का वर्ष	2008		
3	क्या संगठन संबंधित मंत्रालय / विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी)		
4	संगठन को संचालित करने वाले अधिनियम / नियम / विनियम	कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सामान्य वित्तीय नियम, 2017		
5	क्या उपरोक्त क्रम संख्या 4 में उल्लिखित अधिनियम / नियम / विनियमन में सदन के पटल पर संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा रखने के प्रावधान हैं? (हाँ या नहीं में इंगित करे) (कृपया अधिनियम / नियम / विनियमन की एक प्रति संलग्न करें)	हाँ (सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 237 संलग्न हैं)		
6	यदि क्रम संख्या 5 से ऊपर का उत्तर हां में है, तो इन रिपोर्टों को पटल पर रखने के लिए निर्धारित समय सीमा को इंगित करें।	31 दिसंबर 20		
7	क्या संबंधित मंत्रालय / विभाग से संगठन को वित्तीय सहायता (एक बार / आवर्ती / वार्षिक) प्राप्त हुई है।	वार्षिक		
8	क्या स्थापना के बाद से निरंतर, संगठन की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखा सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं; (हाँ या नहीं में इंगित करे)	हाँ		
9	यदि ऊपर दिए गए क्रम संख्या 8 का उत्तर हां है, तो पिछले तीन वर्षों यानी 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए सदन के पटल पर अपेक्षित दस्तावेज रखने की तिथि (तारीखों) को इंगित करें।	वित्तीय वर्ष	लोकसभा	राज्यसभा
		2016-17	05.01.2018	20.12.2017
		2017-18	17.12.2018	17.12.2018
		2018-19	04.12.2019	06.12.2019
10	यदि क्रम संख्या 8 के ऊपर का उत्तर नहीं है; तो इसकी स्थापना के बाद से उन वर्षों का उल्लेख कारणों के साथ, जिनके लिए संगठन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज नहीं रखे गए हैं, तथा वही, सदन के पटल पर कब तक रखे जाने की उम्मीद है।	लागू नहीं		

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 **(1) Utilization Certificates.** In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

12वीं वार्षिक रिपोर्ट

तथा

लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण

(वित्तीय वर्ष 2019-20)

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड

(एनआईसीडीसी लि.)

(पूर्व में दिल्ली मुंबई औद्योगिक कोरिडोर विकास निगम लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	कंपनी रूपरेखा	5 - 8
2.	अध्यक्ष का संदेश	9 – 11
3.	कॉरपोरेट सूचना	12
4.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	13 – 21
5.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशक की रिपोर्ट	22 – 65
6.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट	66 – 73
7.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	74 – 85
8.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण	86 – 107
9.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	108 – 116
10.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरण	117 – 143

कंपनी का परिचय

प्रमुख आर्थिक उत्प्रेरक संचालक के रूप में विर्निमाण सहित योजनाबद्ध शहरीकरण और देश के औद्योगिक/विनिर्माण विकास को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने के संबंध में, भारत सरकार ने 2007 में प्रथम औद्योगिक गलियारा परियोजना के रूप में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) परियोजना की अवधारणा की घोषणा की। परियोजना का उद्देश्य एक सक्षम नीतिगत ढांचे में लॉजिस्टिक लागतों को कम करने के लिए वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर द्वारा उपलब्ध उच्च गति, उच्च क्षमता का दोहन कर स्मार्ट, स्थायी औद्योगिक शहरों का निर्माण करना है। तदनुसार, डीएमआईसी परियोजना को विकसित और क्रियान्वित करने के लिए जनवरी 2008 में एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) अर्थात् दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को निगमित किया गया।

वैश्विक विनिर्माण और निवेश गंतव्य के रूप में डीएमआईसी के औद्योगिक शहरों में विश्व श्रेणी अवसंरचना विकसित करने हेतु वित्तपोषण सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार ने सितंबर, 2011 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के रूप में एक समर्पित निधि के सृजन का अनुमोदन किया। तत्पश्चात, डीएमआईसी सहित सभी औद्योगिक गलियारों के समन्वित और समेकित विकास के लिए भारत सरकार ने मौजूदा डीएमआईसी-पीआईटीएफ के कार्यक्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी और इसे नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनः प्राधिकृत किया। नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), डीपीआईआईटी के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

परियोजना के अंतर्गत, ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहरों का विकास भारत सरकार की निधियों को प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन फंड से एनआईसीडीआईटी द्वारा इक्विटी अथवा ऋण के रूप में परियोजना एसपीवी में निवेश करके और संबंधित राज्य सरकार से इक्विटी के रूप में आने वाली भूमि द्वारा विकसित किया जा रहा है। डीएमआईसीडीसी, परियोजना विकास कंपनी के रूप में कार्य कर रही है जो नए ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों के लिए पूर्व-व्यवहार्यता, व्यवहार्यता, मास्टर प्लानिंग और इंजीनियरंग जैसी विभिन्न गतिविधियों के अध्ययन के साथ साथ विभिन्न विशेष परियोजनाओं के विकास का कार्य भी करती है। इन परियोजना संबंधी विकास गतिविधियों को करने के संबंध में, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (पीडीएफ) से डीएमआईसीडीसी को निधियां अनुदान के रूप में जारी की जा रही है।

डीएमआईसीडीसी नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), डाऊनस्ट्रीम सिटी लेवल एसपीवी और प्रोजेक्ट लेवल एसपीवी के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करता है। एनआईसीडीआईटी के कार्यक्षेत्र और अधिकारों में विस्तार के कारण, डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ है और डीएमआईसीडीसी को भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई अथवा भविष्य में घोषित की जाने वाली सभी इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट की परियोजना विकास संबंधी गतिविधियों को करने का दायित्व सौंपा गया है। इसलिए 17 फरवरी, 2020 से कंपनी का नाम डीएमआईसीडीसी से बदल कर एनआईसीडीसी (नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड) कर दिया गया।

एनआईसीडीसी के मौजूदा इक्विटी शेयरहोल्डरों में भारत सरकार जिसका प्रतिनिधित्व उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा किया जाता है (49 प्रतिशत), जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी) (26 प्रतिशत) और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कोरपोरेशन (हुडको) (19.9 प्रतिशत), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) (4.1 प्रतिशत) एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (1.0 प्रतिशत) जैसे वितीय संस्थान शामिल है।

<u>कंपनी की संस्थानिक और वित्तीय संरचना: -</u>

भारत सरकार ने 2011 में डीएमआईसी प्रोजेक्ट के चरण-I में औद्योगिक शहरों का विकास करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में डीएमआईसी प्रोजेक्ट की वित्तीय और संस्थानिक संरचना के लिए 17,500 करोड़ रुपए (अधिकतम 3,000 करोड़ रुपए के अध्यधीन 7 नोड में प्रत्येक के लिए औसतन 2,500 करोड़ रूपए) के बजटीय समर्थन का अनुमोदन किया। डीएमआईसी के अंतर्गत, परियोजना विकास संबंधी गतिविधियों को करने के लिए बजटीय समर्थन के रूप में 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉर्प्स उपलब्ध कराया गया था।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट सहित विभिन्न अन्य औद्योगिक गलियारों के समन्वित और एकीकृत विकास के लिए, भारत सरकार ने मौजूदा डीएमआईसी पीआईटीएफ के कार्य क्षेत्र को विस्तारित किया और इसे दिसंबर, 2016 में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के रूप में पुनःनिर्मित किया।

18,500 करोड़ रुपये के कॉर्पस के अलावा, अन्य सभी परियोजनाओं के लिए विभिन्न परियोजना विकास और कार्यान्वयन से संबंधित कार्यों को शुरू करने के लिए 1,584 करोड़

रुपये (एनआईसीडीआईटी के प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए 84 करोड़ रुपये सहित) के अतिरिक्त कॉर्पस को अनुमोदित किया गया जो कुल 20,084 करोड़ रुपये है।

भारत सरकार की ओर से बजटीय सहायता एनआईसीडीआईटी को दी जाती है और एनआईसीडीआईटी औद्योगिक शहरों/नोड्स/परियोजनाओं के विकास के लिए भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में शामिल विशेष प्रयोजन योजनाओं (एसपीवी) को इक्विटी और/या ऋण प्रदान करती है। परियोजना एसपीवी में निवेश इक्विटी या ऋण के रूप में सीधे एनआईसीडीआईटी द्वारा किया जाता है और संबंधित राज्य सरकार इक्विटी के रूप में भूमि का हस्तांतरण करती है।

भारत सरकार विभिन्न औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं का विकास कर रही है और एनआईसीडीसी को इन औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के संबंध में परियोजना विकास गतिविधियों को मूर्तरूप देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 04 चरणों में निम्न 11 औद्योगिक गलियारा परियोजनाएं विकसित की जा रही हैं:-

(i) दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएमआईसी);
(ii) चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (सीबीआईसी);
(iii) अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एकेआईसी);
(iv) ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (ईसीआईसी) के अंतर्गत चरण 1 में विशाखापत्तनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (वीसीआईसी);
(v) बैंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (बीएमआईसी);
(vi) सीबीआईसी का कोयंबटूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार;
(vii) हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एचएनआईसी);
(viii) हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एचडब्ल्यूआईसी);
(ix) हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (एचबीआईसी);
(x) ओडिशा इकनॉमिक कॉरिडोर (ओईसी);
(xi) दिल्ली नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (डीएनआईसी)।

राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा योजना के तहत ग्रीनफील्ड शहरों/परियोजनाओं को वितरित व्यापार जिलों और औद्योगिक क्षेत्रों के माध्यम से कार्यबल के लिए यात्रा मांग ईष्टतम करने, मिश्रित उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए संगत भूमि का एकीकरण, औद्योगिक क्षेत्रों के पास नियोजित किफायती कामगार आवास, हाई एक्सेस मॉस ट्रांजिट गलियारों के चारों ओर उच्च घनत्व वाले आवास, कारों की तुलना में साइकिलिंग और पैदल यात्री प्रणाली को प्रोत्साहित करना, पानी और ठोस कचरे का पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से ऊर्जा पर्याप्तता, बेहतर कृषि भूमि का संरक्षण और प्राकृतिक

पर्यावरण (तटीय क्षेत्रों, वनों, अभयारण्यों) की सुरक्षा, नए शहर में मौजूदा गांवों का एकीकरण आदि जैसी सतत् विकास की कुछ मौलिक अवधारणाओं के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

सभी मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी परियोजनाओं को समग्र रूप से एकीकृत करने और लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की समेकित आवाजाही के लिए गैरहाज़िर कमियों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक आर्थिक क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे के संबंधों को दर्शाते हुए एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम को भावी मांग हेतु गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विकसित भूमि पार्सल को तत्काल आवंटन के लिए तैयार रखा जाएगा जो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 07 सितंबर 2019 को माननीय प्रधानमंत्री ने शैन्द्रा औद्योगिक शहर और औरिक बिल्डिंग (महाराष्ट्र) को राष्ट्र को समर्पित किया।

दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत, चार राज्यों अर्थात् गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में निर्माण गतिविधियां चल रही है और इन परियोजनाओं में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 521 एकड़ क्षेत्र के कुल 68 भूखंडों को अब तक लगभग 16,000 करोड़ रुपये के प्रतिबद्ध निवेश के साथ आवंटित किया गया है।

एनआईसीडीआईटी ने दिनांक 30 अगस्त, 2019 की अपनी बैठक में सीबीआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में कृष्णपटनम, 2500 एकड़, कर्नाटक में तुमकुरू, 1736 एकड़ और डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में 1208 एकड़ में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) एवं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) के लिए अपना अनुमोदन दिया है और इन परियोजनाओं के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

अध्यक्ष का संदेशः वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

प्रिय शेयरधारकों,

यह खुशी और उपलब्धि का विषय है कि मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आपकी कंपनी का परिचालन प्रदर्शन प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वर्ष आशावादी विचारों के साथ शुरु हुआ जिसमें अर्थव्यवस्था विकास के सभी मानकों पर अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के विकास में विदेशी निवेश की मात्रा एवं प्रगति अत्यधिक प्रभावशाली रही। निस्संदेह, आपकी कंपनी ने उभरती अर्थव्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने के लिए स्वयं को एक उल्लेखनीय स्थान पर प्रस्तुत किया।

इस तरह की परिस्थितियों में, हम एक जिम्मेदार कॉरपोरेट कंपनी के रूप में देश की प्रगति में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपनी क्षमताओं का दोहन करने में सक्षम हुए हैं। वास्तव में, बहु-समकालिक विकास पहलों के साथ एक अल्ट्रा-मैगा प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी जिसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव है, हमारी प्रतिबद्धता की उच्चतम भावना को दर्शाता है और संगठनात्मक मान्यताओं के प्रति हमारे व्यवसायिक समर्पण को प्रदर्शित करता है!

विकास के मोर्चे पर, 07 सितम्बर, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा महाराष्ट्र के शैन्द्रा प्रोजेक्ट और औरिक हॉल का राष्ट्र को समर्पण प्रमुख उपलब्धि है।

सड़क और सेवा, जल शोधन संयंत्र, ठोस कचरा प्रबंधन और सामान्य एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना पैकेजों का कार्यान्वयन तेजी से किया गया और भूमि आवंटन के लिए ज़ोरदार प्रयास किए गए हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात में मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब जैसी अन्य एकल परियोजनाओं को आगे बढ़ाया गया हैं। अहमदाबाद से धोलेरा के बीच ग्रीनफील्ड धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और एक्सप्रेसवे जैसी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं थीं जिनका इस वर्ष के दौरान निगमन करने की प्रक्रिया आरम्भ हुई, जैसे धोलेरा गुजरात में पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीपीसीएल) द्वारा प्रबंधित किए जा रहे 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में से कुल 300 मेगावाट टाटा सोलर पावर लिमिटेड को प्रदान किया गया। शेष 700 मेगावाट के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जीयूवीएनएल) से 1.3 गीगावाट के लिए 07 बोलियां मिली हैं। यह डीएसआईआर के लिए आने वाले समय में उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य होने का शुभ संकेत है।

चेन्नई बैंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर जैसी अन्य परियोजनाओं पर भी विशेष ज़ोर दिया गया है जिसमें कृष्णापट्नम, 2500 एकड़ (आंध्र प्रदेश) और तुमकुरु, 1736 एकड़ (कर्नाटक) के लिए परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां पूरी हो गई है।

नेशनल इंडस्ट्रियन कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) ने सीसीईए की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु कृष्णापट्नम (आंध्र प्रदेश), तुमकुरु (कर्नाटक) और उत्तर प्रदेश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब (एमएमएलएच) और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच) को अपनी स्वीकृति दे दी है।

कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक चेन्नई बैंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) के विस्तार और विशाखापट्नम चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) में प्राथमिक नोड के रूप में विशाखापट्नम और चित्तूर के विकास के लिए एनआईसीडीआईटी द्वारा अनुमोदन किया गया। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इनपुट प्राप्त कर आर्थिक क्षेत्रों के साथ मल्टी मॉडल सम्पर्कता अवसंरचना को एकीकृत करने के लिए एक नेशनल मास्टर प्लान तैयार किया गया। इस प्रक्रिया के रूप में, 11(ग्यारह) इंडस्ट्रियल कोरीडोर चिन्हित किये गए जिसमे 2024-25 तक 30 नोड़ों/प्रोजेक्टों को 04 चरणों में विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

सभी मल्टी-मॉडल सम्पर्कता परियोजनाओं को संपूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए और जनता, माल तथा सेवाओं के निर्बाध आवागमन में आने वाली कमियों को दूर करने के उद्देश्य से आर्थिक क्षेत्रों और अवसंरचना श्रृंखलाओं का चित्रण करते हुए एक नेशनल मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम को भावी मांग हेतु गुणवतापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ एकीकृत किया जाएगा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए विकसित भूमि पार्सल को तत्काल आवंटन के लिए तैयार रखा जाएगा जो भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित करेगा।

भारत में सर्वोत्तम औद्योगिक परितंत्र विकसित करने के प्रति हमारे समझौता न करने वाला दृष्टिकोण, व्यापार और निवेशक समुदाय द्वारा किए गए विश्वास से सुदृढ़ हुआ है। भूमि आबंटन और घरेलू एवं विदेशी समूहों द्वारा व्यापार संबंधी गतिविधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अभी तक, 521 एकड़ के क्षेत्रफल वाले 68 प्लॉट आबंटित किए गए हैं जिसमें लगभग 16,000 करोड़ का प्रतिबद्ध निवेश है।

डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (महाराष्ट्र) और एकेआईसी प्रोजेक्ट के अंतर्गत रघुनाथपुर (पश्चिम बंगाल) इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलस्टर जैसी अन्य परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां पूरी हो गई हैं।

उत्तराखंड सरकार ने साइट लोकेशन (आईएमसी प्राग खुरपिया) को अंतिम रूप दे दिया है, तदनुसार विस्तृत मास्टर प्लानिंग के लिए परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शुरु हो गई है। हरियाणा सरकार ने साइट लोकेशन (आईएमसी हिसार, एविएशन हब) को अंतिम रूप दे दिया है और पंजाब सरकार साइट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है, तदनुसार, इन दोनों स्थानों पर परियोजना विकास संबंधी गतिविधियां शीघ्र शुरु की जाएंगी। तेलंगाना और ओडिशा राज्य भी हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरिडोर, हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर और ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर के लिए शामिल हुए है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में उल्लेख किया था कि आगामी 5 वर्षों में अवसंरचना पर 100 लाख करोड़ रूपये से अधिक निवेश किए जाने का लक्ष्य है। तत्पश्चात्, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलइन ने 111 लाख करोइ रूपए वाली अवसंरचना परियोजनाओं के रोडमैप की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें बंदरगाह, सड़कों, रेलवे, उड्डयन क्षेत्र, राष्ट्रीय जलमार्ग, गैस ग्रिड, आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की 6500 परियोजनाएं शामिल है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के रूप में, इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 1.15 लाख करोड़ रूपए की परियोजनाओं को उल्लिखित किया गया है।

परियोजना के अवधारणा चरण से बहुत आगे बढ़ने के बाद, मैं अनुभव करता हूं कि हमारे पास अभी भी बहुत से दायित्व है। कोई भी उभरती अर्थव्यवस्था जिन चुनौतियों का सामना करती है, वह अभी भी मौजूद है। उनमें मुख्य है, शहरीकरण की तीव्र दर, उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग और ठोस आर्थिक परिणामों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकास संबंधी पहलुओं के मध्य एकीकरण बनाना है। ये सभी कारक हमारी ओर से उच्च दर्जे की सहभागिता और समर्पण की मांग करते हैं। इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट में विचार की जा रही परियोजनाएं वैश्विक मानदंडों को पूरा करते हुए स्थायी, विश्वसनीय और अनुकूल अवसंरचना उपलब्ध कराकर इन चुनौतियों का मुकाबला करती हैं । मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम परिणाम देने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों में खरे उतरेंगे।

भविष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण अभी भी सकारात्मक है जो स्थायी और एकीकृत विकास और समग्र वृद्धि के साधनों द्वारा आर्थिक प्रगति को तीव्र करने के लिए हमारे संकल्प में उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित होता है। स्मार्ट अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण में अपनी विशेषज्ञता से हम देश को प्रथम श्रेणी की अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए राष्ट्रीय प्रयासों में अपने अधिक उत्तरदायित्व को स्वीकार करते है । मैं, हमारे निदेशक मंडल के सदस्यों का उनके उदार समर्थन, उल्लेखनीय दूरदर्शिता और बहुमूल्य सुझावों के रूप में प्रचुर योगदान के लिए सराहना करता हूं। अंत में, हमारी कुशल श्रम शक्ति तथा बहु-आयामी संगठन अपने उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशंसा एवं श्रेय के पात्र हैं।

हस्ता.

अध्यक्ष

कॉरपोरेट सूचना

निदेशक मंडल

डॉ. गुरुप्रसाद महापात्र, आईएएस
अध्यक्ष

श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएएस
निदेशक

श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक

श्री राजेन्द्र रत्नू, आईएएस
निदेशक

श्री युसूके इसेकी
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

श्री एम. नागराज
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

पंजीकृत कार्यालय

08वां तल, टॉवर-1,
जीवन भारती भवन,
124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली - 110001

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डॉ. सुब्रह्मण्यम दूरवसूला
निदेशक

लेखा परीक्षा समिति

श्री राजेन्द्र रत्नू
निदेशक

श्री तोशिहिको कुरिहरा
निदेशक

डा. सुब्रमण्यम दूरवसूला
निदेशक

संवैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स एसएसएआर एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

आंतरिक लेखा परीक्षक

मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी,
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स विकास गेरा एवं एसोसिएट्स,
कंपनी सचिव

बैंकर

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
होटल अशोक,
चाणक्य पुरी, नई दिल्ली

मुख्य वित्तीय अधिकारी

श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल

उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

श्री अभिषेक चौधरी

वार्षिक आम बैठक

सूचना

सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) के सदस्यों की 12वीं (बारहवी) वार्षिक आम सभा बैठक शुक्रवार 06 नवंबर, 2020 को दोपहर 01:00 बजे निम्न कारोबार संव्यवहार करने के लिए वीडियो कांफ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगीः-

साधारण कारोबार: -

1. 31 मार्च, 2020 को लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों (एकल एवं समेकित), उक्त तिथि को समाप्त अवधि के लिए लेखा परीक्षकों और निदेशक मंडल की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा स्वीकार करना।

2. **डा. सुब्रहमण्यम दूरवसूला, कंपनी के निदेशक, जो क्रमानुसार रिटायर हो रहे है, उनके स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः-

   "संकल्प किया जाता है कि श्री सुब्रहमण्यम दूरवसूला, कंपनी के निदेशक, जो क्रम आने पर रिटायर हो रहे है और जिन्होंने पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश की है, उन्हें एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो बारी आने पर रिटायर होने के पात्र है।"

3. **भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा नामित किए गए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक को नियुक्त करना और पारिश्रमिक निश्चित करना** और इस संबंध में विचार करना और यदि उचित पाया जाता है तो निम्न संकल्प को आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करनाः-

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है तो, उनके अनुपालन में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स, नई दिल्ली (आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 000346एन) जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2020 के पत्र सं. सीए. वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/423 द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नामित किया गया है, उनकी सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए सहमति प्रदान करना ।"

"यह भी संकल्प लिया जाता है कि कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक को सीएंडएजी कार्यालय द्वारा अनुशंसा के अनुसार संविधिक लेखा परीक्षक को देय लेखा परीक्षा फीस निर्धारित करने सहित निबंधन एवं शर्तों को निश्चित करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

<u>विशेष कारोबारः -</u>

4. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्री के. संजय मूर्ति (डीआईएनः 03532374) की नियुक्ति को नियमित करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना: -

"संकल्प किया जाता है कि श्री के. संजय मूर्ति (डीआईएनः 03532374) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 18 नवंबर, 2019 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते है और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे"।

5. **कंपनी के निदेशक के रूप में श्री मुनियप्पा नागराज (डीआईएनः 05184848) की नियुक्ति को नियमित करना** और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित पाया जाता है तो निम्नलिखित संकल्प को एक साधारण संकल्प के रूप में आशोधन(नों) सहित अथवा बिना आशोधन पारित करना:-

"संकल्प किया जाता है कि श्री मुनियप्पा नागराज (डीआईएनः 05184848) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 17 जुलाई, 2020 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जो इस वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन होने की तिथि तक पद पर है तथा उनके संबंध में कंपनी ने अधिनियम की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है, कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है, एतद्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाते है और वह बारी आने पर रिटायर होने के पात्र होंगे"।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा

कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर
डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 12 अक्टूबर, 2020

हस्ता.

(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष-कॉरपोरेट कार्य, मानव संसाधन
एवं कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या- एफ6701

नोट:

1. वैश्विक महामारी कोविड-19 के भारी प्रकोप को देखते हुए, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने अपने दिनांक 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र जिसे दिनांक 08 अप्रैल, 2020 और 13 अप्रैल, 2020 के सामान्य परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पढ़ा जाए, द्वारा सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों (ओएवीएम) द्वारा वार्षिक आम सभा आयोजित करने की अनुमति दी है।

2. कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसार, सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और वोट डालने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहरहाल, वीसी/ओएवीएम द्वारा बैठक में शामिल होने और उसमें भाग लेने तथा ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट डालने के लिए निगमित निकाय अपने अधिकृत प्रतिनिधि को नियुक्त करने के पात्र है।

3. सदस्य बैठक की शुरुआत के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आम सभा में शामिल हो सकते है।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से, आम सभा में शामिल सदस्यों की उपस्थिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के उद्देश्य से की जाएगी।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त संव्यवहार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करने वाले व्याख्यात्मक विवरण साथ में संलग्न है और नोटिस का हिस्सा है।

6. आगामी बैठक में नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों के ब्यौरे नोटिस के "अनुलग्नक-ए" में संलग्न है।

7. आम सभा के दौरान सांविधिक रजिस्टरों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य abhishekchaudhary@nicdc.in. पर कंपनी को लिखित में अपना अनुरोध भेज सकते हैं।

8. बैठक का लिंक पृथक रूप से भेजा जाएगा और सदस्यों से उनके पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भेजे गए आमंत्रण लिंक द्वारा वार्षिक आम सभा में शामिल होने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के प्रावधानों के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:-

मद संख्या 2

श्री सुब्रह्मण्यम दूरवसूला (डीआईएनः 03285242), क्रम आने पर पद छोड़ने के लिए देय कंपनी के निदेशक, इस वार्षिक आम सभा में क्रम आने पर पदभार छोड़ते है। पात्र होने के कारण श्री सुब्रमण्यम दूरवसूला अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश करते हैं और बारी आने पर रिटायर होने के लिए देय के रूप में कंपनी के निदेशक के रूप में उनकी पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया जाता है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री सुब्रह्मण्यम दूरवसूला को छोड़कर, कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 2 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

मद संख्या 3

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 18 अगस्त, 2020 के अपने पत्र सं. सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी (0)/423 द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स एस.पी. चोपड़ा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स को नामित किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) एवं (7) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा के लिए प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपा गया है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 3 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

मद संख्या 4

श्री के. संजय मूर्ति (डीआईएनः 03532374) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 18 नवंबर, 2019 को निदेशक मंडल में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निदेशक वार्षिक आम सभा तक पद धारण करते है। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री के. संजय मूर्ति को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 4 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

मद संख्या 5

श्री मुनियप्पा नागराज (डीआईएनः 05184848) जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) और कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 135 के अनुसार 17 जुलाई, 2020 को निदेशक मंडल द्वारा एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए थे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161(1) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त अतिरिक्त निदेशक वार्षिक आम सभा की बैठक तक पद धारण करते है। उनके संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अंतर्गत लिखित में सूचना प्राप्त हुई है और कंपनी के निदेशक के लिए उनकी उम्मीदवारी प्रस्तावित की जा रही है।

इसलिए, संकल्प प्रस्तावित किया जाता है।

नियुक्त किए गए व्यक्ति होने के कारण श्री मुनियप्पा नागराज को छोड़कर, कंपनी का कोई भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार इस सूचना की मद संख्या 5 में उल्लिखित संकल्प से संबंधित अथवा संबंद्ध नहीं है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

हस्ता.
(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष-कारपोरेट कार्य, मानव संसाधन
एवं कंपनी सचिव
सदस्यता सं. - एफ6701

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 12 अक्टूबर, 2020

अनुलग्नक-ए

06 नवंबर, 2020 को आयोजित होने वाली कंपनी की 12वीं वार्षिक आम सभा की सूचना की मद संख्या (4) और (5) के अंतर्गत नियुक्ति के इच्छुक निदेशकों का ब्यौरा

(आम बैठक पर सचिवालिय मानक-2 के अनुसार)

नाम	श्री के. संजय मूर्ति	श्री मुनियप्पा नागराज
आयु	55 वर्ष	53 वर्ष
शैक्षणिक योग्यता	इंजीनियरी में स्नातक	प्रबंधन में परा-स्नातक
अनुभव	वर्तमान में, श्री के. संजय मूर्ति एनआईसीडीसी लिमिटेड के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे है। उन्होंने इंजीनियरी में स्नातक किया है और भारतीय प्रशासनिक सेवा (हिमाचल प्रदेश) से संबंध रखते है और सेवा में 1989 में शामिल हुए है। उनके पास भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश दोनों सरकारों में ऊर्जा, शहरी विकास, सूचना प्रसारण, सूचना प्रौद्योगिकी और शिक्षा क्षेत्र में 30 वर्ष से अधिक का अनुभव है। एनआईसीडीसी में कार्यभार संभालने से पूर्व वह शहरी यातायात, दिल्ली विकास प्राधिकरण एवं एनबीसीसी के लिए जिम्मेदार केंद्र के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। श्री मूर्ति जी ने हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों में उपायुक्त के रूप में विकास, राजस्व प्रशासन और अन्य नियामक कार्यों सहित कई प्रमुख कार्य किए हैं। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति में आने पर, उन्होंने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सेवाएं प्रदान की। उन्होने राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों को उनके ई-गवर्नेंस पहलकदमियों में सहायता देने के लिए नेशनल इंस्टीयूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (एनआईएसजी) में भी सेवाएं प्रदान की।	श्री एम. नागराज अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होने के साथ-साथ हुडको के निदेशक (कॉरपोरेट प्लानिंग) भी है। वह एक योग्यता प्राप्त कॉस्ट एकाऊंटेंट, कंपनी सचिव है और सीएआईआईबी की योग्यता वाले एक प्रमाणित बैंकर भी है। वह वित्त में विशेषज्ञता सहित प्रबंधन में परा-स्नातक (एमबीए) डिग्री धारक है। उनके पास आवास, अवसंरचना वित्त, सामाजिक क्षेत्र में कौशल विकास एवं सूक्ष्म वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों में लगभग 30 वर्ष का विस्तृत अनुभव है। उनके पास प्रबंधकीय क्षमताओं और कॉरपोरेट क्षेत्र के लिए ई-गवर्नेंस में अत्याधिक अनुभव है। हुडको में कार्यभार संभालने से पूर्व वह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत पीईसी लिमिटेड (पूर्व में प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट्स कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक थे। इससे पूर्व वह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के संरक्षण में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे। इससे पहले, वह आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की एक समूह कंपनी) में निदेशक और वित्त मंत्रालय

	राज्य सरकार में भी उन्होने एनर्जी एंड एचपी पॉवर कोरपोरेशन लिमिटेड के निदेशालय में भी अध्यक्षता की। वह प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा में प्रधान सचिव रहे। 2014 में भारत सरकार में पुनः कार्यभार संभालने पर सूचना एवं प्रसारण निदेशालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया जहां उन्होने मीडिया एवं मनोरंजन, प्रसारण लाइसेंस और नियामन का कार्य देखा।	के तहत आईआईएफसीएल में महाप्रबंधक भी थे जहाँ परियोजना वित्त के विभाग, विशेष रूप से आईआईएफसीएल की टेक-आउट वित्त योजना, बोर्ड सचिवालय, सतर्कता गतिविधियां, व्यापार विकास आदि को संभालते थे । उन्होंने मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और आईआईएफसीएल में शामिल होने से पूर्व करीब 20 वर्षों तक उप महाप्रबंधक तक विभिन्न पदों पर काम किया था।
नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति के नियम और शर्तें	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार नियुक्ति।	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के अनुसार नियुक्ति।
प्राप्त किया गया पारिश्रमिक (सिटिंग फीस सहित, यदि कोई हो तो)	पूर्व में प्राप्त किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा एमजीटी-9 में उल्लेख किया गया है।	-
भुगतान किया जाने वाला प्रस्तावित पारिश्रमिक	पूर्व की भांति	-
निदेशक मंडल में नियुक्ति की तिथि	18 नवंबर, 2019	17 जुलाई, 2020
आज की तिथि में कंपनी में हिस्सेदारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों के साथ संबंध	लागू नहीं	लागू नहीं
वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे	01	कुछ नहीं

अन्य निदेशक मंडल में निदेशक	1. डीएमआईसीडीसी नीमराना सोलर पावर कंपनी लिमिटेड - प्रबंध निदेशक; 2. धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड - निदेशक; 3. औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड- अतिरिक्त निदेशक; 4. डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड - अतिरिक्त निदेशक; 5. सीबीआईसी तुमकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड - नामित निदेशक; 6. डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड - अतिरिक्त निदेशक; 7. एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डाटा सर्विसेज लिमिटेड - अतिरिक्त निदेशक; और 8. धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड- अतिरिक्त निदेशक।	1. आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड- प्रबंध निदेशक; और 2. बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड- नामित निदेशक।
आज की तिथि में अन्य निदेशक मंडलों की समितियों की सदस्यता/अध्यक्षता	कुछ नहीं	आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड • कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति - अध्यक्ष; • लेखा परीक्षा समिति - सदस्य; और • हितधारक संबंध समिति - सदस्य

निदेशक की रिपोर्ट

निदेशक रिपोर्ट

प्रिय शेयरधारक,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के मामलों पर **12वीं (बारहवी) निदेशक मंडल** की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) को औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से नोडल एजेंसी के रूप में प्राधिकृत किया गया है।

औद्योगिक गलियारा परियोजना, भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा (डीएफसी) द्वारा उपलब्ध "उच्च गति - उच्च क्षमता" संपर्कता का दोहन कर भावी औद्योगिक शहरों का निर्माण है।

कंपनी का नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड से बदल कर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड कर दिया गया है।

कंपनी का शेयरधारिता स्वरूप निम्न रूप से है:

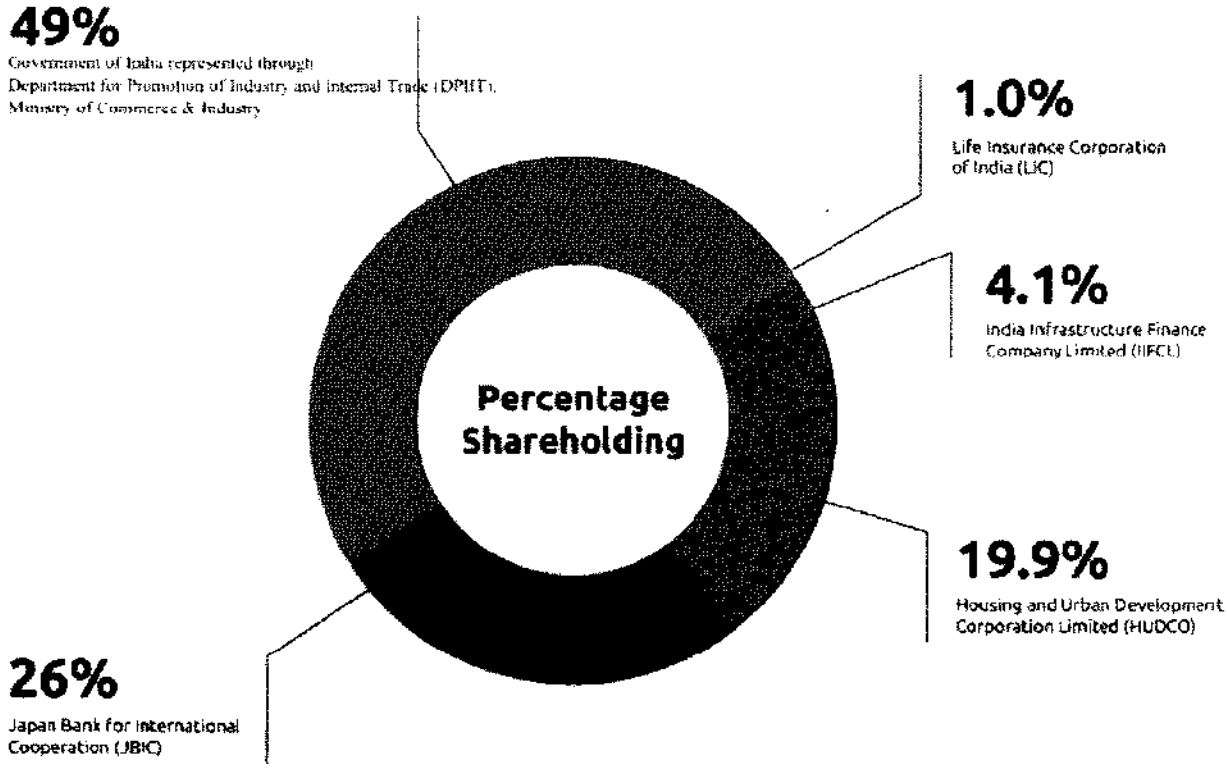

1. **वित्तीय विवरण सार:-**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

(राशि रूपए में)

विवरण	**2019-20**	**2018-19**
कुल आय	22,52,42,116	25,02,19,924
कुल व्यय	18,46,11,883	19,07,01,519
कर व्यय	1,15,83,966	1,58,97,020
कर पश्चात वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**2,90,46,267**	**4,36,21,385**

2. **कंपनी के कार्यों की स्थिति:-**

क. दिल्ली मुंबई इंडस्टियल कोरिडोर प्रोजेक्ट

दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रथम इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट था जिसकी घोषणा की गई थी और 2014-15 में भारत सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था जिसमें गत दो वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

नोड/सिटी प्रोजेक्ट:

1. धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (डीएसआईआर), गुजरात:

- डीएसआईआर को 920 वर्ग किमी क्षेत्र में विकसित किए जाने की योजना है और डीएसआईआर में विकसित किए जाने योग्य क्षेत्र को छः (6) टाऊन प्लानिंग स्कीम अर्थात् टीपी स्कीम 1 से टीपी स्कीम 6 में बांटा गया है।
- सभी डाऊनस्ट्रीम गतिविधियों को समन्वित कर क्रियान्वयन संबंधित गतिविधियां करने के लिए संपूर्ण डीएसआईआर के लिए प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त किया गया है।
- चूंकि संपूर्ण महत्वपूर्ण अवसंरचना को एकबार में विकसित करना व्यवहार्य नहीं था, इसलिए चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया गया और 152 वर्ग किमी क्षेत्र में टीपी-2(पूर्व) और टीपी-2(पश्चिम) वाली टाऊन प्लानिंग (टीपी) स्कीम-2 के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियां शुरु की गई और कार्य पूरा हो गया है।
- सूचना और संचार (आईसीटी) मास्टर प्लानिंग कार्य पूरा हो गया है।

- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन डेवलपमेंट ऑथोरिटी (डीएसआईआरडीए) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच "धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड (डीआईसीडीएल)" के नाम से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई।
- राज्य सरकार ने डीआईसीडीएल को 37.22 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 2145.54 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी गई है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा डीएसआईआर के लिए पर्यावरण स्वीकृति दे दी गई है।
- आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने पांच पैकेजों में बंटे 2784.82 करोड़ रूपए के विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज को अनुमोदित कर दिया है। विभिन्न ईपीसी पैकेजों के अंतर्गत की गई प्रगति निम्नानुसार है:
  क. सड़क और सेवाओं अनुबंध के लिए ईपीसी (1,734 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है।
  ख. एबीसीडी बिल्डिंग अनुबंध के लिए ईपीसी (72.31 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। क्यूब कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग लिमिटेड चुना गया बोलीदाता है और कार्य पूरा हो गया है।
  ग. जल शोधन संयंत्र अनुबंध के लिए ईपीसी (90 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। एसएमपीएल चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है।
  घ. मलजल उपचार संयंत्र अनुबंध के लिए ईपीसी (54 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य प्रगति पर है।
  ङ. सेंट्रल एफ्फलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट अनुबंध के लिए ईपीसी (160 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। एलएंडटी चुना गया बोलीदाता है और कार्य जोरों पर है।
- भूमि आबंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और 1450 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश के साथ 152.71 एकड़ माप के 03 प्लाट टाटा केमिकल्स, टोरेंट पॉवर और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्प. लि. को आबंटित किए गए है।
- विभिन्न स्मार्ट सिटी घटकों को लागू करने के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) के चयन के लिए निविदा दस्तावेज जारी कर दिए गए हैं।
- जीपीसीएल द्वारा पैदा की जा रही 1000 मैगा वाट बिजली में कुल 300 मैगा वाट क्रियान्वयन हेतु दे दी गई है (300 मैगा वाट टाटा सोलर पॉवर लिमिटेड को दे दिया गया है)।
- शेष 700 मैगा वाट के लिए, जीयूवीएनएल ने 20 मार्च, 2020 को निविदा जारी कर दी है। बोली प्रस्तुति तिथि को 31.07.2020 तक बढ़ा दिया गया है।

2. <u>शेंद्रा बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया (एसबीआईए), महाराष्ट्र:</u>

- संपूर्ण शेंद्रा (8.39 वर्ग किमी) और बिडकिन (32 वर्ग किमी) के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरा हो गया है;
- सभी डाऊनस्ट्रीम गतिविधियों को समन्वित कर क्रियान्वयन संबंधी गतिविधियां करने के लिए प्रोग्राम मैनेजर नियुक्त कर दिया गया हैं;
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोरपोरेशन (एमआईडीसी) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच "औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड (एआईटीएल)" के नाम से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा एआईटीएल को एक विशेष प्लानिंग ऑथोरिटी (एसपीए) के रूप में नामित किया गया है।
- शेंद्रा और बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया दोनों के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी गई है।
- राज्य सरकार द्वारा शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए एसपीवी को तमाम 8.39 वर्ग किमी और बिडकिन इंडस्ट्रियल एरिया के लिए 20.92 वर्ग किमी भूमि अंतरित कर दी है। एनआईसीडीआईटी द्वारा क्रमशः 602.80 करोड़ रुपए और 1744.90 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी है।
- शेंद्रा इंडस्ट्रियल एरिया के लिए आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने 1533 करोड़ रुपए के विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए निविदा पैकेज की अनुमति दे दी है। विभिन्न ईपीसी पैकेज में की गई प्रगति निम्नानुसार हैः

  क) सड़क, नालियों, पुलिया, जल संचय, मलजल और बिजली प्रणालियों के लिए ईपीसी (656.89 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता है और निर्माण गतिविधियां पूरी होने वाली है।

  ख) ऊपरी सड़क पुल निर्माण के लिए ईपीसी (69.45 करोड़ रूपए) दे दिया गया है । पाटिल कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड चुने गए बोलीदाता है और निर्माण गतिविधियां जारी हैं।

  ग) जिला प्रशासन भवन के लिए ईपीसी (129 करोड़ रूपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता हैं और काम पूरा हो चुका है।

घ) मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) और ठोस कचरा प्रबंधन (72.52 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिया गया है । पस्सवंट एनर्जी चुने गए बोलीदाता है और निर्माण गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

ङ) लैंडस्केपिंग और जल सिंचाई के लिए ईपीसी (112 करोड़ रुपए) दे दिया गया है । शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता हैं और निर्माण गतिविधियां जारी हैं।

च) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लिए मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) निर्माण कार्य के लिए ईपीसी (142 करोड़ रूपए) दे दिया गया है । हनीवेल चुने गए बोलीदाता है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

- शेंद्रा के लिए, भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में (हयोसंग) (100 एकड़) सहित 160.30 एकड़ माप वाले 58 भूखंडों को आवंटित किया गया हैं। अन्य भूखंडों को प्रमुखतः लघु और मध्यम उद्यमों को आवंटित किया गया है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 4700 करोड़ रुपए है। आवंटित किए गए कुल 58 भूखंडों में से, 6 कंपनियों ने अपने वाणिज्यिक परिचालन भी शुरू कर दिए हैं।
- माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7 सितंबर, 2019 को प्रोजेक्ट को राष्ट्र को समर्पित किया।
- बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) ने 6414.21 करोड़ रुपये के अवसंरचना पैकेज को मंजूरी दी थी। चरण -1 (10.16 वर्ग किलोमीटर) में विभिन्न ईपीसी पैकेजों में प्रगति निम्नानुसार है:

क) एलएंडटी को चरण-1 अर्थात् 10.16 वर्ग किमी के लिए सड़क, भूमिगत उपयोगी /सेवाओं और निर्माण गतिविधियों के लिए ईपीसी ठेकेदार (1223 करोड़ रुपए) के रूप में नियुक्त किया गया है और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है।

ख) केईसी को आईसीटी मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर (एमएसआई) कार्यों (81.90 करोड़ रुपए) के लिए नियुक्त किया गया है और निर्माण गतिविधियां जारी हैं।

3. <u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप प्रोजेक्ट, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश:</u>

- विभिन्न महत्वपूर्ण अवसंरचना घटको की विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग कार्य पूरे हो गए हैं।
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार का प्रतिनिधित्व और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑथोरिटी (जीएनआईडीए) द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच "डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल)" नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई है।
- प्रोजेक्ट एसपीवी को 747.5 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 617.20 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी भी जारी कर दी गई है।

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण क्लीयरेंस दे दी गई है।
- मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए डिजाइन और विनिर्देशों को अंतिम रूप देने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।
- विभिन्न अवसंरचना घटकों के लिए ईपीसी (426 करोड़ रुपए) दे दिया गया है। शापूरजी पल्लोनजी चुने गए बोलीदाता हैं और निर्माण गतिविधियां जारी हैं।
- सिमंस को 121 करोड़ रुपए के आंतरिक बिजली के बुनियादी ढांचे के कार्य हेतु ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियां जारी हैं।
- 156 करोड़ रुपए के ट्रांसमिशन नेटवर्क से संबंधित कार्यों को उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीटीसीएल) को दिया गया है और कार्यान्वयन गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दिया गया है और प्रमुख निवेशक के रूप में हैयर (123.7 एकड़) सहित 153.89 एकड़ के माप वाले 05 भूखंडों को आवंटित किया गया है जिसमें कुल प्रतिबद्ध निवेश 3170 करोड़ रुपए है।

4. <u>इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप 'विक्रम उद्योगपुरी' प्रोजेक्ट, उज्जैन, मध्य प्रदेश:</u>

- प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पूरी हो गई है।
- एनआईसीडीआईटी द्वारा भारत सरकार के प्रतिनिधित्व और एमपी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कोरपोरेशन लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व के बीच "डीएमआईसी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाऊनशिप विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड के नाम से एक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई।
- राज्य सरकार ने एसपीवी को 1100 एकड़ भूमि अंतरित कर दी है और एनआईसीडीआईटी ने भी 55.93 करोड़ रूपए की समतुल्य इक्विटी जारी कर दी है।
- पर्यारण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दी गई है।
- विभिन्न अवसंरचना कार्यों (332 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दिए गये है। एसपीएमएल चुने गए बोलीदीता है और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है।
- पानी की पाइप लाइन बिछाने (129 करोड़ रुपए) और पॉवर ट्रांसमिशन लाइन (40 करोड़ रुपए) के लिए ईपीसी दे दी गई है और निर्माण गतिविधियां प्रगति पर है।
- भूमि आवंटन नीति को अंतिम रूप दे दिया गया है और 12 एकड़ माप का 01 प्लॉट अमूल को आबंटित कर दिया गया है। कुल प्रतिबद्ध निवेश 200 करोड़ रूपए है।

5. **खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराणा इन्वेस्टमेंट रीजन, राजस्थान:**

- समग्र शाहजहांपुर-नीमराणा-बेहरोड़ अरबन कॉम्पलेक्स के लिए मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया है।
- राज्य सरकार ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने चरण-1 अर्थात 14 वर्ग किमी के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए कदम उठाने शुरु कर दिए हैं।

6. **जोधपुर पाली मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया (जेपीएमआईए), राजस्थान:**

- मास्टर प्लान अधिसूचित किया गया है।
- एमओईएफसीसी द्वारा पर्यावरण मंजूरी दी गई है।
- राज्य सरकार से भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

7. **दीघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया (डीपीआईए) महाराष्ट्र:**

- दीघी पोर्ट औद्योगिक क्षेत्र के लिए परियोजना विकास कार्य चल रहे हैं और विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग संबंधी कार्य पूरा हो गया हैं।
- डीपीआईए के चरण -1 विकास के लिए आवश्यक भूमि अर्थात 3000 हेक्टेयर राज्य सरकार के अधिकार में है।

सम्पर्कता परियोजनाएं:

1. **धोलेरा, गुजरात में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट**

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी गई है।
- नागरिक उड्डयन मंत्रालय (एमओसीए) ने परियोजना को "सैद्धांतिक रूप से" मंजूरी दे दी है।
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने डीपीआर को मंजूरी दे दी है और प्रोजेक्ट में 51% को अनुमोदित किया है ।
- एएआई, गुजरात सरकार और एनआईसीडीआईटी के बीच शेयरधारक समझौता (एसएचए) निष्पादित किया गया है।
- एनआईसीडीआईटी ने अपनी इक्विटी (16%) के हिस्से के रूप में 24.24 करोड़ रुपए जारी किए है।
- राइट्स को प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा बाढ़ शमन योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है

जबकि आईआईटी, गांधी नगर द्वारा मिट्टी की जांच की जा रही है।

2. **<u>भीमनाथ धोलेरा रेल लाइन प्रोजेक्ट, गुजरात</u>**

- प्रोजेक्ट को रेल मंत्रालय के गैर-सरकारी मॉडल (एनजीआर) के अनुसार डीआईसीडीएल द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और पश्चिम रेलवे की सहमति/अनुमोदन के लिए इसे प्रस्तुत कर दिया गया है।

3. **<u>अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एमआरटीएस, गुजरात</u>**

- एमआरटीएस के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है और राज्य सरकार द्वारा इसे अनुमोदित कर दिया गया है।
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी प्रोजेक्ट के लिए जेआईसीए रोलिंग योजना में शामिल किया गया है।
- एमआरटीएस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण अहमदाबाद से धोलेरा तक एक्सप्रेसवे परियोजना के आरओडब्ल्यू के हिस्से के रूप में किया जा रहा है।
- अहमदाबाद और धोलेरा के बीच एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए डीपीआर को एनएचएआई द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और भूमि अधिग्रहण पूरा होने वाला है। एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए ठेकेदार के चयन हेतु एनएचएआई द्वारा निविदाएं भी जारी की गई हैं।
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा चल रही है।

4. **<u>मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) प्रोजेक्ट, हरियाणा</u>**

- "डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड" के नाम से एक संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के साथ राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- प्रोजेक्ट के चरण -1 के लिए भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है।
- प्रोजेक्ट को डीएमआईसी परियोजना के लिए जेआईसीए विशेष रोलिंग योजना में शामिल किया गया है।
- एमआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए कार्यान्वयन एजेंसी को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार के साथ चर्चा चल रही है।

5. **<u>भिवाड़ी, राजस्थान में ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट</u>**

- नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा साइट क्लीयरेंस दे गई है।
- एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को अंतिम रूप दिया गया है।
- पर्यावरण प्रभाव आंकलन अध्ययन पूरा हो गया है और एमओईएफएंडसीसी से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जा रही है।
- राज्य सरकार से प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है।

<u>लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट:</u>

1. **<u>नांगल चौधरी, हरियाणा में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब</u>**

- "डीएमआईसी हरियाणा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब प्रोजेक्ट लिमिटेड" नामक संयुक्त उपक्रम कंपनी निगमित की गई है।
- राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान को अनुमोदित कर दिया गया है।
- प्रोजेक्ट के लिए महेन्द्रगढ़ जिला में 886 एकड़ भूमि की पहचान की गई है और प्रोजेक्ट एसपीवी को 676 एकड़ भूमि अंतरित की गई है और एनआईसीडीआईटी द्वारा 208.05 करोड़ रूपए (5 करोड़ रूपए की आरंभिक इक्विटी सहित) की समतुल्य इक्विटी जारी की गई है।
- परियोजना को एनआईसीडीआईटी द्वारा और बाद में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति (सीसीईए) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- डीएफसीसीआईएल ने परियोजना स्थल पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति' दे दी है।
- परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त कर ली गई है।
- पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद शेष भूमि खंडों के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए राज्य शासन से अनुरोध किया गया है।
- डीएफसीसीआईएल के न्यू डाबला स्टेशन से रेल साइडिंग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब तक रेल साइडिंग के निर्माण के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- डीएफसीसीआईएल के न्यू डाबला स्टेशन को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए आवश्यक शेष 15 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के लिए, रेल मंत्रालय ने रेलवे अधिनियम के तहत भूमि के अधिग्रहण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) को

अंतिम रूप दिया जा रहा है।

2. <u>उत्तर प्रदेश के दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (एमएमएलएच) और बोराकी में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब (एमएमटीएच)</u>

- एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप परियोजना वाली एसपीवी एमएमएलएच और एमएमटीएच परियोजना भी लागू करेगी।
- डीएफसीसीआईएल ने परियोजना स्थल पर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 'सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति' दे दी है।
- 84% भूमि राज्य सरकार के अधिकार में है और शेष भूमि खंडों का तेजी से अधिग्रहण किया जा रहा है।
- एनआईसीडीआईटी ने सीसीईए से अंतिम मंजूरी लेने के लिए परियोजना की सिफारिश की है।
- एमएमटीएच परियोजना के लिए रेल मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया है।
- एमएमएलएच और एमएमटीएच दोनों परियोजनाओं के लिए सीसीईए से स्वीकृति मांगी जा रही है।
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और डीएफसीसीआईएल के दादरी जंक्शन स्टेशन से प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब तक रेल फ्लाईओवर के निर्माण पर्यवेक्षण के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है।
- राज्य सरकार से शेष भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने का अनुरोध किया गया है और रेल मंत्रालय को रेलवे अधिनियम के तहत 26 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण की अनुमति देने के लिए जीएनआईडीए की ओर से एनआईसीडीसी द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. <u>सानंद, गुजरात में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (एमएमएलपी)</u>

- मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए कनेक्टिविटी योजना तैयार की गई है और इसे राज्य सरकार, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीएफसीसीआईएल) और रेल मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।
- राज्य सरकार ने भूमि का पहचान की है जो गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोरपोरेशन (जीआईडीसी) के अधिकार में है।
- एनआईसीडीआईटी ने शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) निर्मित करने के लिए अनुमोदन दे दिया है।

अन्य प्रोजेक्ट

1. मॉडल सौलर प्रोजेक्ट, नीमराणा, राजस्थान

- नीमराना, राजस्थान में मॉडल सौर ऊर्जा परियोजना की कल्पना औद्योगिक डीजल जनरेटर सेट (बैकअप सुविधा के रूप में) के साथ सौर ऊर्जा के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए की गई थी। इस परियोजना में 6 मेगावाट सौलर पीवी और 2 मेगावाट डीजल जेनरेटर सेट शामिल हैं, जो एक स्मार्ट माइक्रो ग्रिड के साथ एकीकृत है, नीमराणा औद्योगिक पार्क में स्टेट ग्रिड और जापानी औद्योगिक उपभोक्ता को स्वच्छ, स्थिर, नवीकरणीय उर्जा उपलब्ध करता है।
- 5 मेगावाट के लिए परियोजना प्रारम्भ हो गई है एवं 24 जुलाई, 2015 से बिजली आपूर्ति शुरु हो गई है।
- 1 मेगावाट प्रोजेक्ट 10 जुलाई, 2017 से आरम्भ हो गया है।

2. लॉजिस्टिक्स डेटा सर्विसेज प्रोजेक्ट

- लॉजिस्टिक डेटा बैंक प्रोजेक्ट को एक सिंगल विंडो में लगभग रीयल टाइम पर सूचना उपलब्ध कराने के लिए आपूर्ति श्रृंखला में कंटेनर कारगो मूवमेंट का पता लगाने, विभिन्न हिस्सेदारों (बंदरगाह, सीमा शुल्क विभाग, रेलगाड़ी, आईसीडी, आदि) के मौजूदा आईटी प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए एक सेवा के रूप में विचार किया गया था।
- जेएनपीटी पर परिचालन 1 जुलाई, 2016 से शुरु हो गया है।
- सभी प्रमुख पत्तनों और कुछ छोटे पत्तनों पर अखिल भारत स्तर पर सेवा परिचालन में है। और आज की तिथि तक 26.5 मिलियन कंटेनर टैग्ड/डी-टैग्ड किय गए है।

3. आईआईसीसी प्रोजेक्ट, द्वारका, नई दिल्ली:

- केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने 10.11.2017 की अपनी बैठक में 25703 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (आईआईसीसी) के विकास को अनुमोदित किया। प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने के लिए इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड नामक 100 प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी निगमित की गई।
- इस प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए आईआईसीसी लिमिटेड को डीआईपीपी के द्वारा द्वारका के सेक्टर-25 में 89.5832 हेक्टर भूमि अंतरित की गई है।
- परियोजना के लिए पर्यावरण क्लीयरेंस (एमओईएफसीसी), निर्माण के लिए सहमति (दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड), पेड़ काटने की अनुमति (वन्य जीवन विभाग, जीएनसीटीडी), लेआउट

प्लान समर्थन (एसडीएमसी), अरबन डिजाइन समर्थन (डीयूएसी), भवन ऊंचाई क्लीयरेंस (एएआई), बाहरी संपर्कता समर्थन (एनएचएआई/यूटीटीआईपीईसी), बिजली क्नेक्शन (बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड), जल एवं सीवर कनेक्शन (दिल्ली जल बोर्ड), फायर एनओसी (दिल्ली फायर सर्विसेज) आदि जैसी सभी सांविधिक स्वीकृति तथा क्लीयरेंस प्राप्त कर ली गई हैं।

- लॉरसेन एंड टर्बो को 22 माह की पूर्णता अवधि में संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए महत्वपूर्ण अवसंरचना सुविधा सहित एक्जीबिशन एवं कन्वेन्शन सेंटर के लिए चरण-I की विस्तृत रचना, निर्माण, परीक्षण एवं प्रवर्तन में लाने के लिए ईपीसी कान्ट्रेक्टर नियुक्त किया गया है।
- 25 जून, 2018 को कोरिया इंटरनेशनल एक्जीबिशन सेंटर (काइन्टेक्स) और ईसेन्ग नेटवर्क्स कंपनी लिमिटेड के संघ को एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर के लिए परिचालक के रूप में नियुक्त किया गया है और सीओडी से 20 वर्ष की अवधि के लिए ऑपरेटर सर्विसेज एग्रीमेंट हस्ताक्षरित किया गया है।
- आईआईसीसी के लिए ऋण जुटाने हेतु आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को वितीय सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
- माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा 20 सितंबर, 2018 को परियोजना का शिलान्यास किया गया।
- 22 अक्टूबर, 2018 को इंडिया इंटरनेशनल एंड कन्वेंशन सेंटर के लिए "थर्ड पार्टी क्वालिटी एश्योरेंस और ऑडिट" (टीपीक्यूए) करने के लिए परामर्शदात्री सेवाओं हेतु नेशनल कौंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटिरियल (एनसीसीबीएम) को नियुक्त किया गया है।
- आईआईसीसी द्वारका को बल्क पॉवर आपूर्ति के लिए बीएसईएस राजधानी पॉवर लिमिटेड एवं आईआईसीसी लिमिटेड के बीच सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है।
- आईआईसीसी के निदेशक मंडल के अनुमोदन से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (एसबीआई) द्वारा 2150 करोड़ रूपए के अवधि ऋण को अंतिम रूप दिया गया है।
- डीएमआरसी ने भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन के रास्ते आईआईसीसी स्थल तक मेट्रो लिंक निर्माण करने के लिए ईपीसी कान्ट्रेक्टर नियुक्त किया है और स्थल पर कार्य पूरी तेजी पर है।
- 26 अक्टूबर 2018 को इंडिया अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर को विकसित करने के लिए आईआईसीसी और डीएमआईसीडीसी के बीच नॉलेज पार्टनरशिप के लिए सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया गया है । डीएमआईसीडीसी शुरू की 10 वर्ष की अवधि के लिए न्यूनतम 5

करोड़ रूपए और अधिकतम 10 करोड़ रुपए के अधीन वार्षिक रूप से आंतरिक संग्रहण के 1 प्रतिशत की वार्षिक फीस पर नॉलेज पार्टनर के रूप में कार्य करेगा।

- डीएमआरसी द्वारा एक्जीबिशन हाल-3 के अंतर्गत सुरंग संबंधी कार्य पूरा हो गया है और आगे निर्माण कार्य करने के लिए 23 जनवरी, 2019 को एलएंडटी को सौंप दिया गया है।
- ईपीसीए (एनवॉयरनमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल ऑथोरिटी) की अधिसूचना के कारण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था जिसके परिणामस्वरूप द्वारका साइट पर 26 अक्टूबर, 2019 से 10 दिसंबर, 2019 तक निर्माण संबंधी कार्य रूके रहे।
- भूमि के मुद्दों पर परियोजना में प्रारंभिक देरी, डीएमआरसी द्वारा सुरंग संबंधी कार्य पूरा करने में देरी और ईपीसी ठेकेदार द्वारा स्टील ट्रस के निर्माण में देरी और कोविड़-19 से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र, परियोजना वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे है।

ख. <u>चेन्नई बेंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) और इसका कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक विस्तार</u>

- आंध्र प्रदेश में **'कृष्णापट्टनम नोड'** के लिए, शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और 'एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड' के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई। एक्टिवेशन क्षेत्र (2500 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है। एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को हुई अपनी बैठक में परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया और सीसीईए से अंतिम मंजूरी लेने की सिफारिश की। तदनुसार, सीसीईए की स्वीकृति मांगी जा रही है।
- कर्नाटक में **'तुमकुरु नोड'** के लिए, शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को निष्पादित किया गया है और 'सीबीआईसी तुमकुरु इंडस्ट्रियल टाउनशिप लिमिटेड' के नाम से संयुक्त उद्यम कंपनी निगमित की गई है। एक्टिवेशन क्षेत्र (1736 एकड़) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग गतिविधियों को अंतिम रूप दिया गया है। एनआईसीडीआईटी ने 30 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया और सीसीईए से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने की सिफारिश की। तदनुसार सीसीईए की स्वीकृति मांगी जा रही है।
- तमिलनाडु में **'पोन्नेरी नोड'** के लिए, शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेस सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को 21 फरवरी, 2020 को निष्पादित किया गया है। इसके अलावा, विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन से संबंधित गतिविधियों को

शुरू किया गया है।

- इसके अलावा, एनआईसीडीआईटी ने कोयम्बतूर के रास्ते कोच्चि तक सीबीआईसी परियोजना के विस्तार के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। तदनुसार, पलक्कड़ (केरल) और सलेम (तमिलनाडु) के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन से संबंधित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं। शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है।

ग. <u>अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एकेआईसी)</u>

- परिपेक्ष्य योजना तैयार हो गई है।
- आगामी विकास किए जाने के लिए प्रत्येक राज्य में एक (01) इंटीग्रेटेड मैन्यूफेक्चयरिंग क्लस्टर (आईएमसी) साइट को अंतिम रूप दिया गया है जो इस प्रकार हैः
  - पंजाब (राजपुरा-पटियाला), 1000 एकड़
  - उत्तराखंड (प्राग-खुरपिया फार्म), 2934 एकड़
  - उत्तर प्रदेश (भाऊपुर), 2497 एकड़
  - बिहार (गमरिया), 2456 एकड़
  - झारखंड (बरही), 2597 एकड़
  - पश्चिम बंगाल (रघुनाथपुर), 2483 एकड़
  - हरियाणा (हिसार), 3000 एकड़

- एनआईसीडीआईटी द्वारा परियोजना की समीक्षा की गई और यह निर्णय लिया गया कि परियोजना का विकास केवल उन्हीं स्थानों पर किया जाना चाहिए, जहाँ भूमि उपलब्ध हो और राज्य सरकार उसे एसपीवी में हस्तांतरित करने के लिए तैयार हो।
- तदनुसार, पश्चिम बंगाल (रघुनाथपुर) में आईएमसी साइट के लिए विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग पूरी की गई, जहाँ 2483 एकड़ जमीन उपलब्ध है। शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) पर पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चर्चा की जा रही है।
- प्राग-खुरपिया फार्म्स (उत्तराखंड) नोड के लिए, 2935 एकड़ भूमि की पहचान कर ली गई है और शेयरहोल्डर एग्रीमेंट (एसएचए) और स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट (एसएसए) को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- हरियाणा सरकार ने भूमि की उपलब्धता के कारण पूर्व साइट साहा के स्थान पर हिसार को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है और तदनुसार, नई साइट अर्थात हिसार के लिए विस्तृत

मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग सलाहकार के चयन से संबंधित गतिविधियों को शुरू किया गया है।

- उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा चल रही है जिसमें राज्य सरकार से विकास हेतु उपयुक्त भूमि खंडों की पहचान के लिए अनुरोध किया गया है।
- पंजाब सरकार ने भी यह सूचित किया है कि भूमि की पहचान की जा रही है और शीघ्र ही भारत सरकार/एनआईसीडीसी को सूचित किया जाएगा।
- बिहार और झारखंड सरकार से भूमि की उपलब्धता पर सहमति के साथ औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थागत और वित्तीय ढांचे पर पुष्टि के लिए भी अनुरोध किया है।

घ. <u>विजाग-चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर:</u>

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) द्वारा वैचारिक विकास योजना पूरी की गई।
- एशियाई विकास बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार को वीसीआईसी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रोजेक्ट लोन और 125 मिलियन अमेरिकी डालर का प्रोग्राम लोन स्वीकृत किया।
- प्राथमिकता वाले नोड्स विशाखापत्तनम और चित्तूर हैं।
- एनआईसीडीआईटी ने वीसीआईसी के चरण -1 में विकास के लिए प्राथमिक नोड्स के रूप में विशाखापट्टनम और चित्तूर को अपनी मंजूरी दी है।
- आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कडप्पा को अतिरिक्त नोड के रूप में शामिल करने का भी अनुरोध किया है।
- राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कडप्पा और चित्तूर में भूमि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया है और राज्य सरकार के साथ विस्तृत मास्टर प्लानिंग और प्रारंभिक इंजीनियरिंग के लिए सलाहकारों के चयन के लिए निविदा दस्तावेजों को अंतिम रूप देने से संबंधित गतिविधियां शुरू की गई हैं।

ङ. <u>बेंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (बीएमआईसी)</u>

- परिप्रेक्ष्य योजना को अंतिम रूप दिया गया है।
- कर्नाटक में धारवाड़ नोड को कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता नोड के रूप में पहचाना गया है।
- महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सांगली / सोलापुर नोड के विकास के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति प्रदान की है।

च. हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कोरिडोर

- हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए तेलंगाना सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर, एनआईसीडीआईटी ने निर्देश दिया था कि "तेलंगाना सरकार एक व्यवहार्यता अध्ययन करे और परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करे।"
- तदनुसार, तेलंगाना सरकार ने एक विस्तृत अध्ययन किया और हैदराबाद फार्मा सिटी की पहचान हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कोरियर के हिस्से के रूप में की गई है। इसके अलावा, जहीराबाद की पहचान हैदराबाद नागपुर औद्योगिक गलियारे के हिस्से के रूप में की गई है।
- हैदराबाद वारंगल और हैदराबाद नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के संबंध में प्रस्ताव को एनआईसीडीआईटी की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

छ. हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर (एचबीआईसी)

- हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए हाल ही में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ, जिसमें निम्नलिखित नोड्स के विकास का प्रस्ताव दिया गया है:
    - ओरवकल
    - अनंतपुर
    - हिन्दुपुर
- राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ हाल की बैठकों के दौरान, परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई और विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की राज्य सरकारें शुरू में आपस में चर्चा करें और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के कार्यान्वयन के बारे में एनआईसीडीसी से अपने विचार बिंदुओं को अवगत कराएं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार से एचबीआईसी के समर्थन और भूमि विवरण के लिए क्रमशः 12/05/2020 और 08/06/2020 के पत्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें एनआईसीडीआईटी की अगली बैठक में विचार के लिए रखा जाएगा।

ज. ओडिशा इकोनोमिक कोरिडोर (ओईसी) प्रोजेक्ट

- एडीबी द्वारा अवधारणा विकास योजना (सीडीपी) को अंतिम रूप दिया गया है।
- खुर्दा-कटक-जगतसिंहपुर और जजपुर-केंद्रपाड़ा-भद्रक को विकासित किए जाने के लिए निर्धारित किया गया है।

- राज्य सरकार से प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है ताकि ओईसी को एनआईसीडीआईटी के समग्र अधिदेश के हिस्से के रूप में शामिल किया जा सके।

देश के दक्षिणी भाग में विभिन्न औद्योगिक गलियारे डीएफसीसीआईएल द्वारा प्रस्तावित ईस्ट कोस्ट डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) योजना में, विजयवाड़ा से खड़गपुर, ईस्ट वेस्ट डीएफसी योजना में भुसावल-नागपुर-राजखरस्वां-दानकुनी और भुसावल-नागपुर-राजखरस्वां-अंडाल और नार्थ साउथ डीएफसी योजना में विजयवाड़ा से इटारसी का लाभ उठा सकते है, जो वर्तमान में इन खंडों के लिए डीपीआर की तैयारी कर रही है।

इनके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श में दिल्ली नागपुर कोरिडोर के लिए प्रोजेक्ट विकास कार्य शुरु किए जाएंगे।

3. <u>सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियां:</u>

31 मार्च, 2020 को कंपनी के पास डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड नामक एक ही सहायक कंपनी है।

समीक्षा अवधि के दौरान, निदेशक मंडल ने सहायक कंपनी के मामलों की समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त, सहायक कंपनी के कार्य निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं, वित्तीय विवरणों के साथ निर्धारित फार्म एओसी-1 में सलंग्न है।

4. <u>लाभांश:</u>

वित्तीय वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं की गई।

5. <u>आरक्षित कोष:</u>

समीक्षा के अंतर्गत वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा 2,90,46,267 रुपए आरक्षित कोष में अंतरित किए गए।

6. <u>व्यापार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो:</u>

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के व्यापार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

7. <u>वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में ब्यौरा:</u>

04 नवंबर, 2019 को आयोजित कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138(1) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स वीएसपीवी एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को नियुक्त किया गया। निदेशक मंडल समझते

है की कंपनी के आकार के संबंध में आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का दायरा पर्याप्त है।

8. भविष्य में कंपनी की स्थिति और परिचालन पर प्रभाव डालने वाले नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय आदेशों का ब्यौरा:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी की स्थिति और भविष्य में कंपनी के परिचालन पर प्रभाव डालने वाले नियामक अथवा न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

9. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं, यदि कोई हो:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष और रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करे ।

10. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व:

समीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-"क"** में संलग्न है।

11. निक्षेप:

31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने न कोई निक्षेप स्वीकार किया है और न कंपनी के पास अदत्त अथवा अ-दावी निक्षेप है।

12. सांविधिक लेखा परीक्षक:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने अपने दिनांक 06 अगस्त, 2019 के पत्र सं./सीए.वी/सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट, डीएमआईसीडीसी(0)/441 द्वारा मैसर्स एसएसएआर एंड एसोसिएट्स को कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की पूरक लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपा है।

इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सांविधिक लेखा परीक्षक को नामित करेंगे। इसके साथ ही, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पूरक लेखा परीक्षा, प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड-I को सौंपी जाएगी।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, कंपनी की 13वीं वार्षिक आम सभा तक कार्यालय में रहेंगे।

13. <u>लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:</u>

सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं है। लेखा परीक्षक रिपोर्ट में संदर्भित लेखों पर नोट स्वत: स्पष्ट में आने वाले है और इसलिए निदेशकों की कोई टिप्पणी नहीं है।

14. <u>सचिवीय लेखा परीक्षक:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा हेतु 04 नवंबर, 2019 को आयोजित कंपनी की बैठक में मैसर्स विकास गेरा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव को नियुक्त किया गया है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक-"ख"** पर संलग्न है।

15.<u>सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:</u>

सचिवीय लेखा परीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में निम्न प्रेक्षण किए है:-

सचिवीय लेखा परीक्षक टिप्पणी	प्रबंधन टिप्पणियां
कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक को नियुक्ति करने की आवश्यकता थी जिसे कंपनी द्वारा नहीं किया गया।	इस मामले पर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार (डीपीआईआईटी) विभाग के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, एनआईसीडीसी लिमिटेड ने 15 अक्तूबर, 2019, 25 नवंबर, 2019, 15 जनवरी, 2020, 10 फरवरी, 2020, 26 फरवरी, 2020, 11 अप्रैल 2020, 12 मई 2020 11 जून, 2020 और 13 जुलाई, 2020 के अपने पत्रों में डीपीआईआईटी को जल्द से जल्द कंपनी के बोर्ड में, स्वतंत्र महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था। इस मामले पर 17 जुलाई, 2019, 04 नवंबर, 2019 और 27 मई, 2020 को कंपनी की निदेशक मंडल बैठक में भी विचार किया गया था।

16. **पूंजी संरचना:**

कंपनी की प्राधिकृत, जारी और प्रदत्त पूंजी प्रत्येक की कीमत 10/- (दस) रुपए वाले 10,00,00,000 (दस करोड़) इक्विटी शेयरों में बंटी है जो 100,00,00,000 रुपए (केवल एक सौ करोड़ रुपए) है।

17. **धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का सार:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ए) के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) में जैसा प्रावधान किया गया है, वार्षिक रिटर्न का सार **अनुलग्नक- "ग"** में फार्म संख्या एमजीटी - 9 में संलग्न है।

18. **उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाह:**

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और बहिर्प्रवाह का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क) उर्जा संरक्षण*:

i. उर्जा संरक्षण पर उठाए गए कदम अथवा उर्जा संरक्षण पर प्रभाव : **लागू नहीं**

ii. उर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के इस्तेमाल पर कंपनी द्वारा उठाए गए कदम : **लागू नहीं**

iii. उर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश : **लागू नहीं**

ख) प्रौद्योगिकी अवशोषण:

i. प्रौद्योगिकी अवशोषण के लिए किए गए प्रयास : **लागू नहीं**

ii. उत्पाद सुधार, लागत कटौती, उत्पाद विकास अथवा आयात प्रतिस्थापन जैसे उत्पन्न लाभ : **लागू नहीं**

iii. आयतित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष की शुरू से पिछले तीन वर्षों के दौरान आयात) : **लागू नहीं**

(क) आयात की गई प्रौद्योगिकी का ब्यौरा;

(ख) आयात का वर्ष;

(ग) क्या प्रौद्योगिकी अवशोषण पूरी तरह किया गया;

(घ) यदि पूरी तरह अवशोषण नहीं किया गया तो क्षेत्र जहां अवशोषण नहीं किया गया; और तत्संबंधी कारण; और

iv. अनुसंधान पर किया गया व्यय : **लागू नहीं**

ग) विदेशी मुद्रा अर्जन और बर्हिप्रवाह:

i. वर्ष के दौरान वास्तविक अंतर्वाह के अनुसार अर्जित विदेशी मुद्रा : **कुछ नहीं**

ii. वर्ष के दौरान वास्तविक बहिर्प्रवाह के अनुसार विदेशी मुद्रा बहिर्प्रवाह : **3,18,704/- रुपए**

*[*नोट: कंपनी की मुख्य गतिविधि औद्योगिक गलियारें/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्र/आर्थिक क्षेत्र / औद्योगिक नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/ टाउनशिप में, आधुनिक औद्योगिक, भौतिक/सामाजिक अवसंरचना को उपलब्ध कराना, प्रोत्साहित करना और स्थापित करना है। उर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी* अवशोषण *लागू नहीं है। बहरहाल, कपंनी विभिन्न परियोजना विकासात्मक गतिविधियों द्वारा उर्जा संरक्षण के अपने सर्वोत्तम प्रयास कर रही है।]*

19. <u>निदेशक मंडल</u>:

(क) <u>निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन</u>:

क्र.सं.	निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के नाम	नियुक्ति की तिथि	अवधि की समाप्ति
1.	श्री राजेन्द्र रत्नू	17 जुलाई, 2019	-
2.	श्रीमती वंदना कुमार	24 अगस्त, 2016	17 जुलाई, 2019
3.	श्री युसूके इसेकी	17 जुलाई, 2019	-
4.	श्री तोशिहिको कुरिहरा	17 जुलाई, 2019	-
5.	श्री गुरुप्रसाद महापात्र	01 अगस्त, 2019	-
6.	श्री रमेश अभिषेक	01 मार्च, 2016	31 जुलाई, 2019
7.	श्री अल्केश कुमार शर्मा	19 अक्तूबर, 2015	15 सितंबर, 2019
8.	श्री के संजय मूर्ति	18 नवंबर, 2019	-
9.	श्री रवि कांत मेदिथी	16 मई, 2014	31 जनवरी, 2020
10.	श्री जे.पी. बत्रा	30 मार्च, 2015	30 मार्च, 2020

<u>क्रम आने पर रिटायरमेंट:-</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी के आर्टिक्लस ऑफ एसोसिएशन के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशक डॉ. डी. सुब्रहमण्यम आगामी आम सभा में क्रम आने पर रिटायर होंगे और पात्र होने के कारण उन्हें पुनर्नियुक्ति की पेशकश की जाती है।

(ख) निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कंपनी के निदेशक मंडल की चार (04) बैठक आयोजित की गई। निदेशक मंडल की बैठकों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	विवरण	निदेशक मंडल की बैठक की तिथि
1.	51वीं निदेशक मंडल बैठक	09 अप्रैल, 2019
2.	52वीं निदेशक मंडल बैठक	17 जुलाई, 2019
3.	53वीं निदेशक मंडल बैठक	04 नवंबर, 2019
4.	54वीं निदेशक मंडल बैठक	12 दिसंबर, 2019

20. निदेशक मंडल की समितियां:

निदेशक मंडल की निम्न तीन समितियां है:-

(क) लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री जे.पी. बत्रा, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
3.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. डी. सुब्रहमण्यम, वरिष्ठ कर्मचारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

* श्री जे.पी. बत्रा के कंपनी के निदेशक की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है।

** श्री राजेन्द्र रत्नू को 27 मई, 2020 को आयोजित 55वीं निदेशक मंडल बैठक में लेखा परीक्षा का सदस्य नियुक्त किया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 09 अप्रैल, 2019, 08 मई, 2019, 04 नवंबर 2019, और 19 मार्च, 2020 को लेखा परीक्षा समिति की चार बैठक आयोजित की गई।

(ख) <u>नामांकन और पारिश्रमिक समिति:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित किया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री जे.पी. बत्रा, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
3.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी). नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कर्मचारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

* श्री जे.पी. बत्रा के कंपनी के निदेशक की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है।

** श्री राजेन्द्र रत्नू को 27 मई, 2020 को आयोजित 55वीं निदेशक मंडल बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान, 08 मई, 2019, 04 नवंबर, 2019 और 12 दिसंबर, 2019 को नामांकन और पारिश्रमिक की तीन बैठक आयोजित की गई।

(ग) <u>कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति:</u>

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति को निम्नानुसार गठित किया है:-

क्र.सं.	निदेशक का नाम	कोटि	पदनाम
1.	श्री जे.पी. बत्रा, भूतपूर्व अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड*	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री राजेन्द्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**	गैर-कार्यकारी निदेशक	अध्यक्ष
3.	श्री तोशिहिको कुरिहरा, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी), नई दिल्ली के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य
4.	डॉ. डी. सुब्रह्मण्यम, वरिष्ठ कर्मचारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड (हुडको)	गैर-कार्यकारी निदेशक	सदस्य

* श्री जे.पी. बत्रा के कंपनी के निदेशक की अवधि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो गई है।

** श्री राजेन्द्र रत्नू को 27 मई, 2020 को आयोजित 55वीं निदेशक मंडल बैठक कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

वर्ष के दौरान, 04 नवंबर, 2019 और 19 मार्च, 2020 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति की दो बैठक आयोजित की गई।

21. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, कंपनी ने श्री अल्केश कुमार शर्मा, पूर्व सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, श्री के. संजय मूर्ति, सीईओ एवं प्रबंध निदेशक, श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल, मुख्य वित्तीय अधिकारी और श्री अभिषेक चौधरी, उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट कार्य, मानव संसाधन और कंपनी सचिव को पारिश्रमिक का भुगतान किया। वितीय वर्ष 2019-20 के दौरान भुगतान किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा फार्म संख्या एमजीटी - 9 के उप खंड VI(क) और VI(ख) में उल्लिखित है।

22. धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत कंपनी द्वारा कोई ऋण अथवा गारंटी नहीं दी गई अथवा न ही कहीं निवेश किया गया।

23. धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध अथवा व्यवस्था का विवरण:

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा कोई अनुबंध अथवा समझौता नहीं किया गया।

24. जोखिम प्रबंधन और आंतरिक पर्याप्तता:

कंपनी के पास जोखिम अथवा अवसर जो कंपनी के परिचालन पर विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं अथवा जिनके लाभ के लिए अधिकतम दोहन किया जा सकता है, उन अवसरों की पहचान करने और अधिसूचित करने के लिए पर्याप्त जोखिम प्रबंधन है। जोखिम अथवा अवसरों को संभालने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य करने हेतु प्रक्रियां और पद्धतियां मौजूद है।

कंपनी का आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसके व्यापार की प्रकृति और आकार एवं परिचालन की जटिलता के अनुरूप है। इन्हें सांविधिक के साथ-साथ आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा समय-समय पर जांचा जाता है। महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों और तत्संबंधी अनुवर्ती कारवाइयों को लेखा परीक्षा समिति में रिपोर्ट किया जाता है।

25. निदेशक के दायित्व विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप धारा (3) के उप खंड (ग) के अनुसार यह बताया गया है कि:

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करते समय महत्वपूर्ण विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन और निरंतर उपयोग किया एवं निर्णय लिए तथा अनुमान लगाए जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि की सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण है;

(ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं पर रोक लगाने तथा उन्हें ढूंढने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के अनुरक्षण के लिए उचित और पर्याप्त ध्यान रखा है;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों को सतत् आधार पर तैयार किया; और

(ङ) निदेशकों ने सभी कानूनी प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणोदक प्रणाली तैयार की और और इन सप्रणालियों ने पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्य किया।

26. सूचना का अधिकार:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त आरटीआई आवेदनों/अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्राप्त आरटीआई आवेदन/अपील		आरटीआई आवेदन				31.03.2020 को लंबित आवेदन
		खारिज	सूचना उपलब्ध कराई गई	अन्य जन प्राधिकरणों को अंतरित	आवेदक को वापिस	
आवेदन	15	0	14	1	0	0
अपील	0	0	0	0	0	0

27. निदेशक मंडल का निष्पादन मूल्यांकन:

कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार स्थान पर है, जो प्रभाविता को सुनिश्चित करने और स्टेकहोल्डरों के महत्व को बढ़ाने के दृष्टिकोण से प्रबंधन कार्यों को निरीक्षण करने के सशक्त है।

प्रबंधन को निदेश देने, मार्गदर्शन करने और सहायता करने के लिए अपने विविध कौशल एवं अनुभव के दृष्टिकोण से स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

28. <u>लागत लेखा परीक्षक:</u>

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को लागत लेखा परीक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

29. <u>कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम 2013 के अनुपालन में नीति:</u>

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निवारण और निबटान) अधिनियम, 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है। समिति को यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निबटान के लिए गठित किया गया है। समिति कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए 'शून्य असिहष्णुता' के संबंध में कर्मचारियों को जागरूक करती है। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कोई मामला दर्ज नहीं किया गया।

30. <u>सतर्कता:</u>

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कोई सतर्कता संबंधी मामला रिपोर्ट नहीं किया गया और कंपनी में कोई पुराना मामला लंबित नहीं है।

31. <u>सचिवीय मानक:</u>

कंपनी ने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी उपयुक्त सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

32. <u>प्रत्येक अर्हता, आरक्षण एवं प्रतिकूल टिप्पणियों अथवा प्रकटनों पर निदेशक मंडल द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण अथवा टिप्पिणयां</u>:

सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट किसी अर्हता, आपत्ति अथवा टिप्पणी से मुक्त है और सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अर्हता पर स्पष्टीकरण को इस रिपोर्ट के पाइंट सं. 15 पर प्रस्तुत किया गया है।

33. <u>अभिस्वीकृति:</u>

कंपनी का निदेशक मंडल सभी कर्मचारियों, स्टाफ के सदस्यों और प्रबंधकर्ताओ को उनके योगदान के लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। निदेशक भारत सरकार, जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल

कोऑपरेशन (जेबीआईसी), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलमेंट कोरपोरेशन (हुडको), इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कोरपोरेशन लिमिटेड (आईआईएफसीएल) और भारतीय जीवन बीमा निगम और अपने बैंकरों को धन्यवाद देते हैं। निदेशक कंपनी के प्रबंधन के प्रति अपने निरंतर समर्थन, सहयोग और विश्वास के लिए शेयरधारकों को अपना आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी और से

हस्ता.

(गुरुप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष
डीआईएन: 00012570
पता- 41, न्यू मोती बाग,
ईस्ट नेताजी नगर, नई दिल्ली-110011

दिनांकः 29.07.2020
स्थानः नई दिल्ली

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक विवरण

1. **परियोजनाओं अथवा किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों की समीक्षा और सीएसआर नीति और प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रमों के वेबलिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखाः-**

एनआईसीडीसी ने समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान देने और मजबूत, विकसित टिकाऊ समुदायों का निर्माण करके और देश के लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से कार्य करने की परिकल्पना की है।

कंपनी की सीएसआर नीति का वेब लिंक: -

https://www.nicdc.in/download.aspx?mpgid=34&pgidtrail=34&utid=11

2. **सीएसआर समिति की संरचना: -**

समिति की संरचना निम्नानुसार है:-

(क) श्री राजेंद्र रत्नू, संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय;

(ख) श्री तोशिहिको कुरिहरा, नई दिल्ली में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जीबीआईसी) के मुख्य प्रतिनिधि अधिकारी; और

(ग) डॉ. डी. सुब्रहमण्यम, वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक (परिचालन), हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको).

3. **पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ: -**

5,88,45,034/- रुपए

4. **निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 की राशि का 2 प्रतिशत): -**

11,76,901/- रुपए

5. **वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय किए गए सीएसआर का ब्यौरा:**

(क) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि: 11,76,901/- रुपए

(ख) शेष राशि, यदि कोई हो तो: कुछ नहीं

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान राशि किस तरीके से व्यय की गई, के संबंध में ब्यौरा निम्नानुसार है:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
क्र. सं.	सीएसआर प्रोजेक्ट अथवा चिह्नित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें प्रोजेक्ट शामिल है	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम (1) स्थानीय अथवा अन्य (2) राज्य अथवा जिले का उल्लेख करे जहां प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम शुरु किए गए थे	राशि परिव्यय (बजट) प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रम-वार	प्रोजेक्ट अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई राशि उप-शीर्ष: (प्रोजेक्टों अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2) अधि-शीर्ष:	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	व्यय की गई राशि: प्रत्यक्ष अथवा क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा*
1.	प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा कोष (पीएमएनआरएफ)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	11,76,901	11,76,901	11,76,901	प्रत्यक्ष

6. यदि कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत या उसके किसी भी हिस्से को खर्च करने में विफल रही है, तो उसका बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च नहीं करने के कारण:-

लागू नहीं।

7. इसके द्वारा निदेशक मंडल की सीएसआर समिति इस बात की पुष्टि करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

हस्ता.

(के. संजय मूर्ति)
कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक

हस्ता.

(राजेंद्र रत्नू)
अध्यक्ष - सीएसआर समिति

अनुलग्नक-"ख"

फार्म सं.-एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिको की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसार)]

सेवा में,

सदस्य,
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट
कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर
डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
08 तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,
124 कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001

मैंने **"नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)**(जिसे बाद में कंपनी कहा जाएगा)" द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों और उपयुक्त कॉरपोरेट पद्धतियों के अनुपालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस विधि से की गई थी कि जो हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उसके आधार पर हमारा अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार उपलब्ध कराते हैं।

कंपनी की पुस्तकें, कार्यवृत पुस्तकें, फार्म और जमा की गई रिटर्न और कंपनी द्वारा प्रस्तुत अन्य रिकॉर्ड के सत्यापन और सचिवीय लेखा परीक्षा किए जाने के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंट और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, एतद्वारा मैं रिपोर्ट करता हूं कि मेरे अभिमत में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन

किया है और कंपनी के पास बोर्ड-प्रक्रिया और अनुपालन प्रक्रिया प्रणाली मौजूद है, जो इस विधि और बाद में रिपोर्ट किए जाने के अध्यधीन हैं:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्म और जमा की गई रिटर्न की जांच की है:

1) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
2) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत बनाए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋण की सीमा के नियम;
3) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत निर्धारित नियम तथा उप-नियम;
4) प्रबंधन अभ्यावदेन के अनुसार कंपनी पर लागू अन्य निम्नलिखित कानून:

- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952;
- उपदाब संदाय अधिनियम, 1972;
- दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954;
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1999

मैंने निम्नलिखित उप खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(क). सामान्य और बोर्ड बैठक के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरिज ऑफ इंडिया द्वार जारी सचिवीय मानक;

(ख). गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के कारण कंपनी ने किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध होने के संबंध में समझौता नहीं किया है।

कंपनी ने समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान अधिनियम के उपरोक्त उल्लिखित प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशा-निदेशों, मानकों का अच्छी तरह से अनुपालन किया है और उपरोक्त परिच्छेदो के संबंध में कोई गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखा परीक्षा अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

मैं आगे यह भी रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी का निदेशक मंडल, कार्यपालक निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशक और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ यथोचित रूप से गठित है। समीक्षा के अंतर्गत अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन किए गए हैं। कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के प्रावधानों के अनुसार महिला निदेशक की नियुक्ति करनी थी जिसे कंपनी द्वारा नहीं किया गया है।

बोर्ड मीटिंग आयोजित किए जाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिए गए, कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणी कम से कम सात दिन पहले भेजे गए, और बैठक से पूर्व कार्यसूची मदों पर अन्य जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली मौजूद है।

बहुमत से निर्णय लिया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के दृष्टिकोण प्राप्त किए जाते हैं और उन्हें कार्यवृत्त के भाग के रूप में दर्ज किया जाता है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी के आकार एवं परिचालन के अनुरूप, उपयुक्त कानून, नियम, विनिमय और दिशा-निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में यथोचित प्रणाली और प्रक्रिया मौजूद है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि बोर्ड संरचना/प्रणाली और लेखा परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में कोई भी गैर-अनुपालन/प्रेक्षण/लेखा परीक्षा अर्हता, आपत्ति अथवा प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है।

मैं यह भी रिपोर्ट करता हूं कि

कंपनी ने अपना नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड कर लिया है और कंपनी ने नाम बदलने से संबंधित सभी प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता.
विकास गेरा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5248
सीपी सं.: 4500

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29/07/2020
यूडीआईएनःएफ005248बी000528243

प्रकटनः

कोविड-19 के कारण हमने सचिवीय लेखा परीक्षा ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर की है और विश्वास करते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉनिक प्रति में उपलब्ध कराई सूचना कंपनी के मूल रिकार्ड से प्राप्त की गई है।

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का आंतरिक भाग है।

'अनुलग्नक क'

सेवा में,

सदस्य,
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट
कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर
डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
08 तल, टॉवर-1, जीवन भारती बिल्डिंग,
124 कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली-110001.

समसंख्यक तिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवीय रिकार्ड के रख-रखाव का दायित्व कंपनी के प्रबंधन पर है। हमारा दायित्व हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवीय रिकार्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय दस्तावेजों की सामग्रियों की परिशुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों से सही तथ्य प्रदर्शित हो। हमें विश्वास हैं कि हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और पद्धतियां, हमारे अभिमत के लिए उचित आधार उपलब्ध कराती है।

3. हमने कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और खातों की परिशुद्धता एवं सत्यता का कोई सत्यापन नहीं किया है क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य किसी नामित विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा के अध्ययधीन है।

4. हमने कंपनी पर लागू वित्तीय क़ानून जैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर नियमों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई क्योंकि यह सांविधिक वित्तीय लेखा परीक्षक और अन्य नामित विशेषज्ञों की समीक्षा का विषय है।

5. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के क्रम आदि के बारे में प्रबंधन अभ्यावेदन प्राप्त किया है।

6. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानून, नियम, विनियम, मानक के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का दायित्व है। हमारा परीक्षण जांच आधार पर पद्धतियों के सत्यापन तक सीमित है।

7. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट, न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासतन है और न ही कंपनी के मामलों में प्रबंधन की कुशलता और प्रभाविता का सूचक है।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स

हस्ता.
विकास गेरा
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 5248
सीपी सं.: 4500

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29/07/2020

फार्म सं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का सार
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के रूप में

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार]

I	**पंजीकरण एवं अन्य विवरण**	
i)	सीआईएन	यू45400डीएल2008पीएलसी172316
ii)	पंजीकरण तिथि	7 जनवरी, 2008
iii)	कंपनी का नाम	**नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
iv)	कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	शेयर द्वारा सीमित कंपनी/गैर-सरकारी भारतीय कंपनी
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती भवन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
vi)	क्या सूचीबद्ध कंपनी है (जी हां/जी नहीं)	जी नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण, यदि कोई हो तो	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड चौथा तल, ए विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कम्पाऊंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400013

II	**कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां**		
कंपनी के कुल टर्नओवर में 10% अथवा उससे अधिक का योगदान देने वाली सभी व्यवसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा			
क्र. सं.	**मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण**	**उत्पाद/सेवा का कोड (एनआईसी)**	**कंपनी के कुल टर्नओवर का %**
1.	कंपनी की मुख्य गतिविधि आधुनिक, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना सहित औद्योगिक गलियारों/निवेश क्षेत्र/औद्योगिक क्षेत्रों/आर्थिक क्षेत्र/इंडस्ट्रियल नोड/विशेष आर्थिक क्षेत्र/टाऊनशिप को सुगम, प्रोत्साहित और स्थापित करना है।	42909 (अन्य सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एन.ई.सी.)	100%

III	**नियंत्रक, सहयोगी एवं संबंद्ध कंपनियों का ब्यौरा**				
क्र.सं.	**कंपनी का नाम एवं पता**	**सीआईएन/ जीएलएन**	**नियंत्रक/ सहयोगी/संबं**	**धारित शेयरों का %**	**लागू धारा**

			दूध		
1.	डीएमआईसीडीसी नीमराणा सौलर पॉवर कंपनी लिमिटेड, 08वां तल, टॉवर 1, जीवन भारती बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001	यू40300डीएल2014 पीएलसी266439	सहयोगी कंपनी	100%	2(87)(ii)

IV. शेयरधारिता पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्रेक-अप)

i. कोटिवार शेयर धारिता

शेयरधारकों की कोटि	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**									
क) व्यैक्तिक/एचयूएफ	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ख) केन्द्रीय सरकार	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
ग) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ड़) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
च) अन्य (ट्रस्ट)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
उप-जोड़ (क)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
(2) **विदेशी**									
क) एनआरआई-	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

व्यैक्तिक									
ख) अन्य - व्यैक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ड़) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (क)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रवर्तकों की शेयरधारिता (क) = (क)(1)+(क)(2)	**4,90,00,000**	**0**	**4,90,00,000**	**49.00**	**4,90,00,000**	**0**	**4,90,00,000**	**49.00**	**0.00**
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता									
1. संस्थान									
क) म्युचल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	2,39,99,998	2	2,40,00,000	24.00	23999998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
ग) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
घ) राज्य सरकार(रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ड़) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
च) बीमा कंपनियां	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
छ)एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00

झ) अन्य विदेशी शेयरधारिता (एफआईआई/एफसी/एफएफआई/एनआरआई/ओसीबी)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
उप जोड़ (ख)(1)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2. गैर संस्थानिक									
क) निकाय निगम	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख) व्यैक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i. 1 लाख रुपए तक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. 1 लाख रुपए से अधिक की नाममात्र की शेयरपूंजी रखने वाले व्यैक्तिक शेयरधारकों की संख्या	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग) अन्य: i. क्लीयरिंग सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ii. गैर-निवासी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iii. विदेशी कंपनी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
iv. ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप जोड़ (ख)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख)(1) + (ख)(2)	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	5,09,99,998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
ग. जीडीआर एवं एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सकल जोड़ (क+ख+ग)	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	9,99,99,998	2	10,00,00,000	100.00	0.00

(ii)	प्रवर्तकों की शेयरधारिता							
क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष की अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन %
		शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के शेयरों का कुल % शेयर	कुल शेयरों का गिरवी / भारग्रस्त शेयरों का %	
1.	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत के राष्ट्रपति	4,89,99,998	49%	-	4,89,99,998	49%	-	कुछ नहीं
	श्री शैलेन्द्र सिंह, आईएएस, अतिरिक्त सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	01		-	01		-	कुछ नहीं
	उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार	01			01			

	विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के संयुक्त सचिव द्वारा भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व		-		-	कुछ नहीं

(iii)	प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करे, यदि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है) कोई परिवर्तन नहीं				
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
कुछ नहीं					

(iv)	शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशक, प्रवर्तक एवं जीडीआर एवं एडीआरधारकों से इतर)				
क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष अंत में शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1.	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	2,60,00,000	26%	2,60,00,000	26%
2.	हाऊसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (हुडको)	1,99,00,000	19.9%	1,99,00,000	19.9%
3.	इंडिया इंफ्रास्टक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	40,99,998	4.1%	40,99,998	4.1%
	श्री पीआर जयशंकर के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01		01	
	श्री राजीव मखीजा के साथ संयुक्त रूप से आईआईएफसीएल	01		01	
4.	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%

(v)	निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक शेयरधारिता				
क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए	वर्ष की शुरूआत में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
	कुछ नहीं				

V	ऋणग्रस्तता				
क्र.सं.	बकाया ब्याज/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं, सहित कंपनी ऋणग्रस्तता				
		निक्षेपों के अतिरिक्त सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	निक्षेप	कुल ऋणग्रस्तता
1	वित्तीय वर्ष की शुरूआत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
	i) मूल राशि	-	-	-	-
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
	iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
	जोड़ (i+ii+iii)	-	-	-	-
2	वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	-	-	-	-
	वृद्धि	-	-	-	-
	कटौती	-	-	-	-
3	शुद्ध परिवर्तन	-	-	-	-
4	वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	-	-	-	-
	i) मूल धनराशि	-	-	-	-
	ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
	iii) उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	-	-	-	-
जोड़ (i+ii+iii)		-	-	-	-

VI	निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक			
क.	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक और अथवा प्रबंधक को परिश्रमिक:			
क्र.सं.	परिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (श्री अल्केश कुमार शर्मा-सीईओ एवं प्रबंध निदेशक) (सेवा अवधि 01 अप्रैल, 2019 से 15 सितंबर, 2019)	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (श्री के. संजय मूर्ति-सीईओ एवं प्रबंध निदेशक) (सेवा अवधि 18 नवंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020)	कुल धनराशि (रुपए में)
	सकल वेतन			
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	28,45,999	15,68,700	44,14,699
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान	3,84,881	3,31,483	7,16,364
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा	-	-	-

	17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ			
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	लाभ के % रूप में	-	-	-
	अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	-
5	अन्य, कृप्या स्पष्ट करें	-	-	-
	जोड़ (क)	32,30,880	19,00,183	51,31,063
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग	-	-	-

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक			
क्र.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**निदेशक का नाम**	**जोड़**
1.	• स्वतंत्र निदेशकों के लिए बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस	श्री जय प्रकाश बत्रा	2,40,000
	• कमीशन		
	• अन्य, कृप्या स्पष्ट करे		
जोड़ (1)			**2,40,000**
2	• अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक		-
	• बोर्ड/समिति बैठकों में शामिल होने के लिए फीस		
	• कमीशन		
	• अन्य, कृप्या स्पष्ट करे		
जोड़ (2)			-
जोड़ (ख)= (1)+(2)			**2,40,000**
जोड़ (क+ख)			**53,71,063**

ग.				
क्र.सं.	**पारिश्रमिक का विवरण**	**प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से इतर प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक**		
	सकल वेतन	**श्री अभिषेक चौधरी (कंपनी सचिव)**	**श्री पीके अग्रवाल (सीएफओ)**	**कुल धनराशि**
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में अंतर्निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43,41,336	45,08,688	88,50,024
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अनुसार अनुलाभों का मान	7,39,687	6,74,758	14,14,445
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-

2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-
	लाभ के % रूप में	-	-	-
	अन्य (कृप्या स्पष्ट करे)	-	-	-
5	अन्य, कृप्या स्पष्ट करे (अवकाश नकदीकरण)	-	-	-
जोड़		**50,81,023**	**51,83,446**	**1,02,64,469**

VII	**जुर्माना/सजा/अपराध का समझौता**					
क्र.सं.	**प्रकार**	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**जुर्माना/सजा/अपराध के निपटान में लगी राशि का ब्यौरा**	**प्राधिकारण (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय)**	**अपील, यदि की गई हो (ब्यौरा दे)**
A.	**कंपनी**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	सजा					
	समझौता					
B.	**निदेशक**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	सजा					
	समझौता					
C.	**चूक में शामिल अन्य अधिकारी**					
	जुर्माना	कोई नहीं				
	सजा					
	समझौता					

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

दिनांकः 29.07.2020
स्थानः नई दिल्ली

हस्ता.

(गुरुप्रसाद महापात्र)
अध्यक्ष
डीआईएनः-00012570
पताः 41, न्यू मोती बाग,
ईस्ट नेताजी नगर, नई दिल्ली-110011

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

PDCA-I/ND/CHQ-II/27-7/2019-20/ 61
संख्या/No.

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 1/10/2020

सेवा में,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली -110 001

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अग्रेषित करती हूँ। इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आम सभा में इसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ

रिना अरोड़ा जम
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय सूचना रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा 29 जुलाई, 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंचे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ दस्तावेजों की जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी सामने नहीं आया है जिस पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट में जोड़ा जाए।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से

हस्ता.

(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01.10.2020

PDCA-I/N2/CHO-I/27-7/2019-20/68

संख्या/No.

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 7/10/2020

सेवा में,

सी.ई.ओ.एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली -110001

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी आंधेनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) व 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) व 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की **टिप्पणियाँ** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाए और कंपनी की आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार नैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

संलग्न: टिप्पणियाँ

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) जिसके साथ धारा 129(4) पढ़ी जाए, के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय सूचना रूपरेखा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा 143 जिसे धारा 129(4) साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। इसे उनके द्वारा 29 जुलाई, 2020 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में व्यक्त किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** के समेकित वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** और इसकी सहयोगी कंपनी डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रुप से सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुंचे बिना की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों से पूछताछ तथा कुछ दस्तावेजों की जांच तक सीमित है।

मेरी पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मैं, अधिनियम की धारा 143(6)(ख) जिसे धारा 129(4) के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करना चाहती हूं जो मेरे दृष्टिकोण से वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट को बेहतर रूप से समझने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

क. प्रकटन पर टिप्पणियां

बड़े पैमाने पर पीवी उर्जा सृजन और संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए माइक्रोग्रिड सिस्टम प्रणाली पर विचार करते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईडीओ) - जापान, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी - भारत सरकार और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन

लिमिटेड (अब नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड - एनआईसीडीसीएल) के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। सहमति ज्ञापन 31 अगस्त, 2019 तक प्रभावी है।

सहमति ज्ञापन के अनुच्छेद 16 के अनुसार, परियोजना संपूर्ण होने पर बिना किसी लागत पर उपकरणों का स्वामित्व स्वतः ही एनईडीओ से एनआईसीडीसीएल को सौंप दिया जाएगा।

यह देखा गया है कि उपकरणों को सहयोगी कंपनी अर्थात् डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और परियोजना जुलाई, 2019 को पूरी हो गई थी। बहरहाल, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उपकरणों की कीमत (31.03.2020 को लगभग 62 करोड़ रुपए) का स्वीकरण नहीं किया है, ना तो लेखों के नोट में परिसंपत्तियों के संबंध में कोई प्रकटन किया गया है और ना ही प्रचलित लेखांकन मानक के अनुसार इस संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति है।

इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के
लिए और उनकी ओर से
हस्ता.

(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक- लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)

नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 07.10.2020

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों (समेकित) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर।

	प्रकटीकरण पर टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
1.	बड़े पैमाने पर पीवी उर्जा सृजन और संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए माइक्रोग्रिड सिस्टम प्रणाली पर विचार करते हुए दिनांक 30 अप्रैल, 2012 को न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईडीओ) - जापान, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी - भारत सरकार और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (अब नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड - एनआईसीडीसीएल) के बीच एक संहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। सहमति ज्ञापन 31 अगस्त, 2019 तक प्रभावी है। सहमति ज्ञापन के अनुच्छेद 16 के अनुसार, परियोजना संपूर्ण होने पर बिना किसी लागत पर उपकरणों का स्वामित्व स्वतः ही एनईडीओ से एनआईसीडीसीएल को सौंप दिया जाएगा। यह देखा गया है कि उपकरणों को सहयोगी कंपनी अर्थात् डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था और परियोजना जुलाई, 2019 को पूरी	नीमराना सौर ऊर्जा परियोजना को जापान सरकार और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर पीवी बिजली उत्पादन और संबंधित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके माइक्रो ग्रिड प्रणाली के प्रदर्शन के लिए लागू किया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलोजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एनईडीओ) - जापान सरकार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी - भारत सरकार और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (अब नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड - एनआईसीडीसीएल के नाम से विदित) के बीच एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। सहमति ज्ञापन के अनुच्छेद 16 के संदर्भ में, पीवी मॉड्यूल, पीसीएस से संबंधित उपकरण, माइक्रो ग्रिड नियंत्रण के लिए नियंत्रण सेवा, दूरसंचार प्रणाली और अन्य सहायक उपकरण एनईडीओ द्वारा प्रदान किए गए थे। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उपकरण का स्वामित्व एनईडीओ की संपत्ति होगा और परियोजना के पूरा होने पर बिना किसी लागत के सभी

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों (समेकित) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर।

	प्रकटीकरण पर टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
	हो गई थी। बहरहाल, कंपनी ने वित्तीय विवरणों में उपकरणों की कीमत (31.03.2020 को लगभग 62 करोड़ रुपए) का स्वीकरण नहीं किया है, ना तो लेखों के नोट में परिसंपत्तियों के संबंध में कोई प्रकटन किया गया है और ना ही प्रचलित लेखांकन मानक के अनुसार इस संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति है। इस प्रकार, कंपनी के वित्तीय विवरण उस सीमा तक अपूर्ण है।	अलाभिक अधिकारों के साथ एनईडीओ से स्वचालित रूप से स्थानांतरित हो जाएगा। तदनुसार, उपकरण के स्वामित्व को परियोजना के पूरा होने के बाद 31 जुलाई 2019 को सहायक कंपनी यानी डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पावर कंपनी लिमिटेड (डीएनएसपीसीएल) के नाम पर शून्य लागत पर हस्तांतरित किया गया है। चूंकि, उपकरण शून्य लागत पर हस्तांतरित किये गए हैं, लेखांकन मानक - 12 के अनुसार उनको 1/- रुपये के नाममात्र मूल्य पर वर्ष 2019-20 के लिए वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनाने वाले अचल परिसम्पत्ति की अनुसूची में मान्यता प्राप्त होना आवश्यक था, ना कि ऑडिट के अनुसार बताये गए 62 करोड़ रुपये पर। अनजाने में, उपकरण को 1/- रुपये के मामूली मूल्य पर डीएनएसपीसीएल के वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई। हालाँकि, उनको 31.03.2020 को किए गए डीएनएसपीसीएल के भौतिक परिसम्पत्ति सत्यापन रिपोर्ट में शामिल किया गया था।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों (समेकित) पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर।

	प्रकटीकरण पर टिप्पणी	प्रबंधन प्रतिक्रिया
		उपकरण के 1/- रुपये के नाममात्र मूल्य और उसकी भौतिकता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में अचल संपत्तियों के मूल्य पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। हालाँकि, मान्यता और प्रकटीकरण की आवश्यकता को देखते हुए, डीएनएसपीसीएल को बिना किसी लागत के हस्तांतरित किए गए उपकरणो को, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में लेखांकन नीतियों और लेखों पर नोट्स में संबंधित प्रकटीकरण के साथ-साथ 1/- रुपये के नाममात्र मूल्य पर अविवादित किया जायेगा।

एकल वित्तीय विवरणो पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

(क) हमने **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के संलग्न स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है।

(ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडएलोन विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2020 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और उनके नकदी प्रवाह पर अधिनियम की धारा 133 जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा परीक्षा मानक) नियम, 2006 के साथ पढ़ा जाए और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखा परीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्दिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट के खंड वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्व में आगे बताया गया है। हम, स्वतंत्रता की आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, कंपनी से स्वतंत्र है। हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारे नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आधार उपलबध कराने हेतु उचित है।

अन्य सूचना - निदेशक मंडल की रिपोर्ट

क) कंपनी का निदेशक मंडल अपनी रिपोर्ट (जिसे आगे "निदेशक मंडल रिपोर्ट" कहा जाएगा) को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के अंतर्गत अपेक्षित विभिन्न सूचना शामिल है लेकिन वित्तीय विवरण और हमारी तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में निदेशक मंडल रिपोर्ट शामिल नहीं है और हम तत्संबंधी निष्कर्षों पर कोई आश्वासन व्यक्त नहीं करते हैं।

ख) वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारा दायित्व बोर्ड रिपोर्ट पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करना कि क्या बोर्ड रिपोर्ट वित्तीय विवरणों से भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान अथवा अन्यथा प्राप्त की गई जानकारी भौतिक रूप से गलत है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस बोर्ड रिपोर्ट में कोई गलतबयानी है, तो हमें उस तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

क) कंपनी का निदेशक मंडल इन स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। उत्तरदायित्व में परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना; उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो को डिज़ाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन के रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधड़ी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, भी शामिल है।

ख) वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी का निदेशक मंडल सतत् आधार पर जारी रखने के लिए कंपनी की क्षमता का आंकलन करने, सतत् आधार पर संबंधित मुद्दों को प्रकट करना, जहां लागू हो और लेखांकन पर सतत् आधार के उपयोग के लिए उत्तरदायी

है, बशर्ते निदेशक मंडल कंपनी का व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हों अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

क) हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तब यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

ख) लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

i) स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करते हैं, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी , इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन करना शामिल हो सकता है;

ii) लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करने के संबंध में लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना जो उस स्थिति में उचित हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है;

iii) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग दवारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना;

iv) प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत् आधार के प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से

संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए कंपनी की क्षमता पर संदेह पैदा करती है । यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना है और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है । हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अब तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है । तथापि, भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां कंपनी को सतत् आधार पर जारी रहने के लिए रोक सकती है;

v) प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु, तथा इस आशय का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है;

ग) भौतिकत्व वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों को (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

घ) हम, अन्य मामलों में, लेखापरीक्षा की नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियां जिन्हे हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना, अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति को सूचित करते हैं।

ड़) हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनयम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") में जैसा अपेक्षा की गई है, हम आदेश के अनुच्छेद 3 और 4 में विर्निदिष्ट मामलों पर जहां तक लागू हो, एक विवरण "अनुलग्नक-क" में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उपर्युक्त वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख) हमारे अभिमत में कपंनी द्वारा विधि अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण, लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;

घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त स्टैंडएलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखंकन मानकों के अनुपालन में है;

ङ) 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी के निदेशक मंडल में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के उप खंड (2) के संदर्भ में 31 मार्च, 2020 को कोई भी निदेशक निदेशक, के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं है;

च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के लिए "अनुलग्नक-ख" पर हमारी पृथक रिपोर्ट देखे। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की परिचालन प्रभाविता और पर्याप्तता पर अशोधित अभिमत व्यक्त करती हैं;

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथा समय-समय पर संशोधित के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अन्य मामलों के संबंध में हमारा अभिमत और हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

i) कंपनी का कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े।

ii) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए लिए किसी कानून अथवा लेखांकन मानक के अंतर्गत प्रत्याशा भौतिक हानि का प्रावधान किया जाना अपेक्षित हो;

iii) इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, राशि अंतरित करने में कोई देरी नहीं है, जिसे अंतरित किया जाना था।

3. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा जैसा अपेक्षा की गई है, हमें दी गई सर्वश्रेष्ठ सूचना और उसके संबंध में दिए स्पष्टीकरणों के अनुसार रिपोर्ट करते हैं कि:

क) कंपनी के पास सभी लेन-देनों को आईटी प्रणाली द्वारा करने की प्रणाली मौजूद है, इसलिए, वित्तीय निहितार्थ सहित लेखों की सत्यनिष्ठा पर कोई निहितार्थ नहीं है।

ख) ऋण के पुनर्भुगतान की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को किसी मौजूदा ऋण को पुन:संरचनाबद्ध करने अथवा ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/समाप्त करने का कोई मामला नहीं है;

ग) इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के संबंध में केन्द्रीय सरकार/नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) से प्राप्त प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (पीडीएफ) को कंपनी द्वारा उचित रूप से लेखाबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्राप्त किए गए धन को स्वीकृति के नियम एवं शर्तों के अनुसार उपयोग किया गया था।

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 04739 एन

हस्ता.
(सीए सचिन जैन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 098267
पता: 19 ए, अंसारी रोड
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020
यूडीआईएन: 20098267एएएएएवाई4632

"अनुलग्नक क"

लेखा परीक्षा रिपोर्ट (नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड - वित्तीय वर्ष 2019-20) के लिए

(i) स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में:

(क) कंपनी ने परिमाणात्मक विवरण और स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण ब्यौरों को दर्शाने वाले यथोचित दस्तावेज रखे हैं;

(ख) जैसा हमें स्पष्ट किया गया है, परिसंपत्तियों को भौतिक रूप से सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा सत्यापित किया गया है, जो हमारे अभिमत में व्यापार के आकार एवं प्रकृति पर विचार करते हुए उपयुक्त है। सत्यापन की आवृति उपयुक्त है और इस प्रकार के भौतिक सत्यापन के दौरान कोई खामी नहीं पाई गई है;

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई अस्थायी परिसंपत्ति नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(i)(c) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

(ii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी के पास कोई स्टॉक नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया है;

(iv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्ड के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के संदर्भ में ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में क.आ.रि.आ., 2016 के खंड 3(iv) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं;

(v) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी निदेशों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों अथवा अन्य संबंधित प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, जहां कहीं भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं करते हुए किसी निक्षेप को स्वीकार नहीं किया है; कंपनी लॉ बोर्ड अथवा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल या किसी न्यायालय अथवा किसी अन्य ट्रिब्यूनल ने कोई आदेश पारित नहीं किया है;

(vi) हम सूचित करते हैं कि कंपनी के उत्पादन के संबंध में लागत रिकार्डों का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है;

(vii) सांविधिक और अन्य बकायों के संबंध में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार:

क) कंपनी ने जहां कहीं भी लागू हो, उचित प्राधिकरणों के पास आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर, माल एवं सेवा कर और अन्य सांविधिक बकायों सहित गैर-विवादित सांविधिक बकायों का नियमित भुगतान किया है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी के पास 31 मार्च, 2020 को देय होने की तिथि से छः महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई सांविधिक बकायों के संबंध में कोई अविवादित राशि शेष नहीं है;

ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, किसी भी सांविधिक बकायों के संबंध में कोई अविवादित राशि बकाया नहीं है, जो 31 मार्च, 2020 को शेष हो;

(viii) कंपनी ने किसी बैंक, वित्तीय संस्थान और ऋणपत्र धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, कंपनी पर आदेश के खंड 3(viii) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं;

(ix) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा उसके बाद सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण लेखपत्रों सहित) और किसी मियादी ऋण द्वारा धन नहीं जुटाया है; इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(ix) लागू नहीं होते हैं;

(x) हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा हमें दी सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी धोखाधड़ी को देखा या रिपोर्ट नहीं किया गया है;

(xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों और कंपनी के रिकार्डों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने धारा 197 जिसे अधिनियम की अनुसूची V के साथ पढ़ा जाए के प्रावधानों के अनुसार अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त कर प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान/प्रदान किया है;

(xii) कंपनी कोई निधि कंपनी नहीं है, इसलिए कंपनी पर आदेश के खंड 3(xii) लागू नहीं होते हैं;

(xiii) संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में है और ब्यौरों को एएस-18 में अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरणों के नोट सं.-30 में बताया गया है;

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन अथवा शेयरों का निजी प्लेसमेंट एवं पूर्ण अथवा आंशिक रूप से परिवर्तनीय ऋण पत्रों का आबंटन नहीं किया है, इसलिए आदेश का खंड 3(xiv) लागू नहीं होता है;

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने किसी निदेशक अथवा उनसे जुड़े किसी व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकदी लेन-देन नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन लागू नहीं होता हैं।

(xvi) कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 45-1A के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है; इसलिए आदेश के खंड 3(xvi) कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 04739 एन
हस्ता.

(सीए सचिन जैन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 098267
पता: 19ए, अंसारी रोड
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020
यूडीआईएनः 20098267एएएएएवाई4632

"अनलग्नक-ख"

लेखा परीक्षक रिपोर्ट (नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरशन लिमिटेड - वित्तीय वर्ष 2019-20) के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने **31 मार्च, 2020** को समाप्त वर्ष के लिए **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को **कंपनी** की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। हमने "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित किए गए हैं, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और निर्धारितकिए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है जो

(i) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(ii) उचित आश्वासन प्रदान करे कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति के अनुसार ही किया जा रहा हैं; और

(iii) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगाना एवं रोकना जिसका वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना अथवा गतिविधियों पर अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अध्यधीन है, अपर्याप्त हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्राप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2020 तक प्रभावी रूप से चल रहे थे, जो आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखा परीक्षा पर दिशा-निर्देश नोट में आतंरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्थापित किये गए थे।

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 04739 एन

हस्ता.
(सीए सचिन जैन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 098267
पता: 19ए, अंसारी रोड
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020
यूडीआईएनः 20098267एएएएएवाई4632

एकल वित्तीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
I. इक्विटी एवं दायितायें					
(1) शेयरधारक निधि					
(क) शेयर पूंजी	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(ख) आरक्षित एवं अधिशेष	2	6,64,44,64,486	7,64,44,64,486	6,11,34,87,865	7,11,34,87,865
(2) गैर-चालू दायितायें					
(क) अन्य दीर्घकालिक दयितायें	3	10,00,000		10,00,000	
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	4	40,34,648	50,34,648	32,60,200	42,60,200
(3) चालू दायितायें					
(क) व्यापार देय	5				
(i) सूक्ष्म और लघु उपक्रमों के कुल देय बकाया		-		-	
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं के कुल देय बकाया		34,67,21,642		29,04,56,960	
(ख) अन्य चालू दायितायें	6	3,89,29,711		4,39,73,480	
(ग) लघुकालिक प्रावधान	7	6,34,204	38,62,85,557	3,34,484	33,47,64,924
जोड़			**8,03,57,84,691**		**7,45,25,12,989**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) स्थायी परिसंपत्तियां					
(i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण	8	2,29,08,194		12,40,609	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		28,72,205		43,98,591	
(iii) कार्यशील पूंजी		-		35,09,584	
		2,57,80,399		91,48,784	
(ख) गैर-चालू निवेश	9	13,00,00,000		13,00,00,000	
(ग) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	23,56,521		17,16,687	
(घ) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	5,52,000		2,35,000	
(ङ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	6,14,08,56,956	6,29,95,45,878	5,44,14,06,480	5,58,25,06,951
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) व्यापार प्राप्य	13	1,46,94,459		3,66,66,485	
(ख) रोकड़ और बैंक शेष	14	1,61,56,66,589		1,72,63,56,915	
(ग) लघुकालिक ऋण और अग्रिम	15	4,34,549		1,17,01,138	
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	10,54,43,216	1,73,62,38,813	9,32,81,500	1,87,00,06,038
			8,03,57,84,691		**7,45,25,12,989**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरणों पर नोट सहित 1 - 41

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएएवाई4832

स्थान: नई दिल्ली

तिथि: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन : 03532374)

हस्ता.
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ता.
(पी.के. अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.
(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष - कोरपोरेट मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)
I. **परिचालन से आमदनी**	17	13,28,00,400	14,97,98,523
II. अन्य आय	18	9,24,41,716	10,04,21,401
III. कुल आमदनी (I+II)		22,52,42,116	25,02,19,924
IV. व्यय			
- कर्मचारी हितलाभ व्यय	19	5,07,34,886	4,91,18,158
- मूल्यह्रास व्यय	20	68,23,649	26,34,196
- अन्य व्यय	21	12,70,53,348	13,89,49,165
V. कुल व्यय		18,46,11,883	19,07,01,519
VI. **कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-V)**		**4,06,30,233**	**5,95,18,405**
VII. कर व्यय			
- चालू वर्ष		1,22,16,066	1,60,52,300
- पिछले वर्ष		7,732	47,342
- आस्थगित कर दायिता /(परिसंपत्ति)		(6,39,832)	(2,02,622)
VIII **कर पश्चात अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VI-VII)**		2,90,46,267	4,36,21,385
IX. **10/- रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर आमदनी**			
- आधार/तनूकृत		**0.29**	**0.44**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
वित्तीय विवरणों पर नोट सहित	1 - 41		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएवाई4632

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ता.
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ता.
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ता.
अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को नकदी प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
कर पूर्व शुद्ध लाभ		4,06,30,233		5,95,18,405	
समायोजन हेतु:					
मूल्यह्रास		68,23,649		26,34,196	
खारिज की गई परिसंपत्तियों की हानि		2,11,346		2,61,604	
ब्याज आय		(8,31,80,413)		(7,39,46,140)	
असाधारण मद और कार्यशील पूंजी परिवर्तन पूर्व परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी		(3,55,15,185)		(1,15,31,935)	
अपवादिक मदें		-		-	
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(क)	(3,55,15,185)		(1,15,31,935)	
समायोजन हेतु:					
व्यापार एवं अन्य प्राप्य में (वृद्धि)/कमी		3,25,57,368		98,87,70,630	
व्यापार देय और अन्य देय में वृद्धि/(कमी)		5,22,95,081		(46,60,28,763)	
करों का रिफंड/(भुगतान) (टीडीएस सहित)		(2,20,21,272)		(2,25,11,693)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	(ख)	6,28,31,177		50,02,30,173	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(क)+(ख)		2,73,15,992		48,86,98,238
ख. पूंजी निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
परियोजना विकास व्यय में (निवेशित)		(74,52,54,031)		(95,82,24,855)	
निवेश की (खरीद)/बिक्री		-		-	
स्थायी परिसंपत्तियों की (क्रय)/बिक्री		(2,36,66,608)		(42,09,157)	
बैंक के पास जमा में (वृद्धि)/कमी		97,36,618		18,09,646	
ब्याज आय		8,31,80,413		7,39,46,140	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी(प्रयुक्त)			(67,60,03,608)		(88,66,78,226)
ग. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
परियोजना विकास निधि		54,77,33,908		1,05,23,52,852	
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)			54,77,33,908		1,05,23,52,852
घ. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी)			(10,09,53,708)		65,43,72,864
इ. वर्ष की शुरुआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य			1,71,66,20,297		1,06,22,47,433
च. वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (संदर्भ नोट सं. 14)			1,61,56,66,589		1,71,66,20,297

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
एसएसआर एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ता.
सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन: 20098267एएएएवाई4632

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता.
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ता.
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ता.
(पी.के. अग्रवाल)
मुख्य वित्तीय अधिकारी

हस्ता.
(अभिषेक चौधरी)
उपाध्यक्ष - कोरपोरेट मामलें, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन नीतियों (इंडियन जीएएपी) के अनुपालन में तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा पर प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्षों में की गई अनुपालन नीतियों के समान है।

ख) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी के प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों एवं दायित्वाओं की राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक दायित्वाओं के प्रकटन और रिर्पोट की गई अवधि के दौरान आमदनी एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती है। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाने जाते हैं जब परिणाम ज्ञात /फलीभूत होते हैं।

ग) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को लागत मॉडल अर्थात संचयी मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर लागत पर प्रकट किया गया है;

ii) अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार खर्चों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग के लिए तैयार हो, जैसा प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है;

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर बाद में होने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इससे जुड़े संभावित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। मरम्मत और संरक्षण लागतों को जब वहन किया जाता है, तब उन्हें लाभ एवं हानि खाते में अविवादित किया जाता है;

iv) परिसंपति की बिक्री अथवा निवृति पर लागत और संबंधित संचयी मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले मुनाफे एवं घाटे को लाभ एवं हानि विवरण में दिखाया जाता है। निपटान किए जाने वाली परिसंपत्तियों को उनकी लेखों में मौजूद कीमत अथवा उचित मूल्य को बिक्री में आई लागत से घटाकर, दोनों में से जो कम हो, उस कीमत पर दिखाया जाता है;

v) कंपनी परिसंपति, संयंत्र और उपकरण को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास करती है। निम्नलिखित परिसंपत्तियों जिनकी उपयोगी जीवन अनुसूची II में निर्धारित किए से इतर है, इसके सिवाए सभी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है:

विवरण	मूल्यह्रास	औचित्य
- कार्यालय नवीकरण व्यय	पूंजीकरण की तिथि से कार्यालय की लीज अवधि में एकसमान रूप से परिशोधित किया जाता है।	परिसंपत्तियां स्थायी प्रकृति की होती है और इसलिए लीज की अवधि में समाप्त किया जाता है।

vi) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन, और अवशेष मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

घ) कार्यशील पूंजी

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अधिग्रहण के लिए अग्रिमों को "अन्य अस्थायी परिसंपत्तियों" के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस तिथि तक उपयोग नहीं की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत को "कार्यशील पूंजी" में प्रदर्शित किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ङ) अमूर्त परिसंपतियां

i) अमूर्त परिसंपतियों की अधिग्रहण लागत को संचित परिशोधन/कमी और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाते हुए दिखाया जाता है।

ii) अमूर्त परिसंपतियों को स्ट्रैट लाइन मैथड पर खरीद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

च) परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट और अन्य औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं जैसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (एकेआईसी), बैंगलूरू मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (बीएमआईसी), कोच्चि से कोयम्बतूर तक विस्तार सहित चेन्नई बैंगलूरू इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (सीबीआईसी) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के भाग के रूप में विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (वीसीआईसी) के लिए विभिन्न परियोजनात्मक विकास/प्रारंभिक गतिविधियों के लिए परियोजना विकास निधि का अनुमोदन दिया है। तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार/नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) कहा जाता था, से प्राप्त अनुदान जिसे लेखांकन मानक (एएस-12) के अनुसार तुलनपत्र में "पूंजी आरक्षित कोष" के अंतर्गत दिखाया गया है। फंड पर अर्जित ब्याज को परियोजना विकास निधि में जोड़ा जाता है। भविष्य में फंड के किसी भाग के रिफंड योग्य होने पर इसे पूंजी आरक्षित कोष से घटाया जाएगा।

छ) परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न परियोजनात्मक विकास गतिविधियों के लिए परियोजना विकास निधि (पीआईएफ) का अनुमोदन दिया है। तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार/नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) कहा जाता था, से प्राप्त अनुदान जिसे लेखांकन मानक (एएस-12) के अनुसार तुलनपत्र में "पूंजी आरक्षित कोष" के अंतर्गत दिखाया गया है। उपरोक्त पर अर्जित ब्याज, लाभांश अथवा अन्य आय को परियोजना कार्यान्वयन निधि में जोड़ा गया है। भविष्य में फंड के किसी भाग के रिफंड योग्य होने पर इसे पूंजी आरक्षित कोष से घटाया जाएगा।

ज) परियोजना विकास व्यय (पीडीई)

औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास गतिविधियों संबंधी सभी व्यय निम्नानुसार प्रदर्शित किए जाते है:

i) जहां तक कंपनी की सहायोगी कंपनी और परियोजनाओं, जिनके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) कहा जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच विशेष प्रयोज्य योजनाओं (एसपीवी) को गठित किया गया था और जहां कहीं भी इस प्रकार की वसूली के लिए एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसी(यों) के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट व्यवस्था करता है, तो इसे संबंधित सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित किया जाता है और "गैर-चालू परिसंपतियों" शीर्ष के अंतर्गत प्राप्य के रूप में दिखाया जाता है;

ii) उन परियोजनाओं पर वहन किए गए जो अभी शुरू नहीं की गई अथवा जिन पर अन्य गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है, तो इसे 'पूंजी आरक्षित कोष' के अंतर्गत ' परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है; और

iii) उपरोक्त पैरा (i) और (ii) में शामिल नहीं किए गए व्यय को 'गैर-चालू परिसंपितयों' शीर्ष के अंतर्गत 'परियोजना विकास व्यय' के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

झ) दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अधिग्रहण की लागत सहित वास्तविक लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी से इतर किसी रूप से कमी आने पर दीर्घकालिक निवेश की लागत में कमी की पहचान करने के लिए बुक वैल्यू को घटाया जाता है। किसी निवेश की कीमत की जानकारी इसकी बाजार कीमत, निवेशक की परिसंपत्ति और परिणाम और निवेश से संभावित नकदी प्रवाह विवरण से इसके संदर्भ द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ञ) राजस्व मान्यता

i) ब्याज आय को उपचय आधार पर लिया गया है।

ii) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

iii) 26 जुलाई, 2016 से प्रभाव में आए परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) में से विभिन्न परियोजनाओं को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) कंपनी द्वारा सौंपी गई सेवा के लिए सर्विस फीस को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

iv) नॉलिज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड को दी गई सेवा के प्रति वार्षिक आंतरिक प्रोद्भवन की 1 प्रतिशत की दर से (10 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम 5.00 करोड़ रुपए और अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन) वार्षिक सेवा फीस को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।

ट) लीज

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। लीज एग्रीमेंट के अनुसार परिचालन लीज भुगतानों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में दिखाया जाता है।

ठ) विदेशी मुद्रा में लेन-देन

विदेशी मुद्रा में लेन-देन/व्यय को लेन-देन की तिथि पर विनिमय की प्रचलित बाजार दर और विदेशी मुद्रा में आय को इन मुद्राओं से वसूली गई कीमत पर लेखाबद्ध किया जाता है।

ड) कर्मचारी हितलाभ

i) कंपनी ने वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूएटी भुगतान अधिनियम, 1972 और ग्रेच्यूएटी भुगतान (केन्द्रीय) नियम, 1972 के अनुसार प्रावधान किए है।

ii) कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आए सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लेखाबद्ध किया है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ढ) आयकर

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। भारत में पारित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान आयकर को कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। आस्थगित आयकर वर्ष के लिए कर-योग्य आय और लेखा आय के बीच चालू वर्ष के समय के अंतर और पिछले वर्षों के समय के अंतर के उत्क्रमण का प्रभाव दर्शाता है।

आस्थगित कर को कर दरों और पास किए गए कर नियमों अथवा तुलन पत्र की तिथि को पास किए कानूनों के आधार पर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वाओं को समायोजित किया जाता है, यदि मौजूदा कर परिसंपत्तियों के विरुद्ध वर्तमान कर दायित्वाओं को समायोजित करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब वहां पर्याप्त रूप से निश्चितता हो कि इनके विरुद्ध भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सम्पादित किया जा सकेगा। उस स्थिति में जहां कंपनी के पास असमाहित मूल्यह्रास अथवा अग्रेषित कर हानियां हों, सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब वहां वास्तव में प्रभावी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो कि उन्हें भावी कर योग्य लाभ के विरुद्ध वसूला जा सकता है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को कंपनी पहचानी नहीं गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमूल्यांकन करती है। यह ना पहचानी गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस सीमा तक की जाती है जहां यह पर्याप्त रूप से निश्चित अथवा आभासी रूप से निश्चित हो कि जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकता है।

कंपनी उस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बुक वैल्यू को कम दिखाती है जहां यह पर्याप्त रूप से निश्चित अथवा आभासी रूप से निश्चित ना हो, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकेगा । इस प्रकार के किसी भी कम लिखी गई राशि को उस सीमा तक बदला जाता है जब यह पर्याप्त रूप से अथवा आभासी रूप से, जैसा भी मामला हो, निश्चित हो कि पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी।

मैट क्रेडिट को एक परिसंपति के रूप में केवल तभी और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब प्रभावी रूप से साक्ष्य हो कि कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकरों का भुगतान करेगी।

ण) प्रावधान, आकस्मिक दायित्वाएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाता है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायित्व हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बहिर्वाह के संबंध में दायित्व का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बट्टागत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायित्वाओं को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती और इन्हें नोट में प्रकट किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

वित्तीय विवरणों पर नोट

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 1: शेयर पूंजी		
1.0 प्राधिकृत		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी		
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए कीमत वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000

1.1 बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य निम्नानुसार दिया गया है:

	शेयरों की सं.	रुपए (₹)	शेयरों की सं.	रुपए (₹)
वर्ष की शुरूआत में इक्विटी शेयरों की संख्या	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयरों की संख्या	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000

1.2 5 प्रतिशत से अधिक धारित रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा

	धारिता %	शेयरों की सं.	धारिता %	शेयरों की सं.
भारत के राष्ट्रपति (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने का पात्र है। शेयरधारकों के पास लाभांश एवं पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई विशेष अधिकार नहीं है।

नोट 2 : आरक्षित और अधिशेष				
2.0 पूंजी आरक्षित निधि				
(क) परियोजना विकास निधि				
[संदर्भ लेखांकन नीति सं. (च)]				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		5,82,50,27,000		4,78,50,27,000
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		52,70,00,000		1,04,00,00,000
		6,35,20,27,000		5,82,50,27,000
जोड़े				
:- पिछले वर्षों तक अर्जित ब्याज	29,26,17,655		28,02,64,803	
- मौजूदा वर्ष के दौरान निक्षेपों पर अर्जित ब्याज (पिछले वर्ष के 2,47,330/- रुपए सहित)	2,07,33,907	31,33,51,562	1,23,52,852	29,26,17,655
		6,66,53,78,562		6,11,76,44,655
घटाए: वसूल न जा सकने वाले परियोजना विकास व्यय		37,98,70,926		33,40,67,373
[संदर्भ लेखांकन नीति सं. (ज)]				
	(क)	6,28,55,07,636		5,78,35,77,282
(ख) परियोजना कार्यान्वयन निधि				
[संदर्भ लेखांकन नीति सं. (छ)]				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		13,00,00,000		13,00,00,000
	(ख)	13,00,00,000		13,00,00,000
2.1 लाभ एवं हानि लेखा				
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार		19,99,10,583		15,62,89,198
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के लिए लाभ(हानि)		2,90,46,267		4,36,21,385
	(ग)	22,89,56,850		19,99,10,583
	जोड़ (क + ख + ग)	6,64,44,64,486		6,11,34,87,865

वित्तीय विवरणों पर नोट

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 3: अन्य दीर्घकालिक दायित्वाएं			
- निष्पादन प्रतिभूति		10,00,000	10,00,000
	जोड़	**10,00,000**	**10,00,000**
नोट 4: दीर्घकालिक प्रावधान			
- कर्मचारी हितलाभ प्रावधान (ग्रेच्यूएटी) (संदर्भ नोट सं. 34)		40,34,648	32,60,200
	जोड़	**40,34,648**	**32,60,200**
नोट 5: व्यापार देय			
(i) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 35)		-	-
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया		34,67,21,642	29,04,56,960
	जोड़	**34,67,21,642**	**29,04,56,960**
नोट 6: अन्य चालू दायित्वाएं			
- सांविधिक दायित्वाएं		1,94,81,099	3,59,79,182
- देय भविष्य निधि		5,61,281	4,45,672
- अन्य देय व्यय		1,88,87,331	75,48,626
	जोड़	**3,89,29,711**	**4,39,73,480**
नोट 7: लघुकालिक प्रावधान			
- कर्मचारी हितलाभ का प्रावधान (ग्रेच्यूएटी और अवकाश नकदीकरण) (संदर्भ नोट सं. 34)		6,34,204	3,34,484
	जोड़	**6,34,204**	**3,34,484**

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 8: स्थायी परिसंपत्तियां

रुपए (₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास					शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को	वर्ष के दौरान		31.03.2020 तक	01.04.2019 तक	वर्ष के लिए	पिछले वर्ष के लिए	अन्य समायोजन	31.03.2020 तक	31.03.2020 को	31.03.2019 को
		संवर्धन	कटौती								
I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण											
क. फर्नीचर एवं फिक्सचर	14,74,996	50,69,077	13,01,444	52,42,629	12,64,458	10,71,806	-	(11,21,838)	12,14,426	40,28,203	2,10,538
ख. कार्यालय उपकरण	46,17,073	93,84,367	10,56,369	1,29,45,071	40,06,136	28,40,127	-	(10,02,540)	58,43,723	71,01,348	6,10,937
ग. विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	1,08,098	13,01,649	28,908	13,80,839	58,695	1,78,443	-	(16,246)	2,20,892	11,59,947	49,403
घ. कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	31,97,725	16,65,654	3,16,825	45,46,554	28,27,994	7,01,547	-	(3,00,984)	32,28,557	13,17,997	3,69,731
ङ. अन्य											
कार्यालय नवीकरण व्यय	43,86,960	97,64,514	-	1,41,51,474	43,86,960	4,63,815	-	-	48,50,775	93,00,699	-
जोड़	1,37,84,852	2,71,85,261	27,03,546	3,82,66,567	1,25,44,243	52,55,738	-	(24,41,608)	1,53,58,373	2,29,08,194	12,40,609
पिछले वर्ष (31.03.2019)	1,45,99,392	5,63,862	13,78,402	1,37,84,852	1,25,89,305	10,71,736	-	(11,16,798)	1,25,44,243	12,40,609	20,10,087
II. अमूर्त परिसंपत्तियां											
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911	-	-	52,90,338	28,72,205	43,98,591
जोड़	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911	-	-	52,90,338	28,72,205	43,98,591
पिछले वर्ष (31.03.2019)	79,85,307	1,35,711	-	81,21,018	21,59,967	15,59,606	2,854	-	37,22,427	43,98,591	58,25,340

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 9 : गैर-चालू निवेश		
गैर-व्यापार निवेश (अन-उद्धृत पूर्णतः चुकता, लागत पर)		
(क) भारत सरकार की पीआईएफ से किया गया निवेश		
सहयोगी कंपनी के इक्विटी शेयरों में निवेश		
i) डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड		
10/- रुपए वाले 1,30,00,000 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर*	13,00,00,000	13,00,00,000
अन-उद्धृत निवेश की समग्र राशि	**13,00,00,000**	**13,00,00,000**

* आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) के अनुमोदन के अनुसार, 8.00 मेगा वाट मॉड्यूल सोलर पॉवर प्रोजेक्ट क्रियान्वित करने के लिए एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) द्वारा ट्रस्ट की 100 प्रतिशत इक्विटी निवेश के लिए एसपीवी यथा "डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड" को जारी करने के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान ट्रस्ट की मुख्य निधि/पूंजी निधि में से नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (जिसे पूर्व में डीएमआईसीडीसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फंड के रूप में जाना जाता था) द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को 13,00,00,000/- (तेरह करोड़ रुपए केवल) की राशि अंतरित की गई थी। इस प्रकार के निवेश से अपस्ट्रीम एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) के माध्यम से ट्रस्ट में वापस आएंगे।

नोट 10 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां

आस्थगित कर परिसंपत्तियां :		
- स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित	10,58,091	7,16,608
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारी के हितलाभ एवं भत्तों से संबंधित	12,98,430	10,00,079
	23,56,521	17,16,687
आस्थगित कर दायित्वाएं	-	-
जोड़	**23,56,521**	**17,16,687**

नोट 11 : दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

(असुरक्षित, लेकिन अच्छा माना जाता है)		
- प्रतिभूति	5,52,000	2,35,000
जोड़	**5,52,000**	**2,35,000**

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 12 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
(क) परियोजना विकास व्यय (पीडीई)		
भारत सरकार की परियोजना विकास निधि में से पीडीई		
- पिछले वर्ष के अनुसार	98,54,71,322	93,59,88,766
- अवधि के दौरान वहन किया गया	74,64,16,179	95,82,24,855
	1,73,18,87,501	1,89,42,13,621
घटाएं: सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित राशि (संदर्भ लेखांकन निति सं. (ज) एवं नोट सं. 24)	(64,84,25,342)	(79,69,84,131)
घटाएं: परियोजना विकास निधि को अंतरण (संदर्भ लेखांकन नीति सं. (ज)]	(4,58,03,553)	(11,17,58,168)
जोड़ (क)	**1,03,76,58,606**	**98,54,71,322**
(ख) एसपीवी को अंतरित परियोजना विकास व्यय (संदर्भ नोट संख्या 24)		
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	1,76,93,26,213	1,46,97,03,648
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2,91,46,67,473	2,59,99,60,739
- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	6,59,998	50,91,152
- डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	8,48,84,336	8,08,02,244
- डीएमआईसी हरियाणा एमएमएलएच प्रोजेक्ट लिमिटेड	4,84,10,060	3,88,65,417
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	6,87,12,587	6,87,12,587
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	5,07,54,677	5,07,54,677
- आईआईटी ग्रेटर नोएडा लिमिटेड	7,45,06,230	7,45,06,230
- एनआईसीडीआईटी कृष्णापट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	9,19,36,776	7,26,29,616
	5,10,38,58,350	**4,46,10,26,310**
घटाएं अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (संदर्भ नोट सं. 16)	(6,59,998)	(50,91,152)
जोड़ (ख)	**5,10,31,98,352**	**4,45,59,35,158**
जोड़ (क+ख)	**6,14,08,56,958**	**5,44,14,06,480**
नोट 13: व्यापार प्राप्य		
असुरक्षित, लेकिन अच्छे समझे जाते हैं		
छः महिने से अधिक अवधि के लिए बकाया	-	-
अन्य *	1,46,94,459	3,86,66,485
	1,46,94,459	**3,86,66,485**
* निम्न से बकाया राशि शामिल है:		
- डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड (पूर्ण रूप से स्वामित्व वाली)	8,08,459	12,46,402
- इंडिया इंटरनेशनल कन्वेनशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	1,38,86,000	1,39,30,761

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 14: रोकड़ और बैंक शेष			
रोकड़ और बैंक शेष			
(क) रोकड़ और नकद समतुल्य *			
- भारत सरकार के पीडीएफ में से			
चालू खातों में बैंक के पास शेष		2,02,324	23,145
निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		48,05,56,897	63,42,25,000
- अन्य में से			
रोकड़ शेष		8,373	3,571
चालू खातों में बैंक के पास शेष		2,24,995	(9,12,154)
निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		1,13,46,75,000	1,08,32,80,735
एएस - 3 के अनुसार रोकड़ और नकद समतुल्य	जोड़ (क)	1,61,56,66,589	1,71,66,20,297
(ख) अन्य बैंक शेष			
- भारत सरकार के पीडीएफ में से		-	-
- अन्य में से			
बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के अंतर्गत निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		-	97,36,618
	जोड़ (ख)	-	97,36,618
कुल रोकड़ और बैंक शेष (क+ख)		1,61,56,66,589	1,72,63,56,915

* रोकड़ और नकद समतुल्य में कंपनी द्वारा बैंकों के पास जमा निक्षेप शामिल होते हैं जिसे कंपनी द्वारा किसी भी समय बिना किसी सूचना अथवा मूलधन पर जुर्माने पर आहरित कर सकती है।

नोट 15 : लघुकालिक ऋण और अग्रिम			
लघुकालिक ऋण और अग्रिम			
(असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे जाते हैं)			
अन्य			
- प्रतिभूति निक्षेप		-	97,36,618
- अन्य ऋण एवं अग्रिम		4,34,549	19,64,520
		4,34,549	**1,17,01,138**
नोट 16 : अन्य चालू परिसंपत्तियां			
(i) भारत सरकार के पीडीएफ में से			
- ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं		41,75,663	22,73,545
- अन्य		6,59,998	50,91,152
(ii) अन्य			
- ब्याज अर्जित लेकिन देय नहीं		6,75,34,947	6,19,36,398
- अग्रिम कर/स्रोत पर कटौती (शुद्ध प्रावधान)		1,21,49,376	94,54,129
(कर के लिए प्रावधान – 1,22,16,606/- रुपए (पिछले वर्ष - 1,71,26,662/- रुपए)			
- राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष		1,99,95,188	1,28,92,964
- पूर्वदत्त व्यय		9,28,044	16,33,312
		10,54,43,216	**9,32,81,500**

वित्तीय विवरणों पर नोट

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)
नोट 17: परिचालन से आमदनी		
सर्विस फीस [संदर्भ लेखांकन नीति सं. (ञ)]	13,28,00,400	14,97,98,523
जोड़	**13,28,00,400**	**14,97,98,523**
नोट 18 : अन्य आय		
पीडीएफ से इतर राशि की एफडी पर ब्याज (पिछले वर्ष के 4,00,796/- रुपए सहित)	8,31,80,413	7,39,46,140
बिड प्रोसेसिंग फीस	-	2,50,000
वसूलनीय किराया और बिजली व्यय	66,44,305	2,49,37,106
विविध आय	820	1,05,455
सहयोगी कंपनियों के प्रशासनिक और अन्य सामान्य ऊपरी व्ययों का संविभाजन	26,16,178	11,82,700
जोड़	**9,24,41,716**	**10,04,21,401**
नोट 19 : कर्मचारी हितलाभ व्यय		
वेतन, मजदूरी और भत्ते (संविदागत कर्मचारियों सहित)	4,28,79,129	4,18,53,273
भविष्य/पेंशन निधि में योगदान	32,63,075	36,84,853
ग्रेच्यूएटी	13,08,546	9,73,571
अवकाश नकदीकरण	1,60,658	1,63,782
वर्दीफा	2,79,145	1,57,700
कर्मचारी कल्याण व्यय	28,44,333	22,84,979
जोड़	**5,07,34,886**	**4,91,18,158**

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)
नोट 20 : मूल्यह्रास			
वर्ष के लिए (संदर्भ नोट सं. 8)		68,23,849	26,31,342
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए (संदर्भ नोट सं. 8)		-	2,854
	जोड़	68,23,649	26,34,196
नोट 21 : अन्य व्यय			
किराया		5,66,79,394	5,72,11,956
लेखा परीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट सं. 29)		4,35,100	4,35,100
विज्ञापन और सार्वजनिक सूचना व्यय		4,48,968	19,93,600
व्यापार संवर्धन व्यय		4,37,41,544	5,65,03,664
सीएसआर व्यय		21,20,824	-
बिजली व्यय		8,39,673	6,52,977
विदेश यात्रा व्यय		3,20,604	23,38,798
पेशेवर एवं परामर्श व्यय		26,45,172	55,39,153
बैठक एवं जलपान व्यय		3,88,728	6,83,815
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय		37,77,248	6,49,494
आईटी व्यय		29,21,718	25,66,987
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी		19,33,021	19,59,018
सूचना एवं डाक प्रभार व्यय		14,63,594	15,56,112
यात्रा एवं परिवहन व्यय		54,79,248	50,79,460
बीमा व्यय		25,119	48,798
निदेशकों के बैठक में उपस्थित होने हेतु फीस		2,40,000	1,30,800
बिक्री पर हानि/परिसंपत्तियों की हानि		2,11,346	2,61,604
पूर्व अवधि व्यय		33,315	89,928
अन्य व्यय		33,48,732	12,47,901
	जोड़	12,70,53,348	13,89,49,165

लेखों पर नोट

22 भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग), भारत सरकार ने दिनांक 12 जनवरी, 2017 के पत्र सं. 11/1/2016-आईसी द्वारा भारत सरकार का अनुमोदन सूचित करते हुए आदेश प्रेषित किया कि कंपनी अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलिज पार्टनरों के आने तक अपने डीएमआईसी प्रोजेक्ट के अतिरिक्त सभी औद्योगिक गलियारों के संबंध में नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के लिए नॉलिज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी। बढ़ाए गए मैण्डेट को देखते हुए 17 फरवरी, 2020 से कंपनी का नाम दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) से बदलकर नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (एनआईसीडीसी) कर दिया गया।

23 निदेशक मंडल के विचार में, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी परिसंपत्तियों, ऋण एवं अग्रिमों की कीमत कम से कम व्यापार की सामान्य अवधि में प्राप्य कीमत के बराबर है और वर्ष से संबंधित सभी ज्ञात दायित्वों को प्रकट किया गया है। व्यापार देय, प्राप्य और अन्य प्राप्य/देय की शेष राशि को लेखा पुस्तकों में वर्णित मूल्यों पर लिया गया है और संबंधित पक्षों द्वारा पुष्टि के अधीन है।

24 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार, नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसीपीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच गठित सहयोगी कंपनी/एसपीवी के लिए प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड (पीडीएफ) से वहन किए गए परियोजना विकास व्यय (पीडीई) के मामले को 06.03.2018 को आयोजित तीसरी बैठक में एनआईसीडीआईटी के न्यासी मंडल के सामने विचार हेतु प्रस्तुत किया।
न्यासी मंडल ने सहयोगी कंपनी/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए परियोजना विकास निधि में से वहन किए गए परियोजना विकास व्यय को उल्लिखित सहयोगी कंपनी/एसपीवी को अंतरित करने का निर्देश दिया और इसकी वसूली तब तक आस्थगित करने के लिए कहा जब तक एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करने में सफल न हो जाए।

25 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने दिनांक 27.05.2016 के का.ज्ञा. सं. 5/2/2016-पॉलिसी द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) की पूंजी नवीकरण पर दिशा-निर्देश जारी किया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अध्यधीन कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत अथवा शुद्ध संपत्ति का 5 प्रतिशत,जो भी उच्चतर हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश देने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव से उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट के लिए आवेदन किया है और उत्तर प्रतीक्षित है।

इसी तरह, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी वित्तीय वर्ष 2019-20 को लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान की छूट के लिए आवेदन करेगी।

इसलिए, पिछले वर्ष के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के लिए लाभांश का प्रावधान नहीं किया गया है।

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
26 कोरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)		
I कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि		
वार्षिक सीएसआर आबंटन	11,76,901	9,43,923
पिछले वर्ष से अग्रेषित	9,43,923	-
व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	21,20,824	9,43,923
II वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि		
नकद में	21,20,824	-
अभी जिनका नकद में भुगतान किया जाना है	-	9,43,923
जोड़	21,20,824	9,43,923
27 आकस्मिक दायित्वें एवं वचनबद्धताएं (न उपलब्ध कराई गई की सीमा तक):		
(i) आकस्मिक दायित्वें	-	-
(ii) वचनबद्धताएं		
(क) अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना शेष है और प्रावधान नहीं किया गया है:		
- पूंजी लेखा	-	1,38,98,776
- परियोजना विकास गतिविधियों के मद में परामर्श अनुबंध	1,08,92,27,425	1,28,91,64,660
(ख) कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी	-	97,36,618

लेखों पर नोट

28	विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय		
	i विदेशी मुद्रा में आमदनी	-	-
	ii विदेशी मुद्रा में व्यय		
	- विदेश यात्रा व्यय	3,18,704	9,86,735
29	लेखा परीक्षकों को भुगतान		
	(i) लेखा परीक्षा फीस	2,64,000	2,64,000
	(ii) अन्य सेवाओं के लिए	1,71,100	1,71,100
		4,35,100	4,35,100
30	संबंधित पार्टी प्रकटन		

i इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'संबंधित पार्टी प्रकटन' (एएस-18) पर लेखांकन मानकों के अनुसार, संबंधित पार्टियां निम्नानुसार है:

क	**कंपनी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण रखने वाले उपक्रम**		
	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन	जी हां	जी हां
ख	**सहयोगी कंपनियां**		
	डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड	जी हां	जी हां
ग	**संबंद्ध/सहयोगी**		
	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	जी हां	जी हां
घ	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)**		
	श्री के संजय मूर्ति (18 नवंबर, 2019 से)	जी हां	जी नहीं
	श्री अल्केश कुमार शर्मा (15 सितंबर, 2019 तक)	जी हां	जी हां
	श्री प्रशांत कुमार बलसावर (17 जून 2019 से 5 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी नहीं
	श्री राजेंद्र रत्नू (19 सितंबर 2019, से 17 नवंबर, 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी नहीं
ङ	**उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है**		
	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (17 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी हां

लेखों पर नोट

ग्रेच्यूएटी (अनिधिक)

	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
लाभ और हानि विवरण में व्यय का समाधान विवरण		
वर्ष के अंत में दायित्व की मौजूदा कीमत	45,08,194	34,30,902
वर्ष की शुरुआत में दायित्व की मौजूदा कीमत	34,30,902	24,57,331
भुगतान किए गए हितलाभ	(2,31,254)	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	13,08,546	9,73,571
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
वर्ष की शुरुआत में नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-
भुगतान किए गए हित लाभ	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत		
वर्ष की शुरुआत में नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत	-	-
निधियों की स्थिति	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों का अनुमानित प्रतिफल पर वास्तविक का आधिक्य	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय		
चालू सेवा लागत	8,49,601	7,21,462
विगत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	2,31,586	1,90,443
नियोजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	-	-
परित्याग लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
वर्ष में शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,27,359	61,666
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	13,08,546	9,73,571

लेखों पर नोट

मान्यताएं:

छूट की दर	6.75% प्रति वर्ष	7.75%प्रति वर्ष
भावी वेतनवृद्धि	6% प्रति वर्ष	6% प्रति वर्ष
नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	-	-

भावी वेतन वृद्धि का अनुमान, रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग सहित मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकित मूल्यांकन पर विचार करते हुए अनुमान लगाया जाता है।

उपरोक्त सूचना 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए बीमांकिक वैल्यूअर द्वारा प्रमाणित है।

छूट की दर मूल्यांकन की तिथि पर प्रचलित बाजार प्राप्तियों के आधार पर है।

35 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को बकाया का ब्यौरा

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत उनके पंजीकरण और अर्हता के संबंध में सभी व्यापार देयों की पुष्टि के अभाव में वर्ष के अंत में इस प्रकार के उपक्रमों को बकाया की राशि को 'सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं को कुल बकाया' के अंतर्गत प्रदर्शित किया गया है।

36 परिचालन लीज

कंपनी ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी के होटल अशोक में दो (02) कार्यालय स्थलों को अध्यर्पित कर दिया है जिसे लीज पर लिया गया था। कंपनी ने 10 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में जीवन भारती भवन के 8वें तल पर एक कार्यालय स्थल लाइसेंस पर लिया है। अवधि के लिए लाभ और हानि विवरण में स्वीकार की गई लाइसेंस फीस 5,66,79,394/- रुपए (पिछले वर्ष 5,72,11,956/- रुपए) है।

37 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में कंपनी द्वारा वहन किया गए विज्ञापन और प्रकाशन व्यय इसके लिए प्राप्त बिड प्रोसेसिंग फीस से घटाकर इसे परियोजना विकास व्यय में अंतरित किया गया है।

38 औद्योगिक गलियारों की समग्र योजना, विकास, निधिकरण, कार्यान्वयन, परिचालन, पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु एक एकीकृत समर्पित संस्थानिक ढांचे के लिए अन्य औद्योगिक परियोजनाओं यथा अमृतसर कोलकाता इन्वेस्टमेंट रीजन (एकेआईसी), बेंगलूरु मुंबई इकोनोमिक कोरिडोर (बीएमईसी) और कोयलम्बूर के रास्ते कोच्चि के विस्तार सहित चेन्नई बेंगलूर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) तथा ईस्ट कॉस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के भाग के रूप में विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) को शामिल करने हेतु भारत सरकार ने दिनांक 07.12.2016 को मंत्रिमंडल निर्णय द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के रूप में विदित) के मैन्डेट को विस्तारित किया। अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलिज पार्टनर के आने तक, एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) अन्य औद्योगिक गलियारों में भी नॉलिज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी।

लेखों पर नोट

39 31 मार्च, 2020 को कानूनी स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	याचिका संख्या एवं तिथि	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	विचाराधीन मामला	संक्षिप्त ब्यौरा
1	9282/2015	सुभ राम एवं अन्य	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य	राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित	काउंटर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाय और याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में दर्ज याचिका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित याचिका के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा भी प्रत्युत्तर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।
2	6649/2018	इरशाद मोहम्मद खान एवं अन्य	एनआईसीडीसी लिमिटेड एवं अन्य	औरंगाबाद में जयकवाड़ी डैम से शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क तक पानी की पाइपलाइन से संबंधित	18.01.2019 को एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी। याचिका मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद में 18.01.2019 को प्रस्तुत की गई। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।

40 कंपनी के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

अपने आंकलन और अपने व्यापार के स्वरूप के आधार पर कंपनी विश्वास करती है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का कंपनी के परिचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

41 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुसार जहां कहीं आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन: वर्गीकृत और पुन: संयोजित किया गया है।

समसंख्यक तिथि को संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
एसएसएआर एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ताक्षर
सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन: 20098267एएएएवाई4632
स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर
(अभिषेक चौधरी)
(उपाध्यक्ष - कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

समेकित वित्तीय विवरणो पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सदस्य,

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

क) हमने **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** (जिसे बाद में "नियंत्रक कंपनी" कहा गया है) और उसकी सहयोगी कंपनियों (नियंत्रक कंपनी और सहयोगी कंपनी को साथ मिलाकर "समूह" कहा गया है) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ एवं हानि विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (जिसे बाद में "समेकित वित्तीय विवरण" कहा गया है) शामिल है।

ख) हमारे अभिमत में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचना और उस पर दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित विवरण अपेक्षित सूचना देते हैं जैसे कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षा की गई है और 31 मार्च, 2020 को समूह के मामलों की समेकित स्थिति, और उक्त तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और उनके समेकित नकदी प्रवाह पर अधिनियम की धारा 133 जिसे समय-समय पर संशोधित कंपनी (भारतीय लेखा परीक्षा मानक) नियम, 2006 के साथ पढ़ा जाए और भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप सत्य और सही दृष्टिकोण देते हैं।

अभिमत का आधार

हमने अधिनियम (लेखा परीक्षा मानक) की धारा 143(10) के अंतर्गत विर्दिनिष्ट लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षा की है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे दायित्व का उल्लेख हमारी रिपोर्ट समेकित वित्तीय विवरण खंड में लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के दायित्वों में आगे बताया गया है। हम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार, समूह से स्वतंत्र है जो अधिनियम के प्रावधानों और उस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक है, हमने इन अपेक्षाओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी नैतिक दायित्वों को पूरा किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर्याप्त है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा के लिए आधार उपलबध कराने के लिए उचित है।

समेकित वित्तीय विवरणों और तत्संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट से इतर सूचना

1. नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट सहित रिपोर्ट के अनुलग्नक व्यापार दायित्व रिपोर्ट और कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल है लेकिन समेकित वित्तीय विवरण और तत्संबंधी हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है।
समेकित वित्तीय विवरण पर हमारा अभिमत अन्य सूचना को शामिल नहीं करता है और हम तत्संबंधी निकाले गए निष्कर्षों पर कोई आश्वासन नहीं देते हैं।

2. समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में हमारा दायित्व अन्य सूचना का अध्ययन करना है और ऐसा करते हुए यह विचार करना कि क्या यह समेकित वित्तीय विवरणों के साथ अथवा हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से असंगत है या अन्य रूप से अस्पष्ट है।

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई कथन असत्य है तो, हमें तथ्य को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई तथ्य नहीं है।

अन्य मामलें

हमने सहयोगी कंपनी, डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिसके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को 3107.97 लाख रुपए की कुल परिसंपत्ति, 971.26 लाख रुपए की कुल आमदनी और उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 18.80 लाख रुपए का शुद्ध नकदी प्रवाह प्रदर्शित करते हैं, जैसा समेकित वित्तीय विवरणों में माना किया गया है। ये वित्तीय विवरण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत राशि और सहयोगी कंपनी के संबंध में प्रकटन से संबंधित है, और जहां तक सहयोगी कंपनी का संबंध है, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट पूर्णतः अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

क) नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो लेखांकन मानकों और भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय निष्पादन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं। कंपनी का निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ियों एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार लेखांकन दस्तावेजों की पर्याप्त रूप से देखरेख, उचित लेखांकन नीतियों का चयन और उपयोग करना;

उचित एवं विवेकदर्शी निर्णय लेना और अनुमान लगाना और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए परिचालन में थे, जो समेकित वित्तीय विवरणों जो सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करते हैं और किसी भी गलत कथन, जो चाहे धोखाधडी से हो अथवा चूक से हो, उससे मुक्त रखते हो, उसे तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है।

ख) समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल सतत् आधार पर जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, सतत् आधार पर संबंधित मुद्दों को प्रकट करना, जहां लागू हो और लेखांकन पर सतत् आधार के उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है, बशर्ते नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह का व्यापार परिसमापन करना चाहता हो अथवा परिचालन रोकना चाहता हों अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उपाय न हो। नियंत्रक कंपनी का निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी है।

लेखा परीक्षक के उत्तरदायित्व

क) हमारा उद्देश्य उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समेकित वित्तीय विवरण पूर्ण रूप से किसी गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी से अथवा चूक से, मुक्त है और हमारे अभिमत सहित लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित रूप से आश्वासन, उच्च श्रेणी का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भी मौजूद गलत कथन को ढूंढ लेगी। गलत कथन धोखाधड़ी अथवा चूक के कारण हो सकते हैं और अगर इन समेकित विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय चाहे वह निजी रूप से हो अथवा समग्र रूप में, आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की आशा हो, तो यह महत्वपूर्ण माने जाते है।

ख) लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किसी लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते है और लेखा परीक्षा में पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम निम्न भी करते हैं:

i) समेकित वित्तीय विवरणों की भौतिक गलत बयानी के जोखिम की पहचान तथा मूल्यांकन करना, भले वो धोखाधड़ी या चूक के कारण हो, उन जोखिमों पर प्रतिक्रियाशील लेखा परीक्षा प्रणाली डिजाइन व निष्पादित करते हैं, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो हमारे अभिमत के लिए आधार उपलब्ध कराने हेतु पर्याप्त व उपयुक्त हों । धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलतबयानी का पता न लग पाने का जोखिम चूक के परिणामस्वरूप पता न लग पाने के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाज़ी , इरादतन चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है;

ii) लेखा परीक्षा प्रक्रिया को डिजाइन करने के संबंध में लेखा परीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना जो उस स्थिति में उचित हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है कि क्या समूह के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और प्रभावी रूप से कार्य कर रही है;

iii) प्रयुक्त लेखांकन नीतियों के औचित्य तथा लेखांकन अनुमानों की विश्वसनीयता तथा प्रबंधन वर्ग द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना;

iv) प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, प्रबंधन द्वारा लेखांकन के सतत् आधार के प्रयोग की उपयुक्तता का निष्कर्ष निकालना कि क्या घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो एक सतत् आधार में जारी रहने के लिए समूह की क्षमता पर संदेह पैदा करती है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इस ओर ध्यान आकर्षित करना है और यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं तो अपना मत संशोधित करना अपेक्षित है। हमारा निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अब तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित है। तथापि, भविष्यगत घटनाएं या परिस्थितियां समूह को सतत् आधार पर जारी रहने के लिए रोक सकती है;

v) प्रकटनों सहित समेकित वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतिकरण, उनकी संरचना एवं विषय-वस्तु, तथा इस आशय का मूल्यांकन करना कि क्या समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं को इस प्रकार से दर्शाया गया हैं कि वे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते है।

vi) समेकित वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर कंपनियों अथवा व्यापार संबंधी गतिविधियों की वित्तीय सूचना के संबंध में पर्याप्त उचित लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल इस प्रकार की कंपनियों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन हेतु उत्तरदायी है।

ग) भौतिकत्व समेकित वित्तीय विवरणों में गलतबयानी की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों को (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरणों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए विचार करते हैं।

घ) हम, अन्य मामलों मे, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों सहित आंतरिक नियंत्रण मे पाई गई महत्वपूर्ण कमियां जिन्हे हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचाना, अभिशासन द्वारा प्रभारित व्यक्ति, को सूचित करते हैं।

ड़) हम अभिशासन से प्रभारित व्यक्ति को वह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं, जिसका हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ अनुपालन किया है तथा उनके साथ उन सभी संबंधों तथा अन्य मामलों की सूचना देते हैं जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते है तथा जहां आवश्यक हो वहां उससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी बताते हैं।

अन्य विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा की गई अपेक्षा के अनुसार, लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार वे सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक थे;

   ख) हमारे अभिमत में उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;

   ग) इस रिपोर्ट के अनुसार जांचें गए समेकित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से रखे गए लेखों की संबंधित पुस्तकों के अनुसार है;

   घ) हमारे अभिमत में, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत लेखांकन मानकों के अनुपालन में है;

   ङ) 31 मार्च, 2020 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी के निदेशक मंडल और सहायक कंपनी और सहायक कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुसार, **31 मार्च, 2020** को अधिनियम की धारा 164 के उप खंड (2) के संदर्भ में कोई भी निदेशक, निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं है;

   च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में और इन नियंत्रणों की परिचालन प्रभाविता के लिए "अनुलग्नक क" पर हमारी पृथक रिपोर्ट देखे जो कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित है। हमारी रिपोर्ट, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभाविता पर अशोधित अभिमत व्यक्त करती हैं;

   छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार शामिल किए जाने के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अन्य मुद्दों के संबंध में, हमारे अभिमत और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:

      i) समूह पर कोई मुकदमा लंबित नहीं है, जिसका कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़े;

      ii) समूह के पास व्युत्पन्न अनुबंध सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके लिए कोई भौतिक पूर्वाभासी हानि नहीं थी;

      iii) समूह द्वारा इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में राशि अंतरित करने में कोई देरी नहीं है, जिसे अंतरित किया जाना था ।

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण सं.: 04739एन

हस्ता.

(सीए सचिन जैन)

साझेदार

सदस्यता सं.: 098267

पता: 19ए, अंसारी रोड

दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 29 जुलाई, 2020

यूडीआईएनः 20098267एएएएजेड4062

"अनुलग्नक- क"

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तिथि को स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को और तक समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के अनुसार, हमने उक्त तिथि को **नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड** ("नियंत्रक कंपनी") और उसकी सहयोगी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

नियंत्रक कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी, जिन्हे भारत में निगमित किया गया था, उनका निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हता पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है जो कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और चूक को रोकना एवं पहचान करना, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं परिपूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षा के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करने सहित इसके व्यापार को उचित एवं प्रभावी रूप से करने को सुनिश्चित करना शामिल है।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी जिन्हे भारत में निगमित किया गया था, की हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है। "आईसीएआई" द्वारा जारी "वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट" ("गाइडेंस नोट") और लेखा परीक्षा मानकों, जिसे "आईसीएआई" द्वारा जारी किया गया है और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए जहां तक लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार हमने हमारी लेखा परीक्षा की है, और दोनों को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। ये मानक और गाइडेंस नोट अपेक्षा करते हैं कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करे और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा करे कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित थे और बनाया रखा गया था और क्या इस प्रकार के नियंत्रण सभी भौतिक पहलूओं पर प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके संचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि क्या कोई भौतिक कमजोरी मौजूद है, और निर्धारित किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की गलतबयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारत में निगमित कंपनी और उसकी सहायक कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियां और पद्धतियां शामिल होती है जो:

(i) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित, जो उचित रूप से, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं;

(ii) उचित आश्वासन प्रदान करे कि सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज़ किया गया है और कंपनी की प्राप्ति और व्यय को कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों की अनुमति की अनुसार ही किया जा रहा है; और

(iii) कंपनी की संपत्ति के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान के बारे में समय पर पता लगना एवं रोकना जिसका वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है, के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करे।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

मिलीभगत की संभावना अथवा गतिविधियों पर अनुचित प्रबंधन सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, चूक अथवा धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जो स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों के अनुपालन में कमी अथवा पद्धतियों के क्षरण के कारण जोखिम के अध्यधीन है, अपर्याप्त हो सकता है।

अभिमत

हमारे अभिमत में और हमारी सर्वश्रेष्ठ सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा परीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग अर्हताओं पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के पास सभी वास्तविक पहलूओं में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और इस प्रकार की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण **31 मार्च, 2020** को प्रभावी रूप से परिचालन में थे।

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाऊंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं.: 04739एन

हस्ता.

(सीए सचिन जैन)
साझेदार
सदस्यता सं.: 098267
पता: 19ए, अंसारी रोड
दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 29 जुलाई, 2020
यूडीआईएनः 20098267एएएएजेड4062

समेकित वित्तीय विवरण

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को समेकित तुलन पत्र

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
I. इक्विटी एवं दायिताएं					
(1) शेयरधारक निधि					
(क) शेयर पूंजी	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(ख) आरक्षित निधि एवं अधिशेष	2	6,75,63,05,737	7,75,63,05,737	6,22,42,81,974	7,22,42,81,974
(2) गैर-चालू दायिताएं					
(क) दीर्घकालिक ऋण	3	-		2,50,00,000	
(ख) अन्य दीर्घकालिक दायिताएं	4	6,11,07,960		6,65,71,400	
(ग) दीर्घकालिक प्रावधान	5	42,16,285	6,53,24,235	33,40,474	9,49,11,874
(3) चालू दायिताएं					
(क) व्यापार देय	6				
(i) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों का कुल देय बकाया		14,575		62,663	
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया		34,69,37,709		29,07,46,140	
(ख) अन्य चालू दायिताएं	7	4,36,75,174		4,92,03,014	
(ग) लघुकालिक प्रावधान	8	9,55,138	39,15,82,596	6,02,602	34,06,14,419
जोड़			**8,21,32,12,568**		**7,65,98,08,267**
II. परिसंपत्तियां					
(1) गैर-चालू परिसंपत्तियां					
(क) स्थायी परिसंपत्तियां					
(i) परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	9	29,58,64,122		30,10,00,622	
(ii) अमूर्त परिसंपत्तियां		29,12,543		44,68,289	
(iii) कार्यशील पूंजी		3,12,797		38,66,440	
		29,90,89,462		30,93,35,351	
(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	10	65,06,475		50,14,552	
(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	11	7,02,000		3,85,000	
(घ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां	12	6,13,88,56,958	6,44,51,54,895	5,43,94,06,480	5,75,41,41,383
(2) चालू परिसंपत्तियां					
(क) मालसूची	13	-		15,56,041	
(ख) व्यापार प्राप्य	14	1,87,70,715		4,24,79,600	
(ग) रोकड और बैंक शेष	15	1,62,57,01,518		1,73,45,11,721	
(घ) लघुकालिक ऋण और अग्रिम	16	7,54,178		1,37,65,863	
(ङ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	17	12,28,31,262	1,76,80,57,673	11,33,53,859	1,90,56,66,884
			8,21,32,12,568		**7,65,98,08,267**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां					
वित्तीय विवरणों पर नोट सहित	**1 - 45**				

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते एसएसआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ताक्षर

सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन: 20098267एएएएएजेड4062

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर
अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

	नोट सं.	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रुपए (₹)
I. परिचालन से आय	18	22,89,02,844	27,12,73,913
II. अन्य आय	19	9,08,48,945	10,03,56,306
III. कुल आय (I+II)		31,97,51,789	37,16,30,219
IV. व्यय			
- उपभोग की गई सामग्री की लागत	20	4,41,25,766	8,01,30,535
- कर्मचारी हितलाभ व्यय	21	5,72,76,666	5,53,38,976
- वित्तीय लागत	22	7,54,788	30,08,080
- मूल्यह्रास व्यय	23	3,50,52,490	3,70,46,050
- अन्य व्यय	24	13,96,91,644	14,84,38,457
V. कुल व्यय		27,69,01,354	32,39,62,098
VI. कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-V)		4,28,50,435	4,76,68,121
VII. कर व्यय			
- चालू वर्ष		1,42,41,215	1,60,52,300
- पिछले वर्ष		7,732	47,323
- आस्थगित कर		(14,91,921)	(15,38,654)
VIII. वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि) (VI-VII)		3,00,93,409	3,31,07,152
IX. 10/- रुपए सम मूल्य वाले प्रति इक्विटी शेयर आमदनी			
- आधार/तनूकृत		0.30	0.33
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			
वित्तीय विवरणों पर नोट सहित	1 - 45		

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ताक्षर

सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएजेड4062

स्थान- नई दिल्ली

दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर

पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर

(सर्जेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर

अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)

सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

31 मार्च, 2020 को समेकित नकदी प्रवाह विवरण

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
कर पूर्व शुद्ध लाभ		4,28,50,435		4,76,88,121	
समायोजन हेतु:					
मूल्यह्रास		3,50,52,490		3,70,46,050	
अचल परिसंपत्तियों की हानि और सीडब्ल्यूआईपी		2,11,346		3,09,538	
वित्त लागत		7,54,788		30,06,080	
ब्याज आय		(8,38,09,671)		(7,50,41,045)	
असामान्य मदों और कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी		(49,40,612)		1,29,90,744	
असमान्य मदें		-			
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन लाभ	(क)	(49,40,612)		1,29,90,744	
समायोजना हेतु:					
व्यापार एवं अन्य प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी		3,61,62,786		98,35,00,706	
माल सूची में (वृद्धि)/कमी		15,56,041		(3,09,161)	
व्यापार देयों और अन्य देयों में (वृद्धि)/कमी		5,19,76,954		(46,92,82,354)	
कर का रिफंड/(भुगतान) (टीडीएस सहित)		(2,34,85,770)		(2,36,40,849)	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)	(ख)	6,52,10,011		49,02,68,342	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	(क+ख)		6,12,69,399		50,32,59,086
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
परियोजना विकास व्ययों में (निवेश)		(74,52,54,031)		(95,82,24,855)	
निवेशों की (खरीद)/बिक्री		-		-	
भूमि की किस्त का भुगतान		(54,63,450)		(54,63,450)	
अचल परिसंपत्तियों की (खरीद)/बिक्री		(2,50,17,946)		(60,34,986)	
पूंजीगत वस्तुओ के लिए अग्रिम में (वृद्धि)/कमी		(1,32,965)		(52,85,787)	
बैंक में निक्षेपों में (वृद्धि)/कमी		97,36,618		18,19,646	
ब्याज आय		8,38,09,671		7,50,41,045	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)			(68,23,22,103)		(89,81,48,387)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह:					
वित्त लागत		(7,54,788)		(30,06,080)	
एनआईसीडीआईटी से ऋण		(2,50,00,000)		(1,10,00,000)	
परियोजना विकास निधि		54,77,33,907		1,05,23,52,852	
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी/(प्रयुक्त)			52,19,79,119		1,03,83,44,772
घ. रोकड़ और रोकड़ समतुल्य में वृद्धि/(कमी)			(9,90,73,585)		64,34,55,471
ड. वर्ष की शुरुआत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य			1,72,47,75,103		1,08,13,19,632
च. वर्ष के अंत में रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (संदर्भ नोट 15)			1,62,57,01,518		1,72,47,75,103

समसंख्यक तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसएसएआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन
हस्ताक्षर

सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएजेड4062

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर

पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर

अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) समेकन का सिद्धांत

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित) और उसकी सहयोगी कंपनियों से संबंधित है। समेकित वित्तीय विवरणों को निम्न उल्लिखित सिद्धांतों पर तैयार किया गया है:

कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को लेखांकन मानक (एस) 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार अंत:समूह शेषों और अंत:समूह लेन-देनों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पश्चात् परिसंपत्तियों, दायित्वाओं, आय और व्यय जैसी एकसमान मदों की बुक वैल्यू को साथ जोड़कर पंक्ति दर पंक्ति आधार पर जोड़ा जाता है।

जहां तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरणों को एकसमान लेन-देनों और उसी परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए एकसमान लेखांकन नीतियों का प्रयोग करते हुए तैयार किया जाता है और उसी तरह प्रस्तुत किया जाता है जैसा कंपनी के एकल वित्तीय विवरणों में हो।

ख) वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आधार

वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखांकन नीतियों (इंडियन जीएएपी) के अनुपालन में तैयार किया गया है।

वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत परंपरा पर प्रोद्भवन आधार पर तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणों को तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियां पिछले वर्षों में की गई अनुपालन नीतियों के समान है।

ग) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय कंपनी के प्रबंधन को कुछ अनुमान और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों एवं दायित्वाओं की राशि, वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक दायित्वाओं के प्रकटन और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान आमदनी एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करती हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर उस अवधि में पहचाने जाते हैं जब परिणाम ज्ञात/फलीभूत होते हैं।

घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

i) परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को लागत मॉडल अर्थात संचयी मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाकर लागत पर प्रकट किया गया है;

ii) अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार खर्चों को तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण उपयोग के लिए तैयार हो, जैसा प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है;

iii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर बाद में होने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब संभावना हो कि इससे जुड़े संभावित आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता हो। मरम्मत और संरक्षण लागतों को जब वहन किया जाता है, तब उन्हें लाभ एवं हानि खाते में अविवादित किया जाता है;

iv) परिसंपत्ति की बिक्री अथवा निवृत्ति पर लागत और संबंधित संचयी मूल्यह्रास को वित्तीय विवरणों से हटा दिया जाता है और परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले मुनाफ़े एवं घाटे को लाभ अथवा हानि विवरण में दिखाया जाता है। निपटान किए जाने वाली परिसंपत्तियों को उनकी लेखों में मौजूद कीमत अथवा उचित मूल्यों को बिक्री में आई लागत से घटाकर, दोनों में से जो कम हो, उस कीमत पर दिखाया जाता है;

v) लैंडस्केपिंग एवं बागवानी संबंधी कार्यों के व्यय को लैंडस्केपिंग एवं बागवानी कार्य शीर्ष के अंतर्गत पूंजीकृत किया जाता है।

vi) 99 वर्षों अथवा इससे कम अवधि के लिए पट्टे पर ली गई भूमि को लीजहोल्ड भूमि कहा जाता है।

समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

vii) कंपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण को ह्रासित मूल्य प्रणाली (डब्ल्यूडीवी) पर मूल्यह्रास की जाने वाली राशि तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास करती है। निम्नलिखित परिसंपत्तियों जिनकी उपयोगी जीवन अनुसूची II में निर्धारित किए से इतर है, इसके सिवाए सभी परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है:

विवरण	मूल्यह्रास	औचित्य
- कार्यालय नवीकरण व्यय	पूंजीकरण की तिथि से कार्यालय की लीज अवधि में एकसमान रूप से परिशोधित किया जाता है।	परिसंपत्तियां स्थायी प्रकृति की होती है और इसलिए लीज की अवधि में समाप्त किया जाता
- सोलर पैनल	- निस्तारण मूल्य 10 प्रतिशत समझा जाता है और पूंजीगत लागत के 90 प्रतिशत के रूप में अवक्षयी परिसंपत्ति समझा जाता है। - उपयोगी जीवन वाणिज्यिक परिचालन तिथि से 25 वर्ष समझा जाता है। - प्रथम 13 वर्षों के लिए मूल्यह्रास दर 5.28 प्रतिशत और परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के दौरान शेष मूल्यह्रास प्रसारित किया जाता है। - मूल्यह्रास आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।	यह केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग नियम 2017 के अनुसार है।
- लैंडस्केपिंग और बागवानी कार्य	मूल्यह्रास योग्य राशि को डब्ल्यूडीवी विधि से 5 वर्षों की अवधि में मूल्यह्रासित किया जाता है।	उपयोगी जीवन 5 वर्ष समझी जाती है।
- लीजहोल्ड भूमि	कब्जे की तिथि से लीज की शेष अवधि (97 वर्ष 106 दिन) के लिए स्ट्रैट लाइन मैथड से परिशोधित किया जाता है।	यह भूमि विकास प्राधिकरण अर्थात आरआईआईसीओ के साथ निष्पादित पट्टा विलेख के अनुसार है।

viii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत सहित समय-समय पर मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन, और अवशेष मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

ङ) कार्यशील पूंजी

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण अधिग्रहण के लिए अग्रिमों को "अन्य अस्थायी परिसंपत्तियों" के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और इस तिथि तक उपयोग नहीं की जाने वाली परिसंपत्तियों की लागत को "कार्यशील पूंजी" में प्रदर्शित किया जाता है।

च) अमूर्त परिसंपत्तियां

i) अमूर्त परिसंपत्तियों की अधिग्रहण लागत को संचित परिशोधन/कमी और क्षति, यदि कोई हो तो, घटाते हुए दिखाया जाता है।

ii) अमूर्त परिसंपत्तियों को स्ट्रैट लाइन मैथड पर खरीद की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

छ) परियोजना विकास निधि (पीडीएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट और अन्य औद्योगिक गतियारा परियोजनाओं जैसे अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (एकेआईसी), बेंगलूरु मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (बीएमआईसी), कोच्चि से कोयम्बटूर तक विस्तार सहित चेन्नई बेंगलूरु इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (सीबीआईसी) और ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के भाग के रूप में विलाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर प्रोजेक्ट (वीसीआईसी) के लिए विभिन्न परियोजनात्मक विकास/प्रारंभिक गतिविधियों के लिए परियोजना विकास निधि का अनुमोदन दिया है। तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार/नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) फंड कहा जाता था, से प्राप्त अनुदान जिसे लेखांकन मानक (एएस-12) के अनुसार तुलनपत्र में "पूंजी आरक्षित कोष" के अंतर्गत दिखाया गया है। फंड पर अर्जित ब्याज को परियोजना विकास निधि में जोड़ा जाता है। भविष्य में फंड के किसी भाग के रिफंड योग्य होने पर इसे पूंजी आरक्षित कोष से घटाया जाएगा।

समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ज) परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ)

भारत सरकार ने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (डीएमआईसी) प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न परियोजनात्मक विकास गतिविधियों के लिए परियोजना विकास निधि (पीआईएफ) का अनुमोदन दिया है। तदनुसार, उपरोक्त उद्देश्य के लिए भारत सरकार/नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी), जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) कहा जाता था, से प्राप्त अनुदान जिसे लेखांकन मानक (एएस-12) के अनुसार तुलनपत्र में "पूंजी आरक्षित कोष" के अंतर्गत दिखाया गया है। उपरोक्त पर अर्जित ब्याज, लाभांश अथवा अन्य आय को परियोजना कार्यान्वयन निधि में जोड़ा गया है। भविष्य में फंड के किसी भाग के रिफंड योग्य होने पर इसे पूंजी आरक्षित कोष से घटाया जाएगा।

झ) परियोजना विकास व्यय (पीडीई)

औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के लिए परियोजना विकास गतिविधियों संबंधी सभी व्यय निम्नानुसार प्रदर्शित किए जाते है:

i) जहां तक कंपनी की सहायोगी कंपनी और परियोजनाओं, जिनके लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (एनआईसीडीआईटी) जिसे पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड (डीएमआईसी-पीआईटीएफ) कहा जाता था, और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियों के बीच विशेष प्रयोजन योजनाओं (एसपीवी) को गठित किया गया था और जहां कहीं भी इस प्रकार की वसूली के लिए एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसी(यों) के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट व्यवस्था करता है, तो इसे संबंधित सहयोगी कंपनियों/एसपीवी को अंतरित किया जाता है और "गैर-चालू परिसंपत्तियों" शीर्ष के अंतर्गत प्राप्य के रूप में दिखाया जाता है;

ii) उन परियोजनाओं पर वहन किए गए जो अभी शुरू नहीं की गई अथवा जिन पर अन्य गतिविधि नहीं की जानी है एवं एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसियों के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करता है, तो इसे 'पूंजी आरक्षित कोष' के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से घटाया जाता है; और

iii) उपरोक्त पैरा (i) और (ii) में शामिल नहीं किए गए व्यय को 'गैर-चालू परिसंपत्तियों' शीर्ष के अंतर्गत 'परियोजना विकास व्यय' के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है।

ञ) दीर्घकालिक निवेश

दीर्घकालिक निवेश को अधिग्रहण की लागत सहित वास्तविक लागत पर दिखाया जाता है। अस्थायी से इतर किसी रूप से कमी आने पर दीर्घकालिक निवेश की लागत में कमी की पहचान करने के लिए बुक वैल्यू में से घटाया जाता है। किसी निवेश की कीमत की जानकारी इसकी बाजार कीमत, निवेशक की परिसंपत्ति और परिणाम और निवेश से संभावित नकदी प्रवाह विवरण से इसके संदर्भ द्वारा प्राप्त किया जाता है।

ट) राजस्व मान्यता

i) ब्याज आय को उपचय आधार पर लिया गया है।

ii) लाभांश का लेखांकन तब किया जाता है, जब उक्त को प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

iii) बिजली की बिक्री से आमदनी को ग्राहकों के साथ सहमत दरों पर मासिक आधार पर नियोत की जाने वाली इकाइयों की शुद्ध संख्या के आधार पर अविवादित की जाती

iv) 26 जुलाई, 2016 से प्रभाव में आए परियोजना कार्यान्वयन निधि (पीआईएफ) में से विभिन्न परियोजनाओं को नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) द्वारा जारी निधियों के 1 प्रतिशत की दर से (एक वर्ष में 20 करोड़ रूपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन) कंपनी द्वारा सौंपी गई सेवा के लिए सर्विस फीस को उपचय आधार पर मान्यता दी जाती है।

v) नॉलिज पार्टनर के रूप में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड को दी गई सेवा के प्रति वार्षिक आंतरिक प्रोद्भवन की 1 प्रतिशत की दर से (10 वर्षों की आरंभिक अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर न्यूनतम 5.00 करोड़ रुपए और अधिकतम 10.00 करोड़ रुपए के अध्यधीन) वार्षिक सेवा फीस को प्रोद्भवन आधार पर मान्यता दी जाती है।.

समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

ठ) **लीज**

लीज को परिचालन लीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जहां पट्टादाता लीज अवधि के दौरान मूल रूप से स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को प्रभावी रूप से रखता है। लीज एग्रीमेंट के अनुसार परिचालन लीज भुगतानों को प्रोद्भवन आधार पर लाभ एवं हानि लेखा में दिखाया जाता है।

ड) **विदेशी मुद्रा में लेन-देन**

विदेशी मुद्रा म लन दन/व्यय का लन-दन का तारीख पर यथामय का प्रचालत बाजार दर और विदेशी मुद्रा म आय का इन मुद्राओं स वसूला गइ कामत पर लखाबद्ध किया जाता है।

ढ) **मालसूची**

उपभोज्य, भंडार और कलपूर्जो के स्टॉक को फर्स्ट-इन, फर्स्ट आऊट (फीफो) आधार पर लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य कीमत पर मूल्यांकन किया जाता है।

ण) **कर्मचारी हितलाभ**

i) कंपनी ने वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्यूएटी भुगतान अधिनियम, 1972 और ग्रेच्यूएटी भुगतान (केन्द्रीय) नियम, 1972 के अनुसार प्रावधान किए है।

ii) कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आए सभी सरकारी कर्मचारियों को अवकाश वेतन एवं पेंशन योगदान पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार लेखाबद्ध किया है।

त) **आयकर**

कर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल होते हैं। भारत में पारित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार वर्तमान आयकर को कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। आस्थगित आयकर वर्ष के लिए कर योग्य आय और लेखा आय के बीच चालू वर्ष के समय के अंतर और पिछले वर्षों के समय के अंतर के उत्क्रमण का प्रभाव दर्शाता है ।

आस्थगित कर को कर दरों और पास किए गए कर नियमों अथवा तुलन पत्र की तिथि को पास किए कानूनों के आधार पर मापा जाता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर दायित्वों को समायोजित किया जाता है, यदि मौजूदा कर परिसंपत्तियों के विरुद्ध वर्तमान कर दायित्वों को समायोजित करने का कानूनी प्रवर्तनीय अधिकार मौजूद हो। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब वहां पर्याप्त रूप से निश्चितता हो कि इनके विरुद्ध भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध ऐसी आस्थगित कर सम्पत्तियों को संपादित किया जा सकेगा। उस स्थिति में जहां कंपनी के पास असमाहित मूल्यह्रास अथवा अग्रेषित कर हानियां हो, सभी आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है जब वहां वास्तव में प्रभावी साक्ष्य द्वारा समर्थित हो कि उन्हें भावी कर योग्य लाभ के विरुद्ध वसूला जा सकता है।

प्रत्येक तुलन पत्र की तिथि को कंपनी पहचानी नहीं गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों का पुनःमूल्यांकन करती है। यह उस सीमा तक पहचानी नहीं गई आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान उस सीमा तक की जाती है जहाँ पर्याप्त रूप से निश्चित अथवा आभासी रूप से निश्चित हो कि जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकता है।

कंपनी उस सीमा तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों की बुक वैल्यू को कम दिखाती है जहाँ यह पर्याप्त रूप से निश्चित अथवा आभासी रूप से निश्चित न हो, जैसा भी मामला हो, पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को वसूला जा सकेगा। इस प्रकार के किसी भी कम लिखी गई राशि को उस सीमा तक बदला जाता है जब यह पर्याप्त रूप से अथवा आभासी रूप से, जैसा भी मामला हो, निश्चित हो की पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

मैट क्रेडिट को एक परिसंपत्ति के रूप में केवल तभी और उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जब प्रभावी रूप से साक्ष्य हो कि कंपनी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकरों का भुगतान करेगी।

समेकित लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

य) प्रावधान, आकस्मिक दायिताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

लेखों में किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाता है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना(ओं) के परिणामस्वरूप मौजूदा दायिता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों के बर्हिप्रवाह के संबंध में दायिता का निपटान करने की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रावधानों को उनकी मौजूदा कीमत पर बट्टागत नहीं किया जाता और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्वों का निपटान करने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और मौजूदा सर्वोत्तम अनुमानों को प्रदर्शित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक दायिताओं को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती और इन्हें नोट में प्रकट किया जाता है।
आकस्मिक परिसंपत्तियों को न तो मान्यता दी जाती है और न ही वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है।

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)
सीआईएन: यू45400डीएल2008पीएलसी172316

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

नोट 1: शेयर पूंजी	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
1.0 प्राधिकृत				
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी शेयर		1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
		1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी				
वोटिंग अधिकार सहित 10/- रुपए प्रत्येक वाले 10,00,00,000 इक्विटी		1,00,00,00,000		1,00,00,00,000
		1,00,00,00,000		1,00,00,00,000

1.1 बकाया शेयरों की संख्या में सामंजस्य निम्नानुसार प्रदर्शित किया गया है:

	शेयरों की संख्या	रुपए (₹)	शेयरों की संख्या	रुपए (₹)
वर्ष की शुरुआत में इक्विटी शेयर	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000

1.2 5 प्रतिशत से अधिक धारित रखने वाले शेयरधारकों का ब्यौरा:

	धारिता %	शेयरों की संख्या	धारिता %	शेयरों की संख्या
भारत के राष्ट्रपति (सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग एवं उनके नामितों द्वारा)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट देने के पात्र है। शेयरधारकों के पास लाभांश एवं पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में कोई विशेष अधिकार नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)		31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)	
नोट 2 : आरक्षित और अधिशेष					
2.0 पूंजी आरक्षित निधि					
(क) परियोजना विकास निधि					
[संदर्भ लेखांकन नीति सं. (छ)]			5,82,50,27,000		4,78,50,27,000
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार			52,70,00,000		1,04,00,00,000
जोड़े: वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान			6,35,20,27,000		5,82,50,27,000
जोड़े					
- पिछले वर्षों में अर्जित ब्याज		29,26,17,655		28,02,64,803	
- मौजूदा वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज़		2,07,33,907	31,33,51,562	1,23,52,852	29,26,17,655
(पिछले वर्ष से संबंधित 2,47,330/- रुपए सहित)			6,66,53,78,562		6,11,76,44,655
घटाए: वसूले न जा सकने वाले परियोजना विकास व्यय			37,98,70,926		33,40,67,373
[संदर्भ लेखांकन नीति सं. (झ)]					
	(क)		**6,28,55,07,636**		**5,78,35,77,282**
(ख) परियोजना कार्यान्वयन निधि [संदर्भ लेखांकन नीति सं. (ज)]					
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार			13,00,00,000		13,00,00,000
	(ख)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 **लाभ एवं हानि लेखा**					
अंतिम तुलन पत्र के अनुसार			31,07,04,692		27,75,97,540
जोड़े/(घटाएं): वर्ष के लिए लाभ(हानि)			3,00,93,409		3,31,07,152
	(ग)		**34,07,98,101**		**31,07,04,692**
	जोड़ (क+ख+ग)		**6,75,63,05,737**		**6,22,42,81,974**
नोट 3: दीर्घकालिक ऋण					
दीर्घकालिक (असुरक्षित)					
- नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट से *			-		2,50,00,000
(पूर्ववर्ती डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड)			-		**2,50,00,000**
नोट 4: अन्य दीर्घकालिक दायित्वएं					
अन्य					
- भूमि के प्रति देय राशि**			6,00,97,950		6,55,61,400
- निष्पादन प्रतिभूति			10,10,000		10,10,000
			6,11,07,950		**6,65,71,400**

* 09 अप्रैल, 2015 को 22.34 करोड़ रुपए की राशि के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) के साथ ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया। ब्याज की दर पिछले एक वर्ष के लिए औसत जी-सेक दर से 100 बेसिक पाइंट अधिक होगी। ऋण अंतिम किश्त जारी होने की तिथि से एक वर्ष की आस्थगत अवधि सहित 10 वर्ष की अवधि के लिए होगा। पुनर्भुगतान राशि कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन होगी कि पुनर्भुगतान किश्त की न्यूनतम राशि 0.50 करोड़ रुपए से कम न हो और संपूर्ण ऋण राशि का पुनर्भुगतान आस्थगन अवधि की समाप्ति की तिथि से 10वें वर्ष की समाप्ति से पहले होगा।

तदनुसार, कंपनी के धन की उपलब्धता के आधार पर ब्याज सहित बकाया ऋण राशि को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न अवधि में दिया गया।

** राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (आरआईआईसीओ) ने 21 नवंबर, 2012 को 1,000/- रुपए प्रति वर्ग मीटर की रियायत दर पर प्रोजेक्ट साइट के लिए 145692 वर्ग मीटर भूमि का आबंटन किया। कुल विकास प्रभारों में से, आबंटन के समय 25 प्रतिशत का भुगतान किया गया और शेष राशि 20 जनवरी, 2013 से प्रभावी 20 एक समान वार्षिक ब्याज मुक्त किश्तों में देय है।

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 5: दीर्घकालिक प्रावधान		
- कर्मचारी हितलाभ प्रावधान (ग्रेच्यूएटी) (संदर्भ नोट सं. 33)	42,16,285	33,40,474
जोड़	**42,16,285**	**33,40,474**
नोट 6: व्यापार देय		
(i) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों को कुल देय बकाया (संदर्भ नोट सं. 34)	14,575	62,663
(ii) सूक्ष्म उपक्रमों और लघु उपक्रमों से इतर ऋणदाताओं का कुल देय बकाया	34,69,37,709	29,07,46,140
जोड़	**34,69,52,284**	**29,08,08,803**
नोट 7: अन्य चालू दायित्वएं		
- सांविधिक बाध्यताएं	1,85,82,861	3,53,28,536
- निष्पादन प्रतिभूति	15,000	15,000
- देय भविष्य निधि	5,61,281	4,45,672
- पूंजीगत वस्तुओं के लिए लेनदार [प्रतिधारण प्रतिभूति सहित]-	69,652	2,02,617
- दीर्घकालिक दायित्वओं की मौजूदा परिपक्वता	54,63,450	54,63,450
- अन्य देय व्यय	1,89,82,930	77,47,739
जोड़	**4,36,75,174**	**4,92,03,014**
नोट 8: लघुकालिक प्रावधान		
कर्मचारी हितलाभ का प्रावधान (ग्रेच्यूएटी और अवकाश नकदीकरण) (संदर्भ नोट सं. 33)	6,44,638	3,46,102
- पेशेवर फीस के लिए प्रावधान	3,10,500	2,56,500
जोड़	**9,55,138**	**6,02,602**

नोट 9: स्थायी परिसंपत्तियां

रुपए (₹)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				शुद्ध ब्लॉक	
	01.04.2019 को	वर्ष के दौरान संवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	31.03.2020 तक	31.03.2019 तक	वर्ष के लिए	अन्य समायोजन	31.03.2020 तक	31.03.2020 को	31.03.2019 तक
I. परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
अ. भवन										
क) आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर से इतर भवन	1,21,70,609	-	-	1,21,70,609	31,15,913	8,60,757	-	39,76,670	81,93,939	90,54,696
ख.) चारदीवारी	1,13,60,905	-	-	1,13,60,905	94,10,709	8,81,930	-	1,02,92,639	10,68,266	19,50,196
ग.) ट्यूबवैल	10,52,350	-	-	10,52,350	7,24,051	1,49,013	-	8,73,064	1,79,286	3,28,299
आ. सड़क										
क.) कारपेट्ड - आरसीसी से इतर	7,42,326	-	-	7,42,326	6,24,092	69,454	-	6,93,546	48,780	1,18,234
ख.) गैर-कॉरपेट्ड सड़कें	76,47,896	-	-	76,47,896	71,07,464	1,58,037	-	72,65,501	3,82,395	5,40,432
इ. संयंत्र एवं मशीनरी										
क.) संयंत्र एवं मशीनरी (सा.)	22,00,97,312	11,24,505	-	22,12,21,817	9,50,80,918	2,27,74,774	(6,33,419)	11,72,22,273	10,39,99,544	12,50,16,394
ख.) सोलर पैनल (अदत 1288)	1,36,24,692	44,058	-	1,36,68,750	6,45,701	11,60,237	6,33,419	24,39,357	1,12,29,393	1,29,78,991
ई. फर्नीचर एवं फिक्सचर	16,50,286	50,82,077	13,01,444	54,30,929	13,40,744	11,00,161	(11,21,838)	13,19,087	41,11,842	3,09,552
- फर्नीचर एवं फिक्सचर एनआईसीडीसी	14,74,996	50,69,077	13,01,444	52,42,629	12,64,458	10,71,806	(11,21,838)	12,14,426	40,28,203	2,10,538
- फर्नीचर एवं फिक्सचर डीएनएसपीसीएल	1,75,300	13,000		1,88,300	76,286	28,375		1,04,661	83,639	99,014
उ. कार्यालय उपकरण	50,28,565	93,84,367	10,56,369	1,33,56,563	42,60,644	29,11,449	(10,02,540)	61,69,553	71,87,010	7,67,921
एनआईसीडीसी	46,17,073	93,84,367	10,56,369	1,29,45,071	40,06,136	28,40,127	(10,02,540)	58,43,723	71,01,348	6,10,937
डीएनएसपीसीएल	4,11,492	-	-	4,11,492	2,54,508	71,322	-	3,25,830	85,662	1,56,984
ऊ. विद्युत प्रतिष्ठान और उपकरण	1,08,098	13,01,649	28,908	13,80,839	58,695	1,78,443	(16,246)	2,20,892	11,59,947	49,403
ऋ. कम्प्यूटर एवं डेटा प्रोसेसिंग यूनिट	35,64,700	16,65,654	3,16,825	49,13,529	31,16,085	7,48,045	(3,00,984)	35,62,146	13,51,383	4,49,615
एनआईसीडीसी	31,97,725	16,65,654	3,16,825	45,46,554	28,27,994	7,01,547	(3,00,984)	32,28,557	13,17,997	3,69,731
डीएनएसपीसीएल	3,66,975	-	-	3,66,975	2,87,091	46,498	-	3,33,589	33,386	79,884
ए. भूमि -लीज पर (99 वर्ष)	15,61,68,910	-	-	15,61,68,910	74,67,399	16,05,183	-	90,72,582	14,70,96,328	14,87,01,511
ऐ. अन्य										
क.) कार्यालय नवीकरण व्यय	43,86,960	97,64,514	-	1,41,51,474	43,86,960	4,63,815	-	48,50,775	93,00,699	-
ख.) लैंडस्केपिंग एवं दामदामी कार्य	27,64,866	2,13,833	-	29,78,699	20,29,468	3,93,901	-	24,23,389	5,55,310	7,35,378
जोड़	44,03,68,485	2,85,80,657	27,03,546	46,62,45,596	13,93,67,863	3,34,55,219	(24,41,608)	17,03,81,474	29,58,64,122	30,10,00,622
पिछले वर्ष	43,93,66,732	31,12,959	21,11,206	44,03,68,485	10,52,86,531	3,54,54,230	(13,72,898)	13,93,67,863	30,10,00,622	33,40,80,201
II. अमूर्त परिसंपत्तियां										
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	82,67,816	41,525	-	83,09,341	37,99,527	15,97,271	-	53,96,798	29,12,543	44,68,289
एनआईसीडीसी	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911		52,90,338	28,72,205	43,98,591
डीएनएसपीसीएल	1,46,798		-	1,46,798	77,100	29,360		1,06,460	40,338	69,698
जोड़	82,67,816	41,525	-	83,09,341	37,99,527	15,97,271	-	53,96,798	29,12,543	44,68,289
पिछले वर्ष	81,13,805	1,54,011	-	82,67,816	22,07,707	15,88,966	2,854	37,99,527	44,68,289	59,06,098

		31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 10: आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)			
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:			
- स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित		51,57,761	39,90,581
- आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर्मचारियों के हितलाभ और भत्तों से संबंधित		13,48,714	10,23,971
		65,06,475	50,14,552
आस्थगित कर दायित्वाएं			
- स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित		-	-
	जोड़	**65,06,475**	**50,14,552**
नोट 11: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम			
(अप्रतिभूत लेकिन अच्छे समझे जाने वाले)			
- प्रतिभूति		7,02,000	3,85,000
	जोड़	**7,02,000**	**3,85,000**

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 12: अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां		
(क) परियोजना विकास व्यय (पीडीई)		
- भारत सरकार की परियोजना विकास निधि से परियोजना विकास व्यय	98,34,71,322	93,39,88,766
- पिछले वर्ष के अनुसार	74,64,16,179	95,82,24,855
- वर्ष के दौरान वहन किया गया	1,72,98,87,501	1,89,22,13,621
	(84,84,25,342)	(79,69,84,131)
घटाएं: सहयोगी कंपनी/एसपीवी को अंतरित (संदर्भ नोट सं. 39)	(4,58,03,553)	(11,17,58,168)
घटाएं: परियोजना विकास निधि को अंतरित (संदर्भ नोट सं. 32 और लेखांकन नीति		
जोड़ (क)	1,03,56,56,606	98,34,71,322
(ख) एसपीवी को अंतरित परियोजना विकास व्यय		
[संदर्भ नोट सं. 39]		
- औरंगाबाद इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेड	1,76,93,26,213	1,46,97,03,648
- धोलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	2,91,46,67,473	2,59,99,60,739
- धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	6,59,998	50,91,152
- डीएमआईसी हरियाणा ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड	8,48,84,336	8,08,02,244
- डीएमआईसी हरियाणा एमएमएलएच प्रोजेक्ट लिमिटेड	4,84,10,060	3,88,65,417
- डीएमआईसी हरियाणा एमआरटीएस प्रोजेक्ट लिमिटेड	6,87,12,587	6,87,12,587
- डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	5,07,54,677	5,07,54,677
- आईआईटी ग्रेटर नौएडा लिमिटेड	7,45,06,230	7,45,06,230
- एनआईसीडीआईटी कृष्णपट्टनम इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड	9,19,36,776	7,26,29,616
	5,10,38,58,350	4,46,10,26,310
घटाएं: अन्य चालू परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड (संदर्भ नोट सं. 17)	(6,59,998)	(50,91,152)
जोड़ (ख)	5,10,31,98,352	4,45,59,35,158
जोड़ (क+ख)	**6,13,88,56,958**	**5,43,94,06,480**
नोट 13: मालसूची (निम्नतर लागत और शुद्ध वसूलनीय लागत पर मूल्यांकित)		
- उपभोज्य	-	15,56,041
- अन्य	-	-
	-	**15,56,041**

	31 मार्च, 2020 को रुपए (₹)	31 मार्च, 2019 को रुपए (₹)
नोट 14: व्यापार प्राप्य		
(असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे जाते हैं)		
- छः माह से अधिक की अवधि के लिए बकाया	-	-
- अन्य*	1,87,70,715	4,24,79,600
	1,87,70,715	4,24,79,600

* इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड से 1,38,86,000/- रुपए बकाया (पिछले वर्ष - 1,39,30,761/-) शामिल है

नोट 15: रोकड़ और बैंक शेष

रोकड़ और बैंक शेष			
(क) रोकड़ और नकद समतुल्य **			
- भारत सरकार के पीडीएफ में से			
बैंक के पास चालू खातों में शेष		2,02,324	23,145
निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		48,05,55,697	63,42,25,000
- अन्य में से			
हस्ते शेष		12,821	10,786
चालू खातों में बैंक के पास शेष		4,46,112	(8,94,796)
निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		1,14,44,84,364	1,09,14,10,968
एएस -3 के अनुसार रोकड़ और नकद समतुल्य	जोड़ (क)	1,62,57,01,518	1,72,47,75,103
(ख) अन्य बैंक शेष			
- भारत सरकार के पीडीएफ में से		-	-
- अन्य में से			
बैंक गारंटी के लिए ग्रहणाधिकार के अंतर्गत निक्षेप खातों में बैंक के पास शेष		-	97,36,618
	जोड़ (ख)	-	97,36,618
	कुल रोकड़ और बैंक शेष (क+ख)	1,62,57,01,518	1,73,45,11,721

** रोकड़ और नकद समतुल्य में कंपनी द्वारा बैंकों के पास जमा निक्षेप शामिल होते हैं जिसे कंपनी द्वारा किसी भी समय बिना किसी सूचना अथवा मूलधन पर जुर्माने पर आहरित कर सकती है।

नोट 16: लघुकालिक ऋण और अग्रिम

लघुकालिक ऋण और अग्रिम		
(असुरक्षित लेकिन अच्छे समझे जाते हैं)		
(I) अन्य		
- प्रतिभूति निक्षेप	-	1,11,93,538
- अन्य ऋण एवं अग्रिम	7,54,178	25,72,125
	7,54,178	1,37,65,663

नोट 17: अन्य चालू परिसंपत्तियां

(i) भारत सरकार के पीडीएफ में से		
- ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	41,75,663	22,73,545
- अन्य	6,59,998	50,91,152
(II) अन्य		
- ब्याज प्रोद्भूत लेकिन बकाया नहीं	6,78,52,575	6,22,92,140
- बिजली की बिक्री पर प्रोद्भूत आय	54,41,413	75,87,269
- अग्रिम कर/टीडीएस (शुद्ध प्रावधान)	1,15,88,739	94,54,129
[कर का प्रावधान - 1,42,41,215/- रुपए (पिछले वर्ष - 1,71,26,662/- रुपए)]		
- राजस्व प्राधिकरणों के पास शेष	3,17,43,986	2,46,41,777
- पूर्वदत्त व्यय	13,68,886	20,13,847
	12,28,31,262	11,33,53,859

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)
नोट 18: परिचालन से आमदनी			
- बिजली की बिक्री *		9,61,02,444	12,14,75,390
[99,41,452 किलोवाट यूनिट (पिछले वर्ष 1,19,79,420 किलोवाट यूनिट) और अन्य समायोजन		13,28,00,400	14,97,98,523
-सर्विस फीस [संदर्भ लेखांकन नीति सं. (ट)]			
	जोड़	22,89,02,844	27,12,73,913

* एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड को बिल नहीं की गई 55,52,462/- रूपए की राशि शामिल है (6,33,120 किलो वाट घंटे 8.77 रुपए प्रति यूनिट की दर से)

नोट 19: अन्य आय			
बैंक निक्षेपो पर ब्याज आय (पिछले वर्ष के 4,00,796/- रूपए सहित)		8,38,09,671	7,50,41,045
बिड प्रोसेसिंग फीस		-	2,53,500
विविध आय		66,49,505	1,24,655
वसूले जाने योग्य किराया और बिजली व्यय		820	2,49,37,106
बैंक गारंटी का अपहार		3,88,949	-
	जोड़	9,08,48,945	10,03,56,306

		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)
नोट 20: उपभोग की गई सामग्रियों की लागत			
डीजल व्यय		4,41,25,116	8,01,30,535
माल भाड़ा व्यय		650	-
	जोड़	4,41,25,766	8,01,30,535
नोट 21: कर्मचारी हितलाभ व्यय			
वेतन, मजदूरी एवं भत्ते (संविदागत कर्मचारियों सहित)		4,92,39,072	4,79,68,216
भविष्य निधि/पेंशन निधि में योगदान		32,63,075	36,84,853
ग्रेच्यूएटी		14,54,939	9,67,073
अवकाश नकदीकरण		1,96,102	2,14,563
वजीफा		2,79,145	2,19,292
कार्मिक कल्याण व्यय		28,44,333	22,84,979
	जोड़	5,72,76,666	5,53,38,976
नोट 22: वित्तीय लागत			
ऋणों पर ब्याज		7,54,788	27,62,852
आयकर पर ब्याज		-	2,45,228
	जोड़	7,54,788	30,08,080
नोट 23: मूल्यह्रास			
वर्ष के लिए (संदर्भ नोट सं.9)		3,50,52,490	3,70,43,196
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए समायोजित (संदर्भ नोट सं. 9)		-	2,854
	जोड़	3,50,52,490	3,70,46,050

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रूपए (₹)
नोट 24 : अन्य व्यय		
व्यापार संवर्धन व्यय	4,37,41,544	5,65,03,664
किराया	5,66,79,394	5,72,11,956
लेखा परीक्षकों को भुगतान (संदर्भ नोट 28)	5,37,200	5,38,900
सीएसआर व्यय	44,02,256	7,68,447
विज्ञापन और सार्वजनिक सूचना व्यय	6,80,506	21,14,311
बिजली व्यय	8,39,673	6,52,977
विदेश यात्रा व्यय	3,20,604	23,38,798
पेशेवर एवं परामर्श व्यय	35,19,809	58,39,213
बैठक एवं रिफ्रेशमेंट व्यय	4,13,894	7,33,722
कार्यालय मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	37,77,248	6,49,494
जल प्रभार	1,01,755	1,18,378
आईटी व्यय	29,21,718	25,66,987
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	19,33,021	19,59,018
संचार एवं डाक व्यय	15,93,394	16,85,912
यात्रा एवं परिवहन व्यय	56,70,251	52,65,934
बीमा व्यय	3,60,978	3,61,691
निदेशकों की बैठक में शामिल हेतु फीस	2,87,200	1,66,200
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि	2,11,346	2,61,804
पूर्व-अवधि व्यय	33,315	1,43,569
अन्य व्यय	37,83,956	16,04,611
परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	44,13,355	44,27,574
भूमि पर सेवा प्रभार	14,20,500	12,89,370
एनवीवीएन को छूट	10,48,727	12,36,127
नवीकरणीय ऊर्जा विकास प्रभार	10,00,000	-
जोड़	13,96,91,644	14,84,38,457

लेखों पर नोट

		31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
25	**कोरपोरेट सामाजिक दायित्व**		
I	**व्यय की जाने वाली सकल राशि**		
	वार्षिक सीएसआर आवंटन	22,84,992	21,05,964
	पिछले वर्ष से अयोजित	22,26,486	8,50,547
	व्यय के लिए अपेक्षित सकल राशि	45,11,478	29,56,511
II	**सीएसआर गतिविधियों पर वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि**		
	नकद में		
	जिनका नकद भुगतान अभी किया जाना है *	43,13,256	7,30,025
	जिनका नकद भुगतान अभी किया जाना है **	1,27,422	9,82,345
		70,800	12,28,800
	* वहन की गई दायित्वों के लिए प्रावधान		
	** सीएसआर गतिविधियों के मद में निष्पादित होने वाले अनुबंध की राशि के रूप में प्रकटन		
26	**आकस्मिक दायित्वएं एवं वचनबद्धताएं (न उपलब्ध कराई गई की सीमा तक)::**		
क.	**आकस्मिक दायित्वएं**		
	(i) कंपनी पर दावा लेकिन अभी ऋण के रूप में स्वीकारा नहीं गया	-	-
ख.	**वचनबद्धताएं**		
	(i) अनुबंधों की अनुमानित राशि जिन्हें अभी निष्पादित किया जाना शेष है और प्रावधान नहीं किया गया है:		
	- पूंजी लेखा (करों के अतिरिक्त)	-	1,38,98,776
	- परियोजना विकास के मद में परामर्श अनुबंध (कर के अतिरिक्त)	1,08,92,27,425	1,28,91,64,660
	- परियोजना का परिचालन और अनुरक्षण (कर सहित)	-	4,53,25,562
	(ii) सीएसआर गतिविधियों के मद में निष्पादित होने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि जिनका प्रावधान नहीं किया गया है:	70,800	12,28,800
	(iii) अन्य वचनबद्धताएं		
	- कंपनी की ओर से बैंक द्वारा जारी की गई गारंटी	-	97,36,616
27	**विदेशी मुद्रा में अर्जन और व्यय**		
I	**विदेशी मुद्रा में आमदनी**	-	-
II	**विदेशी मुद्रा में व्यय**		
	- विदेश यात्रा व्यय	3,18,704	9,86,735
28	**लेखा परीक्षकों को भुगतान**		
	(i) लेखा परीक्षा फीस	3,66,100	3,67,800
	(ii) अन्य सेवाओं के लिए	1,71,100	1,71,100
		5,37,200	5,38,900
29	**संबंधित पार्टी प्रकटन**		

I इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी 'संबंधित पार्टी प्रकटन' (एएस-18) पर लेखांकन मानकों के अनुसार, संबंधित पार्टियां निम्नानुसार है:

क	**कंपनी के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण रखने वाले उपक्रम**		
	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-ऑपरेशन (जेबीआईसी)	जी हां	जी हां
ख	**संबंद्ध/सहयोगी**		
	हाउसिंग एंड अरबन डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड	जी हां	जी हां
ग	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिक**		
	श्री के. संजय मूर्ति (18 नवंबर, 2019 से)	जी हां	जी नहीं
	श्री अल्केश कुमार शर्मा (15 सितंबर, 2019 तक)	जी हां	जी हां
	श्री प्रशांत कुमार बक्सावर (17 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी नहीं
	श्री राजेन्द्र रत्नू (19 सितंबर, 2019 से 17 नवंबर, 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी नहीं
घ	**उपक्रम जिनके ऊपर प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का महत्वपूर्ण प्रभाव है**		
	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड (17 जून, 2019 से 5 जुलाई, 2019 तक की अवधि के लिए)	जी हां	जी हां

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

II उपरोक्त संबंधित पार्टियों के साथ अवधि के दौरान लेन-देनों की प्रकृति और मात्रा निम्नानुसार है:

धनराशि रुपए में (₹)

विवरण	संबंधक	उपक्रम जिनका कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव/नियंत्रण है	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	उपक्रम जिन पर केएमपी महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं
बकाया शेष :				
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	2,048 (1,39,30,761)
अवधि के दौरान समग्र लेन-देन				
श्री अल्केश कुमार शर्मा	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	32,30,880 (58,69,185)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
श्री के संजय मूर्ति	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	19,00,183 (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
श्री प्रशांत कुमार बलसावर	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
श्री राजेंद्र रत्नू	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	1,55,14,147 (6,30,60,584)

III अवधि के दौरान ईकाई-वार फलीभूत लेन-देनों का विवरण

क	**प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को भुगतान**				
	श्री अल्केश कुमार शर्मा	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	32,30,880 (58,69,185)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
	श्री के संजय मूर्ति	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	19,00,183 (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
	श्री प्रशांत कुमार बलसावर	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
	श्री राजेंद्र रत्नू	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)
ख	**इंडिया इंटरनेशनल कन्वेन्शन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड**				
	वहन किए गए अन्य व्यय	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	7,64,147 (40,60,584)
	वार्षिक सेवा शुल्क (कर सहित)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	कुछ नहीं. (कुछ नहीं)	1,47,50,000 (5,90,00,000)

नोट: कोष्ठक () में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित है।

30 खंडवार रिपोर्टिंग

कंपनी ने दो प्राथमिक व्यापार खंडों यथा बिजली उत्पादन और परियोजना विकास विभाग की पहचान की है। सेवाओं की प्रकृति, विभिन्न जोखिम और प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना और आंतरिक व्यापार रिपोर्टिंग प्रणाली को देखते हुए खंडों को पहचाना और रिपोर्ट किया गया है।

क. खंड की परिचालन गतिविधियों के संबंध के आधार पर खंड के लिए आमदनी एवं व्यय की पहचान की गई है।

ख. खंड परिसंपत्तियां और खंड दायित्वाएं संबंधित खंड की परिसंपत्तियां और दायित्वाओं को दर्शाती है।

ग. प्राथमिक व्यापार खंड के बारे में सूचना:

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

धनराशि रुपए में (₹)

विवरण	बिजली उत्पादन	परियोजना विकास	जोड़
राजस्व			
बाहरी राजस्व	9,71,25,851	22,26,25,938	31,97,51,789
	(12,25,92,995)	(24,90,37,224)	(37,16,30,219)
अंत:खंड राजस्व	कुछ नहीं.	26,16,178	26,16,178
	(कुछ नहीं)	(11,82,700)	(11,82,700)
कुल राजस्व	9,71,25,851	22,52,42,116	32,23,67,967
	(12,25,92,995)	(25,02,19,924)	(37,28,12,919)
जोड़: विनियोज्य अन्य आय	कुछ नहीं.	कुछ नहीं.	कुछ नहीं.
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
खंड राजस्व	9,71,25,851	22,52,42,116	32,23,67,967
	(12,25,92,995)	(25,02,19,924)	(37,28,12,919)
खंड परिणाम (मूल्यह्रास पूर्व)	2,99,78,130	4,74,53,882	7,74,32,012
	(2,23,48,684)	(6,21,52,601)	(8,45,01,285)
असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) [-]	17,49,289	4,06,30,233	4,23,79,522
	(- 1,20,63,170)	(5,95,18,405)	(4,74,55,235)
असाधारण मदें	कुछ नहीं.	कुछ नहीं.	कुछ नहीं.
	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)	(कुछ नहीं)
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	17,49,289	4,06,30,233	4,23,79,522
	(- 1,20,63,170)	(5,95,18,405)	(4,74,55,235)
कर व्यय	20,25,149	1,22,23,798	1,42,48,947
	(- 19)	(1,60,99,642)	(1,60,99,623)
आस्थगित कर व्यय/(प्रतिलेखन करना) [-]	-8,52,089	-6,39,832	-14,91,921
	(- 13,36,032)	(- 2,02,622)	(- 15,38,654)
कर पश्चात् लाभ/हानि [-]	5,76,229	2,90,46,267	2,96,22,496
	(- 1,07,27,119)	(4,36,21,385)	(3,28,94,266)

अन्य सूचना

विवरण	बिजली सृजन	परियोजना विकास	जोड़
खंड परिसंपत्तियां	31,07,96,974	8,03,57,84,690	8,34,65,81,664
	(34,05,41,680)	(7,45,25,12,989)	(7,79,30,54,669)
खंड दायित्वएं	6,81,53,808	39,13,20,204	45,94,74,012
	(9,84,74,743)	(33,90,25,124)	(43,74,99,867)
पूंजीगत व्यय	13,51,338	2,72,26,786	2,85,78,124
	(22,54,599)	(6,99,573)	(29,54,172)
मूल्यह्रास और परिशोधन	2,82,28,841	68,23,649	3,50,52,490
	(3,44,11,854)	(26,34,196)	(3,70,46,050)
मूल्यह्रास और परिशोधन के अतिरिक्त गैर-नकद व्यय	1,46,393	16,80,550	18,26,943
	(44,283)	(13,98,957)	(14,43,240)

नोट: कोष्ठक () में दिखाए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित है।

घ. द्वितीयक भौगोलिक खंड के बारे में सूचना: कोई द्वितीयक खंड नहीं है।

31 प्रति शेयर आमदनी

अवधि के लिए बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को कर पश्चात शुद्ध लाभ से विभाजित कर प्रति इक्विटी शेयर की मूल आमदनी की गणना की गई है।

विवरण	ईकाई	वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2020 को	वर्ष के अंत में 31 मार्च, 2019 को
क. इक्विटी शेयरधारकों को देय अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)	रुपए (₹)	3,00,93,409	3,31,07,152
ख. ईपीएस की गणना के लिए विभाजक के रूप में इक्विटी शेयरों की भारित औसत	शेयरों की संख्या	10,00,00,000	10,00,00,000
ग. आधार/तनूकृत प्रति शेयर (क/ख)	रुपए (₹)	0.30	0.33
घ. इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य	रुपए (₹)	10.00	10.00

32 लेखांकन नीति में परिवर्तन

गैर-चालू परिसंपत्तियां' शीर्ष के अंतर्गत "परियोजना विकास व्यय" प्रदर्शित किया गया है और एनआईसीडीआईटी और संबंधित राज्य सरकार(रों)/नोडल एजेंसी(यों) के बीच शेयरधारक अनुबंध के अनुसार एसपीवी से गैर-वसूलनीय परियोजना विकास व्यय को वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 'पूंजी आरक्षित कोष' शीर्ष के अंतर्गत 'परियोजना विकास निधि' से कटौती के रूप में दिखाया गया है।
लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण, कंपनी के लाभ अथवा हानि पर कोई प्रभाव नहीं है।

33 सेवानिवृत्ति लाभ

<u>सुपरिभाषित योगदान योजना</u>

कंपनी ने भविष्य निधि/पेंशन निधि में वास्तविक योगदान के आधार पर सुपरिभाषित योगदान योजना के अंतर्गत 32,63,075/- रुपए (पिछले वर्ष 36,84,853/- रुपए) की राशि 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी है।

<u>सुपरिभाषित लाभ योजना</u>

क. ग्रेच्यूएटी (अनिधिक): सेवा में 5 वर्ष पूरे होने पर, सेवा में पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर भुगतान। बीमांकिक मूल्यांकन पर विचार करते हुए, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में 14,10,052/- रुपए (पिछले वर्ष - 9,67,073/- रुपए) उपलब्ध कराए गए हैं।

ख. अवकाश नकदीकरण अनिधिक: कंपनी ने 1 अप्रैल, 2016 से अवकाश नकदीकरण की नीति को शुरू किया। नीति के अनुसार, कर्मचारी उत्तरवर्ती वर्षों को अग्रेषित किए बिना निर्धारित सीमा के अध्यधीन उपयोग नहीं किए गए अवकाश के नकदीकरण के पात्र है। अवकाश नकदीकरण का मूल्यांकन उपयोग नहीं किए गए अवकाश की संख्या के लिए बेसिक वेतन की आनुपातिक राशि पर विचार करते हुए किया जाता है।

<u>ग्रेच्यूएटी (अनिधिक)</u>	<u>31 मार्च, 2020</u>	<u>31 मार्च, 2019</u>
लाभ और हानि विवरण में व्यय का समाधान विवरण		
अवधि के अंत में दायित्व की मौजूदा कीमत के रूप में (31/03/2020)	46,90,311	35,11,513
वर्ष की शुरूआत में दायित्व की मौजूदा कीमत के रूप में (31/03/2019)	35,11,513	26,44,440
भुगतान किए गए हितलाभ	(2,31,254)	-
नियोजित परिसंपत्ति पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दिए गए व्यय	14,10,052	9,67,073

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दिए गए व्यय

वर्ष की शुरुआत में नियोजित परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
नियोजित परिसंपत्ति पर अनुमानित प्रतिफल	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत	-	-

नियोजित परिसंपत्तियों की उचित कीमत

वर्ष की शुरुआत में नियोजित परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-
अधिग्रहण समायोजन	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	-	-
नियोक्ता योगदान	-	-
भुगतान किए गए हितलाभ	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्ति की उचित कीमत	-	-
निधिबद्ध स्थिति	-	-
नियोजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल पर वास्तविक का आधिक्य	-	-

लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय

चालू सेवा लागत	9,14,447	7,65,301
विगत सेवा लागत	-	-
ब्याज लागत	2,37,027	1,97,194
नियोजित परिसंपत्तियों पर अनुमानित प्रतिफल	-	-
परित्याग लागत/(क्रेडिट)	-	-
निपटान लागत/(क्रेडिट)	-	-
वर्ष मे शुद्ध	2,58,578	4,578
लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	14,10,052	9,67,073

मान्यताएं:

छूट की दर	6.75% प्रति वर्ष	7.75% प्रति वर्ष
भावी वेतन वृद्धि	6% प्रति वर्ष	6% प्रति वर्ष
नियोजित परिसंपत्तियों पर प्रतिफल की अनुमानित दर	-	-

भावी वेतन वृद्धि का अनुमान रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग सहित मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखते हुए बीमांकिक मूल्यांकन पर विचार करते हुए अनुमान लगाया जाता है।

उपरोक्त सूचना बीमांकिक वैल्यूअर द्वारा प्रमाणित है।

छूट की दर मूल्यांकन की तिथि पर प्रचलित बाजार प्राप्तियों के आधार पर है।

34 एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों को बकाया का ब्यौरा

सूक्ष्म और लघु उपक्रमों को बकाया राशि का निर्धारण इस हद तक किया गया है कि प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की गई है।

35 परिचालन लीज

कंपनी ने नई दिल्ली के चाणक्यपुरी के होटल अशोक में दो (02) कार्यालय स्थलों जिन्हें लीज पर लिया गया था, अध्यर्पित कर दिया है। कंपनी ने 10 वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में जीवन भारती भवन के 8वे तल पर एक अतिरिक्त कार्यालय स्थल को लाइसेंस पर लिया है। वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत कुल लाइसेंस फीस 5,66,79,434/- रुपए (पिछले वर्ष 5,72,11,956/- रुपए) है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर नोट

36 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार परियोजना विकास गतिविधियों के संबंध में कंपनी द्वारा वहन किया गए विज्ञापन और प्रकाशन व्यय इसके लिए प्राप्त बिड प्रोसेसिंग फीस से घटाकर इसे परियोजना विकास व्यय में अंतरित किया गया है।

37 औद्योगिक गलियारों की समग्र योजना, विकास, निधिकरण, कार्यान्वयन, परिचालन, पर्यवेक्षण और निगरानी हेतु एक एकीकृत समर्पित संस्थानिक ढांचे के लिए अन्य औद्योगिक परियोजनाओं यथा अमृतसर कोलकाता इन्वेस्टमेंट रीजन (एकेआईसी), बेंगलूरु मुंबई इकोनोमिक कोरिडोर (बीएमईसी) और कोयतम्बूर के रास्ते कोच्चि के विस्तार सहित चेन्नई बेंगलूर इंडस्ट्रियल कोरिडोर (सीबीआईसी) तथा ईस्ट कॉस्ट इंडस्ट्रियल कोरिडोर (ईसीआईसी) के भाग के रूप में विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कोरिडोर (वीसीआईसी) को शामिल करने हेतु भारत सरकार ने दिनांक 07.12.2016 को मंत्रिमडल निर्णय द्वारा नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड के रूप में विदित) के मैण्डेट को विस्तारित किया। अन्य औद्योगिक गलियारों के लिए नॉलिज पार्टनर के आने तक, एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) अन्य औद्योगिक गलियारों में भी नॉलिज पार्टनर के रूप में कार्य करेगी।

38 डीएमआईसीडीसी गुना पॉवर कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसीडीसी इंदापुर पॉवर कंपनी लिमिटेड, डीएमआईसीडीसी बघेल पॉवर कंपनी लिमिटेड और डीएमआईसीडीसी बिल्ले आंगइ पॉवर कंपनी लिमिटेड के नामों को दिनांक 09 अगस्त, 2018 की सूचना सं. आरओसी/डीई:जेओ/248(5)/एसटीके7/4893 द्वारा 09.08.2018 से कंपनी के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

तदनुसार, इन एसपीवी में धारित इक्विटी शेयरों को उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर मूल्यांकित किया गया है और संबंधित एसपीवी के वित्तीय विवरणों के अनुसार परिणामी को और अंतर को वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान परियोजना विकास व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

39 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रेक्षण के अनुसार नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्पलीमेंटेशन ट्रस्ट (एनआईसीडीआईटी) पूर्व में डीएमआईसी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट फंड ((डीएमआईसी-पीआईटीएफ) के नाम से जाना जाता था और संबंधित राज्य सरकारों की नोडल एजेंसियो के बीच गठित संबंधित सहयोगी कंपनियों/एसपीवी के लिए परियोजना विकास निधि (पीडीएफ) में से वहन किए गए परियोजना विकास व्यय (पीडीई) अंतरण के मामले को दिनांक 06.03.2018 को एनआईसीडीआईटी की आयोजित न्यासी मंडल की तीसरी बैठक में विचार किया गया।

न्यासी मंडल ने सहयोगी कंपनी/एसपीवी की परियोजनाओं के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड) को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए परियोजना विकास निधि में से वहन किए गए परियोजना विकास व्यय को उल्लिखित सहयोगी कंपनी/एसपीवी को अंतरित करने का निर्देश दिया और इसकी वसूली तब तक आस्थगित करने के लिए कहा जब तक एसपीवी पर्याप्त अधिशेष निधियां सृजित करने में सफल न हो जाए।

40 भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग ने दिनांक 27.05.2016 के का.ज्ञा.सं. 5/2/2016-पॉलिसी द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) की पूंजी नवीकरण पर दिशा-निर्देश जारी किया। दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अध्यधीन कर पश्चात लाभ का 30 प्रतिशत अथवा शुद्ध संपत्ति का 5 प्रतिशत, जो भी उच्चतर हो, न्यूनतम वार्षिक लाभांश देने की आवश्यकता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी ने उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव से उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार न्यूनतम लाभांश के भुगतान से छूट के लिए आवेदन किया है और उत्तर प्रतीक्षित है।

इसी तरह, उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार कंपनी वर्ष 2019-20 के लिए न्यूनतम लाभांश के भुगतान की छूट के लिए आवेदन करेगी।

इसलिए, पिछले वर्ष के साथ-साथ वर्तमान वर्ष के लिए लाभांश का प्रावधान नहीं किया गया है।

41 31 मार्च, 2020 को कानूनी स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.सं	याचिका संख्या एवं तिथि	याचिकाकर्ता	प्रतिवादी	विचाराधीन मामला	संक्षिप्त ब्यौरा
1	9282/2015 (याचिका डीएमआईसीडीसी लिमिटेड की ओर से राजस्थान में वकील द्वारा प्राप्त की गई थी)	सुभ राम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य	एनआईसीडीसी लिमिटेड अपने निदेशकों/सचिव द्वारा एवं अन्य	राजस्थान राज्य में भूमि अधिग्रहण से संबंधित	काउंटर एफिडेविट में कोर्ट से अनुरोध किया गया है की एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का नाम हटाया जाए और याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में प्रस्तुत की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में दर्ज याचिका को संशोधित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उपर्युक्त आवेदन को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। संशोधित याचिका के संबंध में एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) द्वारा भी प्रत्युत्तर में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।
2	6649/2016	इरशाद मोहम्मद खान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य	अपने प्रबंध निदेशक द्वारा एनआईसीडीसी लिमिटेड	औरंगाबाद सिटी में जयकवाडी डैम से शेंद्रा इंडस्ट्रियल पार्क तक पानी की पाइपलाइन से संबंधित	18.01.2019 को एनआईसीडीसी लिमिटेड (पूर्व में डीएमआईसीडीसी लिमिटेड के नाम से विदित) का प्रतिवादी के रूप में नाम हटाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत नियम 10 के आदेश 1 के अंतर्गत आवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि याचिका के लिए आवेदक न तो उचित पार्टी है और न ही आवश्यक पार्टी। याचिका मुंबई, उच्च न्यायालय, औरंगाबाद में 18.01.2019 को प्रस्तुत की गई। सुनवाई की अगली तिथि प्रतीक्षित है।

42 सहयोगी कंपनियों में निवेश:

लेखांकन मानक 21 - "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार सहयोगी उपक्रम

क्र.स.	कंपनी का नाम (सभी भारत में निगमित)	31 मार्च, 2020 को स्वामित्व अधिकार (%)	31 मार्च, 2019 को स्वामित्व अधिकार (%)
1	डीएमआईसीडीसी मूना पॉवर कंपनी लिमिटेड*	-	-
2	डीएमआईसीडीसी इंद्रापुर पॉवर कंपनी लिमिटेड *	-	-
3	डीएमआईसीडीसी बघेल पॉवर कंपनी लिमिटेड*	-	-
4	डीएमआईसीडीसी विल्ले भगड पॉवर कंपनी लिमिटेड*	-	-
5	डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलरपॉवर कंपनी लिमिटेड	100%	100%

* इन कंपनियों के नाम दिनांक 9 अगस्त, 2018 की सूचना सं. आरओसी/डीई.जेओ/248(5)/एसटीके7/4893 द्वारा 09.08.2018 से कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए हैं।

43 सहयोगी कंपनी के रूप में समेकित उपक्रम की, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अंतर्गत जैसा अपेक्षा की गई, अतिरिक्त सूचना।

कंपनी का नाम (सभी भारतीय कंपनियां)	शुद्ध परिसंपत्तियां अर्थात कुल परिसंपत्तियों में से कुल दायित्वों घटाकर		लाभ अथवा हानि में हिस्सेदारी	
	समेकित शुद्ध परिसंपत्ति के % में	राशि (₹)	समाकलित लाभ अथवा हानि के % में	राशि (₹)
मूल				
नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड के नाम से विदित)	98.56	7,64,48,44,647	96.52	2,90,46,267
सहयोगी कंपनियां (भारतीय)				
डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड	1.44	11,14,61,091	3.48	10,47,143
सभी सहयोगी कंपनियों में अल्पमत	-	-	-	-

44 कंपनी के परिचालन पर कोविड-19 का प्रभाव

अपने आंकलन और अपने व्यापार के स्वरुप के आधार पर कंपनी विश्वास करती है कि वैश्विक महामारी कोविड-19 का कंपनी के परिचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है।

45 वर्तमान वर्ष की प्रस्तुति के अनुसार जहां कही आवश्यक समझा गया हो, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन:वर्गीकृत और पुन:संयोजित किया गया है।.

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसएसआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन

हस्ताक्षर
सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएजे4062
स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ताक्षर
(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर
(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर
पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर
अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन एवं कंपनी सचिव)

नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट कोरपोरेशन लिमिटेड)

फार्म एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 की धारा 129 की उप धारा (3) के प्रथम प्रतिबंध जिसे नियम 5 के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार सहयोगी कंपनी, संबंद्ध कंपनियों और संयुक्त उपक्रमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं को समाविष्ट करने वाला विवरण

भाग क : सहयोगी कंपनियां

क्र.सं.	सहयोगी कंपनी का नाम	डीएमआईसीडीसी नीमराणा सोलर पॉवर कंपनी लिमिटेड
1	सहयोगी कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि, यदि धारक कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि से किसी प्रकार विभिन्न हो	धारक कंपनी के समान
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	भारतीय रुपए
3	शेयर पूंजी	13,00,00,000
4	आरक्षित एवं अधिशेष	11,26,43,166
5	कुल परिसंपत्तियां	31,07,96,974
6	कुल दायित्वाएं	6,81,53,808
7	निवेश	कुछ नहीं
8	बिक्री	9,71,25,851
9	कर पूर्व लाभ/(हानि)	17,49,289
10	कर के लिए प्रावधान	11,73,060
11	कर के पश्चात लाभ/(हानि)	5,76,229
12	प्रस्तावित लाभांश	कुछ नहीं
13	शेयरधारिता का %	100%

भाग ख: संबंद्ध/संयुक्त उपक्रम: कुछ नहीं

1. संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू किया जाना शेष है
2. वर्ष के दौरान परिसमाप्त की गई अथवा बेचे गए संबंध अथवा संयुक्त उपक्रमों के नाम

समसंख्यक तिथि की संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एसएसएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 004739एन
हस्ताक्षर

सीए सचिन जैन
(साझेदार)
(सदस्यता सं. 098267)

यूडीआईएन:20098267एएएएजेड4062

स्थान- नई दिल्ली
दिनांक: 29 जुलाई, 2020

हस्ताक्षर

(के. संजय मूर्ति)
सीईओ एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 03532374)

हस्ताक्षर

पी.के. अग्रवाल
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

हस्ताक्षर

(राजेंद्र रत्नू)
निदेशक
(डीआईएन: 02855304)

हस्ताक्षर

अभिषेक चौधरी
(उपाध्यक्ष – कॉरपोरेट मामले, मानव संसाधन
एवं कंपनी सचिव)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

FINANCIAL YEAR 2019-20

Proforma for furnishing the relevant details in respact of the Organization referred to on para 02 of the OM no. LAFEAS-CBII067/18/2019-CB-II dated 23.10.2019 of Lok Sabha Secretariat

Name of the Ministry: Ministry of Commerce and Industry
Name of the Department: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
Name of Organization: National Industrial Corridor Development Corporation Limited
(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

Sr. No.	Particulars	Remark
1	Please specify, whether the organization is Autonomous/Statutory Body, Joint Venture, Corporation, Public Undertakings, etc.	Corporation
2	The Year of inception of the organisation	2008
3	Whether the organisation is under the administrative control of the Ministry/Department concerned	Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT)
4	The Act/Rule/Regulation governing the Organization	Companies Act, 2013 and General Financial Rules (GFR), 2017
5	Whether the Act/Rule/Regulation mentioned at SL No.4 above contains provisions for laying the Annual Reports and Audited Accounts of the Organization on the table of the House? **(Indicate YES or NO)** *(Please enclose a copy of the Act/Rules/Regulation)*	Yes (Rule 237 of GFR, 2017 are attached)
6	If answer to SL No.5 above is **YES**, indicate the time frame stipulated therein for laying these reports.	31st December
7	Whether the organization has received financial assistance (one time/recurring/annually) from the Ministry/Depattment concerned.	Annually
8	Whether the Annual Reports and Audited Accounts cifthe Organization are being laid on the table of the House; continuously since its inception **(Indicate YES or NO)**	Yes
9	If answer to SL No. 8 above is **YES**, indicate the date(s) of laying the requisite documents on the table of the House for the last three years i.e., 2016-17, 2017-18 and 2018-19.	Year / Lok Sabha / Rajya Sabha FY 2016-17 / 05.01.2018 / 20.12.2017 FY 2017-18 / 17.12.2018 / 17.12.2018 FY 2018-19 / 04.12.2019 / 06.12.2019
10	If the answer to SL. No. 8 above is **NO**; mention the years for which the requisite documents have not been laid by the Organisation, since its inception, alongwith the reasons thereof and the time by which the same are expected to be laid on the table of the House.	N.A.

authority, not being a foreign State or international Body/Organization, the Comptroller and Auditor General is competent under Section 15 (1) of the CAG's (DPC) Act, 1971, to scrutinize the procedures by which the sanctioning authority satisfies itself as to the fulfillment of the conditions subject to which such Grants and/or loans were given and shall, for this purpose, have right of access to the books and accounts of that Institute or Organisation or authority.

Rule 236 **(3)** In all other cases, the Institution or Organisation shall get its accounts audited from Chartered Accountants of its own choice.

Rule 236 **(4)** Where the Comptroller and Auditor General of India is the sole auditor for a local Body or Institution, auditing charges will be payable by the auditee Institution in full unless specifically waived by Government

Rule 237 **Time Schedule for submission of annual accounts.** The dates prescribed for submission of the annual accounts for Audit leading to the issue of Audit Certificate by the Comptroller and Auditor General of India and for submission of annual report and audited accounts to the nodal Ministry for timely submission to the Parliament are listed below:-

(I) Approved and authenticated annual accounts to be made available by the Autonomous Body to the concerned Audit Office and commencement of audit of annual accounts-30th June

(ii) Issue of the final SAR in English version with audit certificate to Autonomous Body/ Government concerned -31st October

(iii) Submission of the Annual Report and Audited Accounts to the Nodal for it to be laid on the Table of the Parliament -31st December

Rule 238 (1) Utilization Certificates. In respect of non-recurring Grants to an Institution or Organisation, a certificate of actual utilization of the Grants received for the purpose for which it was sanctioned in Form GFR 12-A, should be insisted upon in the order sanctioning the Grants-in-aid. The Utilization Certificate in respect of Grants referred to in Rule230 (10) should also disclose whether the specified, quantified and qualitative targets that should have been reached against the amount utilised, were in fact reached, and if not, the reasons therefor. They should contain an output based performance assessment instead of input based performance assessment. The Utilization Certificate should be submitted within twelve months of the closure of the financial year by the Institution or Organisation concerned. Receipt of such certificate shall be scrutinised by the Ministry or Department concerned. Where such certificate is not received from the Grantee within the prescribed time, the Ministry or Department will be at liberty to blacklist such Institution or Organisation from any future grant, subsidy or other type of financial support from the Government.

Rule 238 **(2)** In respect of recurring Grants, Ministry or Department concerned should release any amount sanctioned for the subsequent financial year only after Utilization Certificate in respect of Grants of preceding financial year is submitted. Release of Grants-in-aid in excess of seventy five per cent of the total amount sanctioned for the subsequent financial year shall be done only after utilisation certificate and the annual audited statement relating to Grants-in-aid released in the preceding year are submitted to the satisfaction of the Ministry/Department concerned. Reports submitted by the Internal Audit parties of the Ministry or Department and Inspection Reports received from Indian Audit and Accounts Department and the performance reports if any received for the third and fourth quarter in the year should also be looked into while sanctioning further Grants.

Rule 238 **(3)** Utilization certificates need not be furnished in cases where the Grants -in –aid / CFA are being made as reimbursement of expenditure already incurred on the basis of duly audited accounts. In such cases the sanction letters should specify clearly that the Utilization Certificates will not be necessary.

Rule 238 **(4)** In respect of Central Autonomous Organisations, the Utilization Certificate shall disclose separately the annual expenditure incurred and the funds given to suppliers of stores and assets, to construction agencies, to staff for (House

12th ANNUAL REPORT
AND
FINANCIAL STATEMENTS
(F.Y. 2019-20)

NICDC
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION
India Reimagined

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NICDC LTD.)

(formerly Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONTENTS

S. No.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPANY PROFILE	148 – 150
2.	CHAIRMAN'S MESSAGE	151 – 152
3.	CORPORATE INFORMATION	153
4.	ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE	154 – 160
5.	DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020.	161 – 196
6.	C&AG AUDIT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020	197 – 203
7.	AUDITOR'S REPORT ON STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020.	204 – 212
8.	STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020.	213 – 234
9.	AUDITOR'S REPORT ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020.	235 – 241
10.	CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2020.	242 – 268

ABOUT THE COMPANY

In order to embark on the process of planned urbanization with manufacturing as the key economic driver and to give a strong impetus to the country's industrial/ manufacturing development, the Government of India (GoI) announced the concept of Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) Project as the first Industrial Corridor in 2007. The project aims to create smart, sustainable industrial cities by leveraging the high speed, high capacity connectivity backbone provided by the Western Dedicated Freight Corridor (DFC) to reduce logistic costs in an enabling policy framework. A special purpose vehicle i.e. Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) was accordingly incorporated in January, 2008 for the development and implementation of DMIC project.

To facilitate the funding for the development of a world class infrastructure at the Industrial Cities for DMIC as a global manufacturing and investment destination, the Government of India has approved the creation of a dedicated fund with a corpus known as the DMIC Project Implementation Trust Fund (DMIC-PITF) in September, 2011. Later on, for coordinated and unified development of all the Industrial Corridors including DMIC, GoI has approved the expansion of the scope of existing DMIC-PITF and re-designated it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT). NICDIT functions under the administrative control of DPIIT.

Under the project, greenfield smart cities are being developed by using funds from Govt. of India and investment into project SPV's either as equity or debt directly by NICDIT from Project Implementation Funds (PIF) and land coming as equity from the respective State Govt. DMICDC is acting as a project development Company which undertakes various prefeasibility, feasibility, master planning and engineering studies for developing new greenfield industrial smart cities. It also undertakes the project development of various individual projects. In order to carry out these project development activities, Project Development Funds (PDF) is being released to DMICDC as a grant to carry out various project development activities.

DMICDC functions as a knowledge partner to NICDIT, downstream city level SPV's and Project level SPV's. The scope of DMICDC Limited has expanded due to expansion of the scope and mandate of NICDIT and DMICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities for all Industrial Corridor Projects which has been announced by Govt. of India or which will come up in the future. Therefore, the name of the company was changed from DMICDC to NICDC (National Industrial Corridor Development Corporation Limited) with effect from 17th February, 2020.

The current equity shareholders in NICDC include Government of India (49%), represented through the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Japan Bank for International Cooperation (JBIC) (26%) and financial institutions such as Housing and Urban Development Corporation (HUDCO) (19.9%), India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL) (4.1%) & Life Insurance Corporation (LIC) (1.0%).

Company Institutional and Financial Structure: -

The Government of India in 2011 approved the financial and institutional structure for DMIC Project with a budgetary support of Rs. 17,500 crore (at an average of Rs.2,500 crore for each of the 7 nodes subject to a maximum of Rs.3,000 crore) to be provided over a period of five years for the development of industrial cities in Phase-I of the DMIC project. An additional corpus of Rs. 1,000 crore has been provided as budgetary support to carry out project development under DMIC.

Further, for coordinated and unified development of various other Industrial Corridor projects including Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project, Govt. of India had expanded the mandate of existing DMIC PITF and renamed it as National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in December, 2016.

In addition to the corpus of Rs. 18,500 crore, an additional corpus of Rs. 1,584 crore (including Rs 84 crore for meeting administrative expenditure of NICDIT) was sanctioned totalling to Rs. 20,084 crore for undertaking various project development and implementation related works for all the other corridor projects.

The budgetary support from GoI flows to NICDIT and NICDIT provides equity and/or debt to Special Purpose Vehicles (SPVs) incorporated as joint ventures between GoI and the respective State Governments for developing Industrial cities /nodes/projects. Investment into project SPV's is done either as equity or debt directly by NICDIT and respective State Govt. transfers land as equity.

Govt. of India is developing various Industrial Corridor projects and NICDC has been entrusted with the responsibility of carrying out project development activities in respect of these Industrial Corridor Projects. Following 11 Industrial Corridor Projects are being developed in 04 phases: -

(i) Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC);
(ii) Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC);
(iii) Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC);
(iv) East Coast Industrial Corridor (ECIC) with Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) as Phase 1;
(v) Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC);
(vi) Extension of CBIC to Kochi via Coimbatore;
(vii) Hyderabad Nagpur Industrial Corridor (HNIC);
(viii) Hyderabad Warangal Industrial Corridor (HWIC);
(ix) Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC);
(x) Odisha Economic Corridor (OEC);
(xi) Delhi Nagpur Industrial Corridor (DNIC).

The greenfield cities/ projects under National Industrial Corridor programme are being implemented based on certain fundamental concepts of sustainable development like optimizing travel demand for the workforce through distributed business districts and industrial zones, integration of compatible land uses encouraging mixed-use, affordable workers housing planned near the industrial zones, high density residential neighbourhoods around High access Mass Transit Corridors, encouraging cycling & pedestrian modes over cars, recycling and reuse of water and solid wastes, energy sufficiency through use of renewables, conservation of better agricultural land & protection of sensitive natural environment (coastal zones, forests, sanctuaries), planned integration of existing villages into the new city, etc.

A National Master Plan has also been prepared depicting the economic zones and the infrastructure linkages required to support them with an objective to holistically integrate all the multi-modal connectivity projects and remove missing gaps for seamless movement of people, goods & services. The Industrial Corridor programme will be integrated with this National Master Plan for creating quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain.

During the year under review, Shendra Industrial City and the AURIC Building (Maharashtra) were dedicated to the nation by Hon'ble Prime Minister of India on 07th September 2019.

Under Delhi Mumbai Industrial Corridor Project, construction activities were underway in four State(s) i.e. Gujarat, Maharashtra, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh and significant progress has been made in these projects. Total of 68 plots covering an area of 521 acres have been allotted so far with a committed investment of around Rs. 16,000 crore.

NICDIT in its meeting dated 30th August, 2019 had accorded its approval for Krishnapatnam, 2500 acres in Andhra Pradesh, Tumakuru, 1736 acres in Karnataka under CBIC Project and Multi Modal Logistics Hub (MMLH) & Multi Modal Transport Hub (MMTH), 1208 acres at Greater Noida, U.P. under DMIC Project and CCEA approval is being sought for these projects.

Chairman's Message: Annual Report 2019-2020

Dear Shareholders,

It is with pleasure and a sense of accomplishment that I present your company's operational performance for the financial year 2019-20. The year started on an optimistic note with the economy doing well in all the major parameters of development. The quantum of foreign investment & the scale of progress achieved in the development of major infrastructure projects were quite impressive. Evidently, your company has placed itself in an outstanding position to avail the opportunities that emerge in a growing economy.

Under such circumstances, we, as a responsible corporate entity, have been able to leverage our competencies by playing an important role in contributing to the Nation's march towards progress. Indeed, monitoring progress of an ultra-mega project with multifarious synchronised development initiatives which has significant impact on Indian economy reflects our utmost sense of commitment and speaks highly about our professionalism and dedication to organizational values!

On the development front, the major achievement was dedication of Shendra Project and AURIC Hall in Maharashtra to the nation by Hon'ble Prime Minister on 07th September, 2019.

The implementation of various trunk infrastructure packages like Roads & Services, Water Treatment Plant(s), Solid Waste Management and Common Effluent Treatment Plant(s) was fastracked and strenuous efforts were made for land allotment. Other standalone projects like Multi Modal Logistic Hub projects in Haryana, Uttar Pradesh and Gujarat were taken forward. Greenfield Dholera International Airport and Expressway Project between Ahmedabad to Dholera were some critical projects which gained traction during the period as also Solar Power Project at Dholera, Gujarat, out of 1000 MW being managed by Gujarat Power Corporation Limited (GPCL), a total of 300 MW has been awarded to Tata Solar Power Limited. For remaining 700 MW, Gujarat Urja Vikas Nigam Limited (GUVNL) has received 07 bids for 1.3GW. This augurs well for DSIR to be a key destination for industries in times to come.

Special thrust was also given to other Industrial Corridor projects like Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project wherein project development activities have been completed for Krishnapatnam, 2500 acres (Andhra Pradesh) and Tumakuru, 1736 acres (Karnataka).

National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) accorded its approval for Krishnapatnam (Andhra Pradesh), Tumakuru (Karnataka) and Multi Modal Logistics Hub (MMLH) and Multi Modal Transport Hub (MMTH), Uttar Pradesh for seeking CCEA approval.

Approval was accorded by NICDIT for extension of Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) to Kochi via Coimbatore and development of Vishakhapatnam and Chittoor as priority nodes in Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC). A National Master Plan has been prepared to integrate the Multi Modal connectivity infrastructure with the economic zones by taking inputs from various Ministries/ Departments. As part of this exercise, 11 (Eleven) Industrial Corridors have been identified with 30 nodes/projects proposed to be developed in 04 phases until 2024-25.

A National Master Plan has also been prepared depicting the economic zones and the infrastructure linkages required to support them with an objective to holistically integrate all the multi-modal connectivity projects and remove missing gaps for seamless movement of people, goods & services. The Industrial Corridor programme will be integrated with this National Master Plan for creating quality infrastructure ahead of demand and keep the developed land parcels ready for immediate allotment for attracting investments into manufacturing and positioning India as a strong player in the Global Value Chain.

Our uncompromised approach to develop the best industrial ecosystem in India is getting reinforced by the trust reposed by the business and investor community. There is a significant increase in land allotments and in number of professional enquiries received from domestic & overseas conglomerates. Till now, 68 plots covering an area of 521 acres have been allotted so far with a committed investment of around Rs. 16,000 crore.

Project development activities have been completed for other projects like Dighi Port Industrial Area (Maharashtra) under DMIC Project and Integrated Manufacturing Cluster (IMC) at Raghunathpur (West Bengal) under AKIC Project.

Govt. of Uttarakhand has finalized the site location (IMC at Prag Khurpia) and accordingly, project development activities for detailed master planning has been initiated. Govt. of Haryana has finalized the site location (IMC at Hisar, Aviation Hub) and Govt. of Punjab is in the process of finalizing the site location and accordingly, project development activities will be initiated shortly for both these sites. States like Telangana and Odisha have also come on board for Hyderabad Warangal Industrial Corridor, Hyderabad Nagpur Industrial Corridor and Odisha Economic Corridor.

Hon'ble Prime Minister in his Independence Day speech of 2019 had highlighted that the Government has been targeting an investment of more than Rs. 100 lakh crore on infrastructure over the next 5 years. The National Infrastructure Pipeline announced thereafter outlines the road map of infrastructure projects to the tune of Rs. 111 lakh crore covering more than 6,500 Projects across different sectors like Ports, Roads, Railways, Aviation, National Waterways, Gas Grid, etc. As part of National Infrastructure Pipeline, projects worth Rs. 1.15 lakh crore have been envisaged under the Industrial Corridor Development Programme.

Coming a long way from the project conception stage, I feel that we still have a lot of tasks at hand. The challenges which any emerging economy face, continue to persist. The primary ones being the accelerated rate of urbanisation, optimum utilization of available resources and maintaining the integration amongst various development initiatives to achieve concerted economic outcomes. All these factors demand greater degree of involvement and devotion on our part. The projects being envisaged under Industrial Corridor Project address these challenges by providing infrastructure that is sustainable, reliable and resilient meeting world benchmarks. I strongly believe that we will stand the test of time in striving to our best for delivering results.

Our outlook for the future remains positive which is strongly reflected in our resolve to propel economic progress by means of sustained and integrated development and inclusive growth. With our expertise in creating smart infrastructure facilities, we assume greater accountability in the national efforts to steer India's transformation to a first-world economy. I would like to put on record my appreciation to our members of the Board of Directors for their unstinted support, exemplary foresight and generous contribution in terms of valuable advice. Lastly, our proficient manpower deserves commendation and credit for their stellar work and our resilience as a multifunctional organization.

Chairman

CORPORATE INFORMATION

Board of Directors

Dr. Guruprasad Mohapatra, IAS
Chairman

Shri Shailendra Singh, IAS
Director

Shri K. Sanjay Murthy, IAS
Chief Executive Officer and Managing Director

Shri Rajendra Ratnoo, IAS
Director

Shri Yusuke Iseki
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Shri M. Nagaraj
Director

Dr. Subrahmanyam Durvasula
Director

Audit Committee

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Dr. Subrahmanyam Durvasula
Director

Nomination & Remuneration Committee

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Dr. Subrahmanyam Durvasula
Director

Corporate Social Responsibility Committee

Shri Rajendra Ratnoo
Director

Shri Toshihiko Kurihara
Director

Dr. Subrahmanyam Durvasula
Director

Chief Financial Officer

Shri Pradeep Kumar Agarwal

VP-Corporate Affairs, HR & Company Secretary

Shri Abhishek Chaudhary

Statutory Auditor

M/s SSAR & Associates, Chartered Accountants

Internal Auditor

M/s VSPV & Co., Chartered Accountants

Secretarial Auditor

M/s Vikas Gera & Associates, Company Secretaries

Bankers

Central Bank of India , Hotel Ashok, Chanakyapuri, New Delhi

Registered Office

08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124, Connaught Place, New Delhi – 110001

ANNUAL GENERAL MEETING NOTICE

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

(formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)

NOTICE

NOTICE is hereby given that the 12th (Twelfth) Annual General Meeting of the Members of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** (formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) will be held on Wednesday the **30th day of September, 2020** at **11:00 A.M.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the following business: -

ORDINARY BUSINESS: -

1. To receive, consider & adopt the Audited Financial Statements (Standalone & Consolidated) as at 31st March, 2020 and the reports of the Board of Directors' and the Auditor's thereon for the period ended on that date.

2. **To appoint a Director in place of Dr. Subrahmanyam Durvasula, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible, offers himself for re-appointment** and in this regard to consider, and if thought fit, to pass, with or without modification(s), following resolution as an ***Ordinary Resolution***: -

   "**RESOLVED THAT** Dr. Subrahmanyam Durvasula, Director of the Company, who retires by rotation and being eligible has offered himself for re-appointment, be and is hereby appointed as Director of the Company, liable to retire by rotation."

3. **To appoint and fix remuneration of Statutory Auditors of the Company as may be nominated by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG)** and in this regard to consider, and if thought fit, to pass with or without modification(s) the following resolution as an ***Ordinary Resolution***: -

   "**RESOLVED THAT** pursuant to Section 139 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the appointment of M/s S. P. Chopra & Co, Chartered Accountants, New Delhi (ICAI Firm Registration No. 000346N) as nominated by the office of the Comptroller & Auditor General of India (C&AG) as the Statutory Auditor of the Company for the financial year 2020-21 vide its letter No. CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/423 dated 18th August, 2020, a copy of which has been placed before the meeting, be and is hereby approved/taken note of."

   "**RESOLVED FURTHER THAT** CEO & Managing Director of the Company be and is hereby authorized to fix the terms and conditions including the determination of the audit fee payable to the Statutory Auditors as recommended by the office of the C&AG."

SPECIAL BUSINESS: -

4. **To regularize the appointment of Shri K. Sanjay Murthy (DIN: 03532374) as Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

   "RESOLVED THAT Shri K. Sanjay Murthy (DIN:03532374), who was appointed as an Additional Director with effect from 18th November, 2019 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from him under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

5. **To regularize the appointment of Shri Muniappa Nagaraj (DIN: 05184848) as Director of the Company** and in this regard to consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following as an ***Ordinary Resolution*: -**

   "RESOLVED THAT Shri Muniappa Nagaraj (DIN:05184848) who was appointed as an Additional Director with effect from 17th July, 2020 on the Board of the Company in terms of Section 161(1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company and who holds office up to the date of this Annual General Meeting, in respect of whom the Company has received a notice in writing from a member under Section 160 of the Act, proposing his candidature for the office of Director, be and is hereby appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation."

By order of the Board
For National Industrial Corridor
Development Corporation limited

Place: New Delhi
Date: 12th October, 2020

Sd/-

(Abhishek Chauddhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. - F6701

NOTES:

1. In view of the massive outbreak of the COVID-19 pandemic, the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has vide its General Circular dated 05th May, 2020 read with General Circulars dated 08th April, 2020 and 13th April, 2020 (collectively referred to as 'MCA Circulars') has permitted the holding of Annual General Meeting ('AGM') through Video Conferencing (VC) / Other Audio Visual Means (OAVM), without the physical presence of the Members.

2. As per the Circular No. 14/2020 dated 08th April, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available. However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the meeting through VC/OAVM and participate thereat and cast their votes through e-voting.

3. The Members can join AGM in the VC/OAVM mode 15 minutes before the scheduled time of the commencement of the Meeting.

4. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013

5. In conformity with the provisions of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, the Explanatory Statement setting out all the material facts relating to the aforesaid business is annexed herewith and form part of the notice.

6. Details of Director seeking appointment at the ensuing Meeting are provided in the "Annexure-A" to the notice.

7. Members desiring inspection of statutory registers during the AGM may send their request in writing to the Company at abhishekchaudhary@nicdc.in.

8. The link of the meeting will be sent separately and members are requested to attend the AGM by following the invitation link sent to their registered email ID.

EXPLANATORY STATEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF SECTION 102(1) OF THE COMPANIES ACT, 2013: -

ITEM NO.2

Dr. Subrahmanyam Durvasula (DIN: 03285242), Director of the Company, liable to retire by rotation, vacates his office by rotation at this Annual General Meeting. Dr. Subrahmanyam Durvasula being eligible offers himself for re-appointment and is proposed to be re-appointed as a Director of the Company, liable to retire by rotation.

Hence the resolution is proposed.

Except Dr. Subrahmanyam Durvasula, being an appointee, none of the Directors and Key Managerial personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 2 of this notice.

ITEM NO. 3

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No. CA. V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC (0)/423 dated 18th August, 2020 has nominated M/s S. P. Chopra & Co., Chartered Accountants as the Statutory Auditor of the Company as per Section 139 of the Companies Act, 2013 for the financial year 2020-21. The Supplementary Audit of the Company for the financial year 2020-21 pursuant to Section 143 (6) & (7) of the Companies Act, 2013 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

Hence the resolution is proposed.

None of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 3 of this notice.

ITEM NO. 4

Shri K. Sanjay Murthy (DIN: 03532374) was appointed as an Additional Director by the Board of Directors w.e.f. 18th November, 2019 in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from him under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri K. Sanjay Murthy being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 4 of this notice.

ITEM NO. 5

Shri Muniappa Nagaraj (DIN: 05184848) was appointed as an Additional Director by the Board of Directors w.e.f. 17th July, 2020 in accordance with the provisions of Section 161 (1) of the Companies Act, 2013 and Article 135 of Articles of Association of the Company.

Pursuant to Section 161(1) of the Companies Act, 2013, the Additional Director holds office up to the date of the ensuing Annual General Meeting. The Company has received notice in writing from a member under Section 160 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, proposing his candidature for the office of Director of the Company.

Hence the resolution is proposed.

Except Shri Muniappa Nagaraj being an appointee, none of the Directors and Key Managerial Personnel of the Company and their relatives are concerned or interested in the resolution set out at Item No. 5 of this notice.

BY ORDER OF THE BOARD
For National Industrial Corridor Development Corporation Limited

Sd/-

(Abhishek Chauddhary)
VP-Corporate Affairs, HR
& Company Secretary
Membership No. -F6701

Place: New Delhi
Date: 12th October, 2020

ANNEXURE-A

Details of the Directors seeking appointment under item no (4) and (5) to the Notice of 12th Annual General Meeting of the Company to be held on 06th November, 2020
(Pursuant to Secretarial Standards-2 on General Meetings)

Name	Shri K. Sanjay Murthy	Shri Muniappa Nagaraj
Age	55 Years	53 years
Qualification	Bachelor of Engineering	Post-Graduation in Management
Experience	Shri K. Sanjay Murthy is presently working as CEO & MD of NICDC Limited. He graduated in Bachelor of Engineering and belongs to the Indian Administration Service (Himachal Pradesh Cadre) and joined the service in 1989. He has a vast and varied experience of more than 30 years in Power, Urban Development, Information Broadcasting, Information Technology and Education Sector in both the Government of India and in the Government of Himachal Pradesh in various capacities. Before joining NICDC, he has worked as an Additional Secretary in the Union Ministry of Housing and Urban Affairs, responsible for Urban Transport, Delhi Development Authority & NBCC. Shri Murthy has served in various field assignments including as Deputy Commissioner of 3 districts in Himachal Pradesh handling Development, Revenue Administration and other regulatory functions. On his deputation to the Government of India, he has served in the Ministry of Environment & Forest and Ministry of Communications & IT. He has also served in the National Institute of Smart Government (NISG), assisting States and Central Government Ministries/ Departments in their e-governance initiatives. In the State Government, he has headed the Directorate of Energy & HP Power Corporation Ltd. He was Principal Secretary, Elementary Education, Higher Education and Technical Education. On re-joining Government of India in 2014, he worked with the Ministry of Information & Broadcasting as Joint	Shri M. Nagaraj is the Chairman & Managing Director as well as Director (Corporate Planning) of HUDCO. He is a qualified Cost Accountant & Company Secretary and also a certified Banker having qualification of CAIIB. He holds Post Graduate degree in Management i.e. MBA with Specialization in Finance. He has varied experience of around 30 years in multitude of sectors such as Housing, Infrastructure Finance, Skill Development & Micro Finance in Social Sector, and International Trading. He has strong fundamentals in Managerial Capabilities and e-governance for corporate sector. Prior to joining HUDCO, he was Chairman-cum-Managing Director of PEC Limited (formerly Projects and Equipment's Corporation of India Limited) under the Ministry of Commerce and Industry. Prior to that, he was Managing Director in National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation (NSKFDC) under the aegis of Ministry of Social Justice and Empowerment. Before that, he was Director in IIFCL Projects Limited (a group company of India Infrastructure Finance Company Limited) and also General Manager in IIFCL under Ministry of Finance, handling the Portfolios of Project Finance especially Take-out Finance Scheme of IIFCL, Board Secretariat, Vigilance Activities, Business Development, etc. He had started his career with Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) as

	Secretary looking after Media & Entertainment, Broadcast Licensing and regulation.	Management Trainee and worked in various capacities upto Deputy General Manager for about 20 years before joining IIFCL.
Terms and Conditions of appointment or re-appointment	Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013.	Appointment as per Section 160 of the Companies Act, 2013.
Remuneration last drawn (including sitting fees, if any)	Detail of the remuneration last drawn is mentioned in MGT-9	-
Remuneration proposed to be paid	Same as earlier.	-
Date of first appointment on the Board	18th November, 2019	17th July, 2020
Shareholding in the Company as on date	NIL	NIL
Relationship with other Directors/ KMP	NA	NA
Number of meeting of the Board attended during the financial year	01	NIL
Directorships of other Boards	1. DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited - Managing Director; 2. Dholera Industrial City Development Limited - Director; 3. Aurangabad Industrial Township Limited- Additional Director; 4. DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited - Additional Director; 5. CBIC Tumakuru Industrial Township Limited - Nominee Director; 6. DMIC Vikram Udyogpuri Limited - Additional Director; 7. NICDC Logistic Data Services Limited - Additional Director; and 8. Dholera International Airport Limited- Additional Director.	1. Housing and Urban Development Corporation Limited- Managing Director; and 2. Bangalore Metro Rail Corporation Limited- Nominee Director.
Membership/ Chairmanship of Committees of other Boards as on date	NIL	**Housing and Urban Development Corporation Limited** • Corporate Social Responsibility Committee - Chairman; • Audit Committee - Member; and • Stakeholders Relationship Committee - Member

DIRECTOR'S REPORT

DIRECTORS' REPORT

Dear Shareholders,

Your Directors have pleasure in presenting the **12th (Twelfth) Board Report** on the affairs of the Company for the year ended on 31st March, 2020.

Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industry has been designated as the nodal agency from Government of India for the Industrial Corridor Project.

Industrial Corridor (IC) Project is a flagship programme of Government of India with the aim of creating futuristic Industrial Cities by leveraging the "High Speed - High Capacity" connectivity backbone provided by Western Dedicated Freight Corridor (DFC).

The name of the Company has been changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corpoatation Limited to National Industrial Corridor Development Corporation Limited.

The shareholding pattern of the Company is as follows:

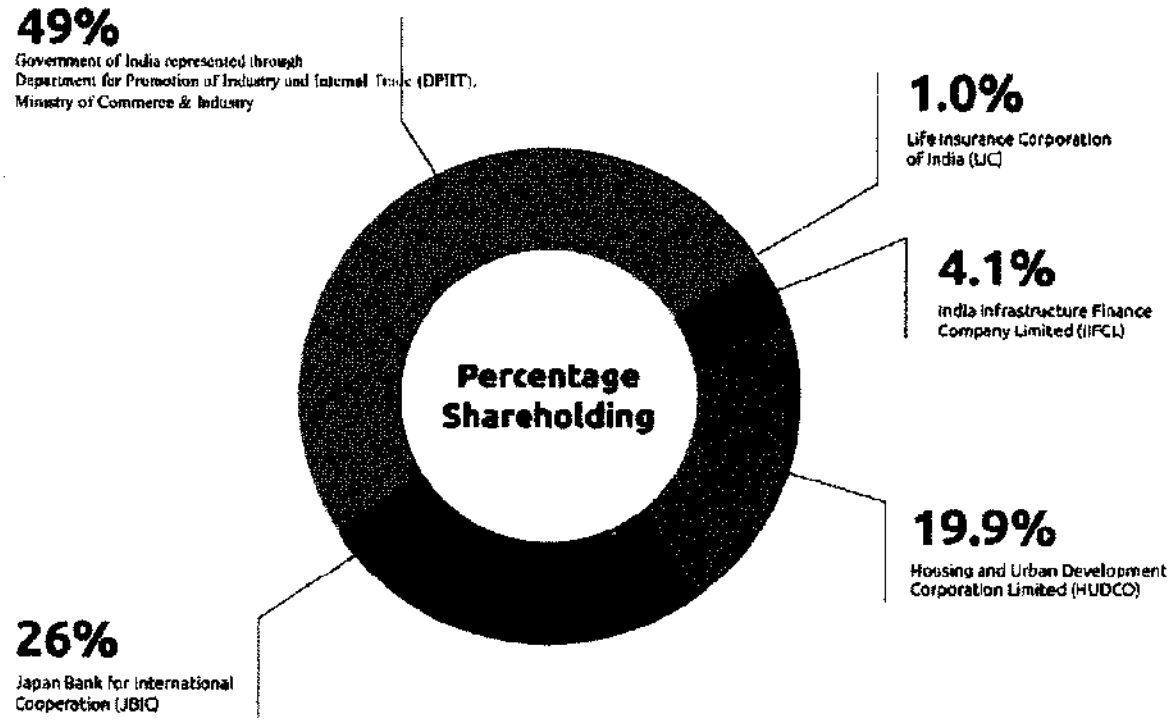

1. FINANCIAL STATEMENTS SUMMARY:-

The Financial Statements summary of the Company for the financial year ended 31st March, 2020 is summarized below:

(Amount in Rs.)

Particulars	2019-20	2018-19
Total Income	22,52,42,116	25,02,19,924
Total Expenses	18,46,11,883	19,07,01,519
Tax Expense	1,15,83,966	1,58,97,020
Profit / (Loss) for the year after Tax	**2,90,46,267**	**4,36,21,385**

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

001

2. STATUS OF COMPANY'S AFFAIRS:

A. Delhi Mumbai Industrial Corridor Project

Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) was the first Industrial Corridor project which was announced and various projects were approved by Govt. of India in 2014/15 wherein substantial progress has been achieved in last couple of years. Details of progress are as follows:

Node/City Projects:

1. Dholera Special Investment Region (DSIR), Gujarat:

- DSIR has been planned over an area of approximately 920 sq. km and the developable area in DSIR is divided into six (6) Town Planning Schemes i.e. TP scheme 1 to TP scheme 6
- Programme Managers have been appointed for entire DSIR for undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities
- Since developing entire trunk infrastructure in one go is not feasible, a phased approach was adopted and detailed master planning and preliminary Engineering activities for Town Planning (TP) scheme-2 comprising of TP-2(East) and TP-2(West) admeasuring an area of 152 sq. kms were taken up and have been completed
- Information and Communication (ICT) master planning has been completed
- A Joint Venture Company by the name of "Dholera Industrial City Development Limited (DICDL)" has been incorporated between Govt. of India represented by NICDIT and State Govt. represented by Dholera Special Investment Region Development Authority (DSIRDA)
- State Govt. has transferred 37.22 sq. kms to DICDL and matching equity amounting to Rs. 2145.54 crore has been released by NICDIT
- Environment Clearance has been accorded by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) for DSIR
- Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various infrastructure components amounting to Rs.2784.82 crore divided into five packages. The progress made in various EPC packages is as under:
  a. EPC for Roads and Services Contract (INR 1,734 crore) awarded. L&T is the selected bidder and construction activities are in progress
  b. EPC for ABCD Building Contract (INR 72.31 crore) awarded. Cube Construction Engineering Ltd. is the selected bidder and works have been completed.
  c. EPC for Water Treatment Plant (WTP) Contract (INR 90 crore) awarded. SPML is the selected bidder and construction activities are in progress

New Delhi

d. EPC for Sewage Treatment Plant (STP) Contract (INR 54 crore) awarded. L&T is the selected bidder and construction activities are in progress
e. EPC for Central Effluent Treatment Plant (CETP) contract (INR 160 crore) awarded. L&T is the selected bidder and construction activities are in full swing

- Land allotment policy has been finalized and 03 plots admeasuring 152.71 acres have been allotted to TATA Chemicals, Torrent Power and Hindustan Petroleum Corp. Ltd. with total committed investment of Rs. 1450 crore.
- Tender document for selection of Master System Integrator (MSI) has been issued for implementation of various smart city components
- Out of the 1000 MW being managed by GPCL, a total of 300 MW has been awarded for implementation (300 MW has been awarded to Tata Solar Power Limited.)
- For the remaining 700 MW, GUVNL has issued tender on 20th March, 2020. Bid submission date has been extended up to 31.07.2020.

2. <u>Shendra Bidkin Industrial Area (SBIA), Maharashtra</u>

- Preliminary Engineering works for entire Shendra (8.39 sq. kms) and Bidkin (32 sq. kms) has been completed;
- Programme Managers have been appointed for undertaking the implementation related activities by coordinating all the downstream activities;
- A Joint Venture Company by the name of "Aurangabad Industrial Township Limited (AITL)" has been incorporated between Govt. of India represented by NICDIT and State Govt. represented by Maharashtra Industrial Development Corporation (MIDC)
- AITL has been designated as a Special Planning Authority (SPA) by Govt. of Maharashtra
- Environment Clearance has been accorded by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC) for both Shendra and Bidkin Industrial Area
- State Govt. has transferred entire 8.39 sq kms to the SPV for Shendra Industrial Area and 20.92 sq. kms for Bidkin Industrial Area. Matching equity amounting to Rs. 602.80 crore and 1744.90 crore respectively has also been released by NICDIT
- For Shendra Industrial Area, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the tender packages for various infrastructure components for Rs. 1533 crore. The progress made in various EPC packages is as under:
  a) EPC for Roads, Drains, Culverts, Water Supply, Sewerage and Power systems awarded (INR 656.89 crore). Shapoorji Pallonji is the selected bidder and construction activities are nearing completion
  b) EPC for construction of Road over Bridges awarded (INR 69.45 crore). Patil Construction and Infrastructure Ltd is the selected bidder and construction activities are in progress
  c) EPC for District Administration Building (INR 129 crore). Shapoorji Pallonji is the selected bidder and works have been completed

New Delhi

003

d) EPC for Sewerage Treatment Plant (STP), Common Effluent Treatment Plant (CETP) & Solid Waste Management (INR 72.52 crore). Passavant Energy is the selected bidder and construction activities are in progress
e) EPC for Landscape and Irrigation Works (INR 112 crore). Shapoorji Pallonji is the selected bidder and construction activities are in progress
f) EPC for Information and Communication Technology (ICT) Master System Integrator (MSI) works (INR 142 crs). Honeywell is the selected bidder and implementation activities are in progress

- For Shendra, land allotment policy has been finalized and 58 plots admeasuring 160.30 acres have been allotted including one to HYOSUNG (100 acres) as the anchor investor. Other plots have been allotted majorly to Small and Medium Enterprises. The total committed investment is Rs. 4700 crores. Out of total 58 plots allotted, 6 companies have started their commercial operations as well.
- Hon'ble Prime Minister has dedicated the project to the Nation on 7th September, 2019
- For Bidkin Industrial Area, Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) had approved the infrastructure packages worth Rs. 6414.21 crore. The progress made in various EPC packages in Phase -1 (10.16 sq. kms.) is as under:
  a) L&T has been appointed as the EPC Contractor (INR 1223 crore) for Phase-1 i.e. 10.16 sq. kms for Roads, underground utilities/services and construction activities are in progress
  b) KEC has been appointed as the ICT Master System Integrator (MSI) works (INR 81.90 crore) and construction activities are in progress

3. <u>Integrated Industrial Township Project, Greater Noida, Uttar Pradesh</u>

- Detailed master planning and preliminary engineering of various trunk infrastructure components has been completed
- A Joint Venture Company by the name of "DMIC Integrated Industrial Township Greater Noida Limited (IITGNL)" has been incorporated between Govt. of India represented by NICDIT and State Govt. represented by Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA)
- Land admeasuring 747.5 acres has been transferred to the SPV of the project and matching equity amounting to Rs. 617.20 crore has also been released by NICDIT
- Environment Clearance has been accorded by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC)
- Information and Technology Consultant (ICT) has been appointed for finalizing the designs and specifications for Master System Integrator (MSI)
- EPC for various infrastructure components awarded (INR 426 crore). Shapoorji Pallonji is the selected bidder and construction activities are in progress
- SIEMENS has been appointed as the contractor for internal power infrastructure works for INR 121 Crore and implementation activities are in progress
- Works related to transmission network has been awarded to Uttar Pradesh Power

New Delhi

Transmission Corporation Limited (UPPTCL) for INR 156 crore and implementation activities are in progress

- Land allotment policy has been finalized and 05 plots admeasuring 153.89 acres have been allotted with HAIER (123.7 acres) as the anchor investor. The total committed investment is Rs. 3170 crores

4. Integrated Industrial Township 'Vikram Udyogpuri' Project, Ujjain, Madhya Pradesh

- Detailed Project Report (DPR) for the project has been completed
- A Joint Venture Company by the name of "DMIC Integrated Industrial Township Vikram Udyogpuri Limited (IITVUL)" has been incorporated between Govt. of India represented by NICDIT and State Govt. represented by MP Trade and Investment Facilitation Corporation Ltd. (MPTRIFAC)
- State Govt. has transferred 1100 acres land to the SPV and matching equity amounting to Rs. 55.93 crore has also been released by NICDIT
- Environment Clearance has been accorded by Ministry of Environment, Forest & Climate Change (MoEF&CC)
- EPC for various infrastructure works awarded (INR 332 crore). SPML is the selected bidder and construction activities are in progress
- EPC for laying of water pipeline (INR 129 crore) and laying of power transmission lines (INR 40 crore) has also been awarded and construction activities are in progress
- Land allotment policy has been finalized and 01 plot admeasuring 12 acres has been allotted to AMUL. The total committed investment is Rs. 200 crores

5. Khushkhera Bhiwadi Neemrana Investment Region, Rajasthan

- Master plan has been notified as part of the overall Shahjahanpur-Neemrana-Behror Urban Complex
- State Govt. has reported that they have initiated steps for land acquisition for phase-1 development i.e. approximately for 14 sq. kms

6. Jodhpur Pali Marwar Industrial Area (JPMIA), Rajasthan

- Master plan has been notified
- Environment Clearance has been accorded by MoEF&CC
- State Govt. has been requested to expedite the land acquisition

7. Dighi Port Industrial Area (DPIA), Maharashtra

- Project development works for Dighi Port Industrial Area (DPIA) is moving forward and detailed master planning and preliminary engineering has been completed.

National Industrial Development Corporation Limited New Delhi

- Entire land required for phase-1 development of DPIA i.e. 3000 Hectares is in possession of the State Govt.

Connectivity Projects:

1. Greenfield International Airport at Dholera, Gujarat

- Environment Clearance for Dholera International Airport has been obtained from Ministry of Environment, Forests & Climate Change (MoEF&CC)
- Ministry of Civil Aviation (MoCA) has granted "in principle "clearance to the project
- Airport Authority of India (AAI) has approved the DPR and has taken 51% equity into the project
- Shareholders Agreement (SHA) has been executed between AAI, Govt. of Gujarat & NICDIT
- NICDIT as part of its equity (16%) has released Rs. 24.24 crore
- RITES has been appointed as the Engineering Consultant for the project.
- Flood mitigation Plan is being finalized by Govt. of Gujarat's Irrigation Department while soil investigation is being conducted by IIT, Gandhi Nagar.

2. Bhimnath Dholera Rail Line Project, Gujarat

- Project will be implemented by DICDL as per the Non-Govt. Railway (NGR) model of Ministry of Railways
- Detailed Project Report (DPR) for the project has been prepared and has been submitted to Western Railways for their concurrence/approval

3. MRTS between Ahmedabad and Dholera, Gujarat:

- DPR for MRTS prepared and approved by the State Govt.
- Project has been included in JICA Rolling Plan for DMIC Project
- Land acquisition for the MRTS Project is being done as part of RoW of expressway project from Ahmedabad to Dholera.
- DPR for Expressway Project between Ahmedabad and Dholera has been finalized by NHAI and land acquisition is nearing completion. Tenders have also been issued by NHAI for expressway project for selection of contractor(s).
- Discussions are underway with State Govt. for finalizing the implementing agency for MRTS project.

4. Mass Rapid Transit System (MRTS) Project, Haryana

- A Joint Venture Company by the name of "DMIC Haryana MRTS Project Limited" has been incorporated

- Detailed Project Report (DPR) has been approved by the State Govt. along with Delhi Metro Rail Corporation (DMRC)
- Land for phase-1 of the project is in possession of the State Govt.
- Project has been included in JICA Special Rolling Plan for DMIC Project
- Discussions are underway with State Govt. for finalizing the implementing agency for MRTS project.

5. **Greenfield International Airport at Bhiwadi, Rajasthan**

- Site Clearance accorded by Ministry of Civil Aviation
- Detailed Project Report (DPR) finalized by Airport Authority of India (AAI)
- Environment Impact Assessment Study is complete and environment clearance is being obtained from MoEF&CC
- State Government has been requested to expedite the land acquisition for the project.

Logistics projects:

1. **Integrated Multi Modal Logistics Hub (IMLH) at Nangal Chaudhary, Haryana**

- A Joint Venture Company by the name of "DMIC Haryana Multi Modal Logistic Hub Project Limited (MMLHPL)" has been incorporated
- Master plan has been approved by the State Govt.
- Land admeasuring approx. 886 acre has been identified in District Mahendergarh for the project and 676 acre has been transferred to project SPV and matching equity amounting to Rs.208.05 crore (including initial equity of Rs. 5 crore) has been released by NICDIT
- Project has been approved by NICDIT and subsequently by Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site
- Environment Clearance has been obtained for the project
- State Govt. has been requested to expedite acquisition of remaining land parcels after concluding the litigation in the Punjab & Haryana High Court on the matter.
- Consultant has been appointed for Preparation of Detailed Project Report of Rail Siding from New Dabla Station of DFCCIL and construction supervision of rail siding to the proposed logistic hub.
- For acquisition of remaining 15 acres required for providing connectivity to the New Dabla station of DFCCIL, Ministry of Railways has accorded its approval for acquisition of land under the Railways Act. A MOU in this regard is being finalized.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

2. **Multi Modal Logistics Hub (MMLH) at Dadri and Multi Modal Transport Hub (MMTH) at Boraki in Greater Noida, Uttar Pradesh**

- The SPV for Integrated Industrial Township Project will be implementing the MMLH and MMTH project as well
- DFCCIL has given 'in principle' approval for providing connectivity to the project site
- 84% of the land is in possession of the State Govt. and remaining land parcels are being acquired expeditiously
- NICDIT had recommended the project for seeking final approval from CCEA
- Memorandum of Understanding (MoU) has been executed with Ministry of Railways for MMTH project
- Approval from CCEA is being sought for both MMLH and MMTH project.
- Consultant has been appointed for Preparation of Detailed Project Report and construction supervision of Rail Flyover from Dadri Junction Station of DFCCIL to the proposed logistic hub.
- State Govt. has been requested to expedite the balance land acquisition and request has also been made to Ministry of Railways by NICDC on behalf of GNIDA to permit acquisition of 26 Ha of land under the Railways Act.

3. **Multi Modal Logistic Park (MMLP) at Sanand, Gujarat**

- Master plan is being finalized
- Connectivity plan for the proposed project has been prepared and the same has been presented to the State Govt., Dedicated Freight Corridor Corporation of India (DFCCIL) & Ministry of Railways
- State Govt. has identified land which is in possession of Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC)
- NICDIT had approved the SHA & formation of Special Purpose Company

Other Projects

1. **Model Solar Project, Neemrana, Rajasthan:**

- The Model Solar Power Project at Neemrana, Rajasthan was conceived for demonstrating the integration of solar power with industrial diesel generator sets (as the backup facility). The project comprises of 6MW Solar PV and 2MW Diesel Generator Set integrated with a Smart Micro Grid, feeding clean, stable, renewable power to State Grid and Japanese industrial consumer in Neemrana Industrial Park
- The project for 5MW has been commissioned & power feeding to grid has commenced since 24th July, 2015
- 1MW Project has been commissioned with effect from 10th July, 2017

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

2. Logistic Data Services Project:

- The project of Logistic Data Bank (LDB) was envisaged as Service for tracking container cargo movement, integrate the existing IT systems of various stakeholder (ports, customs, trains, ICD etc.) across the supply chain to provide near real time information within a single window
- Operations started at JNPT from 1st July, 2016
- Service is operational at pan India level at all major and some minor ports and more than 26.5 million containers have been tagged/de-tagged till date.

3. IICC Project, Dwarka, New Delhi

- Union Cabinet in its meeting held on 10.11.2017 has approved the development of India International Convention & Expo Centre at an estimated cost of INR 25703 crore. A 100% Government owned company titled as India International Convention and Exhibition Centre Limited has been incorporated to implement the project.
- The land measuring 89.5832 Ha in Sector-25, Dwarka has been transferred by DIPP to IICC Limited on lease for development of this project.
- All statutory approvals and clearances such as Environment Clearance (MoEFCC), Consent to Establish (Delhi Pollution Control Board), Tree Cutting Permission (Dept of Forest of Wildlife, GNCTD), Layout Plan Approval (SDMC), Urban Design Approval (DUAC), Building Height Clearance (AAI), External Connectivity Approval (NHAI/UTTIPEC), Electrical connection (BSES Rajdhani Power Ltd.), Water & Sewerage Connection (Delhi Jal Board), Fire NOC (Delhi Fire Services) etc. have been obtained for the project.
- Larsen & Toubro has been appointed as EPC Contractor to undertake the Detailed Design, Construction, Testing & Commissioning of Phase-I components consisting of Exhibition & Convention Centre along with trunk infrastructure facility for entire project for the completion period of 22 months.
- A consortium of Korea International Exhibition Centre and eSang Networks Company Limited (KINEXIN) has been appointed as the Operator for Exhibition and Convention Centre on June 25, 2018 and Operator Services Agreement for a term of 20 years from COD has been signed.
- IDBI Capital Markets & Securities Limited has been appointed as Financial Advisor for raising loans for IICC.
- Foundation Stone Laying for the IICC project was conducted on 20th September 2018 by Shri Narendra Modi, Prime Minister of India.
- National Council for Cement and Building Materials (NCCBM) has been appointed on October 22, 2018 for Consultancy Services for "Third Party Quality Assurance and Audit" (TPQA) for India International Convention & Exhibition Centre.
- MoU Agreement between BSES Rajdhani Power Ltd (BRPL) & IICC for Bulk power supply to IICC Dwarka has been signed.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

009

- A term loan amounting to Rs. 2150 crore has been finalized by SBI with the approval of Board of IICC.
- Further, DMRC has also appointed the EPC Contractor to undertake the construction of Metro link to IICC Project site via Airport Express Line and work is going on in full swing at site.
- MoU Agreement for knowledge partnership between IICC and DMICDC for development of India International Convention and Expo Centre was signed on 26th October 2018. DMICDC will act as a knowledge partner for the project on payment of an annual fee @1% of the yearly interest accrual, subject to a minimum of Rs. 5 crore and maximum of Rs. 10 Crore per annum for an initial period of 10 years.
- Tunneling works under Exhibition Hall-3 was completed by DMRC and handed over to L&T to undertake further construction works on 23rd January 2019.
- Due to Notification of EPCA (Environment Protection & Prevention Control Authority), a blanket ban was imposed on all construction activities across Delhi NCR which resulted in stoppage of construction works at IICC Dwarka site from 26th October 2019 to 10th December 2019.
- In view of initial delays in the project on account of land issues, delay in completion of tunneling works by DMRC and delay in fabrication of steel trusses by EPC contractor and the situation arising out of the Covid-19, the project is presently behind schedule.

B. Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) and its extension to Kochi via Coimbatore

- For '**Krishnapatnam node**' in Andhra Pradesh, the Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed and Joint Venture Company by the name of 'NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited' has been incorporated. Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (2500 acres) have been finalized. NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 considered the project proposal and recommended the same for seeking final approval from CCEA. Approval of CCEA is being sought accordingly.

- For '**Tumakuru node**' in Karnataka, the Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed and Joint Venture Company by the name of 'CBIC Tumakuru Industrial Township Ltd.' has been incorporated. Detailed Master Planning and Preliminary Engineering activities for the Activation Area (1736 acres) have been finalized. NICDIT in its meeting held on 30th August, 2019 considered the project proposal and recommended the same for seeking final approval from CCEA. Approval of CCEA is being sought accordingly.

- For '**Ponneri node**' in Tamil Nadu, the Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) has been executed on 21st February, 2020. Further, activities related to selection of consultants for detailed master planning and preliminary engineering has been initiated.

New Delhi

010

- Also, NICDIT had accorded its approval for extension of CBIC Project to Kochi via Coimbatore. Accordingly, activities related to selection of consultants for preparation of detailed master planning and preliminary engineering has been initiated for Palakkad (Kerala) and Salem (Tamil Nadu). Finalization of Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is also underway.

C. <u>Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC)</u>

- Perspective Planning has been completed.
- One (01) Integrated Manufacturing Cluster (IMC) site has been finalized in each State for further development namely:
  - Punjab (Rajpura-Patiala), 1000 acres
  - Uttarakhand (Prag-Khurpia Farms), 2934 acres
  - Uttar Pradesh (Bhaupur), 2497 acres
  - Bihar (Gamhariya), 2456 acres
  - Jharkhand (Barhi), 2597 acres
  - West Bengal (Raghunathpur), 2483 acres
  - Haryana (Hisar), 3000 acres
- The project was reviewed by NICDIT and it was decided that project development should be undertaken only in those places where land is in possession and the State Government(s) is willing to transfer the same to the SPV.
- Accordingly, the detailed master planning and preliminary engineering for IMC site at West Bengal (Raghunathpur) has been completed where 2483 acres of land is available. Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being discussed with Govt. of West Bengal.
- Land identification, admeasuring 2935 acres, along with Shareholder's Agreement (SHA) and State Support Agreement (SSA) is being finalized for Prag-Khurpia Farms (Uttarakhand) node.
- State Govt. of Haryana has requested for prioritizing Hisar in place of earlier identified site i.e. Saha due to availability of land and accordingly, activities related to selection of detailed master planning and preliminary engineering consultant for the new site i.e. Hisar is being initiated.
- Discussions are underway with Govt. of Uttar Pradesh wherein State Govt. has been requested for identification of suitable land parcel for development.
- Govt. of Punjab has also informed that land is being identified and same shall be informed to Govt. of India/NICDC shortly.
- Govt. of Bihar and Jharkhand has also been requested for confirmation on institutional and financial structure as approved by Govt. of India for Industrial Corridor Projects along with concurrence on availability of land in its possession.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

011

D. Vizag- Chennai Industrial Corridor:

- Conceptual Development Plan completed by Asian Development Bank(ADB).
- ADB approved project loan of US $500 million and programme loan of US$ 125 million to the Government of Andhra Pradesh for VCIC Project.
- The prioritized nodes are Visakhapatnam and Chittoor.
- NICDIT had accorded its approval for development of Vishakhapatnam and Chittoor as priority nodes in phase-1 of VCIC.
- State Govt. has also requested for inclusion of Kadappa as an additional node in the State of Andhra Pradesh
- State Govt. has informed regarding availability of land in Kadappa and Chitoor for development of industrial node and activities related to finalization of tender documents for selection of consultants for detailed master planning and preliminary engineering has been initiated with State Govt.

E. Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC)

- Perspective Plan finalized.
- Dharwad node in Karnataka has been identified as the priority node for further implementation.
- Government of Maharashtra has given 'in-principle' approval for the development of Sangli/Solapur Node in the State.

F. Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor:

- Based on the proposal received from Govt. of Telangana for development of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor, NICDIT had directed that "Government of Telangana should carry out a feasibility study and identify suitable land for the project."
- Accordingly, Govt. of Telangana has carried out a detailed study and Hyderabad Pharma City has been identified as part of Hyderabad Warangal Industrial Corridor. Further, Zaheerabad has been identified as part of Hyderabad Nagpur Industrial Corridor.
- The proposal with regard inclusion of Hyderabad Warangal and Hyderabad Nagpur Industrial Corridor will be placed for the consideration of NICDIT in its next meeting.

G. Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor (HBIC):

- A request has been recently received by Govt. of India from Govt. of Andhra Pradesh for development of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor wherein following nodes were proposed for development:
  - Orvakal
  - Anantapur
  - Hindupur

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

012

- During the recent meetings with officials of State Govt., the progress of the project was reviewed and after detailed deliberations, it was decided that State Govt.(s) of Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka will discuss initially among themselves and communicate their view points to NICDC regarding implementation of Hyderabad Bengaluru Industrial Corridor. Support for HBIC and land details from State Govt. of Telangana and Andhra Pradesh have been received vide letters dated 12/05/2020 and 08/06/2020 respectively and will be placed for consideration of NICDIT in its next meeting.

H. Odisha Economic Corridor (OEC) Project:

- Concept Development Plan (CDP) has been finalized by ADB
- Khurda-Cuttack-Jagatsinghpur (KCJ) and Jajpur-Kendrapara-Bhadrak (JKB) has been identified for development
- State Govt. has been requested to submit the proposal so that OEC can be included as part of overall mandate of NICDIT

Various Industrial Corridors in the southern part of the country can leverage the proposed East Coast Dedicated Freight Corridor (DFC) being planned from Vijaywada to Kharagpur, East West DFC planned from Bhusawal-Nagpur-Rajkharswan-Dankuni and Bhusawal-Nagpur-Rajkharswan-Andal and North South DFC planned from Vijaywada to Itarsi by DFCCIL, which is currently undertaking preparations of DPR for these sections.

In addition to this, project development works will also be initiated for Delhi Nagpur Corridor in consultation with the respective State Govts.

3. SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES:

The Company has only one subsidiary namely DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited as on 31st March, 2020.

During the year under review, the Board of Directors reviewed the affairs of the subsidiary. Further, the report on the performance and financial position of the subsidiary and salient features of the Financial Statements in the prescribed Form AOC-1 is enclosed with the Financial Statements.

4. DIVIDEND:

No dividend has been recommended during the financial year.

5. RESERVES:

During the period under review, Rs. 2,90,46,267/- has been transferred to the reserves by the Company.

6. CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY:

There was no change in the nature of the business of the Company during the financial year ended on 31st March, 2020.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

7. DETAILS IN RESPECT OF ADEQUACY OF INTERNAL FINANCIAL CONTROLS WITH REFERENCE TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

M/S VSPV & CO., Chartered Accountants were appointed as Internal Auditors of the Company for the financial year 2019-20 pursuant to Section 138(1) of the Companies Act, 2013 in the Board Meeting of the Company held on 04th November, 2019. The Board feels that the scope of Internal Audit and Internal Financial Control having regard to the size of the Company are adequate.

8. DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE:

During the financial year ended on 31st March, 2020, no order has been passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future.

9. MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE FINANCIAL YEAR ENDED ON 31st MARCH, 2020 AND THE DATE OF THE REPORT:

There are no material changes occurred in between the financial year ended on 31st March, 2020 and date of the report of the Company which affects the financial position of the Company.

10. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

During the year under review, the Company is required to comply with the provisions related to Corporate Social Responsibility in pursuance to the provisions of the Section 135 of the Companies Act, 2013. The details of CSR activities are mentioned in Annual Report on CSR activities enclosed at Annexure-"A".

11. DEPOSITS:

During the financial year ended on 31st March, 2020, the Company has not accepted any deposits nor any deposits remained unpaid or unclaimed.

12. STATUTORY AUDITORS:

The Comptroller and Auditor General of India (C&AG) vide its letter No./CA.V/COY/CENTRAL GOVERNMENT, DMICDC(0)/441 dated 06th August, 2019 had appointed M/s SSAR & Associates, Chartered Accountants as the Statutory Auditors of the Company as per the provisions of the Companies Act, 2013 for the financial year 2019-20. Also the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2019-20 has been entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

014

On similar lines, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will be nominating the Statutory Auditors for the financial year 2020-21. Also, the Supplementary Audit of the Company for the financial year 2020-21 will be entrusted to Principal Director, Commercial Audit & Ex- Officio Member Audit Board - I.

The Statutory Auditors of the Company as may be appointed by the office of Comptroller and Auditor General of India (C&AG) will hold office till the conclusion of the 13th Annual General Meeting of the Company.

13. AUDITORS' REPORT:

The Auditors' Report submitted by Statutory Auditor do not contain any qualifications. The notes to the accounts referred to in the Auditor's Report are self-explanatory and therefore do not call for any further comments of Directors.

14. SECRETARIAL AUDITORS:

M/s Vikas Gera & Associates, Company Secretaries had been appointed in the Board Meeting of the Company held on 04th November, 2019 to conduct the Secretarial Audit of the Company for the financial year 2019-20 as per Section 204 of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder. The Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2020 is attached at **Annexure-"B"**.

15. SECRETARIAL AUDITORS' REPORT:

The Secretarial Auditors has given following observation in their report: -

Secretarial Auditors' comment	Management Remarks
The Company was required to appoint women director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which the company has not done.	The matter is being deliberated with Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT). Further, NICDC Ltd. vide its letters dated 15th October, 2019, 25th November, 2019, 15th January, 2020, 10th February, 2020, 26th February, 2020, 11th April, 2020, 12th May, 2020, 11th June, 2020 and 13th July, 2020 had requested DPIIT to appoint Independent Woman Director on the Board of the Company at the earliest. The matter was also deliberated during the Board meetings of the Company held on 17th July, 2019, 04th November, 2019 and 27th May, 2020.

16. CAPITAL STRUCTURE:

The authorized, issued and paid-up share capital of the Company is Rs. 100,00,00,000/- (Rupees One Hundred crores Only) divided into 10,00,00,000 (Ten crore) equity shares of Rs. 10/- (Rupees Ten) each.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

17. EXTRACT OF THE ANNUAL RETURN UNDER SECTION 92(3):

In accordance with Section 134(3)(a) of the Companies Act, 2013, the extract of the Annual Return as provided under Section 92(3) of the Companies Act, 2013 in Form No. MGT-9 is attached at Annexure - "C".

18. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION AND FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO:

The details of conservation of energy, technology absorption, foreign exchange earnings and outgo are as follows:-

A) Conservation of energy*:

i.	the steps taken or impact on conservation of energy	: **Not Applicable**
ii.	the steps taken by the Company for utilizing alternate sources of energy	: **Not Applicable**
iii.	the capital investment on energy conservation equipment's	: **Not Applicable**

B) Technology absorption:

i.	the efforts made towards technology absorption	: **Not Applicable**
ii.	the benefits derived like product improvement, cost reduction, product development or import substitution	: **Not Applicable**
iii.	in case of imported technology (imported during the last three years reckoned from the beginning of the financial year) (a) The details of technology imported; (b) the year of import; (c) whether the technology been fully absorbed; (d) if not fully absorbed, areas where absorption has not taken place, and the reasons thereof; and	: **Not Applicable**
iv.	the expenditure incurred on Research and Development	: **Not Applicable**

C) Foreign exchange earnings and Outgo:

i.	The Foreign Exchange earned in terms of actual inflows during the year	: **NIL**
ii.	The Foreign Exchange outgo during the year in terms of actual Outflows	: **Rs. 3,18,704/-**

*[*Note: The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones/townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure. The conservation of energy and technology absorption is not applicable. However, the Company is doing its best efforts for the conservation of energy through various project development activities.]*

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

19. BOARD OF DIRECTORS:-

(A) Changes in Directors and Key Managerial Personnel:

S. No.	Name of the Director/Key Managerial Personnel	Date of Appointment	Date of Cessation
1.	Shri Rajendra Ratnoo	17th July, 2019	-
2.	Smt. Vandana Kumar	24th August, 2016	17th July, 2019
3.	Shri Yusuke Iseki	17th July, 2019	-
4.	Shri Toshihiko Kurihara	17th July, 2019	-
5.	Shri Guruprasad Mohapatra	01st August,2019	-
6.	Shri Ramesh Abhishek	01st March, 2016	31st July, 2019
7.	Shri Alkesh Kumar Sharma	19th October, 2015	15th September, 2019
8.	Shri K. Sanjay Murhty	18th November, 2019	-
9.	Shri Ravi Kanth Medithi	16th May, 2014	31st January, 2020
10.	Shri J. P. Batra	30th March, 2015	30th March, 2020

Retirement by Rotation: -

In accordance with the provisions of Section 152 of the Companies Act 2013 and the Articles of Association of the Company, Dr. D. Subrahmanyam, Director of the Company retires by rotation at the ensuing Annual General Meeting and being eligible have offered themself for re-appointment.

(B) Number of Meetings of the Board of Directors:

Four (04) meetings of the Board of Directors of the Company were held in the financial year 2019-20. The details of the Board Meeting are as under:-

S.No.	Particulars	Date of Board Meeting
1.	51st Board Meeting	09th April, 2019
2.	52nd Board Meeting	17th July, 2019
3.	53rd Board Meeting	04th November, 2019
4.	54th Board Meeting	12th December, 2019

20. COMMITTEES OF THE BOARD:-

The Board of Directors has following three Committees:-

(A) Audit Committee :

As per Section 177 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company had re-constituted the Audit Committee as follws: -

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri J. P. Batra, Ex-Chairman, Railway Board *	Indepenent Director	Chairman

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

017

2.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry **	Non Executive Director	Chairman
3.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
4.	Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

* Shri J. P. Batra ceased to be Director of the Company w.e.f. 30th March, 2020.

** Shri Rajendra Ratnoo has been appointed as member of the Audit Committee in 55th Board Meeting held on 27th May, 2020.

During the year 2019-20, four meetings of the Audit Committee were held on 09th April, 2019, 08th May, 2019, 04th November, 2019 and 19th March, 2020.

(B) **Nomination and Remuneration Committee** :

As per the Section 178 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company had re-constituted the Nomination and Remuneration Committee as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri J. P. Batra, Ex-Chairman, Railway Board *	Indepenent Director	Chairman
2.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry **	Non Executive Director	Chairman
3.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
4.	Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

* Shri J. P. Batra ceased to be Director of the Company w.e.f. 30th March, 2020.

** Shri Rajendra Ratnoo has been appointed as member of the Nominaion & Remuneration Committee in 55th Board Meeting held on 27th May, 2020.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

During the year, three meeting of Nomination and Remuneration Committee was held on 08th May, 2019, 04th November, 2019 and 12th December, 2019.

(B) Corporate Social Responsibility Committee

As per the Section 135 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Board of Directors of the Company had re-constituted the Corporate Social Responsibility Committee as follows:-

Sl. No	Name of Director	Category	Designation
1.	Shri J. P. Batra, Ex-Chairman, Railway Board *	Indepenent Director	Chairman
2.	Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry **	Non Executive Director	Chairman
3.	Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	Non Executive Director	Member
4.	Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	Non Executive Director	Member

* Shri J. P. Batra ceased to be Director of the Company w.e.f. 30th March, 2020.

** Shri Rajendra Ratnoo has been appointed as member of the Corporate Social Responsibility Committee in 55th Board Meeting held on 27th May, 2020.

During the year, two meeting of Corporate Social Responsibility Committee was held on November 04, 2019 and March 19, 2020.

21. REMUNERATION PAID TO KEY MANAGERIAL PERSONNELS (KMPs):

The Company during the financial year 2019-20 has paid remuneration to Shri Alkesh Kumar Sharma, former CEO & Managing Director, Shri K. Sanjay Murthy, CEO & Managing Director; Shri Pradeep Kumar Agarwal, Chief Financial Officer and Shri Abhishek Chauddhary, VP - Corporate Affairs, HR and Company Secretary. The details of the remuneration paid during the financial year 2019-20 is mentioned in VI (A) and Clause VI (C) of Form No. MGT – 9.

22. PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186:

No loan or guarantee has been given and investment has been made under Section 186 of the Companies Act, 2013 by the Company during the financial year under review.

23. PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES UNDER SECTION 188(1):

No contracts or arrangements were entered into by the Company with related parties referred to in sub-section (1) of Section 188 of the Companies Act, 2013 during the financial year under review.

24. RISK MANAGEMENT AND INTERNAL ADEQUACY:

The Company has adequate risk management process to identify and notify the Board of Directors about the risks or opportunities that could have an adverse impact on the Company's operations or could be exploited to maximize the gains. The processes and procedures are in place to act in a time bound manner to manage the risks or opportunities.

The Company's internal control systems are commensurate with the nature of its business and the size and complexity of its operations. These are routinely tested and certified by Statutory as well as Internal Auditors. Significant audit observations and follow up actions thereon are reported to the Audit Committee.

25. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In pursuance to clause (c) of sub-section (3) of Section 134 of the Companies Act, 2013 it is stated that:-

a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b) the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;

c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d) the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and

e) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

26. RIGHT TO INFORMATION

The status of RTI applications/appeals received during the financial year 2019-20 is as follows:

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

020

RTI Application/ Appeals received		RTI applications				Pending Applications as on 31.03.2020
		Rejected	Information provided	Transferred to other public Authority	Returned to Applicant	
Applications	15	0	14	1	0	0
Appeals	0	0	0	0	0	0

27. PERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS:

The Directors of your Company are in a fiduciary position, empowered to oversee the management functions with a view to ensure its effectiveness and enhancement of stakeholders' value. Independent Director is appointed keeping in view their diverse skills and experience as to provide directions, guidance and support to the management.

28. COST AUDITORS:

As per the provisions of the Companies Act, 2013, the Company is not required to appoint the Cost Auditors.

29. POLICY IN COMPLIANCE OF THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION AND REDRESSAL) ACT, 2013:

The Company has constituted an Internal Compliants Committee in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Committee has been set up to redress complaints received regarding sexual harassment. The committee spread awareness amongst the employees regarding 'Zero Tolerance' for sexual harassment at work place. There were no cases filed during the financial year ended 31st March, 2020.

30. VIGILANCE

There were no vigilance cases reported during the financial year 2019-20 and there are also no previous pending vigilance cases in the Company.

31. SECRETARIAL STANDARDS:

The Company has complied with applicable Secretarial Standards issued by the Institute of Companies Secretaries of India from time to time.

32. EXPLANATION OR COMMENTS BY THE BOARD ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE:

The report of Statutory Auditor is free from qualification, reservation or adverse remark or disclaimer and explanation on the qualification by Secretarial Auditors has been presented in this report at point No.15.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

021

33. ACKNOWLEDGEMENTS:

The Board of Directors of the Company wish to place on record, their thanks and appreciation to all workers, staff members and executives for their contribution to the operations of the Company. The Directors are thankful to the Government of India, Japan Bank for International Cooperation (JBIC), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO), India Infrastructure Finance Corporation Limited (IIFCL) and Life Insurance Corporation of India (LIC), and its Bankers. The Directors also place on record their sincere thanks to the shareholders for their continued support, co-operation and confidence in the Management of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors

(Guruprasad Mohapatra)
Chairman
DIN:-00012570
Add: 41, New Moti Bagh,
East Netaji Nagar,New Delhi-110011

Date: 29.07.2020
Place: New Delhi

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

Annexure- "A"

ANNUAL RETURN ON CSR ACTIVITIES

1. **A Brief outline of the Company's CSR policy, including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and project or programs: -**

   NICDC envisions to act in a socially responsible manner to contribute to the socio-economic development of the communities and operate in, by building stronger, developed sustainable communities & raise the quality of life of people of the Country.

   Web-link of the CSR policy of the Company: -

   https://www.nicdc.in/download.aspx?mpgid=34&pgidtrail=34&utid=11

2. **The composition of the CSR Committee: -**

   The composition of the Committee is as follows: -

   a) Shri Rajendra Ratnoo, Joint Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry;
   b) Shri Toshihiko Kurihara, Chief Representative Officer in New Delhi, Japan Bank for International Cooperation (JBIC); and
   c) Dr. D. Subrahmanyam, Sr. Executive Director (Operations), Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO).

3. **Average net profit of the Company for last three financial years: -**

   Rs. 5,88,45,034/-

4. **Prescribed CSR Expenditure (2% of the amount as in item 3 above): -**

   Rs. 11,76,901/-

5. **Details of CSR spent during the financial year:**

   a) Total amount to be spent for the financial year : Rs. 11,76,901/-

   b) Amount unspent, if any : Nil

   c) Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below:

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
S. No.	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Project or programs (1) Local area or other (2) Specify the state and district where projects or programs was undertaken	Amount outlay (budget) project or programs wise	Amount spent on the projects or programs sub-heads: (Direct expenditure on projects or programs (2) Over-heads:	Cumulative expenditure up to the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency*
1.	Prime Minister's National Relief Fund (PMNRF)	Nil	Nil	11,76,901	11,76,901	11,76,901	Direct

6. **In case the company has failed to spend the two per cent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the reasons for not spending the amount in its Board report: -**

   Not Applicable.

7. **The CSR Committee of the Board of Directors hereby confirms that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company.**

CEO & MD of the Company	Chairman - CSR Committee

New Delhi

024

488, Soneja Tower-II, District Centre, Janak Puri,
New Delhi 110058, T 011- 4558 7692 +91 124 09110, 98103 11198
gera.consultant@gmail.com www.csvikasgera.com

Annexure – 1

VIKAS GERA & ASSOCIATES
Company Secretaries B.Com., LL.B., F.C.S.

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

For The Financial Year Ended 31st March, 2020
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and rule No.9 of the Companies (Appointment and Remuneration Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi - 110001

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by **"NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)"** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided me a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on my verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the company has, during the audit period covering the financial year ended on 31st March, 2020 complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

I have examined the books, papers, minute-books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the financially year ended on 31st March, 2020 according to the provisions of:

1) The Companies Act, 2013 (the Act) and the rules made there under;

Vikas Gera & Associates New Delhi Company Secretaries

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

2) Foreign Exchange Management Act, 1999 and Regulations made there under to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;

3) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

4) Other laws as are and to the extent applicable to the Company as per the Management representations, given below:

   (i) The Employee Provident Fund Miscellaneous Provisions Act, 1952.

   (ii) The Payment of Gratuity Act, 1972.

   (iii) Delhi Shops & Establishment Act, 1954.

   (iv) Indian Stamp Act, 1999.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) The Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India with respect to General and Board meetings .

(ii) The Company has not entered into listing agreements with any Stock Exchange, being an unlisted entity.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Acts, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above and there is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of above paras.

I further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. There is change in the composition of the Board of Directors during the period under review. The company was required to appoint women director as per the provision of Section 149(1) of the Companies Act, 2013 which company has not done.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

New Delhi

New Delhi

026

I further report that

There are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

I further report that

There is no non-compliance/observation/audit qualification, reservation or adverse remarks in respect of the Board Structures/system and processes relating to the Audit period.

I further report that

The Company has changed its name from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited to National Industrial Corridor Development Corporation Limited and have complied with all the procedural requirement pertaining to change of name of the company.

Place: New Delhi
Date: 29/07/2020
UDIN: F005248B000528243

For Vikas Gera & Associates

Vikas Gera
Practicing Company Secretary
FCS No. 5248
C P No.: 4500

DISCLAIMER:

Due to the covid -19 we have carried out Secretarial Audit based on the online information provided to us and we believe that all the information so made available to us in soft copy are originated from original records of the company.

NOTE: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as **Annexure A** and forms an integral part of this report.

National Industrial Corridor Development Corporation Limited * New Delhi

To,

'Annexure A'

The Members,
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
08th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building,
124 Connaught Place,
New Delhi - 110001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the company as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.

4. The Compliances done by the company of the applicable Financial Laws like Direct and Indirect Tax Laws have not been reviewed by us as the same have been subject to review by the Statutory Financial Auditor and any other designated professional.

5. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

6. The compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

7. The Secretarial Audit report is neither an assurance as to the future viability of the company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the company.

Place: New Delhi
Date: 29/07/2020

For Vikas Gera & Associates

Vikas Gera & Associates New Delhi Company Secretaries

Vikas Gera
Practicing Company Secretary
FCS No. 5248
C P No.: 4500

National Industrial Corridor Development Corporation Limited New Delhi

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN
As on the financial year ended on 31st March, 2020

[Pursuant to Section 92(3) of the Companies Act, 2013 and Rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I	REGISTRATION & OTHER DETAILS	
i)	CIN	U45400DL2008PLC172316
ii)	Registration Date	07th January, 2008
iii)	Name of the Company	**National Industrial Corridor Development Corporation Limited** *(formerly known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited)*
iv)	Category/Sub-category of the Company	Company Limited by shares/Indian Non-Government Company
v)	Address of the Registered office & contact details	08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi -110001
vi)	Whether listed company (Yes/No)	No
vii)	Name, Address & contact details of the Registrar & Transfer Agent, if any.	NSDL Database Management Limited 04th Floor, A Wing, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel Mumbai – 400013

II	PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY		
All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated			
S. No.	**Name & Description of main products/services**	**NIC Code of the Product/ service**	**% to total turnover of the company**
1.	The principal activity of the Company is to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/ economic regions/industrial nodes/special economic zones /townships with state-of-art industrial, physical and social infrastructure.	42909 (other civil engineering Project n.e.c.)	100%

III	PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY & ASSOCIATE COMPANIES				
S. No.	**Name & Address of the Company**	**CIN/GLN**	**Holding/ Subsidiary/ Associate**	**% of Shares Held**	**Applicable Section**
1.	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited, 08th Floor, Tower 1, Jeevan Bharti Building, Connaught Place, New Delhi - 110001	U40300DL2014PLC266439	Subsidiary	100%	2(87)(ii)

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

029

IV. SHARE HOLDING PATTERN (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

Category of Shareholders	No. of Shares held at the beginning of the year				No. of Shares held at the end of the year				% Change during the year
	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	Demat	Physical	Total	% of Total Shares	
A. Promoters									
(1) Indian									
a) Individual / HUF	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
b) Central Govt.	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
c) State Govt(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
d) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
e) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
f) Others (Trusts)	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
Sub-total (A)(1)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00
(2) Foreign									
a) NRIs - Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Other - Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d) Bank / FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e) Any other	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Sub-total (A)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
Total shareholding of Promoter (A) = (A)(1)+(A)(2)	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	4,90,00,000	0	4,90,00,000	49.00	0.00

National Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

B. Public Shareholding									
1. Institutions									
a) Mutual Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
b) Bank / FI	23999998	2	2,40,00,000	24.00	23999998	2	2,40,00,000	24.00	0.00
c) Central Govt	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
d) State Govt(s)									
e) Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
f) Insurance Companies	10,00,000	0	10,00,000	1.00	10,00,000	0	10,00,000	1.00	0.00
g) FIIs	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
h) Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
i) Others Foreign Holdings (FIIs/FCs/FFIs/NRIs/ OCBs)	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	2,60,00,000	0	2,60,00,000	26.00	0.00
Sub-total (B)(1)	50999998	2	5,10,00,000	51.00	50999998	2	5,10,00,000	51.00	0.00
2.Non – Institutions									
a) Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b) Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i. Individual shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 lakh	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

National Industrial Corridor Development Corporation Limited
New Delhi

031

ii. Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 lakh	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.
c) Others : i. Clearing Members	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.
ii. Non Residents	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.
iii. Foreign Company	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.
iv. Trusts	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Sub-total (B)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	0.00	0
Total Public Shareholding (B) = (B)(1) + (B)(2)	50999998	2	5,10,00,000	51.00	50999998	2	5,10,00,000	51.00	0
C. Shares held by Custodian for GDRs & ADRs	**0**	**0**	0	0.00	**0**	**0**	**0**	0.00	0
Grand Total (A+B+C)	99999998	2	10,00,00,000	100.00	99999998	2	10,00,00,000	100.00	0.00

(ii) Share Holding of Promoters

S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			% change i shareholdi during th year
		No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the company	% of shares pledged/ encumbered to total shares	
	President of India Through Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade	4,89,99,998		-	4,89,99,998		-	NIL

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

	(DPIIT), Ministry of Commerce & Industries							
1.	Shri Shailendra Singh, IAS, Additional Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce & Industries	01	49%	-	01	49%	-	NIL
	Representative of President of India represented through Joint Secretary, Department for Promotion of Industry & Internal Trade (DPIIT), Ministry of Commerce and Industries	01		-	01		-	NIL

(iii)	Change in Promoters' Shareholding (please Specify, if there is no change) No Change				
S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
NIL					

(iv)	Shareholding Pattern of top Ten Shareholders (other than Directors, Promoters & Holders of GDRs & ADRs)				
S. No.	Shareholders Name	Shareholding at the beginning of the year		Shareholding at the end of the year	
		No. of shares	% of total shares of the company	No of shares	% of total shares of the company
1.	Japan Bank for International Cooperation (JBIC)	2,60,00,000	26%	2,60,00,000	26%
2.	Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO)	1,99,00,000	19.9%	1,99,00,000	19.9%
3.	India Infrastructure Finance Company Limited (IIFCL)	40,99,998	4.1%	40,99,998	4.1%
	IIFCL jointly with Shri P.R. Jaishankar	01		01	
	IIFCL jointly with Shri Rajeev Mukhija	01		01	
4.	Life Insurance Corporation of India (LIC)	10,00,000	1.00%	10,00,000	1.00%

National Highways Infra Trust Development Corporation Limited ★ New Delhi

(v)	Shareholding of Directors & KMP				
S. No.	For Each of the Directors & KMP	Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of shares	% of total shares of the Company	No of shares	% of total shares of the Company
	NIL				

V	INDEBTEDNESS				
S. No.	Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payment				
		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtedness
1	Indebtedness at the beginning of the financial year	-	-	-	-
	i) Principal Amount	-	-	-	-
	ii) Interest due but not paid	-	-	-	-
	iii) Interest accrued but not due	-	-	-	-
	Total (i+ii+iii)	-	-	-	-
2	Change in Indebtedness during the financial year	-	-	-	-
	Additions	-	-	-	-
	Reduction	-	-	-	-
3	Net Change	-	-	-	-
4	Indebtedness at the end of the financial year	-	-	-	
	i) Principal Amount	-	-	-	
	ii) Interest due but not paid	-	-	-	
	iii) Interest accrued but not due	-	-	-	
Total (i+ii+iii)		-	-	-	

VI	REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL			
A.	Remuneration to Managing Director, Whole time director and/or Manager:			
S. No.	Particulars of Remuneration	Name of MD/WTD/ Manager (Shri Alkesh Kumar Sharma- CEO & Managing Director) (Service period from 01st April, 2019 to 15th September 2019)	Name of MD/WTD/ Manager (Shri K. Sanjay Murthy- CEO & Managing Director) (Service period from 18th November, 2019 to 31st March, 2020)	Total Amount (Rs)
	Gross salary			
1	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax. 1961.	28,45,999	15,68,700	44,14,699
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income tax Act, 1961	3,84,881	3,31,483	7,16,364
	(c) Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	
2	Stock option	-	-	

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

3	Sweat Equity	-	-	
4	Commission	-	-	
	as % of profit	-	-	
	others (specify)	-	-	
5	Others, please specify	-	-	
	Total (A)	32,30,880	19,00,183	51,31,063
	Ceiling as per the Act	-	-	-

B. Remuneration to other Directors:

Sr. No.	Particulars of Remuneration	Name of Directors	Total
1.	• Fee for attending board/ committee meetings to Independent Directors	Shri Jai Prakash Batra	2,40,000
	• Commission		
	• Others, please specify		
Total (1)			**2,40,000**
2	Other Non-Executive Directors		-
	• Fee for attending board/ committee meetings		
	• Commission		
	• Others, please specify		
Total (2)			-
Total (B)= (1)+(2)			2,40,000
Total (A+B)			53,71,063

C.				
S. No.	**Particulars of Remuneration**	**Key Managerial Personnel Other than MD/Manager/WTD**		
	Gross Salary	**Shri Abhishek Chauddhary (Company Secretary)**	**Shri P. K. Agarwal (CFO)**	**Total Amount**
1	Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961.	43,41,336	45,08,688	88,50,024
	Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	7,39,687	6,74,758	14,14,445
	Profits in lieu of salary under section 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2	Stock Option	-	-	-
3	Sweat Equity	-	-	-
4	Commission	-	-	-
	as % of profit	-	-	-

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

035

	others, specify	-	-	-
5	Others, please specify (Leave Encashment)	-	-	-
Total		**50,81,023**	**51,83,446**	**1,02,64,469**

VII	PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCE:					
S. No	**Type**	**Section of the Companies Act**	**Brief Description**	**Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed**	**Authority (RD/NCLT/ Court)**	**Appeal made if any (give details)**
A.	**COMPANY**					
	Penalty	NONE				
	Punishment					
	Compounding					
B.	**DIRECTORS**					
	Penalty	NONE				
	Punishment					
	Compounding					
C.	**OTHER OFFICERS IN DEFAULT**					
	Penalty	NONE				
	Punishment					
	Compounding					

For and on behalf of the Board of Director

Date: 29.07.2020
Place: New Delhi

(Guruprasad Mohapatra
Chairma
DIN: -0001257
Add: 41, New Moti Bagl
East Netaji Nagar, New Delhi-11001

National Industrial Corridor Development Corporation Limited ★ New Delhi

036

C&AG REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS

PDCA-2/ND/CHQ-II/27-7/2019-20/ 61
संख्या/No.

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

गोपनीय

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 1/10/2020

सेवा में,

सी.ई.ओ. एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनोट प्लेस
नई दिल्ली –110 001

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone Financial Statements पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की 'शून्य टिप्पणियाँ' अग्रेषित करनी हैं । इन शून्य टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आम सभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,

संलग्न : शून्य टिप्पणियाँ

(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 July 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Rina Akoijam)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 01 October **2020**

PDCA-I/NI/CHO-I/27-7/2019-20/68

संख्या/No.

गोपनीय

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
(INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 7/10/2020

सेवा में,

सी.ई.ओ.एवं प्रबन्ध निदेशक,
नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड,
8 वां फ्लोर, जीवन भारती बिल्डिंग, 124, कनॉट प्लेस
नई दिल्ली -110001

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) व 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

महोदय,

मै इस पत्र के साथ 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखो (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6)(b) व 129 (4) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक महालेखा परीक्षक की **टिप्पणियाँ** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किय जाए और कंपनी की आमसभा में उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षको की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

संलग्न: टिप्पणियाँ

भवदीया,

(रिना अकोइजम)
प्रधान निदेशक

तृतीय तल, ए-स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I. P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele. : 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432, 011-23370871
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

COMMENT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of consolidated financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 29 July 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** and its subsidiary company DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

Based on my supplementary audit, I would like to highlight the following significant matter under section 143(6)(b) read with section 129(4) of the Act which have come to my attention and which in my view are necessary for enabling a better understanding of the financial statements and the related audit report:

A. Comment on Disclosure

A Memorandum of Understanding (MoU) dated 30 April 2012 was entered into among New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) - Japan, Ministry of Finance – Government of India, Ministry of New & Renewable Energy – Government of India and Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (now National Industrial Corridor Development Corporation Limited - NICDCL) concerning the model project for a microgrid system using large scale PV power generation and related technology. The MoU was effective upto 31 August 2019.

As per Article 16 of the MoU, the ownership of the equipment shall be automatically transferred from NEDO to NICDCL at no cost upon completion of the project.

It was observed that the equipment were used by the subsidiary company viz. DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited and the project was completed in July 2019. However,

the company has not recognised the value of equipment (valuing around Rs.62 crore as on 31.3.2020) in financial statements, neither any disclosure regarding the assets has been made in notes to accounts nor any accounting policy of the company is there in this regard as per relevant Accounting Standard.

Thus, the financial statements of the company are deficient to that extent.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Rina Akoijam)
Principal Director of Audit (Infrastructure)
New Delhi

Place: New Delhi
Dated: 7 October 2020

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Reply of the Management on the Comment of Comptroller and Auditor General of India on the Financial Statements National Industrial Corridor Development Corporation Limited (Consolidated) for the Year ended 31st March 2020.

	Comment on Disclosure	Management Response
1.	A Memorandum of Understanding (MoU) dated 30 April 2012 was entered into among New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) - Japan, Ministry of Finance - Government of India, Ministry of New & Renewable Energy - Government of India and Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (now National Industrial Corridor Development Corporation Limited - NICDCL) concerning the model project for a microgrid system using large scale PV power generation and related technology. The MoU was effective upto 31 August 2019. As per Article 16 of the MoU, the ownership of the equipment shall be automatically transferred from NEDO to NICDCL at no cost upon completion of the project. It was observed that the equipment were used by the subsidiary company viz. DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited and the project was completed in July 2019. However, the company has not recognised the value of equipment (valuing around Rs.62 crore as on 31.3.2020) in financial statements, neither any disclosure regarding the assets has been made in notes to accounts nor any accounting policy of the company is there in this regard as per relevant Accounting Standard. Thus, the financial statements of the company are deficient to that extent.	Neemrana Solar Power Project has been jointly implemented by Government of Japan and Government of India for demonstrating a micro grid system using large scale PV power generation and related technology. For the implementation of the project a Memorandum of Understanding (MoU) was executed amongst The New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO)-Govt. of Japan, Ministry of Finance - Government of India, Ministry of New & Renewable Energy - Government of India and Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) (now known as National Industrial Corridor Development Corporation Limited). In terms of the Article 16 of the MoU, PV Modules, PCS's with related equipment, Control Service for Micro Grid Control, Telecommunication Systems and other ancillary equipment was provided by NEDO. The ownership of the equipment shall belong to NEDO during the implementation of the project and shall be automatically transferred from NEDO with all bonafide rights at no cost upon completion of the project. Accordingly, the ownership of the equipment has been transferred at no cost in the name of the subsidiary company i.e DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (DNSPCL) on 31st July 2019 after completion of the project. Since, the equipment was transferred at no cost, as per Accounting Statndard-12, the same was required to be recognised in the schedule of Fixed Assets forming part of the financial statements for the year 2019-20 at a nominal value of Rupee 1/- and not at Rs. 62 crore as

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED

Reply of the Management on the Comment of Comptroller and Auditor General of India on the Financial Statements National Industrial Corridor Development Corporation Limited (Consolidated) for the Year ended 31st March 2020.

	Comment on Disclosure	Management Response
		commented by the Audit. Inadvertently, the equipment was not recognised in the financial statements of the DNSPCL at a nominal value of Rupee 1/-. However, the same was included in Physical Assets Verification Report of DNSPCL carried out as on 31.03.2020. Considering the nominal value of the equipment as Rupee 1/- and its materiality, it has no significant impact on the value of fixed assets in the consolidated financial statements of the company for the year 2019-20. However, considering the recognition and disclosure requirement, the equipment transferred to the DNSPCL at no cost, shall be recognised at a nominal value of Rupee 1/-along with related disclosure in Notes to accounts and Accounting Policy forming part of consolidated financial statements of the Company for the FY 2020-21.

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

SSAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of
NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Formerly Known as DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

Report on the Standalone Financial Statements

Opinion

A) We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at **March 31, 2020**, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

B) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended, (AS) and other accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at **31st March, 2020**, and its **profits** and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Financial Statements.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

Other Information - Board of Directors' Report

A) The Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of its report (herein after called as "Board Report") which comprises various information required under section 134(3) of the Companies Act 2013 but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the Board Report and we do not express any form of assurance on conclusion thereon.

B) In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Board Report and in doing so, to consider whether the Board Report is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement in this Board Report, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Management's Responsibility for the Financial Statements

A) The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

B) In preparing the Financial Statements, Management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Board of Directors are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

Auditor's Responsibility

A) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Financial Statements.

B) As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

i) Identify and assess the risks of material misstatement of the standalone financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

ii) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;

iii) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the management;

iv) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern;

v) Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

C) Materiality is the magnitude of misstatements in the Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Financial Statements.

D) We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13
ssarca.india@gmail.com

E) We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2016 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of Section 143 of the Companies Act, 2013, we give in the "Annexure A" a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit, we report that:
   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books;

   c) The Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;

   d) In our opinion, the aforesaid standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014;

   e) On the basis of the written representations received from the Directors as on **March 31, 2020** taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on **March 31, 2020** from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Companies Act 2013;

   f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure B"**. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Company's internal financial controls over financial reporting;

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with rule 11 of the Companies (Audit & Auditors) Rules 2014, as amended in our opinion and to our best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Company does not have any pending litigation which would impact its financial position.

ii) The company does not have any long-term contracts including derivative contracts which require provision under any law or accounting Standard for material foreseeable losses.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund.

3. As required by Section 143(5) of the Act, we report to the best of our information and according to the explanations given to us, that:

a) The company has system in place to process all the accounting transactions through IT System, therefore, there is no implication on the integrity of accounts including financial implications.

b) There is no case of restructuring of an existing loan or case of waiver /write off of debts /loans /interest etc., made by a lender to the company due to the company's inability to repay the loan;

c) Project Development Funds (PDF) received from the Central Government / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in respect of Industrial Corridor Projects have been properly accounted for by the Company.

Further, the funds received have been utilized in accordance with the terms and conditions of sanctions.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 04739 N

(CA SACHIN JAIN)
Partner
Membership No: 098267
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi – 110002

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAY4632

"Annexure A"

To the Auditors' Report (National Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2019-20)

(i) in respect of its fixed assets:

(a) The Company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets;

(b) As explained to us, the assets have been physically verified by the management in accordance with a phased program of verification, which in our opinion, is reasonable, considering the size and the nature of its business. The frequency of verification is reasonable and no material discrepancies have been noticed on such physical verification;

(c) According to the information and explanations given to us and records of the Company, the Company does not have any immovable property held in the name of the company. Therefore, provisions of clause 3(i)(c) of the Order are not applicable.

(ii) According to the information and explanations given to us and records of the Company, the Company does not have any inventory. Accordingly, the provisions of clause 3(ii) of the Order are not applicable.

(iii) According to the information and explanations given to us and records of the Company, it had not granted a loan to a company covered in the Register, maintained under Section 189 of the Companies Act.

(iv) According to the information and explanations given to us and records of the Company, clause 3(iv) of CARO, 2016 in respect of loans, investments, guarantees and security with reference to Section 185 and 186 of Companies Act, 2013, is not applicable for the Company;

(v) In our opinion and according to the information given to us, the Company has not accepted any deposits in contravention of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of Sections 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act, 2013 and the rules framed there-under, where applicable. No order has been passed by the Company Law Board or National Company Law Tribunal or RBI or any court or any other tribunal;

(vi) We are informed that maintenance of cost records has not been prescribed by the Central Government under Section 148(1) of the Companies Act, 2013, in respect of Company's product;

(vii) According to information and explanations given to us in respect of statutory and other dues:

a) The Company has been regular in depositing undisputed statutory dues including, Income-tax, Sales-tax, Service Tax, Customs Duty, Value Added Tax, Cess, Goods and Service Tax and other statutory dues, wherever applicable with appropriate authorities. According to the information and explanations given to us, there are no undisputed amounts payable in respect of such statutory dues which have remained outstanding as at **31st March, 2020** for a period more than six months from the date they become payable;

b) According to the information and explanations given to us, there are no disputed amounts payable in respect of such statutory dues which have remained outstanding as at **31st March, 2020;**

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

(viii) The company has not availed any loans and borrowings from Banks, Financial Institutions and debenture holders. Accordingly, provisions of clause 3(viii) of the order are not applicable to the Company;

(ix) According to the information and explanations given to us, the Company has not raised money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) and by any term loan during the year; therefore, clause 3(ix) of the Order is not applicable to the Company;

(x) To the best of our knowledge and belief and according to the information and explanations given to us by the management, no fraud, on or by the Company, has been noticed or reported during the year;

(xi) According to the information and explanation provided to us and based on our examination of the records of the Company, the Company has paid/provided for managerial remuneration in accordance with the requisite approval mandate by the provision of section 197 read with schedule V of the act;

(xii) The Company is not a Nidhi Company, therefore clause 3(xii) of the Order is not applicable to the Company;

(xiii) Transactions with the related parties are in compliance with Sections 177 and 188 of Companies Act, 2013, and the details have been disclosed in the Financial statements as required by the AS-18 have been disclosed in the Note No.- 30;

(xiv) The Company has not made any preferential allotment or private placement of shares or fully or partly convertible debentures during the year, so clause 3(xiv) of the Order is not applicable;

(xv) According to the information and explanations given to us, the Company has not entered into any non-cash transactions with directors or persons connected with him. Hence, compliance with the provisions of Section 192 of Companies Act, 2013 is not applicable.

(xvi) The Company is not required to register under section 45-1A of Reserve Bank of India Act, 1934; therefore, clause 3(xvi) of the Order is not applicable to the Company.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 04739 N

(CA SACHIN JAIN)
Partner
Membership No: 098267
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020
UDIN : 20098267AAAAAY4632

"Annexure- B"

To the Auditors' Report (National Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2019-20)

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Company") as of **March 31, 2020** in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended as on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Company's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company's internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the "ICAI" and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company's internal financial controls system over financial reporting.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(i) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

(iii) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Company has, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at **March 31, 2020**, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 04739 N

FRN 004739N New Delhi

(CA SACHIN JAIN)
Partner
Membership No: 098267
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020
UDIN : 20098267AAAAAY4632

FINANCIAL STATEMENTS (STANDALONE)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

Particulars	Note No.	As at 31st March,2020 Rupees (₹)		As at 31st March, 2019 Rupees (₹)	
I. EQUITY & LIABILITIES					
(1)SHAREHOLDERS' FUNDS					
(a) Share Capital	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(b) Reserves & Surplus	2	6,64,44,64,486	7,64,44,64,486	6,11,34,87,865	7,11,34,87,865
(2)NON - CURRENT LIABILITIES					
(a) Other Long - term Liabilities	3	10,00,000		10,00,000	
(b) Long - term Provisions	4	40,34,648	50,34,648	32,60,200	42,60,200
(3)CURRENT LIABILITIES					
(a) Trade Payables	5				
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		-		-	
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		34,67,21,642		29,04,56,960	
(b) Other Current Liabilities	6	3,89,29,711		4,39,73,480	
(c) Short - term Provisions	7	6,34,204	38,62,85,557	3,34,484	33,47,64,924
TOTAL			**8,03,57,84,691**		**7,45,25,12,989**
II. ASSETS					
(1)NON - CURRENT ASSETS					
(a) Fixed Assets					
(i) Property, Plant and Equipment	8	2,29,06,194		12,40,609	
(ii) Intangible Assets		28,72,205		43,96,591	
(iii) Capital Work-in-Progress		-		35,09,584	
		2,57,80,399		91,46,784	
(b) Non - Current Investments	9	13,00,00,000		13,00,00,000	
(c) Deferred Tax Assets (Net)	10	23,56,521		17,16,687	
(d) Long - term Loans and Advances	11	5,52,000		2,35,000	
(e) Other Non - Current Assets	12	6,14,08,56,958	6,29,95,45,878	5,44,14,06,480	5,58,25,06,951
(2)CURRENT ASSETS					
(a) Trade Receivable	13	1,46,94,459		3,86,66,485	
(b) Cash and Bank Balances	14	1,61,56,66,569		1,72,63,56,915	
(c) Short - term Loans and Advances	15	4,34,549		1,17,01,138	
(d) Other Current Assets	16	10,54,43,216	1,73,62,38,813	9,32,81,500	1,87,00,06,038
			8,03,57,84,691		**7,45,25,12,989**
Significant Accounting Policies					
Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 41				

As per our Report of even date attached
For S S A R & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

(Sachin Jain)
(Partner)
(Membership No. 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAY4632

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(Abhishek Chauddhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

	Note No.	For the year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
I. REVENUE FROM OPERATIONS	17	13,28,00,400	14,97,98,523
II. OTHER INCOME	18	9,24,41,716	10,04,21,401
III. TOTAL REVENUE (I+II)		**22,52,42,116**	**25,02,19,924**
IV. EXPENSES			
- Employee Benefit Expenses	19	5,07,34,886	4,91,18,158
- Depreciation Expenses	20	68,23,649	26,34,196
- Other Expenses	21	12,70,53,348	13,89,49,165
V. TOTAL EXPENSES		**18,46,11,883**	**19,07,01,519**
VI. PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (III-V)		**4,06,30,233**	**5,95,18,405**
VII. TAX EXPENSES			
- Current Period		1,22,16,066	1,60,52,300
- Previous Period		7,732	47,342
- Deferred Tax Liability /(Asset)		(6,39,832)	(2,02,622)
VIII PROFIT /(LOSS)AFTER TAX FOR THE PERIOD (VI-VII)		**2,90,46,267**	**4,36,21,385**
IX. EARNINGS PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH			
- Basic/Diluted		**0.29**	**0.44**
Significant Accounting Policies			
Accompanying Notes on Financial Statements	**1 - 41**		

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants

Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAY4632

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Abhishek Chauddhary)
VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

CASH FLOW STATEMENT AS ON 31ST MARCH 2020

		As at 31st March,2020 Rupees (₹)		As at 31st March, 2019 Rupees (₹)	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
Net Profit before Tax		4,06,30,233		5,95,18,405	
Adjustment for:					
Depreciation		68,23,649		26,34,196	
Loss on Assets written off		2,11,346		2,61,604	
Interest Incomes		(8,31,80,413)		(7,39,46,140)	
Net Cash from Operating Activities before Extraordinary Item and Working Capital Changes		(3,55,15,185)		(1,15,31,935)	
Operating Profit before working capital changes	(a)	(3,55,15,185)		(1,15,31,935)	
Adjustments for :					
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables		3,25,57,368		98,87,70,630	
Increase/(Decrease) in Trade Payables and Other Payables		5,22,95,081		(46,60,28,763)	
Refund/(Payment) of Taxes (Including TDS)		(2,20,21,272)		(2,25,11,693)	
Net Cash from/(used in) Operating Activities	(b)	6,28,31,177		50,02,30,173	
Net cash from operating activities	(a+b)		2,73,15,992		48,86,98,238
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:					
(Invested) in Project Development Expenses		(74,52,54,031)		(95,82,24,855)	
(Purchase)/ Sale of Fixed Assets		(2,36,66,609)		(42,09,157)	
(Increase)/ Decrease in Deposit with Bank		97,36,518		18,09,646	
Interest Income		8,31,80,413		7,39,46,140	
Net Cash from/(Used in) Investing Activities			(67,60,03,609)		(88,66,78,226)
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
Project Development Funds		54,77,33,908		1,05,23,52,852	
Net Cash from/(Used in) Financing Activities			54,77,33,908		1,05,23,52,852
D. NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS			(10,09,53,708)		65,43,72,864
E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE PERIOD			1,71,66,20,297		1,06,22,47,433
F. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD (Refer Note No 14)			1,61,56,66,589		1,71,66,20,297

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAY4632

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(Abhishek Chauddhary)
VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a) Basis for preparation of Financial Statements

The Financial Statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013.

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous years.

b) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management of the Company to make certain estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known / materialised.

c) Property, Plant and Equipment

i) Property, plant and equipment are stated as per Cost Model i.e., at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

ii) Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the management;

iii) Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Statement of profit & Loss when incurred;

iv) The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements upon sale or retirement of the asset and the resultant gains or losses are recognized in the Statement of Profit or Loss. Assets to be disposed off are reported at the lower of the carrying value or the fair value less cost to sell;

v) The Company depreciates property, plant and equipment pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in respect of the following assets, where useful life is different than those prescribed in Schedule II:

Particulars	Depreciation	Justification
- Office Renovation Expenses	Amortized equally over the lease period of the office from the date of capitalisation.	The assets are non-movable in nature and are, therefore written off over the period of lease.

vi) Depreciation methods, useful lives, and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end;

d) Capital Work-in-Progress

Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under other non current assets and the cost of assets not put to use before such date are disclosed under "Capital Work in progress".

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

e) Intangible Assets

i) Intangible assets are stated at cost of acquisition net of accumulated amortisation / depletion and impairment loss, if any;

ii) Intangible assets are amortised over a period of 5 years from the year of purchase on Straight Line Method.

f) Project Development Fund (PDF)

Government of India has approved setting up a Project Development Fund (PDF) for various project development / preparatory activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and Other Industrial Corridor projects i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC) Project, Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC) Project, Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project with extension to Kochi via Coimbatore and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) Project part of East Coast Industrial Corridor (ECIC). Accordingly, the grant-in-aid received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest earned on the said PDF is added to the Project Development Fund. In case any part of funds becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

g) Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up a Project Implementation Fund (PIF) for various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project. Accordingly, the grant received from Govt of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest, dividend or any other income that will be earned on the said PIF is added to the Project Implementation Fund. In case any part of the fund becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves

h) Project Development Expenses (PDE)

All the expenses related to the project development activities of industrial corridor projects, are shown as under:

i) to the extent related to the subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, are transferred to the concerned subsidiaries /SPVs and shown as recoverable under the head 'Non-Current Assets' wherever the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) provides for such recovery;

ii) incurred for the projects which are not to be taken off or no further activities are to be carried out or the Shareholders' Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s). /Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery are reduced from the 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves'; and

iii) expenses not covered under para (i) and (ii) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Non - Current Assets".

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

i) Long-Term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition. In case there is a decline, other than temporary, in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline. Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investments.

j) Revenue Recognition

i) Interest income is recognised on accrual basis;

ii) Dividend income is accounted for, when the right to receive it, is established;

iii) Service Fees for the services rendered by the Company @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

iv) Annual Service Fees @ 1% of yearly internal accruals (subject to a minimum of ₹ 5.00 crore and maximum of ₹ 10.00 crore p.a. on pro-rata basis for an initial period of 10 years) towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited as Knowledge Partner is recognised on accrual basis.

k) Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term. Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss on accrual basis.

l) Transactions in Foreign Exchange

Expenses / transactions in foreign currency are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies

m) Employee Benefits

i) The Company makes provision for Gratuity in terms of the Payment of Gratuity Act, 1972 and Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972 based on actuarial valuation at the end of the year.

ii) Leave salary & pension contribution to all the Government Employees on deputation to the company is accounted as per the prescribed rules of Central Government.

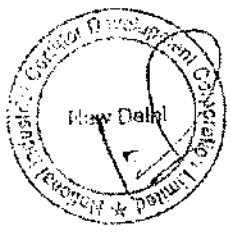

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

n) Income Tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India. Deferred income taxes reflects the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.

Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. In situations where the Company has unabsorbed depreciation or carry forward tax losses, all deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that they can be realised against future taxable profits.

At each balance sheet date the Company re-assesses unrecognised deferred tax assets. It recognises unrecognised deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The Company writes-down the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realised. Any such write-down is reversed to the extent that it becomes reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available.

MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the specified period.

o) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognised in the accounts when the company has a present obligation as a result of past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present values and are determined based on the best estimate required to settle the obligations at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are not recognised in the Financial Statements and are disclosed in the Notes.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 1: SHARE CAPITAL		
1.0 AUTHORISED		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000

1.1 The reconciliation of the number of shares outstanding is set out below:

	No. of Shares	Rupees (₹)	No. of Shares	Rupees (₹)
Equity Shares at the beginning of the period	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
Add: Shares issued during the period	-	-	-	-
Equity Shares at the end of the period	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**	**10,00,00,000**	**1,00,00,00,000**

1.2 Details of Shareholders Holding more than 5% Shares:

	% of Holding	No. of Shares	% of Holding	No. of Shares
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
Housing and Urban Development Corporation Limited	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 The company has only one class of equity shares. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The shareholders have no differential rights with respect to distribution of dividend and repayment of capital

NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS

2.0 CAPITAL RESERVES				
(a) Project Development Fund				
[Refer Accounting Policy no. (f)]				
As per last Balance Sheet		5,82,50,27,000		4,78,50,27,000
Add: Grant received during the period		52,70,00,000		1,04,00,00,000
		6,35,20,27,000		5,82,50,27,000
Additions:				
- Interest earned upto previous years	29,26,17,655		26,02,64,803	
- Interest earned during the current period (includes Rs 2,47,330/- relating to Previous Year)	2,07,33,907	31,33,51,562	1,23,52,852	29,26,17,655
		6,66,53,78,562		6,11,76,44,655
Less: Project Development Expenses to the extent not to be recovered [Refer Accounting Policy No. (h)]		37,98,70,926		33,40,67,373
(a)		**6,28,55,07,636**		**5,78,35,77,282**
(b) Project Implementation Fund				
[Refer Accounting Policy no. (g)]				
As per last Balance Sheet		13,00,00,000		13,00,00,000
(b)		**13,00,00,000**		**13,00,00,000**
2.1 PROFIT & LOSS ACCOUNT				
As per last Balance Sheet		19,99,10,583		15,62,89,198
Add/(Less): Profit for the period		2,90,46,267		4,36,21,385
(c)		**22,89,56,850**		**19,99,10,583**
Total (a + b + c)		**6,64,44,64,486**		**6,11,34,87,865**

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 3 : OTHER LONG-TERM LIABILITIES		
- Performance Security	10,00,000	10,00,000
Total	**10,00,000**	**10,00,000**
NOTE 4 : LONG TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity) (Refer Note no. 34)	40,34,648	32,60,200
Total	**40,34,648**	**32,60,200**
NOTE 5 : TRADE PAYABLES		
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer Note No. 35)	-	-
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	34,67,21,642	29,04,56,960
Total	**34,67,21,642**	**29,04,56,960**
NOTE 6 : OTHER CURRENT LIABILITIES		
- Statutory liabilities	1,94,81,099	3,59,79,182
- Provident Fund Payable	5,61,281	4,45,672
- Other Expenses Payable	1,88,87,331	75,48,626
Total	**3,89,29,711**	**4,39,73,480**
NOTE 7 : SHORT - TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity and Leave Encashment) (Refer Note no. 34)	6,34,204	3,34,484
Total	**6,34,204**	**3,34,484**

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 8 : FIXED ASSETS

Rupees (₹)

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION					NET BLOCK	
	As at 01.04.2019	During the period		As at 31.03.2020	As at 01.04.2019	For the period	For Previous Period	Other Adjustments	As at 31.03.2020	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
		Additions	Deductions								
I. Property, Plant and Equipments											
A. Furniture and Fixtures	14,74,996	50,69,077	13,01,444	52,42,629	12,64,458	10,71,806	-	(11,21,838)	12,14,426	40,28,203	2,10,538
B. Office Equipment	46,17,073	93,84,367	10,56,369	1,29,45,071	40,06,136	28,40,127	-	(10,02,540)	58,43,723	71,01,348	6,10,937
C. Electrical Installations and Equipment	1,08,098	13,01,649	28,908	13,80,839	58,695	1,78,443	-	(16,246)	2,20,892	11,59,947	49,403
D. Computer & Data Processing Units	31,97,725	16,65,654	3,16,825	45,46,554	28,27,994	7,01,547	-	(3,00,984)	32,28,557	13,17,997	3,69,731
E. Others Office Renovation Expenses	43,86,980	97,64,514	-	1,41,51,474	43,86,960	4,63,815	-	-	48,50,775	93,00,699	-
Total	1,37,84,852	2,71,85,261	27,03,546	3,82,66,567	1,25,44,243	52,55,738	-	(24,41,608)	1,53,58,373	2,29,08,194	12,40,609
Previous Year (31.03.2019)	1,45,99,392	5,63,862	13,78,402	1,37,84,852	1,25,89,305	10,71,736	-	(11,16,798)	1,25,44,243	12,40,609	20,10,087
II. INTANGIBLE ASSETS											
Computer Software	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911	-	-	52,90,338	28,72,205	43,98,591
Total	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911	-	-	52,90,338	28,72,205	43,98,591
Previous Year (31.03.2019)	79,85,307	1,35,711	-	81,21,018	21,59,967	15,59,606	2,854	-	37,22,427	43,98,591	58,25,340

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 9 : NON-CURRENT INVESTMENTS		
Non-Trade Investments (Unquoted fully paid, at cost)		
Investment made out of PIF of GoI		
Investment in Equity Shares of Subsidiary Company		
i) DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited 1,30,00,000 Fully Paid-up Equity Shares of ₹10/- each*	13,00,00,000	13,00,00,000
Aggregate Amount of Unquoted Investments	**13,00,00,000**	**13,00,00,000**

* As per the approval of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA), an amount of ₹ 13,00,00,000/- (Rupees Thirteen Crore Only) was transferred to NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust Fund (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) out of Main Corpus/ Capital Funds of the Trust during the financial year 2013-14 for onward release to SPV namely "DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited" towards 100% equity investment of the Trust through NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) for the implementation of 6.00 MW Model Solar Power Project. The upsides from such investment will flow back to the Trust through NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Limited).

NOTE 10 : DEFERRED TAX ASSETS (NET)			
Deferred Tax Assets:			
- Relating to Fixed Assets		10,58,091	7,16,608
- Relating to Employee's Benefits and Allowances under Income Tax Act, 1961		12,98,430	10,00,079
		23,56,521	17,16,687
Deferred Tax Liabilities		-	-
	Total	**23,56,521**	**17,16,687**
NOTE 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES			
(Unsecured, considered good)			
- Security Deposits		5,52,000	2,35,000
	Total	**5,52,000**	**2,35,000**

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 12 : OTHER NON-CURRENT ASSETS		
(a) Project Development Expenditure (PDE)		
- PDE against the Project Development Fund of Govt. of India		
- As per last year	98,54,71,322	93,59,66,766
- Incurred during the period	74,64,16,179	95,82,24,855
	1,73,18,87,501	1,89,42,13,621
Less: Transferred to subsidiaries /SPVs (Refer Accounting Policy No (h) and Note No 24)	(64,84,25,342)	(79,69,84,131)
Less: Transfer to Project Development Funds [Refer Accounting Policy No (h)]	(4,58,03,553)	(11,17,58,168)
Total (a)	**1,03,76,58,606**	**98,54,71,322**
(b) Project Development Expenses transferred to SPVs		
(Refer Note No 24)		
- Aurangabad Industrial Township Limited	1,76,93,26,213	1,46,97,03,648
- Dholera Industrial City Development Limited	2,91,46,67,473	2,59,99,60,739
- Dholera International Airport Company Limited	6,59,998	50,91,152
- DMIC Haryana Global City Project Limited	8,48,84,336	8,08,02,244
- DMIC Haryana MMLH Project Limited	4,84,10,060	3,88,65,417
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	6,87,12,587	6,87,12,587
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	5,07,54,677	5,07,54,677
- IIT Greater Noida Limited	7,45,06,230	7,45,06,230
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	9,19,36,776	7,26,29,616
	5,10,38,58,350	4,46,10,26,310
Less: Dholera International Airport Company Limited shown as other current Assets (Refer to Note No 16)	(6,59,998)	(50,91,152)
Total (b)	**5,10,31,98,352**	**4,45,59,35,158**
Total (a+b)	**6,14,08,56,958**	**5,44,14,06,480**
NOTE 13 : TRADE RECEIVABLE		
- Unsecured considered good		
Outstanding for a period exceeding six months	-	-
Others*	1,46,94,459	3,86,66,485
	1,46,94,459	**3,86,66,485**
* Includes amount due from the following:		
- DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited (wholly owned subsidiary)	8,08,459	12,46,402
- India International Convention and Exhibition Centre Limited	1,38,86,000	1,39,30,761

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 14 : CASH AND BANK BALANCES		As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
Cash and Bank Balances			
(a) Cash and Cash Equivalents *			
- Out of PDF of Govt. of India			
Balance with Bank in Current Accounts		2,02,324	23,145
Balance with Bank in Deposit Accounts		48,05,55,897	63,42,25,000
- Out of Others			
Cash in Hand		6,373	3,571
Balance with Bank in Current Accounts		2,24,995	(9,12,154)
Balance with Bank in Deposit Accounts		1,13,46,75,000	1,08,32,80,735
Cash and Cash Equivalent as per AS - 3	**Total (a)**	1,61,56,66,589	1,71,66,20,297
(b) Other Bank Balances		-	-
- Out of PDF of Govt. of India			
- Out of Others			
Balance with Bank in Deposit Accounts under lien for Bank Guarantee		-	97,36,618
	Total (b)	-	97,36,618
	Total Cash and Bank Balances (a+b)	1,61,56,66,589	1,72,63,56,915

* Cash and Cash Equivalents include deposits maintained by the Company with banks, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

NOTE 15 : SHORT TERM LOANS AND ADVANCES		
Short Term Loans and Advances		
(Unsecured, considered good)		
Others		
- Security Deposits	-	97,36,618
- Other Loans & Advances	4,34,549	19,64,520
	4,34,549	1,17,01,138

NOTE 16 : OTHER CURRENT ASSETS		
(i) Out of PDF of Govt. of India		
- Interest Accrued but Not Due	41,75,663	22,73,545
- Others	6,59,998	50,91,152
(ii) Others		
- Interest Accrued but Not Due	6,75,34,947	6,19,36,398
- Advance Tax / TDS (Net of Provisions)	1,21,49,376	94,54,129
(Provision for Taxation for Rs 1,22,16,066/- (Previous Year - Rs.1,71,26,662/-)		
- Balance with Revenue Authority		
- Prepaid expenses	1,99,95,188	1,28,92,964
	9,28,044	16,33,312
	10,54,43,216	9,32,81,500

NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS

	For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 17 : REVENUE FROM OPERATIONS		
Service Fees [Refer Accounting Policy No. (j)]	13,28,00,400	14,97,98,523
Total	**13,28,00,400**	**14,97,98,523**
NOTE 18 : OTHER INCOME		
Interest on FD's other than PDF amount	8,31,80,413	7,39,46,140
(includes Rs 4,00,796/- relating to previous year)	-	2,50,000
Bid Processing Fees	66,44,305	2,49,37,106
Recoverable Rent and Electricity Expenses	820	1,05,455
Miscellaneous Income		
Apportionment of Administration and Other General Overheads to Subsidiary Companies	26,16,178	11,82,700
Total	**9,24,41,716**	**10,04,21,401**
NOTE 19 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES		
Salary, Wages and Allowances (including Contractual Employees)	4,28,79,129	4,18,53,273
Contribution to Provident/ Pension Fund	32,63,075	36,84,853
Gratuity	13,08,546	9,73,571
Leave Encashment	1,60,658	1,63,782
Stipend	2,79,145	1,57,700
Staff Welfare Expenses	28,44,333	22,84,979
Total	**5,07,34,886**	**4,91,18,158**

		For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 20 : DEPRECIATION			
For the period (Refer Note No. 8)		68,23,649	26,31,342
For earlier year (Refer Note No. 8)		-	2,854
	Total	**68,23,649**	**26,34,196**
NOTE 21 : OTHER EXPENSES			
Rent		5,66,79,394	5,72,11,956
Payment to Auditors (Refer to Note No. 29)		4,35,100	4,35,100
Advertisement and Public Notice Expenses		4,48,968	19,93,600
Business Promotion Expenses		4,37,41,544	5,65,03,664
CSR Expenditure		21,20,824	-
Electricity Expenses		8,39,673	6,52,977
Foreign Travel Expenses		3,20,604	23,38,798
Professional & Consultancy Expenses		26,45,172	55,39,153
Meeting and Refreshment Expenses		3,88,728	6,83,815
Repair & Maintenance Expenses		37,77,248	6,49,494
IT Expenses		29,21,718	25,66,987
Printing & Stationery		19,33,021	19,59,018
Communication & Postage Expenses		14,63,594	15,56,112
Travelling & Conveyance Expenses		54,79,248	50,79,460
Insurance Expenses		25,119	48,798
Director's Sitting Fees		2,40,000	1,30,800
Loss on Sale /Loss of Assets		2,11,346	2,61,604
Prior Period Expenses		33,315	89,928
Other Expenses		33,48,732	12,47,901
	Total	**12,70,53,348**	**13,89,49,165**

NOTES TO ACCOUNTS

22 Department for Promotion of Industry and Internal Trade (formerly Department of Industrial Policy and Promotion), Ministry of Commerce and Industry, Government of India (GoI) vide letter no 11/1/2016-IC dated 12th January, 2017, communicated the order conveying the approval of GoI that the Company to function as Knowledge Partner to National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) in respect of all Industrial Corridors in addition to its present DMIC Project till Knowledge Partner(s) for other Industrial Corridors are put in place.
In view of the expanded mandate, the name of the company has been changed from Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited (DMICDC) to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (NICDC) w.e.f 17th February 2020

23 In the opinion of Board of Directors, all the Current Assets, Loans & Advances have a value on realization in the ordinary course of business at least equal to the amount at which they are stated in the Financial Statements and all the known liabilities relating to the year have been provided for. Balances of trade payables, receivables and other receivable/payable have been taken at the values stated in the Books of Account and are subject to confirmation by the concerned parties

24 In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018

The Board of Trustees has directed to transfer the 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited (formerly DMICDC Limited) in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid to the concerned subsidiaries /SPVs and to defer the recovery of the same till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds

25 Department of Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27.05.2016 issued Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). As per the Guidelines, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net Worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions

For the financial year 2018-19 , the Company has applied for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines from the Secretary, Department of Investment and Public Asset Management through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and the same is awaited

On the same lines, the Company will apply for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines for the FY 2019-20

Accordingly, no provision is made for the current financial year as well as for previous financial year

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
26 Corporate Social Responsibility (CSR)		
I Gross Amount required to be spent by the Company	11,76,901	9,43,923
Annual CSR Allocation	9,43,923	
Carry forward from previous year	21,20,824	9,43,923
Gross Amount required to be spent		
II Amount spent during the period	21,20,824	-
In cash	-	9,43,923
Yet to be paid in cash	21,20,824	9,43,923
Total		
27 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):	-	-
(i) Contingent Liabilities		
(ii) Commitments		
(a) Estimated Amount of contracts remaining to be executed and not provided for on:	-	1,38,98,776
- Capital Account	1,08,92,27,425	1,28,91,64,660
- Consultancy Contracts for Project Development Activities	-	97,36,618
(b) Guarantees issued by Bank on behalf of the Company		

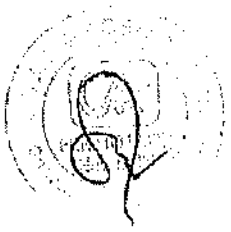

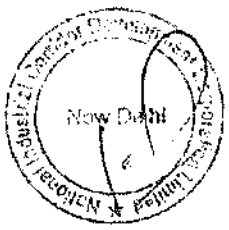

NOTES TO ACCOUNTS

28 Earnings and Expenditure in Foreign Currency		
I Earnings in Foreign Exchange		
II Expenditure in Foreign Currency		
- Foreign Travel Expenses	3,18,704	9,86,735
29 Payment to Auditors		
(i) Audit Fees	2,64,000	2,64,000
(ii) For Other Services	1,71,100	1,71,100
	4,35,100	4,35,100

30 Related Party Disclosures

I As per the Accounting Standard on 'Related Party Disclosure' (AS-18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties are as follows :

a Enterprises having significant influence/control over the company		
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	Yes	Yes
b Subsidiaries		
DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd.	Yes	Yes
c Affiliates/ Associates		
Housing and Urban Development Corporation Limited	Yes	Yes
d Key Management Personnel (KMP)		
Shri K Sanjay Murthy (w e f 18th November 2019)	Yes	No
Shri Alkesh Kumar Sharma (till 15th September 2019)	Yes	Yes
Shri Prashanth Kumar Balsavar (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019)	Yes	No
Shri Rajendra Ratnoo (For the period 19th September 2019 to 17th November 2019)	Yes	No
e Enterprises over which KMP exercises Significant Influence		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019)	Yes	Yes

NOTES TO ACCOUNTS

II The nature and volume of transactions during the period with the above related parties were as follows:

Amount in Rupees (₹)

Particulars	Subsidiaries	Affiliates	Enterprises having Significant Influence/ Control over the Company	Key Management Personnel (KMP)	Enterprises over which KMP exercises Significant Influence
Outstanding Balances:					
DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd	8,08,459 (12,46,402)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	2,048 (1,39,30,761)
Aggregate Transactions during the year:					
DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	34,73,917 (21,30,650)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Shri K Sanjay Murthy	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	19,00,183 (Nil)	Nil (Nil)
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	32,30,880 (58,69,185)	Nil (Nil)
Shri Prashanth Kumar Balsavar	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Shri Rajendra Ratnoo	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	1,55,14,147 (6,30,50,584)

III Statement of entity wise material transactions during the year

a Payment to Key Management Personnel					
Shri K Sanjay Murthy	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	19,00,183 (Nil)	Nil (Nil)
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	32,30,880 (58,69,185)	Nil (Nil)
Shri Prashanth Kumar Balsavar	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
Shri Rajendra Ratnoo	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
b DMICDC Neemrana Solar Power Company Ltd. Expenses incurred	34,73,917 (21,30,650)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)
c India International Convention and Exhibition					
Annual Service Fees (including taxes)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	1,47,50,000 (5,90,00,000)
Other Expenditure Incurred	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	Nil (Nil)	7,64,147 (40,60,584)

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount

31 Segment Reporting

The Company is engaged to facilitate, promote and establish industrial corridors/investment regions/industrial areas/economic regions/ industrial nodes/specific economic zones/townships with state of the art industrial, physical and social infrastructure. As the Company operates in a single business and geographical segment, the reporting requirements for primary and secondary segment disclosures prescribed by AS 17 are not applicable

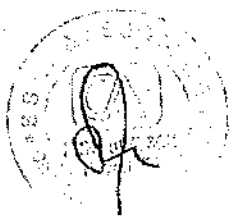

NOTES TO ACCOUNTS

32 Earnings Per Share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period

	Particulars	Unit	For the year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
a	Net Profit/(Loss) for the period attributable to Equity Shareholders	Rupees (₹)	2,90,46,267	4,36,21,365
b	Weighted Average of Number of Equity Shares used as denominator for calculating EPS	Number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
c	Basic/Diluted Earnings per share (a/b)	Rupees (₹)	0.29	0.44
d	Face Value per Equity Share	Rupees (₹)	10.00	10.00

33 Change in Accounting Policy

"Project Development Expenses" shown under the head 'Non-Current Assets' and are not recoverable from the SPV(s) as per the Shareholder's Agreement(s) between NICDIT and the concerned State Govt(s) / Nodal Agency(s) are shown as a reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' during the financial year 2018-19

Due to this change in accounting policy, there was no effect on profit or loss of the Company.

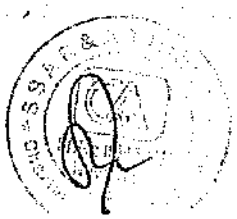

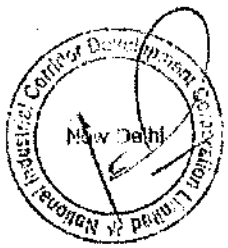

NOTES TO ACCOUNTS

34 Retirement benefits

Defined Contribution Plan

The company has recognized, in the Statement of Profit & Loss for the period ended March 31, 2020 an amount of ₹ 32,63,075/- (Previous Period ₹ 36,84,853/-) under defined contribution plan on the basis of actual contribution to the Provident Fund / Pension Fund

Defined Benefit Plans

a. Gratuity (unfunded): Payment at the time of leaving the organisation upon completion of 5 years of service, equal to 15 days salary for each completed year of service Considering the actuarial valuation, an amount of ₹ 13,08,546/- (Previous Period - ₹ 9,73,571/-) is provided for in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2020

b. Leave Encashment (unfunded): Company introduced the policy of leave encashment with effect from April 01, 2018 As per the policy, the employees are entitled to encash the unavailed leave subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years Value of leave encashment is calculated considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leaves

Gratuity (unfunded)	**31-Mar-2020**	**31-Mar-2019**
Reconciliation statement of expense in the statement of profit and loss.		
Present value of obligation as at the end of period	45,08,194	34,30,902
Present value of obligation as at the beginning of the period	34,30,902	24,57,331
Benefits paid	(2,31,254)	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expenses recognized in the statement of profit & losses	13,08,546	9,73,571
Expenses recognized in the statement of profit & loss		
Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expected return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period		
Fair value of plan assets		
Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period	-	-
Funded status	-	-
Excess of actual over estimated return on plan assets		
Expense recognized in the statement of profit and loss		
Current service cost	8,49,601	7,21,462
Past service cost	-	-
Interest cost	2,31,586	1,90,443
Expected return on plan assets	-	-
Curtailment cost / (Credit)	-	-
Settlement cost / (credit)	-	-
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	2,27,359	61,666
Expenses recognized in the statement of profit & loss	13,08,546	9,73,571

NOTES TO ACCOUNTS

Assumptions:		
Discounting Rate	6.75% per annum	7.75% per annum
Future salary increase	6% per annum	6% per annum
Expected Rate of return on plan assets	-	-

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

The above information for the year ended on 31.03.2020 is certified by the Actuarial Valuer.

The discount rate is based on prevailing market yield as at the date of valuation.

35 Details of dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per MSMED Act, 2006

In absence of confirmation from all of the Trade Payables in respect of their registration and eligibility under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, the amount due to such enterprises at the year-end has been shown under 'Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises.

36 Operating Lease

The Company has surrendered two (02) office spaces at Hotel Ashok, Chankyapuri, New Delhi which were taken on lease. The Comany has taken an office space at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Cannaught Place, New Delhi on license for an initial period of 10 years. Total license fees recognized in the Statement of Profit and Loss for the period is ₹ 5,66,79,394/- (Previous Period ₹ 5,72,11,956/-)

37 The advertisement and publication expenses incurred by the Company in respect of Project Development Activities reduced by the Bid Processing Fee received for the same are transferred to Project Development Expenditure in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

38 The Government of India has expanded the mandate of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) vide Cabinet Decision dated 07.12.2016 to include other Industrial Corridor Projects namely Amritsar Kolkata Investment Region (AKIC), Bangaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC) and Chennai Bangalore Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Project for a unified dedicated institutional framework for the overall planning, development, funding, implementation, operation, supervision and monitoring of the Industrial Corridors. Till the time Knowledge Partners for the other Industrial corridors are put in place, NICDC Limited will continue to act as a Knowledge Partner for other Industrial Corridors as well.

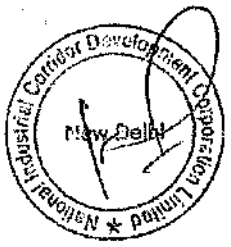

NOTES TO ACCOUNTS

39 The status of legal status as on 31 March, 2020 is as under:

S.No.	Writ Petition No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
1	9282/2015	Subh Ram & Ors	NICDC Ltd & Ors	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition. The said application has been allowed by the Hon'ble High Court The counter affidavit has been submitted by NICDC LTD (Formerly Known as DMICDC Ltd) in respect of the amended Writ Petition also Next date of hearing is awaited
2	6649/2018	Irshad Mohd. Khan and Ors	NICDC Ltd & Ors	Related to water pipeline laid down from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition Next date of hearing is awaited

40 Impact of COVID-19 on the operations of the Company

The Company on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Company are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic

41 Figures for the Previous Period's have been reclassified and regrouped wherever necessary to correspond with the Current Period's presentation

As per our Report of even date attached
For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

FRN 004739N
(New Delhi)

(Membership No. 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAY4632

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN 03532374)

(P.K. Agarwal)
Chief Financial Officer

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

(Abhishek Chaudhary)
VP - Corporate Affairs, HR
& Company Secretary

AUDITOR'S REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

SSAR & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To the Members of

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (Formerly Known as DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

Report on the Consolidated Financial Statements

Opinion

A) We have audited the accompanying Consolidated financial statements of **NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (hereinafter referred to as "the Holding Company") and its Subsidiary (the Holding Company and its subsidiary together referred to as "Group"), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at **March 31, 2020**, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information (hereinafter referred to as "the Consolidated Financial Statements").

B) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid Consolidated financial statements give the information required by the Companies Act, 2013 ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the Indian Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2006, as amended, (AS) and other accounting principles generally accepted in India, of the Consolidated state of affairs of the Group as at **31st March, 2020**, and their Consolidated **profits** and their Consolidated cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit of the Consolidated Financial Statements in accordance with the Standards on Auditing specified under section 143(10) of the Act (SAs). Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) together with the independence requirements that are relevant to our audit of the Consolidated financial statements under the provisions of the Act and the Rules made there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI's Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Consolidated Financial Statements.

19-A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

Information Other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon

A) The Holding Company's Board of Directors is responsible for the preparation and presentation of other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including annexures to the Board's Report, Business Responsibility Report and Corporate Governance Report but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the Consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

B) In connection with our audit of the Consolidated financial statements, our responsibility is to read the Other Information and in doing so, to consider whether the same is materially inconsistent with the Consolidated financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement in this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Other Matters

We did not audit the financial statements of DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited, the subsidiary, whose financial statements reflect total assets of Rs. 3107.97 lakhs as at 31st March, 2020, total revenues of Rs. 971.26 lakhs and net cash flows amounting to Rs. 18.80 lakhs for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. These financial statements have been audited by other auditor whose report has been furnished to us by the Management and our opinion on the consolidated financial statements, in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of the subsidiary, and our report in terms of sub section (3) and (11) of Section 143 of the Act, in so far as it relates to the aforesaid subsidiary, is based solely on the report of the other auditor.

Management's Responsibility for the Consolidated Financial Statements

A) The Holding Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Act with respect to the preparation of these Consolidated financial statements that give a true and fair view of the Consolidated financial position, Consolidated financial performance and Consolidated cash flows of the Group in accordance with the AS and other accounting principles generally accepted in India. The respective Board of Directors of the Companies included in the Group are responsible for maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Group and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the Consolidated financial statements that give a true and fair view and are free from materia misstatement, whether due to fraud or error.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

B) In preparing the Consolidated Financial Statements, the Holding Company's Board of Directors is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless the Holding Company's Board of Directors either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Holding Company's Board of Directors is responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibility

A) Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated Financial Statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these Consolidated Financial Statements.

B) As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

i) Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control;

ii) Obtain an understanding of internal financial controls relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Group has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls;

iii) Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Management;

iv) Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exist, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the Consolidated Financial Statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern;

v) Evaluate the overall presentation, structure and content of the Consolidated Financial Statements, including the disclosures, and whether the Consolidated Financial Statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13
ssarca.india@gmail.com

vi) Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the audit of the financial statements of such entities included in the consolidated financial statements.

C) Materiality is the magnitude of misstatements in the Consolidated Financial Statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the Consolidated Financial Statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the Consolidated Financial Statements.

D) We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

E) We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by section 143(3) of the Act, based on our audit, we report that:

   a) We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit of the aforesaid consolidated financial statements;

   b) In our opinion, proper books of account as required by law relating to preparation of the aforesaid consolidated financial statements have been kept so far as it appears from our examination of those books;

   c) The Consolidated Balance Sheet, the Consolidated Statement of Profit and Loss and the Consolidated Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the relevant books of account maintained for the purpose of preparation of the Consolidated Financial Statements;

   d) In our opinion, the aforesaid Consolidated financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rule, 2014;

   e) On the basis of the written representations received from the Directors as on March 31, 2020 taken on record by the Board of Directors of the Company and its subsidiary and the reports of the statutory auditors of its subsidiary company, none of the directors of the Group is disqualified as on **March 31, 2020** from being appointed as a director in terms of sub section (2) of section 164 of the Act;

f) With respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of the group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in **"Annexure A"** which is based on the auditor's reports of the Company and its subsidiary company. Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of the Group's internal financial controls over financial reporting;

g) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i) The Group does not have any pending litigations which would impact its financial position;
ii) The Group does not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses;
iii) There has been no delay in transferring the amounts, required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Group.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 04739 N

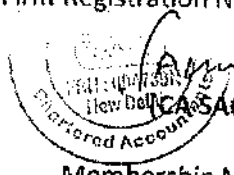

(CA SACHIN JAIN)
Partner
Membership No: 098267
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi – 110002

Place: New Delhi
Date: 29-July-2020

UDIN: 20098267AAAAAZ4062

"Annexure- A"

To the Independent Auditors' Report of Even Date on the Consolidated Financial Statements of National Industrial Corridor Development Corporation Limited – FY 2019-20

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 ("the Act")

In conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the group as of and for the year ended March 31, 2020, we have audited the internal financial controls over financial reporting of **National Industrial Corridor Development Corporation Limited** ("the Holding Company") and its subsidiary companies, as on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Respective Board of Directors of the holding company and its subsidiary company, which are incorporated in India, are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective Companies considering the essential components of internal control stated in the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India ("ICAI"). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Act.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the internal financial controls over financial reporting of the Company and its subsidiary company, incorporated in India, based on our audit. We conducted our audit in accordance with the "Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting" (the "Guidance Note") and the Standards on Auditing, issued by the "ICAI" and prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial controls and both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the internal financial controls system over financial reporting of the Company and its subsidiary company, incorporated in India.

19A, II Floor, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110 002. Ph.: +91 011 4596 0912-13

ssarca.india@gmail.com

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

(i) Pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the company;

(ii) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the company are being made only in accordance with authorisations of management and directors of the company; and

(iii) Provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorised acquisition, use, or disposition of the company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Company and its subsidiary company have, in all material respects, an adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at **March 31, 2020**, based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective Companies considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the ICAI.

For SSAR & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No: 04739 N

(CA SACHIN JAIN)
Partner
Membership No: 098267
Address: 19A, Ansari Road
Darya Ganj, New Delhi - 110002

Place : New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAZ4062

FINANCIAL STATEMENTS (CONSOLIDATED)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2020

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2020 Rupees (₹)		As at 31st March, 2019 Rupees (₹)	
I. EQUITY & LIABILITIES					
(1)SHAREHOLDERS' FUNDS					
(a) Share Capital	1	1,00,00,00,000		1,00,00,00,000	
(b) Reserves & Surplus	2	6,75,63,05,737	7,75,63,05,737	6,22,42,81,974	7,22,42,81,974
(2)NON - CURRENT LIABILITIES					
(a) Long -Term Borrowings	3	-		2,50,00,000	
(b) Other Long -Term Liabilities	4	6,11,07,950		6,65,71,400	
(c) Long - Term Provisions	5	42,16,285	6,53,24,235	33,40,474	9,49,11,874
(3)CURRENT LIABILITIES					
(a) Trade Payables	6				
(i) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises		14,575		62,663	
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises		34,69,37,709		29,07,46,140	
(b) Other Current Liabilities	7	4,36,75,174		4,92,03,014	
(c) Short - Term Provisions	8	9,55,138	39,15,82,596	6,02,602	34,06,14,419
TOTAL			8,21,32,12,568		7,65,98,08,267
II. ASSETS					
(1)NON - CURRENT ASSETS					
(a) Fixed Assets					
(i) Property, Plant and Equipment	9	29,58,64,122		30,10,00,622	
(ii) Intangible Assets		29,12,543		44,68,289	
(iii) Capital Work-in-Progress		3,12,797		38,66,440	
		29,90,89,462		30,93,35,351	
(b) Deferred Tax Assets (Net)	10	65,06,475		50,14,552	
(c) Long - Term Loans and Advances	11	7,02,000		3,85,000	
(d) Other Non - Current Assets	12	6,13,88,56,958	6,44,51,54,895	5,43,94,06,480	5,75,41,41,383
(2)CURRENT ASSETS					
(a) Inventories	13	-		15,56,041	
(b) Trade Receivables	14	1,87,70,715		4,24,79,600	
(c) Cash and Bank Balances	15	1,62,57,01,518		1,73,45,11,721	
(d) Short - Term Loans and Advances	16	7,54,178		1,37,65,663	
(e) Other Current Assets	17	12,28,31,262	1,76,80,57,673	11,33,53,859	1,90,56,66,884
			8,21,32,12,568		7,65,98,08,267
Significant Accounting Policies Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 45				

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAZ4062

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

	Note No.	For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
I. REVENUE FROM OPERATIONS	18	22,89,02,844	27,12,73,913
II. OTHER INCOME	19	9,08,48,945	10,03,56,306
III. TOTAL REVENUE (I+II)		31,97,51,789	37,16,30,219
IV. EXPENSES			
- Cost of Material Consumed	20	4,41,25,766	8,01,30,535
- Employee Benefit Expenses	21	5,72,76,666	5,53,38,976
- Finance Costs	22	7,54,788	30,08,080
- Depreciation Expenses	23	3,50,52,490	3,70,46,050
- Other Expenses	24	13,96,91,644	14,84,38,457
V. TOTAL EXPENSES		27,69,01,354	32,39,62,098
VI. PROFIT/(LOSS) BEFORE TAX (III-V)		4,28,50,435	4,76,68,121
VII. TAX EXPENSES			
- Current Year		1,42,41,215	1,60,52,300
- Previous Year		7,732	47,323
- Deferred Tax		(14,91,921)	(15,38,654)
VIII PROFIT /(LOSS) AFTER TAX FOR THE YEAR (VI-VII)		3,00,93,409	3,31,07,152
IX. EARNINGS PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH			
- Basic/Diluted		0.30	0.33
Significant Accounting Policies			
Accompanying Notes on Financial Statements	1 - 45		

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 098267)

Place: New Delhi

Date : 29-July-2020

UDIN: 20098267AAAAA24062

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

Abhishek Chauddhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)
CIN: U45400DL2008PLC172316

CONSOLIDATED CASH FLOW STATEMENT AS AT 31ST MARCH, 2020

		31-Mar-2020 Rupees (₹)		31-Mar-2019 Rupees (₹)	
A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES:					
Net Profit before Tax		4,28,50,435		4,76,68,121	
Adjustment for:					
Depreciation		3,50,52,490		3,70,46,050	
Loss of Fixed Assets and CWIP		2,11,346		3,09,538	
Finance Cost		7,54,788		30,08,080	
Interest Incomes		(8,38,09,671)		(7,50,41,045)	
Net Cash from Operating Activities before Extraordinary Item and Working Capital Changes		(49,40,612)		1,29,90,744	
Extraordinary Items		-			
Operating Profit before working capital changes	(a)	(49,40,612)		1,29,90,744	
Adjustments for :					
(Increase)/Decrease in Trade & Other Receivables		3,81,62,786		98,35,00,706	
(Increase)/Decrease in Inventories		15,56,041		(3,09,161)	
Increase/(Decrease) in Trade Payables and Other Payables		5,19,76,954		(46,92,82,354)	
Refund/(Payment) of Taxes (Including TDS)		(2,34,85,770)		(2,36,40,849)	
Net Cash from/(used in) Operating Activities	**(b)**	**6,62,10,011**		**49,02,68,342**	
Net cash from operating activities	**(a+b)**		**6,12,69,399**		**50,32,59,086**
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES:					
(Invested) in Project Development Expenses		(74,52,54,031)		(95,82,24,655)	
(Purchase)/ Sale of Investments		-			
Payment of Land Instalment		(54,63,450)		(54,63,450)	
(Purchase)/ Sale of Fixed Assets		(2,50,17,946)		(60,34,986)	
(Increase) /Decrease in Advance for Capital Goods		(1,32,965)		(52,85,787)	
(Increase)/ Decrease in Deposit with Bank		97,36,618		18,19,646	
Interest Income		8,38,09,671		7,50,41,045	
Net Cash from/(Used in) Investing Activities			**(68,23,22,103)**		**(89,81,48,387)**
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES:					
Finance Cost		(7,54,788)		(30,08,080)	
Loan from NICDIT		(2,50,00,000)		(1,10,00,000)	
Project Development Fund		54,77,33,907		1,05,23,52,852	
Net Cash from/(Used in) Financing Activities			**52,19,79,119**		**1,03,83,44,772**
D. NET INCREASE / (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS			**(9,90,73,585)**		**64,34,55,471**
E. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF THE YEAR			**1,72,47,75,103**		**1,08,13,19,632**
F. CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF THE YEAR (Refer Note 15)			**1,62,57,01,518**		**1,72,47,75,103**

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 098267)

For and on behalf of the Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532376)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

Abhishek Chauddhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAZ4062

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

a) Principles of Consolidation

The Consolidated Financial Statements (CFS) relates to National Industrial Corridor Development Corporation Limited (Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited) and its subsidiaries. The consolidated financial statements have been prepared on the following basis:

The financial statements of the Company and its subsidiary company are combined on a line-by-line basis by adding together the book values of like items of assets, liabilities, income and expenses, after fully eliminating intra-group balances and intra-group transactions in accordance with Accounting Standard (AS) 21 - "Consolidated Financial Statements"

As far as possible, the consolidated financial statements are prepared using uniform accounting policies for like transactions and other events in similar circumstances and are presented in the same manner as the Company's standalone financial statements

b) Basis for Preparation of Financial Statements

These financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013

The financial statements are prepared on accrual basis under the historical cost convention. The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements are consistent with those followed in the previous years

c) Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management of the Company to make certain estimates and assumptions that affect the reported amount of assets and liabilities, disclosure of contingent liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognised in the period in which the results are known / materialised

d) Property, Plant and Equipment

i) Property, plant and equipments are stated as per Cost Model i e , at cost less accumulated depreciation and impairment, if any;

ii) Costs directly attributable to acquisition are capitalized until the property, plant and equipment are ready for use, as intended by the management;

iii) Subsequent expenditures relating to property, plant and equipment are capitalized only when it is probable that future economic benefits associated with these will flow to the Company and the cost of the item can be measured reliably. Repairs & maintenance costs are recognized in the Statement of Profit & Loss when incurred;

iv) The cost and related accumulated depreciation are eliminated from the financial statements upon sale or retirement of the asset and the resultant gains or losses are recognized in the Statement of Profit or Loss. Assets to be disposed off are reported at the lower of the carrying value or the fair value less cost to sell;

v) The expenditure relating to Landscaping & Horticulture Works is capitalised under the head Landscaping & Horticulture Works;

vi) Land acquired on lease for 99 years or less is treated as leasehold land

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

vii) The Company depreciates property, plant and equipment pro-rata to the extent of depreciable amount on Written Down Value (WDV) Method. Depreciation is provided based on useful life of the assets as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013 except in respect of the following assets, where useful life is different than those prescribed in Schedule II:

Particulars	Depreciation	Justification
- Office Renovation Expenses	Amortized equally over the lease period of the office from the date of capitalisation.	The assets are non-movable in nature and are, therefore written off over the period of lease.
- Solar Panels	- The salvage value is considered as 10% and depreciable assets is considered as 90% of Capital Cost. - The useful life is considered as 25 years from the date of Commercial Operation Date. - Depreciation Rate is 5.28% per annum for first 13 years and remaining depreciation is spread during remaining useful life of the assets - Depreciation shall be charged on pro-rata basis.	This is as per the Central Electricity Regulatory Commission Regulations, 2017
- Landscaping and Horticulture Works	The depreciable amount is depreciated over a period of 5 years on WDV Method	Useful life is considered as 5 years
- Leasehold Land	Amortised on Straight Line Method for the remaining period of lease (97 years 106 days) from the date of possession.	This is as per the Lease Deed executed with the Land Development Authority i.e., RIICO

viii) Depreciation methods, useful lives, and residual values are reviewed periodically, including at each financial year end

e) Capital Work-in-Progress

Advances paid towards the acquisition of property, plant and equipment outstanding at each balance sheet date is classified as capital advances under "Other Non-Current Assets" and the cost of assets not put to use before such date are disclosed under "Capital Work in progress".

f) Intangible Assets

i) Intangible assets are stated at cost of acquisition net of accumulated amortisation / depletion and impairment loss, if any

ii) Intangible assets are amortised over a period of 5 years from the year of purchase on Straight Line Method.

g) Project Development Fund (PDF)

Government of India has approved setting up a Project Development Fund (PDF) for various project development / preparatory activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project and Other Industrial Corridor projects i.e., Amritsar Kolkata Industrial Corridor (AKIC) Project, Bengaluru Mumbai Industrial Corridor (BMIC) Project, Chennai Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) Project with extension to Kochi via Coimbatore and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) Project part of East Coast Industrial Corridor (ECIC). Accordingly, the grant-in-aid received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12). Interest earned on the said PDF is added to the Project Development Fund. In case any part of funds becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

h) Project Implementation Fund (PIF)

Government of India has approved setting up a Project Implementation Fund (PIF) for various project implementation activities for Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) project Accordingly, the grant received from Govt. of India / National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) for the said purpose has been shown under the head "Capital Reserves" in the Balance Sheet in accordance with the Accounting Standard (AS 12) Interest, dividend or any other income that will be earned on the said PIF is added to the Project Implementation Fund In case any part of the fund becomes refundable at any future date it will be reduced from the Capital Reserves

i) Project Development Expenses (PDE)

All the expenses related to the project development activities of industrial corridor projects, are shown as under:

i) to the extent related to the subsidiaries of the Company and the projects for which separate Special Purpose Vehicles (SPVs) have been formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments, are transferred to the concerned subsidiaries /SPVs and shown as recoverable under the head 'Non-Current Assets' wherever the Shareholder's Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s) / Nodal Agency(ies) provides for such recovery;

ii) incurred for the projects which are not to be taken up or no further activities are to be carried out or the Shareholder's Agreement between NICDIT and the concerned State Govt(s) / Nodal Agency(ies) does not provide for such recovery are reduced from the 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves'; and

iii) expenses not covered under para (i) and (ii) above are accounted as 'Project Development Expenses' under the head "Non - Current Assets"

j) Long-Term Investments

Long-term investments are shown at actual cost including the cost incidental to acquisition In case there is a decline, other than temporary, in the value of long term investment, the carrying amount is reduced to recognise the decline Indicators of the value of an investment are obtained by reference to its market value, the investee's assets and results and the expected cash flows from the investments.

k) Revenue Recognition

i) Interest income is recognised on accrual basis

ii) Dividend income is accounted for, when the right to receive it, is established

iii) Revenue from the sale of power is recognised on the basis of net number of units exported on monthly basis at the rates agreed upon with the customers.

iv) Service Fees for the services rendered by the Company @ 1% (subject to the maximum limit of ₹ 20 crore in a year) of the funds released by National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) to various projects out of Project Implementation Funds (PIF) with effect from 26th July, 2016 is recognised on accrual basis.

v) Annual Service Fees @ 1% of yearly internal accruals (subject to a minimum of ₹ 5 00 crore and maximum of ₹ 10 00 crore p a on pro-rata basis for an initial period of 10 years) towards the services rendered to India International Convention & Exhibition Centre Limited as Knowledge Partner is recognised on accrual basis

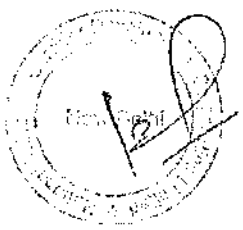

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

l) Leases

Leases are classified as operating lease where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership during the lease term Operating lease payments as per the terms of the lease agreement are recognised as an expense in the Statement of Profit and Loss account on accrual basis

m) Transactions in Foreign Exchange

Expenses / transactions in foreign currency are accounted at the prevailing market rate of exchange on the date of transaction and income in foreign currencies are accounted at the value recovered from these currencies

n) Inventories

Inventories of consumables, Stores and Spares are valued at the lower of the cost or Net Realisable Value on First-in, First-out (FIFO) basis

o) Employee Benefits

i) The Company makes provision for Gratuity in terms of the Payment of Gratuity Act, 1972 and Payment of Gratuity (Central) Rules, 1972 based on actuarial valuation at the end of the year.

ii) Leave salary & pension contribution to all the Government Employees on deputation to the company is accounted as per the prescribed rules of Central Government on monthly basis.

p) Income Tax

Tax expense comprises current and deferred tax. Current income tax is measured at the amount expected to be paid to the tax authorities in accordance with the Income-tax Act, 1961 enacted in India. Deferred income taxes reflects the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.

Deferred tax is measured based on the tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the balance sheet date. Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset, if a legally enforceable right exists to set off current tax assets against current tax liabilities. Deferred tax assets are recognised only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised. In situations where the Company has unabsorbed depreciation or carry forward tax losses, all deferred tax assets are recognised only if there is virtual certainty supported by convincing evidence that they can be realised against future taxable profits.

At each balance sheet date the Company re-assesses unrecognised deferred tax assets. It recognises unrecognised deferred tax assets to the extent that it has become reasonably certain or virtually certain, as the case may be that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realised.

The Company writes-down the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available against which deferred tax asset can be realised. Any such write-down is reversed to the extent that it becomes reasonably certain or virtually certain, as the case may be, that sufficient future taxable income will be available.

MAT credit is recognised as an asset only when and to the extent there is convincing evidence that the Company will pay normal income tax during the specified period.

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES ON CONSOLIDATED ACCOUNTS

q) Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

A provision is recognised in the accounts when the company has a present obligation as a result of past event(s) and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to their present values and are determined based on the best estimate required to settle the obligations at the reporting date. These estimates are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimates.

Contingent liabilities are not recognised in the Financial Statements and are disclosed in the Notes.

Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the Financial Statements.

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 1: SHARE CAPITAL		
1.0 AUTHORISED		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID UP		
10,00,00,000 Equity Shares of ₹ 10/- each with voting power	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000
	1,00,00,00,000	1,00,00,00,000

1.1 The reconciliation of the number of shares outstanding is set out below:

	No. of Shares	Rupees (₹)	No. of Shares	Rupees (₹)
Equity Shares at the beginning of the year	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000
Add: Shares issued during the year	-	-	-	-
Equity Shares at the end of the year	10,00,00,000	1,00,00,00,000	10,00,00,000	1,00,00,00,000

1.2 Details of Shareholders Holding more than 5% Shares:

	% of Holding	No. of Shares	% of Holding	No. of Shares
The President of India (Through Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade and its nominees)	49.0	4,90,00,000	49.0	4,90,00,000
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	26.0	2,60,00,000	26.0	2,60,00,000
Housing and Urban Development Corporation Limited	19.9	1,99,00,000	19.9	1,99,00,000

1.3 The company has only one class of equity shares. Each shareholder is eligible for one vote per share held. The shareholders have no differential rights with respect to distribution of dividend and repayment of capital

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

		As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)		As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)	
NOTE 2 : RESERVES AND SURPLUS					
2.0 CAPITAL RESERVES					
(a) Project Development Fund					
[Refer Accounting Policy No. (g)]					
As per last Balance Sheet			5,82,50,27,000		4,78,50,27,000
Add: Grant received during the year			52,70,00,000		1,04,00,00,000
			6,35,20,27,000		5,82,50,27,000
Additions					
- Interest earned upto previous years		29,26,17,655		28,02,64,803	
- Interest earned during the current year (includes Rs 2,47,330/- relating to Previous Year)		2,07,33,907	31,33,51,562	1,23,52,852	29,26,17,655
			6,66,53,78,562		6,11,76,44,655
Less: Project Development Expenses to the extent not to be recovered (Refer Accounting Policy no (i))			37,98,70,926		33,40,67,373
	(a)		6,28,55,07,636		5,78,35,77,282
(b) Project Implementation Fund					
[Refer Accounting Policy No. (h)]					
As per last Balance Sheet			13,00,00,000		13,00,00,000
	(b)		13,00,00,000		13,00,00,000
2.1 PROFIT & LOSS ACCOUNT					
As per last Balance Sheet			31,07,04,692		27,75,97,540
Add/(Less): Profit (Loss) for the year			3,00,93,409		3,31,07,152
	(c)		34,07,98,101		31,07,04,692
	Total (a + b + c)		6,75,63,05,737		6,22,42,81,974
NOTE 3 : LONG - TERM BORROWINGS					
Term Loan (Unsecured)					
- From National Industrial Corridor Development and Implementation Trust* (formerly DMIC Project Implementation Trust Fund)			-		2,50,00,000
			-		2,50,00,000
NOTE 4 : OTHER LONG - TERM LIABILITIES					
Others					
- Amount Payable towards Land**			6,00,97,950		6,55,61,400
- Performance Security			10,10,000		10,10,000
			6,11,07,950		6,65,71,400

* The loan agreement was executed with National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) with effect from 09th April, 2015 for an amount of ₹ 22.34 crore. The rate of interest shall be 100 basis points above the average G Sec rate for the last one year. The loan is for a period of 10 years with 1 year moratorium period from the date of release of final instalment of loan. The amount of repayment shall be on the basis of the availability of the surplus funds with the Company subject to the condition that the minimum amount of repayment instalment should not be in any case less than ₹ 0.50 crore and the entire loan amount shall be repaid before the expiry of the 10th year from the end date of the moratorium period.

Accordingly, on the basis of availability of funds with the company the balance outstanding loan amount alongwith the interest has been paid in various trenches during the FY 2019-20

** Rajasthan State Industrial Development & Investment Corporation Limited (RIICO) on 21st November, 2012 allotted 145692 sq.m. of land for the project site at the concessional rate of ₹ 1,000/- per sq.m. Out of the total Development Charges (DC), 25% was paid at the time of allotment and the balance amount is payable in 20 equal annual interest free instalments with effect from 20th January, 2013.

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 5 : LONG TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity) (Refer Note No. 33)	42,16,285	33,40,474
Total	**42,16,285**	**33,40,474**
NOTE 6 : TRADE PAYABLES		
(I) Total outstanding dues of micro enterprises and small enterprises (Refer Note No. 34)	14,575	62,663
(ii) Total outstanding dues of creditors other than micro enterprises and small enterprises	34,69,37,709	29,07,46,140
Total	**34,69,52,284**	**29,08,08,803**
NOTE 7 : OTHER CURRENT LIABILITIES		
- Statutory Liabilities	1,85,82,861	3,53,28,536
- Performance Security	15,000	15,000
- Provident Fund Payable	5,81,281	4,45,672
- Creditors for Capital Goods [including Retention Security]	69,652	2,02,617
- Current Maturities of Long-term Liabilities	54,63,450	54,63,450
- Other Expenses Payable	1,89,82,930	77,47,739
Total	**4,36,75,174**	**4,92,03,014**
NOTE 8 : SHORT - TERM PROVISIONS		
- Provision for Employee Benefits (Gratuity and Leave Encashment) (Refer Note no. 33)	6,44,638	3,46,102
- Provision for Professional Fees	3,10,500	2,56,500
Total	**9,55,138**	**6,02,602**

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NOTE 9 : FIXED ASSETS

Rupees (₹)

Particulars	GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK	
	As at 01.04.2019	During the year		Upto 31.03.2020	Upto 31.03.2019	For the year	Other Adjustments	Upto 31.03.2020	As at 31.03.2020	As at 31.03.2019
		Additions	Deductions							
I. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT										
A. Building										
a.) Building other than RCC Frame Structure	1,21,70,609	-	-	1,21,70,609	31,15,913	8,60,757	-	39,76,670	81,93,939	90,54,696
b.) Fencing	1,13,60,905	-	-	1,13,60,905	94,10,709	8,81,930	-	1,02,92,639	10,68,266	19,50,196
c.) Tubewell	10,52,350	-	-	10,52,350	7,24,051	1,49,013	-	8,73,064	1,79,286	3,28,299
B. Roads										
a.) Carpeted - Other than RCC	7,42,326	-	-	7,42,326	6,24,092	69,454	-	6,93,546	48,780	1,18,234
b.) Non-Carpeted Roads	76,47,896	-	-	76,47,896	71,07,464	1,58,037	-	72,65,501	3,82,395	5,40,432
C. Plant & Machinery										
a.) Plant & Machinery (Gen.)	22,00,97,312	11,24,505	-	22,12,21,817	9,50,80,918	2,27,74,774	(6,33,419)	11,72,22,273	10,39,99,544	12,50,16,394
b.) Solar Panels (nos. 1288)	1,36,24,692	44,058	-	1,36,68,750	6,45,701	11,60,237	6,33,419	24,39,357	1,12,29,393	1,29,78,991
D. Furniture and Fixtures	16,50,295	50,82,077	13,01,444	54,30,929	13,40,744	11,00,181	(11,21,838)	13,19,087	41,11,842	3,09,552
- Furniture & Fixture NICDC	14,74,995	50,69,077	13,01,444	52,42,629	12,64,458	10,71,806	(11,21,838)	12,14,426	40,28,203	2,10,536
- Furniture & Fixture DNSPCL	1,75,300	13,000		1,88,300	76,286	28,375		1,04,661	83,639	99,014
E. Office Equipments	50,28,565	93,84,367	10,56,369	1,33,56,563	42,60,644	29,11,449	(10,02,540)	61,69,553	71,87,010	7,67,921
NICDC	46,17,073	93,84,367	10,56,369	1,29,45,071	40,06,136	28,40,127	(10,02,540)	58,43,723	71,01,348	6,10,937
DNSPCL	4,11,492	-	-	4,11,492	2,54,508	71,322	-	3,25,830	85,662	1,56,984
F. Electrical Installations and Equipment	1,08,098	13,01,649	28,908	13,80,839	58,695	1,78,443	(16,246)	2,20,892	11,59,947	49,403
G. Computer & Data Processing Units	35,64,700	16,65,654	3,16,825	49,13,529	31,15,085	7,48,045	(3,00,984)	35,62,146	13,51,383	4,49,615
NICDC	31,97,725	16,65,654	3,16,825	45,46,554	28,27,994	7,01,547	(3,00,984)	32,28,557	13,17,997	3,69,731
DNSPCL	3,66,975	-	-	3,66,975	2,87,091	46,498	-	3,33,589	33,386	79,884
H. Land - Leasehold (99 years)	15,61,68,910	-	-	15,61,68,910	74,67,399	16,05,183	-	90,72,582	14,70,96,328	14,87,01,511
I. Others										
a) Office Renovation Expenses	43,86,960	97,64,514	-	1,41,51,474	43,86,960	4,63,815	-	48,50,775	93,00,699	-
b.) Landscaping & Horticulture Works	27,64,866	2,13,833	-	29,78,699	20,29,488	3,93,901	-	24,23,389	5,55,310	7,35,378
Total	44,03,68,485	2,85,80,657	27,03,546	46,62,45,596	13,93,67,863	3,34,55,219	(24,41,608)	17,03,81,474	29,58,64,122	30,10,00,622
Previous year	43,93,66,732	31,12,959	21,11,206	44,03,68,485	10,52,86,531	3,54,54,230	(13,72,895)	13,93,67,863	30,10,00,622	33,40,80,201
II. INTANGIBLE ASSETS										
Computer Software	82,67,816	41,525	-	83,09,341	37,99,527	15,97,271	-	53,96,798	29,12,543	44,68,289
NICDC	81,21,018	41,525	-	81,62,543	37,22,427	15,67,911		52,90,338	28,72,205	43,98,591
DNSPCL	1,46,798		-	1,46,798	77,100	29,360		1,06,460	40,338	69,698
Total	82,67,816	41,525	-	83,09,341	37,99,527	15,97,271	-	53,96,798	29,12,543	44,68,289
Previous year	81,13,805	1,54,011	-	82,67,816	22,07,707	15,88,966	2,854	37,99,527	44,68,289	59,06,099

		As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 10 : DEFERRED TAX ASSETS (NET)			
Deferred Tax Assets:			
- Relating to Fixed Assets		51,57,761	39,90,581
- Relating to Employee's Benefits and Allowances under Income Tax Act, 1961		13,48,714	10,23,971
		65,06,475	50,14,552
Deferred Tax Liabilities			
- Relating to Fixed Assets		-	-
	Total	**65,06,475**	**50,14,552**
NOTE 11 : LONG TERM LOANS AND ADVANCES			
(Unsecured, considered good)			
- Security Deposits		7,02,000	3,85,000
	Total	**7,02,000**	**3,85,000**

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 12 : OTHER NON-CURRENT ASSETS		
(a) Project Development Expenditure (PDE)		
- PDE against the Project Development Fund of Govt. of India		
- As per last year	98,34,71,322	93,39,88,766
- Incurred during the year	74,64,16,179	95,82,24,855
	1,72,98,87,501	1,89,22,13,621
Less: Amount transferred to subsidiaries /SPVs (Refer Note No 39]	(64,84,25,342)	(79,69,84,131)
Less: Transfer to Project Development Fund (Refer Note No. 32 and Accounting Policy No (i))	(4,58,03,553)	(11,17,58,168)
Total (a)	1,03,56,58,606	98,34,71,322
(b) Project Development Expenses transferred to SPVs [Refer Note No. 39]		
- Aurangabad Industrial Township Limited	1,76,93,28,213	1,46,97,03,648
- Dholera Industrial City Development Limited	2,91,46,67,473	2,59,99,60,739
- Dholera International Airport Company Limited	6,59,998	50,91,152
- DMIC Haryana Global City Project Limited	8,48,84,336	8,08,02,244
- DMIC Haryana MMLH Project Limited	4,84,10,060	3,88,65,417
- DMIC Haryana MRTS Project Limited	6,87,12,587	6,87,12,587
- DMIC Vikram Udyogpuri Limited	5,07,54,677	5,07,54,677
- IIT Greater Noida Limited	7,45,06,230	7,45,06,230
- NICDIT Krishnapatnam Industrial City Development Limited	9,19,36,776	7,26,29,616
	5,10,38,58,350	4,46,10,26,310
Less: Dholera International Airport Company Limited shown as other current Assets (Refer to Note No 17)	(6,59,998)	(50,91,152)
Total (b)	5,10,31,98,352	4,45,59,35,158
Total (a+b)	6,13,88,56,958	5,43,94,06,480
Note 13 : INVENTORIES (Valued at lower of cost and net realisable value)		
- Consumables	-	15,56,041
- Others	-	-
	-	15,56,041

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

	As at 31-Mar-2020 Rupees (₹)	As at 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 14 : TRADE RECEIVABLES		
(Unsecured, considered good)		
- Outstanding for Period exceeding six months	-	-
- Others*	1,87,70,715	4,24,79,600
	1,87,70,715	4,24,79,600

* Includes Rs 1,38,86,000/- (Previous Year - 1,39,30,761/-) due from India International Convention and Exhibition Centre Limited.

NOTE 15 : CASH AND BANK BALANCES			
Cash and Bank Balances			
(a) Cash and Cash Equivalents**			
- Out of PDF of Govt. of India			
Balance with Bank in Current Accounts		2,02,324	23,145
Balance with Bank in Deposit Accounts		48,05,55,897	63,42,25,000
- Out of Others			
Cash in Hand		12,821	10,766
Balance with Bank in Current Accounts		4,46,112	(8,94,796)
Balance with Bank in Deposit Accounts		1,14,44,84,364	1,09,14,10,968
Cash and Cash Equivalent as per AS - 3	**Total (a)**	1,62,57,01,518	1,72,47,75,103
(b) Other Bank Balances			
- Out of PDF of Govt. of India		-	-
- Out of Others			
Balance with Bank in Deposit Accounts under lien for Bank Guarantee		-	97,36,618
	Total (b)	-	97,36,618
	Total Cash and Bank Balances (a+b)	1,62,57,01,518	1,73,45,11,721

** Cash and Cash Equivalents include deposits maintained by the Company with banks, which can be withdrawn by the Company at any point of time without prior notice or penalty on the principal.

NOTE 16 : SHORT - TERM LOANS AND ADVANCES		
Short Term Loans and Advances		
(Unsecured, considered good)		
(i) Others		
- Security Deposits	-	1,11,93,538
- Other Loans & Advances	7,54,178	25,72,125
	7,54,178	1,37,65,663

NOTE 17 : OTHER CURRENT ASSETS		
(I) Out of PDF of Govt. of India		
- Interest Accrued But Not Due	41,75,663	22,73,545
- Others	6,59,998	50,91,152
(ii) Others		
- Interest Accrued But Not Due	6,78,52,575	6,22,92,140
- Income accrued on Sale of Electricity	54,41,413	75,87,269
- Advance Tax / TDS (Net of Provisions)	1,15,88,739	94,54,129
[Provision for Taxation - Rs 1,42,41,215/- (Previous Year - Rs 1,71,26,662/-)]		
- Balance with Revenue Authority	3,17,43,988	2,46,41,777
- Prepaid Expenses	13,68,886	20,13,847
	12,28,31,262	11,33,53,859

	For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 18 : REVENUE FROM OPERATIONS		
-Sale of Power* [99,41,452 Kwh Units (Previous Year 1,19,79,420 Kwh Units) and other adjustments]	9,61,02,444	12,14,75,390
-Service Fees [Refer Accounting Policy No. (k)]	13,28,00,400	14,97,98,523
Total	22,89,02,844	27,12,73,913

* Includes an amount of unbilled revenue of ₹ 55,52,462/- to NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (6,33,120 Kwh @ ₹ 8.77 per unit)

NOTE 19 : OTHER INCOME		
Interest Income on Bank Deposits (includes Rs 4,00,796/- relating to previous year)	8,36,09,671	7,50,41,045
Bid Processing Fees	-	2,53,500
Miscellaneous Income	66,49,505	1,24,655
Recoverable Rent and Electricity Expenses	820	2,49,37,106
Forfeiture of Bank Guarantee	3,88,949	-
Total	9,08,48,945	10,03,56,306

	For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 20 : COST OF MATERIAL CONSUMED		
Diesel Expenses	4,41,25,116	8,01,30,535
Freight Expenses	650	-
Total	**4,41,25,766**	**8,01,30,535**
NOTE 21 : EMPLOYEE BENEFIT EXPENSES		
Salary, Wages and Allowances (including Contractual Employees)	4,92,39,072	4,79,68,216
Contribution to Provident/ Pension Fund	32,63,075	36,84,853
Gratuity	14,54,939	9,67,073
Leave Encashment	1,96,102	2,14,563
Stipend	2,79,145	2,19,292
Staff Welfare Expenses	28,44,333	22,84,979
Total	**5,72,76,666**	**5,53,38,976**
NOTE 22 : FINANCE COSTS		
Interest on Borrowings	7,54,788	27,62,852
Interest on Income Tax	-	2,45,228
Total	**7,54,788**	**30,08,080**
NOTE 23 : DEPRECIATION		
For the period (Refer Note No. 9)	3,50,52,490	3,70,43,196
Adjusted for Earlier years (Refer Note No. 9)	-	2,854
Total	**3,50,52,490**	**3,70,46,050**

	For the Year ended 31-Mar-2020 Rupees (₹)	For the Year ended 31-Mar-2019 Rupees (₹)
NOTE 24 : OTHER EXPENSES		
Business Promotion Expenses	4,37,41,544	5,65,03,664
Rent	5,66,79,394	5,72,11,956
Payment to Auditors (Refer to Note 28)	5,37,200	5,38,900
CSR Expenses	44,02,256	7,68,447
Advertisement and Public Notice Expenses	6,80,506	21,14,311
Electricity Expenses	8,39,673	6,52,977
Foreign Travel Expenses	3,20,604	23,38,798
Professional & Consultancy Expenses	35,19,809	58,39,213
Meeting and Refreshment Expenses	4,13,894	7,33,722
Repair & Maintenance (Office) Expenses	37,77,248	6,49,494
Water Charges	1,01,755	1,18,378
IT Expenses	29,21,718	25,66,987
Printing & Stationery	19,33,021	19,59,018
Communication & Postage Expenses	15,93,394	16,85,912
Travelling & Conveyance Expenses	56,70,251	52,65,934
Insurance Expenses	3,60,978	3,61,691
Director's Sitting Fees	2,87,200	1,66,200
Profit or Loss on Sale of Assets	2,11,346	2,61,604
Prior Period Expenses	33,315	1,43,569
Other Expenses	37,83,956	16,04,611
Operation and Maintenance Expenses	44,13,355	44,27,574
Service Charges on Land	14,20,500	12,89,370
Rebate to NVVN	10,48,727	12,36,127
Renewable Energy Development Charges	10,00,000	-
Total	**13,96,91,644**	**14,84,38,457**

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

NOTES TO ACCOUNTS

	As at 31-Mar-2020	As at 31-Mar-2019
25 Corporate Social Responsibility		
I **Gross amount required to be spent**		
Annual CSR Allocation	22,84,992	21,05,964
Carry forward from previous year	22,26,486	8,50,547
Gross amount required to be spent	**45,11,478**	**29,56,511**
II **Amount spent during the year on CSR Activities**		
In cash		
Yet to be paid in Cash*	43,13,256	7,30,025
Yet to be paid in Cash**	1,27,422	9,82,345
	70,800	12,28,800
* Provisions made for liabilities incurred		
** Disclosed as amount of contract remaining to be executed on account of CSR Activities		
26 Contingent Liabilities and Commitments (to the extent not provided for):		
A. **Contingent Liabilities**		
(i) Claim on the Company not acknowledged as debt	-	-
B. **Commitments**		
(i) Estimated Amount of contracts remaining to be executed and not provided for on:		
- Capital Account (excluding taxes)	-	1,38,98,776
- Consultancy Contracts on account of Project Development (excluding taxes)	1,08,92,27,425	1,28,91,64,660
- Operation and Maintenance of the Project (including taxes)	-	4,53,25,562
(ii) Estimated Amount of contracts remaining to be executed on account of CSR activities and not provided	70,800	12,28,800
(iii) Other commitments		
- Guarantees issued by Bank on behalf of the Company	-	97,36,616
27 Earnings and Expenditure in Foreign Currency		
I **Earnings in Foreign Exchange**	-	-
II **Expenditure in Foreign Currency**		
- Foreign Travel Expenses	3,18,704	9,86,735
28 Payment to Auditors		
(i) Audit Fees	3,66,100	3,67,800
(ii) For Other Services	1,71,100	1,71,100
	5,37,200	5,38,900

29 Related Party Disclosures

As per the Accounting Standard on 'Related Party Disclosure' (AS-18) issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the related parties are as follows :

a **Enterprises having significant influence/control over the company**		
Japan Bank for International Co-operation (JBIC)	Yes	Yes
b **Affiliates/ Associates**		
Housing and Urban Development Corporation Limited	Yes	Yes
c **Key Management Personnel**		
Shri K Sanjay Murthy (w e f 18th November 2019)	Yes	No
Shri Alkesh Kumar Sharma (till 15th September 2019)	Yes	Yes
Shri Prashanth Kumar Balsavar (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019)	Yes	No
Shri Rajendra Ratnoo (For the period 19th September 2019 to 17th November 2019)	Yes	No
d **Enterprises over which KMP exercises Significant Influence**		
India International Convention and Exhibition Centre Ltd. (For the period 17th June 2019 to 5th July 2019)	Yes	Yes

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

II The nature and volume of transactions during the period with the above related parties were as follows:

Amount in Rupees (₹)

Particulars	Affiliates	Enterprises having Significant Influence/Control over the Company	Key Management Personnel	Enterprises over which KMP exercises Significant influence
Outstanding Balances:				
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil	Nil	Nil	2,048
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(1,39,30,761)
Aggregate Transactions during the period				
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil	Nil	32,30,880	Nil
	(Nil)	(Nil)	(58,69,185)	(Nil)
Shri K Sanjay Murthy	Nil	Nil	19,00,183	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Shri Prashanth Kumar Balsavar	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Shri Rajendra Ratnoo	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
India International Convention and Exhibition Centre Ltd	Nil	Nil	Nil	1,55,14,147
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(5,30,60,584)

III Statement of entity wise material transactions during the period

a **Payment to Key Management Personnel**				
Shri Alkesh Kumar Sharma	Nil	Nil	32,30,880	Nil
	(Nil)	(Nil)	(58,69,185)	(Nil)
Shri K Sanjay Murthy	Nil	Nil	19,00,183	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Shri Prashanth Kumar Balsavar	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Shri Rajendra Ratnoo	Nil	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(Nil)
b **India International Convention and Exhibition Centre Ltd**				
Other Expenses incurred	Nil	Nil	Nil	7,84,147
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(40,60,584)
Annual Service Fees (including taxes)	Nil	Nil	Nil	1,47,50,000
	(Nil)	(Nil)	(Nil)	(5,90,00,000)

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount

30 Segment Reporting

The Company has identified two primary business segments viz Power Generation and Project Development division. Segments have been identified and reported taking into account the nature of the services, the differing risks and returns, the organizational structure and internal business reporting system.

a Revenue and expenses have been identified to a segment on the basis of relationship to operating activities of the segment.

b. Segment assets and segment liabilities represent assets and liabilities of respective segment

c. Information about Primary Business Segments:

Amount in Rupees (₹)

Particulars	Power Generation	Project Development	Total
REVENUE			
External Revenue	9,71,25,851	22,26,25,938	31,97,51,789
	(12,25,92,995)	(24,90,37,224)	(37,16,30,219)
Inter-Segment Revenue	Nil	26,16,178	26,16,178
	(Nil)	(11,82,700)	(11,82,700)
Total Revenue	9,71,25,851	22,52,42,116	32,23,67,967
	(12,25,92,995)	(25,02,19,924)	(37,28,12,919)
Add: Allocable Other Income	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Segment Revenue	9,71,25,851	22,52,42,116	32,23,67,967
	(12,25,92,995)	(25,02,19,924)	(37,28,12,919)
Segment Result (before Depreciation)	2,99,78,130	4,74,53,882	7,74,32,012
	(2,23,46,684)	(6,21,52,601)	(8,45,01,285)
Profit/ Loss [-] before exceptional items and tax	17,49,289	4,06,30,233	4,23,79,522
	(- 1,20,63,170)	(5,95,18,405)	(4,74,55,235)
Exceptional Items	Nil	Nil	Nil
	(Nil)	(Nil)	(Nil)
Profit/ Loss[-] before tax	17,49,289	4,06,30,233	4,23,79,522
	(- 1,20,63,170)	(5,95,18,405)	(4,74,55,235)
Tax Expenses	20,25,149	1,22,23,798	1,42,48,947
	(- 19)	(1,60,99,642)	(1,60,99,623)
Deferred tax Expenses /write back [-]	-8,52,089	-6,39,832	-14,91,921
	(- 13,36,032)	(- 2,02,622)	(- 15,38,654)
Profit/ Loss[-] after tax	5,76,229	2,90,46,267	2,96,22,496
	(- 1,07,27,119)	(4,36,21,365)	(3,28,94,266)

Other Information

Particulars	Power Generation	Project Development	Total
Segment assets	31,07,96,974	8,03,57,84,690	8,34,65,81,664
	(34,05,41,680)	(7,45,25,12,989)	(7,79,30,54,669)
Segment Liabilities	6,81,53,808	39,13,20,204	45,94,74,012
	(9,84,74,743)	(33,90,25,124)	(43,74,99,867)
Capital Expenditure	13,51,338	2,72,26,786	2,85,78,124
	(22,54,599)	(6,99,573)	(29,54,172)
Depreciation and amortization	2,82,26,841	68,23,649	3,50,52,490
	(3,44,11,854)	(26,34,196)	(3,70,46,050)
Non Cash Expenses other than depreciation and amortization	1,46,393	16,80,550	18,26,943
	(44,283)	(13,98,957)	(14,43,240)

Note: Figures in bracket () represents Previous year's amount

d. Information about Secondary Geographical Segments: There is no secondary segment.

31 Earnings Per Share

Basic earnings per equity share have been computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the period

Particulars	Unit	Year ended As at 31-Mar-2020	Year ended As at 31-Mar-2019
a. Net Profit/(Loss) for the period attributable to Equity Shareholders	Rupees (₹)	3,00,93,409	3,31,07,152
b. Weighted Average of Number of Equity Shares used as denominator for calculating EPS	Number of Shares	10,00,00,000	10,00,00,000
c. Basic/Diluted Earnings per share (a/b)	Rupees (₹)	0 30	0 33
d. Face Value per Equity Share	Rupees (₹)	10 00	10 00

32 Change in Accounting Policy

"Project Development Expenses" shown under the head 'Non-Current Assets' and are not recoverable from the SPV(s) as per the Shareholder's Agreement(s) between NICDIT and the concerned State Govt(s) / Nodal Agency(s) are shown as a reduction from 'Project Development Funds' under the head 'Capital Reserves' during the financial year 2018-19

Due to this change in accounting policy, there is no effect on the profit or loss of the Company

33 Retirement benefits

Defined Contribution Plan

The company has recognized, in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2020 an amount of ₹ 32,63,075/- (Previous Year ₹ 36,84,853/-) under defined contribution plan on the basis of actual contribution to the Provident Fund / Pension Fund

Defined Benefit Plans

a. Gratuity (unfunded): Payment at the time of leaving the organisation upon completion of 5 years of service, equal to 15 days salary for each completed year of service Considering the actuarial valuation, an amount of ₹ 14,10,052/- (Previous Year - ₹ 9,67,073/-) is provided for in the Statement of Profit & Loss for the year ended March 31, 2020

b. Leave Encashment (unfunded): Company introduced the policy of leave encashment with effect from April 01, 2016 As per the policy, the employees are entitled to encash the unavailed leaves subject to specified limit during the year without carrying forward to the subsequent years Value of leave encashment is calculated considering proportionate amount of Basic Salary for the number of unavailed leave

Gratuity (unfunded)

Reconciliation statement of expense in the statement of profit and loss.	31st March, 2020	31st March, 2019
Present value of obligation as at the end of the period (31/03/2020)	46,90,311	35,11,513
Present value of obligation as at the beginning of the period (31/03/2019)	35,11,513	25,44,440
Benefits paid	(2,31,254)	-
Actual return on plan assets	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expenses recognized in the statement of profit & losses	14,10,052	9,67,073

Expenses recognized in the statement of profit & losses		
Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Expected return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Actuarial gain/(loss) on plan assets	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period	-	-
Fair value of plan assets		
Fair value of plan assets at the beginning of the period	-	-
Acquisition adjustment	-	-
Actual return on plan assets	-	-
Employer contributions	-	-
Benefits paid	-	-
Fair value of plan assets at the end of the period	-	-
Funded status	-	-
Excess of actual over estimated return on plan assets	-	-
Expense recognized in the statement of profit and loss		
Current service cost	9,14,447	7,65,301
Past service cost	-	-
Interest cost	2,37,027	1,97,194
Expected return on plan assets	-	-
Curtailment cost / (Credit)	-	-
Settlement cost / (credit)	-	-
Net actuarial (gain)/ loss recognized in the period	2,58,578	4,578
Expenses recognized in the statement of profit & losses	14,10,052	9,67,073
Assumptions:		
Discounting Rate	6.75% per annum	7.75% per annum
Future salary increase	6% per annum	6% per annum
Expected Rate of return on plan assets	-	-

The estimates of future salary increases, considered in actuarial valuation, take into account inflation, seniority, promotion and other relevant factors including supply and demand in the employment market.

The above information is certified by the Actuarial Valuer.

The discount rate is based on prevailing market yield as at the date of valuation.

34 Details of dues to Micro, Small and Medium Enterprises as per MSMED Act, 2006

Dues to Micro and Small Enterprises have been determined to the extent such parties have been identified on the basis of information collected by the management.

35 Operating Lease

The Company has surrendered two (02) office spaces at Hotel Ashok, Chankyapuri, New Delhi which were taken on lease. The Comany has taken an office space at 8th Floor, Jeevan Bharti Building, Cannaught Place, New Delhi on license for an initial period of 10 years. Total license fees recognized in the Statement of Profit and Loss for the period is ₹ 5,66,79,394/- (Previous Period ₹ 5,72,11,956/-).

36 The advertisement and publication expenses incurred by the Company in respect of Project Development Activities reduced by the Bid Processing Fee received for the same have been transferred Project Development Expenditure in accordance with the observation of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG).

37 The Government of India has expanded the mandate of National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (earlier known as DMIC Project Implementation Trust Fund) vide Cabinet Decision dated 07.12.2016 to include other Industrial Corridor Projects namely Amritsar Kolkata Investment Region (AKIC), Bangaluru Mumbai Economic Corridor (BMEC) and Chennai Bangalore Industrial Corridor (CBIC) with extension to Kochi via Coimbatore and Vizag Chennai Industrial Corridor (VCIC) part of East Coast Industrial Corridor (ECIC) Project for a unified dedicated institutional framework for the overall planning, development, funding, implementation, operation, supervision and monitoring of the Industrial Corridors. Till the time Knowledge Partners for the other industrial corridors are put in place, NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) will continue to act as a Knowledge Partner for other Industrial Corridors as well.

38 The names of DMICDC Guna Power Company Limited, DMICDC Indapur Power Company Limited, DMICDC Vaghei Power Company Limited and DMICDC Ville Bhagad Power Company Limited have been stuck off from the Register of Companies with effect from 09.08.2018 vide Notice no ROC/DE:JO/246(5)/STK7/4893 dated 9th August, 2018

Accordingly, the equity shares held in these SPVs are valued on the basis of their assets and results as per Financial Statements of the respective SPVs and the difference has been recognised as Project Development Expenses during the financial year 2017-18

39 In accordance with the observations of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG), the matter of transfer of 'Project Development Expenditure' incurred out of the Project Development Funds (PDF) to the concerned subsidiaries /SPVs formed between National Industrial Corridor Development and Implementation Trust (NICDIT) formerly DMIC Project Implementation Trust Fund (DMICPITF) and the nodal agencies of the concerned State Governments was placed for the consideration of the Board of Trustees of NICDIT in its 3rd meeting held on 06.03.2018

The Board of Trustees has directed to transfer the 'Project Development Expenditure' incurred by NICDC Limited (Formerly known as DMICDC Limited) in relation to projects of the said Subsidiaries /SPVs out of project development funds provided as Grant-in-Aid to the concerned subsidiaries /SPVs and to defer the recovery of the same till such time the SPVs would be able to generate sufficient surplus funds

40 Department of Investment & Public Asset Management, Ministry of Finance, GoI, vide OM NO. 5/2/2016-Policy dated 27 05 2016 issued Guidelines on Capital Restructuring of Central Public Sector Enterprises (CPSEs). As per the Guidelines, every CPSE is required to pay a minimum annual dividend of 30% of PAT or 5% of the Net Worth, whichever is higher subject to maximum dividend permitted under the extant legal provisions.

For the financial year 2018-19 , the Company has applied for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines from the Secretary, Department of Investment and Public Asset Management through Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) and the same is awaited.

On the same lines, the Company will apply for exemption from payment of minimum dividend as per the above guidelines for the FY 2019-20

Accordingly, no provision is made for the current financial year as well as for previous financial year.

41 The status of legal status as on 31st March, 2020 is as under:

S.No.	Writ Petition No. & Date	Petitioners	Respondents	Subject Matter	Brief Details
1	9282/2015 (The petition was received by the advocate in Rajasthan on behalf of DMICDC Ltd)	Subh Ram & Ors Versus State of Rajasthan and Ors	NICDC Ltd. through its Directors /Secretary & Ors.	Related to Land Acquisition in the State of Rajasthan.	Counter affidavit requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties has been filed with the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench. The Petitioners have filed an application for amending the Writ Petition The said application has been allowed by the Hon'ble High Court. The counter affidavit has been submitted by NICDC LTD (Formerly Known as DMICDC Ltd) in respect of the amended Writ Petition also Next date of hearing is awaited.
2	6649/2016	Irshad Mohd Khan Versus The State of Maharashtra and Ors	NICDC Ltd through its Managing Director	Related to water Pipeline from Jayakwadi Dam to Shendra Industrial Park in Aurangabad City	An application has been filed before the Hon'ble High Court of Bombay, Aurangabad Bench on 18-01-2019 under Order 1 Rule 10 of Code of Civil Procedure, 1908 requesting the Court to delete the name of NICDC Ltd. (Formerly known as DMICDC Ltd) from the array of parties on the ground that the applicant is neither a proper party nor a necessary party to the Writ Petition Next date of hearing is awaited.

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

42 Investments in Subsidiaries:

Subsidiary enterprises in accordance with Accounting Standard 21 - "Consolidated Financial Statements"

S.No.	Name of the Company (All Incorporated In India)	Ownership Interest(%) as on 31st March 2020	Ownership Interest(%) as on 31st March 2019
1	DMICDC Guna Power Company Ltd*	-	-
2	DMICDC Indapur Power Company Ltd*	-	-
3	DMICDC Vaghel Power Company Ltd*	-	-
4	DMICDC Ville Bhagad Power Company Ltd*	-	-
5	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	100%	100%

* The names of these companies have been stuck off from the Register of Companies with effect from 09.08.2018 vide Notice no ROC/DE:JO/248(5)/STK7/4893 dated 9th August, 2018

43 Additional Information, as required under Schedule III to the Companies Act, 2013, of enterprises consolidated as Subsidiary

Name of the Company (All Indian Companies)	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	Amount (₹)	As % of consolidated profit or loss	Amount (₹)
Parent				
National Industrial Corridor Development Corporation Limited Formerly Known as Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation Limited	98.56	7,64,48,44,647	98.52	2,90,46,267
Subsidiaries (Indian)				
DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited	1.44	11,14,61,091	3.48	10,47,143
Minority Interests in all subsidiaries	-	-	-	-

44 Impact of COVID-19 on the operations of the Company

The Company on the basis of its assessment and considering the nature of its business, believes that the operations of the Company are not likely to be impacted adversely by COVID -19 pandemic.

45 Figures for the Previous Year have been reclassified and regrouped where necessary to correspond with the Current Year's presentation

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004738N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAZ4062

For and on behalf of Board

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN 03532374)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN 02855304)

Abhishek Chaudhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(FORMERLY KNOWN AS DELHI MUMBAI INDUSTRIAL CORRIDOR DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED)

FORM AOC-1

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of Section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)
Statement containing salient features of the financial statements of subsidiaries, associate companies and joint ventures as per the Companies Act, 2013

Part A : Subsidiaries

S.No.	Name of the Subsidiary	DMICDC Neemrana Solar Power Company Limited
1	Reporting period for the subsidiary concerned, if any different from the holding company's reporting	Same as that of the holding company
2	Reporting Currency	Indian Rupee
3	Share Capital	13,00,00,000
4	Reserves & surplus	11,26,43,166
5	Total Assets	31,07,96,974
6	Total Liabilities	6,81,53,808
7	Investments	Nil
8	Turnover	9,71,25,851
9	Profit / (Loss) before taxation	17,49,289
10	Provision for taxation	11,73,060
11	Profit / (Loss) after taxation	5,76,229
12	Proposed Dividend	Nil
13	% of shareholding	100%

Part B: Associates / Joint Ventures : Nil

1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year

As per our Report of even date attached

For SSAR & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration No. 004739N

CA Sachin Jain
(Partner)
(Membership No. 098267)

Place: New Delhi
Date : 29-July-2020

UDIN : 20098267AAAAAZ4062

(K. Sanjay Murthy)
CEO & Managing Director
(DIN : 03532374)

P.K. Agarwal
(Chief Financial Officer)

(Rajendra Ratnoo)
Director
(DIN : 02855304)

Abhishek Chauddhary
(VP - Corporate Affairs, HR & Company Secretary)

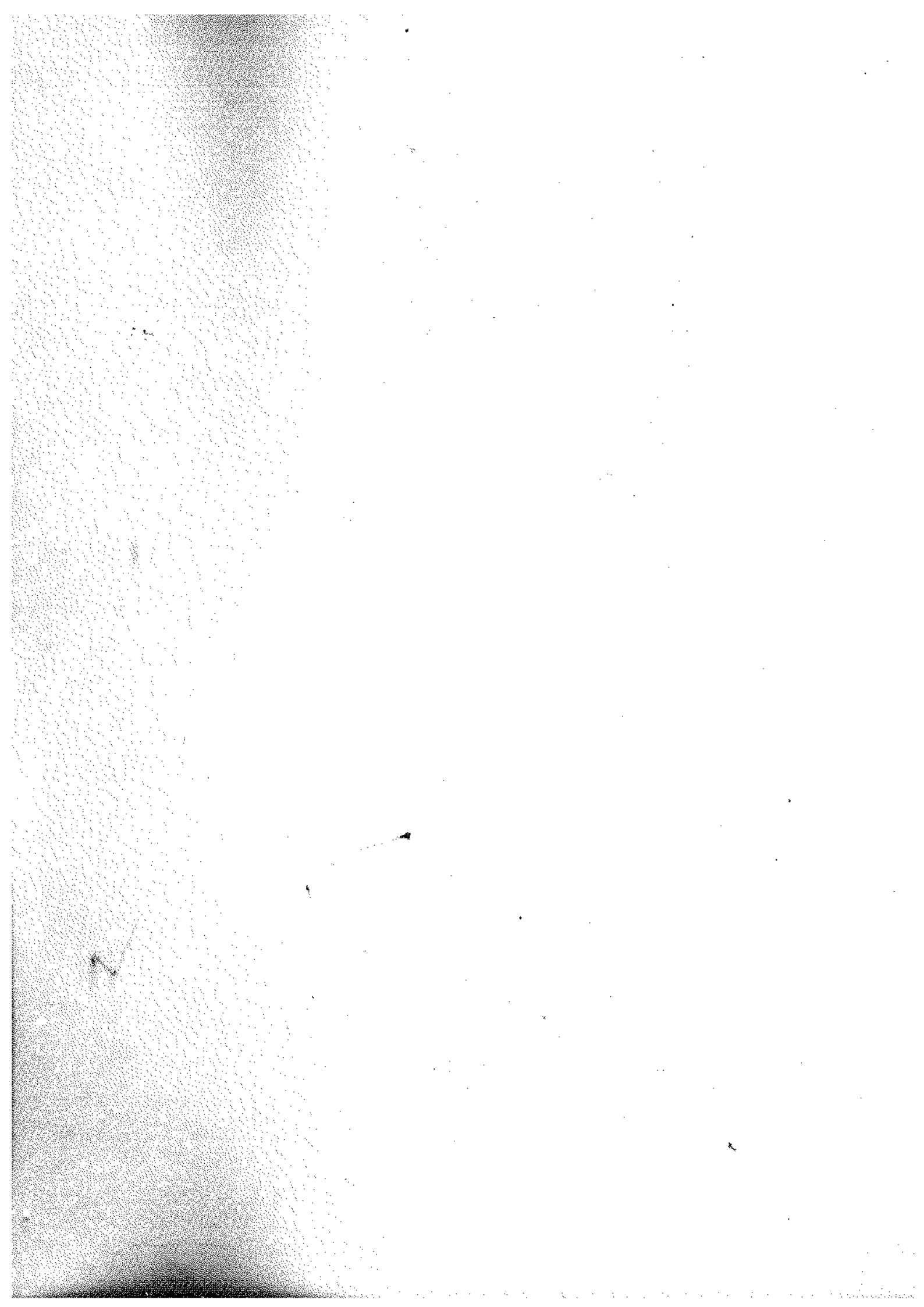

NATIONAL INDUSTRIAL CORRIDOR
DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
CIN: U45400DL2008PLC172316
8th Floor, Tower-1, Jeevan Bharti Building, 124,
Connaught Place, New Delhi – 110001.
Tel No.: 011-23317884-8, Fax: 011-23317889
Website: www.nicdc.in`
Email: contactus@dmicdc.com